Wednesday, 10 May, 1978

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

11.11.92
2

[खंड 15 में अंक 51 से 58 तक हैं
Vol. XV contains Nos. 51 to 58]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 55, बुधवार, 10 मई, 1978/20 वैशाख, 1900 (शक)

No. 55, *Wednesday, May* 10, 1978/*Vaisakha* 20, 1900 (*Saka*)

विषय	Subject	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	Oral Answers to Questions:	1–17
*तारांकित प्रश्न संख्या 1048, 1050, 1051 और 1053 से 1056	*Starred Questions Nos. 1048, 1050, 1051 and 1053 to 1056	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	Written Answers to Questions:	17–150
तारांकित प्रश्न संख्या 1049, 1052 और 1057 से 1067	Starred Questions Nos. 1049, 1052 and 1057 to 1067.	
अतारांकित प्रश्न संख्या 9801, 9802 और 9804 से 10000	Unstarred Questions Nos. 9801, 9802 and 9804 to 10000.	
मंत्रि परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव	Motion of No-Confidence in the Council of Ministers	151–152
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	152–155
सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—कार्यवाही सारांश	Committee on Absence of Members from the Sittings of the House—Minutes	155
राष्ट्रपति से संदेश	Message from the President	155
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	156
वित्त विधेयक—1978, राज्य सभा द्वारा लौटाये रूप में	Finance Bill, 1978, as returned by Rajya Sabha	
नियम 377 के अधीन मामले—	Matters under rule 377—	
(1) सभी शिक्षा संस्थाओं में अंग्रेजी की पढ़ाई बन्द करने के संबंध में बिहार सरकार के कथित आदेश—	(i) Reported orders of Bihar Government for removal of English teaching from all educational Institutions—	
श्री के० राममूर्ति	Shri K. Ramamurthy	156
(2) यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, कलकत्ता के कर्मचारी भविष्य निधि लेखे की बहियों में कथित अनियमितता—	(ii) Reported irregularities in Accounts Books of Staff Provident Fund Account of United Bank of India, Calcutta—	
श्री मुकुन्द मण्डल	Shri Mukunda Mandal	156

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

LSS (ND)/78

विषय	Subject	पृष्ठ/PAGES
(3) ओलावृष्टि और भारी वर्षा के कारण हिमाचल प्रदेश में हुई क्षति का समाचार—	(iii) Reported damage caused by hail-storm and heavy rains in Himachal Pradesh—	
श्री बालक राम	Shri Balak Ram	157
(4) जम्मू और कश्मीर राज्य के पाकिस्तान-अधिकृत क्षेत्रों से शरणार्थियों के सतत समस्या के समाचार—	(iv) Reported continuing problem of refugees from Pakistan occupied area of Jammu and Kashmir State—	
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh	157
(5) अल्पसंख्यक आयोग का कार्यकरण —	(v) Working of minorities Commission—	
श्री जी० एम० बनतवाला	Shri G. M. Banatwalla	157
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
बिहार में सत्याग्रहियों पर गोली चलाये जाने का कथित समाचार—	Reported firing on Satyagrahis in Bihar—	
श्री चित्त बसु	Shri Chitta Basu	158
श्री सुरजीत सिंह बरनाला	Shri Surjit Singh Barnala	158–161
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	160–161
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
19वां प्रतिवेदन	Nineteenth Report	161
विमुक्त जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में शामिल किये जाने तथा उनकी मांगों के संबंध में याचिका—	Petition *re.* Re-Scheduling of Vimukat Jaties as Scheduled Tribes and their Demands—	
श्री पूर्ण नारायण सिन्हा	Shri Purna Narain Sinha	161
खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक —	Khadi and Village Industries Commission (Amendment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री बी० पी० कदम	Shri B. P. Kadam	162
अध्यक्ष द्वारा घोषणा	Announcement by Speaker	162–163
मंत्रि परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव—	Motion of No-Confidence in the Council of Ministers—	
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	163–166
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamanandan Mishra	166–168
श्री हितेन्द्र देसाई	Shri Hitendra Desai	168–169
डा० मुरली मनोहर जोशी	Dr. Murli Manohar Joshi	170

विषय	Subject	पृष्ठ/PAGES
श्री टी० ए० पाई	Shri T. A. Pai	170–172
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	172–173
श्री पी० वेंकटासुब्बैया	Shri P. Venkatasubbaiah	173
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee	173–174
श्री बीजू पटनायक	Shri Biju Patnaik	175–176
श्री जी० एम० बनतवाला	Shri G. M. Banatwalla	176
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	176–177
श्री एल० के० डोले	Shri L. K. Dolay	177–178
श्री बृज भूषण तिवारी	Shri Brij Bhushan Tiwari	178–179
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	179–181
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P. G. Mavalankar	181–183
श्री यशवन्त बोरोले	Shri Yashwant Borole	183–184
श्री अशोक कृष्ण दत्त	Shri Asoke Krishna Dutt	184

लोक सभा
LOK SABHA

बुधवार, 10 मई, 1978/20 वैशाख, 1900 (शक)
Wednesday, May 10, 1978/Vaisakha 20, 1900 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Coal Deposits in Pench Coal Fields

*1048. **Shri Subhash Ahuja**: Will the Minister of **Energy** be pleased to state:

(a) whether coal deposits in the coal mines in Pench Coal fields in Chhindwara district (under Western Coalfields) have exhausted;

(b) the number of labourers in those coal mines;

(c) whether Government propose to start mining in new coal mines in order to save the workers employed in the said mines from unemployment; and

(d) if so, the details of these mines and the time by which mining in the new mines is proposed to be started?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन): (क) जी नहीं। किन्तु पेंच एरिया कोयला खानों की वर्तमान 9 चालू खानों में से न्यूटन चिकली, पूर्वी डोंगर चिकलो बड़कुई और उत्तरी चांदामेट्टा कोयला खानों के कोयला भाण्डारों के अगले 2 से 5 वर्षों के समय में समाप्त हो जाने की संभावना है।

(ख) इस समय पेंच एरिया में कामगारों की संख्या लगभग 15,600 है।

(ग) व (घ): सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि श्रमिक फालतू न होने पाए और उनकी छंटनी न की जाए। पेंच एरिया के पूर्व में और साथ ही समीपवर्ती कान्हन क्षेत्र के पश्चिम में अनछुए कोयला धारी क्षेत्र उपलब्ध हैं। इनकी खोज कोयले के अतिरिक्त उत्पादन के लिये की गई है। पेंच एरिया के पूर्व में, पेंच नदी के उस पार 50 मिलियन टन कोयला है और उसके आगे और पूर्व में 50 मिलियन टन कोयला होने के संकेत मिले हैं। इसी प्रकार कान्हन एरिया के पश्चिम में टांडसी ब्लाक में 20 मिलियन टन मध्यम कोककर कोयला होने का पता चला है। उत्पादन को स्थिर करने के लिये लगभग सभी बर्तमान कोयला खानों का पुनर्गठन किया गया है/किया जा रहा है और अगले दो तीन वर्षों में धन उपलब्ध होने पर नए क्षेत्रों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन का काम शुरू हो सकेगा।

Shri Subhash Ahuja: The hon. Minister has stated in his reply that the stocks of coal will get exhausted in four of the existing nine collieries within next five years. There are a number of collieries where 15,600 workers are working and the hon. Minister has n't got any definite scheme in respect of these 15,600 workers who will be rendered jobless in five years. Then, in which collieries will these workers be absorbed? He has stated that they have re-organised or they are going to re-organise all the existing collieries to stabilise the production, and that implementation of projects in new areas would be taken up after the availability of funds in the next one or two years. Thus, it means that if the funds do not come up the work will not start in new collieries. In such circumstances, won't these labourers be rendered jobless ? I therefore want to know from the hon. Minister whether some definite scheme is being made to provide employment to these 15,600 labourers ? If so, what will be the expenditure thereon ?

श्री पी० रामचन्द्रन : जसा कि मैंने पहले ही बताया है ज्यों ज्यों पुरानी कोयला खाने खत्म होती जाती हैं, नई कोयला खानों का विकास किया जाता है । मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिला सकता हूं कि कोयला खानों के खत्म होने के बावजूद भी वहां काम कर रहे किसी भी श्रमिक की छंटनी नहीं की जाएगी । उन्हें दूसरी खानों में लगा लिया जायेगा जहां काम उपलब्ध हैं । इस बारे में छंटनी की आशंका नहीं रहनी चाहिये ।

Shri Subhash Ahuja : Sir, my question has not been answered fully. How much will be spent on this enter scheme?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने कहा है कि समीपवर्ती कोयला खाने खोली जा रही है। बरोज़गारी की कोई समस्या नहीं होगी । कृपया अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछिए ।

Shri Subhash Ahuja: The hon. Minister has informed that about 20 million tons of coal is available across Pench river. May I know whether any project was laying a railway line to facilitate bringing that coal from across the river has been referred to the Railway Ministry ?

श्री पी० रामचन्द्रन : इन क्षेत्र को, जहां 200 लाख टन कोयला मिलने की आशा है, यथासमय विकसित किया जायेगा तथा इन श्रमिकों को वहां काम पर लगाया जायगा । जब सें नई खानें विकसित हो जायेंगी तब नई लाइन बिछाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

Shri Mritunjay Prasad Verma : I want to stress upon the Minister that coal is a perishable item and cannot be recouped. He has just now said that at a particular place the mines will exhaust within five years. Who knows when the entire coal mines of the country will get exhausted ? May I know whether the Government are considering any plan to preserve the natural resources for maximum period and to arrange for some alternative thereto ?

श्री पी० रामचन्द्रन : हम कोयला खानों से कोयला बड़ी सावधानी से निकालते हैं ताकि कोयला व्यर्थ न हो क्योंकि यह ऊर्जा को नष्ट हो जाने वाला स्रोत है । अतः हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जिससे कि अन्धाधुन्ध कोयला व्यर्थ होता चला जायेगा । इसी लिये हम यह देखना चाहते हैं कि इन कोयला खानों का वैज्ञानिक ढंग से विकास किया जाये और उन्हें सुरक्षित रखने की बात पर भी ध्यान रखा जाये ।

कर्नाटक सरकार द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच के बारे में सहमति वापस ले लेना

*1050 **श्री कंवर लाल गुप्त :**

श्री जी० ए० बनतवाला :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा राज्य में फौजदारी अपराधों की जांच के बारे में सहमति वापस लेने के क्या कारण बताये हैं ;

(ख) अन्य कौन से राज्यों ने कर्नाटक सरकार के तर्क का अनुसरण किया ; और

(ग) सरकार की उस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) कर्नाटक राज्य के क्षेत्राधिकार में, विशेष पुलिस स्थापना के कार्य करने के बारे में, कर्नाटक सरकार ने अपने द्वारा पहले दी गई सहमति को वापस लेने के कोई कारण नहीं बताए हैं।

(ख) अन्य किसी राज्य सरकार ने अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में विशेष पुलिस स्थापना के कार्य करने की सहमति को वापस नहीं लिया है।

(ग) कर्नाटक सरकार द्वारा अपनी सहमति वापस लिये जाने का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इससे विशेषकर, कर्नाटक राज्य में स्थित केन्द्रीय सरकार के विभागों तथा केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के सरकार के प्रयत्नों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

Shri Kanwar Lal Gupta : After the dismissal of Urs Ministry there was President's rule and the Government at that time had issued a chargesheet against Shri Urs, his son-in-law and members of his family enlisting a number of cases of corruption, malpractices, embezzlement and land grab etc. This is, in fact a conspiracy to block the inquiry so that the people are not able to know of their corruption. The hon. Minister has stated some offices of the Central Govt. are involved there. Demonstrations are being held against the Grover Inquiry Commission. When Shah Commission went there, they called for a bund. Will the Govt. assume this House that no hurdles will be allowed to come in the work of the Inquiry Commission? Secondly, how many cases are registered with the C.B.I. in Bangalore which are yet to be inquired into?

श्री एस० डी० पाटिल : ग्रोवर आयोग की सुरक्षा के लिये पुलिस द्वारा रक्षा का प्रबंध है और उपरोक्त सहमति वापस लिये जाने से इस आयोग के कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको नियुक्ति जांच आयोग अधिनियम के अधीन हुई है। दूसरे 30 मामले अभी जांचाधीन ह। इन 30 मामलों में से, जो कि नियमित मामलों के रूप में रजिस्टर हुआ है, 10 मामलों पर प्रारंभिक जांच हो रही है। जहां तक सरकार को मालूम है इसमें केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी अंतर्ग्रस्त हैं कोई राजनैतिक व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त नहीं हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, Sir, this is the only State Government which has withdrawn the consent for C.B.I. inquiry. As regards CRP I do agree that it should not go in a state without the consent of the state Government. But in so far as I.B., or C.B.I. or some other agencies are concerned, may I know whether the hon. Minister had discussed this matter orally or in writing with the

Government of Karnataka. If you have held talks, the details and the results thereof and also what is the legal position in this regard ? Can the centre enforced it against the will of the State Govt. through some statute or otherwise ? What is the position in this regard?

श्री एस० डी० पाटिल : जहां तक राज्य सरकार से बातचीत का संबंध है हमने सचिव पद के एक अधिकारी को वहां के सरकारी अधिकारियों से बातचीत करने के लिये नियुक्त किया है और कुछ प्रस्तावों पर किसी हद तक अस्थायी तौर पर सहमति हुई भी है। परन्तु उनको यहां इस समय प्रकट करना जनहित में नहीं होगा क्योंकि उनको हमें सरकारी तौर से जानकारी नहीं मिली है कि किस बात पर सहमति हुई है तथा किस पर नहीं ।

एक माननीय सदस्य : संवैधानिक स्थिति क्या है ?

श्री एस० डी० पाटिल : केन्द्रीय जांच ब्यूरो एक सांविधिक संगठन नहीं है। इसका गठन वर्ष 1963 में एक सरकारी संकल्प के अन्तर्गत हुआ था। यदि हमें केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सांविधिक दर्जा देना चाहें तो इसमें कतिपय वधानिक कठिनाइयां आती हैं। सरकार ने अभी निश्चय नहीं किया है कि इस सांविधिक बनाया जाये अथवा नहीं ।

श्री जी० एम० बनतवाला : अपनी सहमति वापस लेते समय कर्नाटक सरकार ने कोई कारण नहीं बतायें हैं। तथापि हम मंत्री महोदय से जानना चाहेंगे कि क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही जांचों के बारे में कर्नाटक सरकार तथा केन्द्र सरकार के बीच कोई मनमुटाव है, और यदि यह सुनिश्चय किया जाये कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो का एजेन्ट अथवा अन्य कोई एजेन्सी दण्डनीय अपराध के मामलों को जांच अवश्य करे तो इस सहमति के वापस लिये जाने पर सरकार के सामने क्या विकल्प है ? क्या सरकार केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कार्य को वहां जारी रखने का कोई वैकल्पिक उपाय करने का विचार कर रही है अथवा क्या कोई विकल्प सोच लिया गया है ?

श्री एस० डी० पाटिल : केन्द्रीय जांच ब्यूरो दिल्ली विशेष पुलिस संस्थान अधिनियम की शक्तियों तथा प्रावधानों के अधीन कार्य कर रहा है और इस अधिनियम में विशिष्ट रूप से यह व्यवस्था है कि जब तक विशिष्ट अपराधों के लिये सहमति न मिल जाये हम वहां कार्यवाही नहीं कर सकते। अतः कठिनाई यह है कि हम कार्यवाही नहीं कर सकते ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने दो प्रश्न पूछे थे। क्या किसी जांच के मामले में कर्नाटक सरकार तथा केन्द्र सरकार के बीच कोई मतभेद है। और दूसरा प्रश्न यह है कि क्या आपके मस्तिष्क में इसके लिये कोई विकल्प है ?

श्री एस० डी० पाटिल : ग्रोवर आयोग की नियुक्ति भ्रष्टाचार के मामलों तथा कुछ अन्य आरोपों की जांच के लिये की गई थी। अतः दोनों सरकारों के बीच मानसिक तनाव तो होगा ही क्योंकि उन्हें यह बात पसन्द नहीं थी . . . श्री अर्स ने स्वयं एक आयोग नियुक्त किया है इकबाल आयोग जिसके गठन को उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया। इसके पश्चात् सरकार ने ग्रोवर आयोग नियुक्त किया है जो मामलों की गहराई से छानबीन करेगा ।

अध्यक्ष महोदय : पहले मंत्री महोदय ने कहा था कि वह इस बारे में विचार कर रहे हैं।

श्री एस० डी० पाटिल : हम विचार कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह उत्तर दे चुके हैं। श्री लकप्पा।

श्री के० लकप्पा : प्रश्न तो यह है कि कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच के संबंध में अपनी सहमति वापस ले ली है। उत्तर यह है कि कर्नाटक सरकार द्वारा अपनी सहमति वापस लिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका संबंध विशेष पुलिस संगठन द्वारा क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार के विभागों के बारे में भ्रष्टाचार तथा अन्य आरोपों की जिनका संबंध इन विभागों से है, जांच करने से है। यह एक गंभीर मामला है। हरियाणा में देवी लाल के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाये गये थे . . .

अध्यक्ष महोदय : हम इस समय कर्नाटक की बात कर रहे हैं।

श्री के० लकप्पा : मेरे मित्र राजनैतिक आरोप लगा रहे हैं थे। मैं किसी के विरुद्ध कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। अब स्थिति यह है कि किसी राज्य में, कर्नाटक में या अन्यत्र, सार्वजनिक उपक्रमों में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिये जांच कार्य को रोका जा रहा है। इसके लिये सहमति की जरूरत है, राज्य तथा केन्द्र में मतभेद है, इन बातों को देखते हुए, क्या भारत सरकार ने इसके लिये कोई मार्ग निकालने के बारे में सोचा है कि केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों तथा कार्यालयों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जा सके ताकि वे बच कर न निकल जायें। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई राजनैतिक आरोप हैं? राजनैतिक आरोप लगाने में आपका दल प्रसिद्ध है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछा जाना चाहिये।

श्री के० लकप्पा : श्री देवी लाल के विरुद्ध लगे आरोपो की जांच नहीं की गई थी। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि इन बातों के फलस्वरूप केन्द्र तथा राज्य के बीच पैदा हुए संघर्ष को देखते हुए भारत सरकार क्या विशिष्ट कदम उठा रही है?

श्री एस० डी० पाटिल : इस समस्या का हल राज्य सरकार के साथ बातचीत करके निकालने का विचार है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि सचिव पद का एक अधिकारी वहां जा चुका है और उसने कुछ औपचारिक विचार-विमर्श किया था।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न कुछ बड़ा था। ऐसा संघर्ष कुछ अन्य राज्यों में भी पैदा हो सकता है। इस बारे में आपने कोई योजना बनाई है?

श्री एस० डी० पाटिल : मैं पहले ही कह चुका हूं कि सरकार इस बारे में विचार कर रही है। सरकार विधि मंत्रालय से इस बारे में सलाह कर रही है कि इस स्थिति से निपटने के लिये क्या उपाय किये जाएं। इन सब बातों पर विचार हो रहा है परन्तु इस स्तर पर हम कुछ प्रकट नहीं कर सकते।

Shri Hukandeo Narayan Yadav: Commissions are set up to prevent corruption; their reports are presented but the Government is not able to take action on these reports.

अध्यक्ष महोदय : इसका प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

Shri Hukamdeo Narain Yadav: My question is that situation prevailing in Karnataka and wherever in other States the Governments of the opposition parties of the Central Government are functioning the differences can crop up between them and the Central Government on the report of the Commission. Then there will not be any importance of the Commission. I would like to know whether under such a situation Government would enact any Central Legislation or would make an amendment in the constitution so that Commission set up for the prevention of corruption, the State Government may agree or not agree with their report but Central Government may become fully competent to take action under the constitution?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही उत्तर दे दिया है कि यह विचाराधीन है।

श्री जनार्दन पुजारी : केन्द्र में पिछली सरकार ने कर्नाटक के मुख्य मंत्री देवराज अर्स के विरुद्ध लगाये गये सभी आरोपों की जांच की थी। इसने उन सभी आरोपों को छोड़ दिया है क्योंकि उनमें कोई सार नहीं था। जनता पार्टी ने तय हुए मामले को पुनः खोल दिया है। क्या जनता पार्टी की यही नैतिकता और स्तर है जो वह अनुसरण करना चाहती है? ऐसा मैं इसलिये कह रहा हूं क्योंकि गत चुनाव के दौरान केन्द्र से 27 मंत्री कर्नाटक राज्य में गये थे और उन्होंने इन आरोपों को कर्नाटक के लोगों को स्पष्ट किया था। लेकिन उन्होंने इसके दल को दो-तिहाई बहुमत से जिताया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसको देखते हुए केन्द्रीय सरकार ग्रोवर आयोग को खत्म करने जा रही है?

श्री एस० डी० पाटिल : चुनाव अलग हैं और ग्रोवर आयोग के अधीन जांच एक बिलकुल अलग बात है। भ्रष्टाचार के बारे में यह तथ्यान्वेषी जांच है। यह दो अलग-अलग बातें हैं और एक बात को अन्य बात के साथ नहीं मिलाया जा सकता।

श्री बी० राचया : यह कर्नाटक से संबंधित है . . . . यह बहुत अनुचित होगा। मुझे दुःख है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कर्नाटक से दो सदस्यों को पहले ही अनुमति दे दी है।

Criteria for Promotion to the Post of Station Director

*1051. **Shri Ram Murti:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether five years service as Assistant Station Director is necessary for promotion as Station Director in the A.I.R.

(b) whether the Department has written to the UPSC for reducing this period and has suggested that Assistant Station Directors should be promoted as Directors after interview on the basis of limited competition;

(c) whether in their report the Verghese Committee have recommended new mode of staff selection so as to attract competent and expert people to high posts in the A.I.R. and Doordarshan; and

(d) whether Government propose to put off above relaxation in promotion rules till the above report is accepted or rejected?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani): (a) Under the existing recruitment rules for the posts of Station Director (Ordinary Grade), All

India Radio, 75% of the posts in this grade are filled by promotion through Departmental Promotion Committee presided over by a Member of the UPSC, from the following categories :—

"(i) Assistant Station Directors with 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.

(ii) Failing (i) above, officers with 10 years' service in the grades of Assistant Station Director and Programme Executive combined together rendered after appointment thereto on a regular basis.

(iii) Failing (i) and (ii) above, officers with 10 years service as Programme Executive either as Ordinary Grade or as Selection Grade or both.

Selection from officers mentioned at (ii) and (iii) is made through interview to be conducted by the Union Public Service Commission, by associating two or more independent experts also with the Interview Board, in addition to the members of the Departmental Promotion Committee.

(b) No, Sir.

(c) The Verghese Committee on Autonomy for Akashvani and Doordarshan has recommended that while there would be need to infuse fresh blood and ideas to ensure the best talents for sensitive senior posts, it has also admitted in its report the need to provide promotional avenues from lower ranks to the senior ranks

(d) Does not arise.

Shri Ram Murti : Will the hon. Minister be pleased to State whether generally under the existing rule anybody with 5 years' service as Assistant Director becomes eligible for the post of Director and whether efforts are being made to promote nepotism and favouritism in the Department and the inefficient persons, which were not needed, but on the plea that they are programme Executives, after giving the relaxation more than needed were also included in it and an apportunity was provided to them to become as Station Director. I would like to know as to why this was done?

Shri L. K. Advani : The selection is made through UPSC and DPC by associating independent persons from outside in it and what else more precaution can be taken. Whatever selection is made that is purely on merits and from our side whatever rules are made we always make an effort not to give a chance for any favouritism and decisions are made on merits. It is a fact that as number of persons having experience of four years' as Assistant Station Directors, was less relaxation has to be made and persons having 10 years' service as Assistant Station Director and Programme Executive combined together become eligible. I do not understand how it is an objectionable thing because our process-of-selection is too strict.

Shri Ram Murti : According to the reply of Minister where the persons remain Assistant Director for three months they are also promoted for the sake of promotion. My second question is that Verghese Committee has given its report and has recommended to infuse fresh blood and to appoint intelligent persons whether it was not right to wait for a few days more so that while filling up the posts good persons might have come in it as also desired by the Hon. Minister that good persons should come?

Shri L. K. Advani : I have already said that Assistant Station Director having three months service can also become eligible for promotion. This may be possible and I do not deny from this fact because he has remained ten years as a Programme Executive which is not less and minimum qualification required for Programme Executive

is also not much more. Nobody would like that Programme Executive may stagnate on his post and may not be given any promotion. Verghese Committee has also stressed on this point that where new recruitment is made, a chance should be provided to the people to make progress by giving them promotions. This thing should also be kept in view.

श्री पी० वेंकटसुबय्या : वर्गीस समिति ने सिफारिश की है कि नयी भर्ती की जा सकती है ताकि अच्छी प्रतिभा वाले लोग आकाशवाणी में आ सके। कुछ ऐसे व्यक्ति है जो शैक्षणिक अर्हताओं को पूरा नहीं कर सकते है लेकिन वे अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हो सकते है। मैं जानना चाहता है कि क्या ऐसे लोगों को आयु और शैक्षणिक अर्हताओं में छूट देने के प्रश्न पर मंत्री महोदय विचार कर रहे है। इसके अतिरिक्त मैं जानना चाहता हूं कि क्या कार्यक्रमों को अधिक उपयोगी, उद्देशपूर्ण और शिक्षाप्रद बनाने के लिये विभिन्न प्रदेशों में सहायक निदेशकों को नियुक्त करते समय ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिये ध्यान दिया जायेगा जो प्रादेशिक भाषा से परिचित हों और जो जगह जानते हों और उन कलाकारों को जानते हों जिन्हे वे विश्वास में ले सके ?

श्री लालकृष्ण अडवानी : प्रत्येक व्यक्ति इस बात की सराहना करेगा कि इन दोनों दृष्टिकोणों में सामंजस्य हो अर्थात् नया खून लाने की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित हो कि दीर्घावधि से इस संस्था में काम कर रहे व्यक्तियों की पदोन्नति के मार्ग में बांधा न पड़े। अन्यथा इससे जटिलतायें उत्पन्न होंगी। अन्य मुद्दे के बारे में, अखिल भारत सेवा की के मामले में, प्रादेशिक भाषा की अच्छी जानकारी होना अथवा उससे परिचित होना एक लाभ है लेकिन इसे कभी भी एक पक्का नियम नहीं बनाया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने आयु सीमा में छूट देने के बारे में पूछा है।

श्री लालकृष्ण अडवानी : यह कार्यभार और पद के स्वरूप पर निर्भर करता है।

उड़ीसा में खनिज विज्ञान अनुसंधान काम्प्लेक्स

*1053. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने इंडियन रेयर अर्थर्स लिमिटेड, जो एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, के तत्वावधान में उड़ीसा में एक खनिज विज्ञान अनुसंधान कम्प्लेक्स स्थापित करने की मंजूरी दी है ;

(ख) इस परियोजना पर अनुमानतः कुल कितनी पुंजी लगाई जायेगी और उस पर कुल कितनी पुंजी लगाने की आवश्यकता है ;

(ग) इसमें कुल कितना और कितने मूल्य का वार्षिक उत्पादन होगा ;

(घ) यह संयंत्र कब पूरा होगा ;

(ङ) कितने टन सिंथेटिक रूटाइल उत्पादित होगा ; और

(च) यह संयंत्र किस स्थान पर और किस जिले में स्थापित किया जायेगा तथा परियोजना संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) उड़ीसा राज्य के छतरपुर नामक स्थान पर इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड द्वारा एक खनिज रेत उद्योग समूह के लगाने पर, जिसमें एक खनिज रेत

पृथक्करण संयंत्र और एक सिंथेटिक रूटाईल संयंत्र के साथ-साथ रेलवे साईडिंग, वाटर सप्लाई स्कीम, हाउसिंग स्कीम आदि जैसी अनुषंगी/सहायक सुविधाएं भी शामिल थीं, आने वाली अनुमानित संशोधित लागत को केन्द्रीय सरकार ने अपनी अनुमति जनवरी, 1978 में प्रदान कर दी थी।

(ख) सरकार ने इस परियोजना के लिये कुल मिलाकर 85.67 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च संस्वीकृत किया है, जिसमें से 42 करोड़ रुपये सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में दिये जाने हैं।

(ग) तथा (ङ): इस उद्योग समूह में तैयार होने वाले माल की अनुमानित मात्रा और लागत निम्नलिखित होगी :—

संयंत्र तथा उत्पाद का नाम	वार्षिक उत्पादन क्षमता	मूल्य लाख रुपयों में (बिक्री से प्राप्त राशि)
खनिज रेत पृथक्करण संयंत्र		
(क) इल्मेनाइट (सारी मात्रा सिंथटिक रूटाइल प्लांट में खप जायेगी)	2,20,000	——
(ख) रूटाइल	10,000	265.45
(ग) जर्कन	2,000	17.70
(घ) सिलिमेंनाइट	30,000	159.27
(ङ) मोनाजाइट .	4,000	13.20
सिंथेटिक रूटाइल संयंत्र		
(क) सिंथेटिक रूटाइल . .	94,850	2,098.13
(ख) हाइटाक्स	5,000	175.00
कुल		2,728.75
अथवा मान लें .		2,729.00

(घ) इस परियोजना के वर्ष 1980 के मध्य तक पूरा कर लिये जाने की योजना है।

(च) संयंत्र उड़ीसा राज्य के गंजम जिले में छतरपुर नामक स्थान पर लगाये जा रहे हैं।

श्री रामचन्द्र मलिक : मैं उड़ीसा राज्य के गंजम जिले में छतरपुर नामक स्थान पर इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड द्वारा एक खनिज रेत पृथक्करण संयंत्र सहित इस खनिज विज्ञान अनुसंधान कम्प्लेक्स की मंजूरी देने के लिये आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं। मैं माननीय प्रधान मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस पर विचार करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि यह संयंत्र यथासंभव शीघ्र पूरा हो जाए।

श्री मोरारजी देसाई : यह संयंत्र यथासंभव शीघ्र पूरा किया जा रहा है। 'यथासंभव शीघ्र' का बहुत व्यापक अर्थ है।

श्री रामचन्द्र मलिक : मैं माननीय प्रधान मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के अतिरिक्त यह परियोजना उड़ीसा के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्र में, जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 83,82,791 है, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ायेगी क्योंकि उड़ीसा एक पिछड़ा हुआ राज्य है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पर आइये ।

श्री रामचन्द्र मलिक : सरकार ने इस परियोजना के लिये कुल मिलाकर 85.67 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च की मंजूरी दी है जिसमें से 42 करोड़ रुपये सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में दिये जाने हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या पूरी राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की जायेगी अथवा उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा आंशिक रूप से यह राशि वहन की जायेगी और क्या रोजगार के अवसर केवल स्थानीय लोगों को ही दिये जायेंगे ?

श्री मोरारजी देसाई : यह केन्द्रीय सरकार का एक उपक्रम है । इसके लिये 42 करोड़ रुपये की साम्य (इक्विटी) पूंजी है । यह राशि सरकार द्वारा लगाई जायेगी । इसके अतिरिक्त ऋण लिये जायेंगे और इसे चलाने के लिये वित्तीय निगमों से भी धनराशि ली जायेगी तथा काम को देखते हुए यहां के स्थानीय लोगों को निश्चित रूप से यथासंभव अधिक से अधिक रोजगार के अवसर दिये जायेंगे ।

श्री जगन्नाथ राव : मेरे लिये यह खुशी की बात है कि यह परियोजना 1980 के मध्य तक चालू हो जाने की संभावना है। मैं इस वर्ष के लिये वित्तीय मंजूरी की राशि जानना चाहता हूं। क्योंकि यह क्षेत्र मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में पड़ता है और जब कभी मैं वहां जाता हूं मैं वहां के अधिकारियों से बातचीत करता हूं । जिस गति से वे कार्य कर रहे हैं वह कुछ धीमी है और मुझे संदेह है कि यह वर्ष 1980 में पूरी नहीं हो सकती । मैं इस वर्ष के लिये वित्तीय आवंटन की राशि जानना चाहता हूं और क्या सरकार वित्तीय आवंटन की राशि में वृद्धि करेगी ताकि यह परियोजना निर्धारित अवधि के अन्दर पूरी हो सके ।

श्री मोरारजी देसाई : यदि इच्छायें घोड़े हो जाये तो प्रत्येक व्यक्ति उन पर सवारी करेगा । निरन्तर कुशलता के साथ करने की तुलना में तीव्रता से करना संभव नहीं है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी धनराशि को बर्बाद करते हैं । अतः बहुत तेजी से कार्य करना संभव नहीं है ।

"दूरदर्शन बाईज जंक" शीर्षक समाचार

*1054. **डा० रामजी सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 15 अप्रैल, 1978 के 'ब्लिट्ज' में 'दूरदर्शन बाईज जंक' शीर्षक समाचार देखा है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त आरोप के पीछे कितनी सच्चाई है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार प्रणाली में सुधार करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवानी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : लेख में लगाये गये आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं हैं । निस्संदेह दूरदर्शन कार्यक्रमों की गुणवत्ता और विशेषकर फिल्मों के बारे में शिकायतें रही हैं । दूरदर्शन अपने सेवा का स्तर सुधारने का बराबर प्रयत्न कर रहा है ।

जहां तक फीचर फिल्मों का संबंध है, दूरदर्शन केवल उन्हीं फिल्मों को दिखा सकता है जिनका प्रोड्यूसरों द्वारा प्रस्ताव किया जाता है। जैसा कि आरोप लगाया गया है, पुन: सेंसर नहीं होता किन्तु विभिन्न क्षेत्रों के प्रख्यात सदस्यों की एक पूर्व विलोकन समिति इस प्रकार की फिल्मों का यह सुनिश्चित करने के लिये पूर्व विलोकन करती है कि दिखाई जाने वाली फिल्में अच्छे स्तर की हों और परिवार के साथ देखने लायक हों।

फिल्मों को दिखाने का दर ढांचा सरकार द्वारा सभी संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया था और दूरदर्शन इन दरों के अनुसार ही भुगतान कर सकता है। जहां तक छाया गीत और इसी प्रकार के कार्यक्रमों का संबंध है, गीत और नृत्य अनुक्रमों का चयन इस प्रकार किया जाता है कि वे किसी भी विशिष्ट कार्यक्रम में या किसी अवधि में किसी भी एकल फिल्मी कलाकार का व्यक्तित्व प्रतिबिंबित न करें।

Dr. Ramji Singh: In view of the news item published in the newspapers under caption : 'Doordarshan buys junk' I would like to know from the hon. Minister the reasons for not giving priority to the films of high standard available in the country and to such films which are award winners and which are of public utility. Very old films are purchased for five to seven thousands of rupees and thrust upon the eyes of people through television sets. May I know whether award winning films will be given priority?

Shri L. K. Advani: We do not force anybody to exhibit his films. We have to choose among the films given by the producers. It is quite natural that producer gives only such films which have been commercially exploited. Rates of fee have been fixed on the basis of the extent of oldness or novelty of the film. We definitely give priority to those films which have won awards. It is naturally a matter of happiness. There is nothing objectionable in it.

Dr. Ramji Singh : The hon. Minister has stated that he has tried to curb the programmes through which personality cult was tried to be inculcated. During last one year he might have experienced that they tried to inculcate personality cult through television. I want to know the context in which and the occasion on which such attempts were made.

Shri L. K. Advani : When I said something about persons I did not mean it in the context of personality cult in this sense. I said that anybody might not say this... care is taken, so that song sequences put out should not seem to be specific publicity or advertisement for any particular film. That is taken care.

प्रो० पी० जी० मावलंकर : इस बात को देखते हुए कि टेलीविजन को अभी हमारे देश में वास्तव में पर्याप्त प्रभावशाली होना है और इस बात को भी देखते हुए कि विकासशील देशों में इस बात की बहुत संभावनाएं हैं। क्या मंत्री महोदय इस बात का ध्यान रखेंगे कि टेलीविजन के लिये कार्यक्रमों के विकास हेतु अधिक तीव्र गति से अनुसंधान किया जाये जिससे सरकार को घिसी-पिटी फिल्में न खरीदनी पड़े और दिल्ली, बम्बई और अन्य टेलीविजन केन्द्रों के लिये घिसे-पिटे कार्यक्रम न दिखाने पड़े। बहुत से कार्यक्रम नितान्त उद्देश्यहीन हैं। अब उन्हें अधिक लोग देखते हैं। क्या सरकार अधिक गंभीरता से कार्यक्रमों के बारे में अनुसंधान करेगी जिससे शिक्षा और संस्कृति की दृष्टि से अच्छे कार्यक्रम दिखाये जा सके ?

अध्यक्ष महोदय : इसका प्रश्न के साथ कोई संबंध नहीं है।

श्री लालकृष्ण अडवानी : मैं सदन के सदस्यों को आश्वासन दिलाता हूं कि सरकार दूरदर्शन कार्यक्रमों को बढ़िया बनाने के लिये लगातार प्रयत्नशील है ।

श्री वसंत साठे : क्या सरकार ने फिल्मों के वितरण कार्य को विनियमित करने के लिये कोई नीति बनाई है जिससे वह फिल्म निर्माताओं और वितरकों के दबाव में न आ सके अर्थात् जिससे अच्छी फिल्में होने पर टेलीविजन विभाग को अच्छी फिल्मों से वंचित न रहना पड़े तथा सरकार को ऐसी पुरानी फिल्में न खरीदनी पड़ें जिनका कोई मूल्य नहीं रहा ? दूसरे, जहां तक कार्यक्रमों का प्रश्न है क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि 'शाबाश अनारकली' जैसे कार्यक्रम, जिसमें प्राचीन काल के उस देश के महान और सम्मानित नेता अर्थात् अकबर का मजाक उड़ाया गया है, नहीं दिखाये जायेंगे ? इस कार्यक्रम को केवल एक ही बार नहीं बार-बार दिखाया गया जिससे लोगों को बहुत नाराजगी हुई । क्या सरकार ध्यान रखेगी कि भविष्य में ऐसा न हो ?

श्री लाल कृष्ण अडवानी : फिल्मों के वितरण का प्रश्न महत्वपूर्ण है किन्तु इसका इस प्रश्न के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री वसंत साठे : इसका प्रश्न से सीधा सम्बन्ध है क्योंकि अन्यथा आप घिसी-पिटी फिल्में खरीदते रहेंगे । मंत्री महोदय स्वयं कह रहे थे कि वह मजबूर थे ।

श्री लाल कृष्ण अडवानी : माननीय सदस्य ने टिप्पणी की है । मैं इस बारे में कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं ।

श्री वसंत साठे : क्या मंत्री महोदय ने स्वयं इसे नहीं देखा था ?

Chowdhry Balbir Singh : Hon. Minister has just now stated that that report was baseless. It means that certain newspapers have misused freedom of press in scandalous way. Such types of scandalous and baseless news item without any facts...

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

Chowdhry Balbir Singh : Hon. Minister has stated that baseless news items are published in the newspapers. My question is whether Government take any action against such newspapers which publish baseless reports and in many cases which cross the limit of the freedom of press or the Government keep quiet.

अध्यक्ष महोदय : इस बात का इस प्रश्न के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है ।

Chowdhry Balbir Singh : He has stated that the newspapers have levelled baseless allegations. If it is so, do Government take any action against them or not? This has become a big scandal in the country. Certain newspapers have developed the habit to publish baseless news items.

(*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे ? क्या आप ऐसे मामलों में प्रैस पर कोई नियंत्रण रखने का विचार कर रहे हैं ?

चौधरी बलबीर सिंह : नियंत्रण नहीं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

श्री लाल कृष्ण अडवानी : यदि कोई समाचारपत्र सरकार की आलोचना करता है तो हम उस आलोचना का उत्तर देते हैं । यदि कोई ऐसा समाचारपत्र आरोप लगाता है, जो सही नहीं है हम

उस आरोप का खण्डन करते हैं। जहां तक कार्यवाही करने का संबंध है, कार्यवाही तब की जाती है जब कोई समाचारपत्र या प्रैस देश के कानून का उल्लंघन करते हैं।

दिल्ली में पुलिस बल में वृद्धि

*1055. **श्री के० रामभूति :**
श्री यादवेन्द्र दत्त

क्या गृह मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत एक दशक में राजधानी की जनसंख्या में 71 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जब कि पुलिस मैनों की संख्या में केवल 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि 21,000 पुलिस मैनों में से 10,500 विशिष्ट व्यक्तियों और उनके घरों की सुरक्षा, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, राजदूतावासों और हवाई अड्डे की सुरक्षा में तथा यातायात नियंत्रित करने के काम में लगे रहते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या 65 लाख की जनसंख्या वाले दिल्ली नगर में कानून और व्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए शेष 10,500 पुलिस मैन काफी हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो दिल्ली में पुलिस बल में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) सांख्यिकी तथा आर्थिक ब्यूरो, दिल्ली प्रशासन के अनुसार दिल्ली की अनुमानित जनसंख्या 1968 में 35.83 लाख की तुलना में 1978 में लगभग 54 लाख है अर्थात् 50 प्रतिशत की वृद्धि है। इसी अवधि में दिल्ली पुलिस की संख्या 1968 में 14618 से बढ़कर 1978 में 21547 हो गई अर्थात् लगभग 47.4 प्रतिशत की वृद्धि है।

(ख) 21547 की पुलिस संख्या में से 4236 पुलिस कर्मचारी अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा, अति विशिष्ट व्यक्तियों के मकानों की सुरक्षा, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, दूतावासों, हवाई अड्डों, विदेशी व्यक्तियों के क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय, आप्रवास तथा यातायात विनियमों की रक्षा के लिए तैनात किये जाते हैं।

(ग) शेष 17311 पुलिस कर्मचारियों में से 14208 राजधानी में विधि व्यवस्था बनाये रखी, अपराधों की छानबीन तथा रोकथाम करने के लिए उपलब्ध हैं, जबकि 3103 विभिन्न कार्यों विशिष्ट कार्यों के लिए उपलब्ध है। इस समय जनसंख्या का अनुमान 54 लाख लगाया जाता है, न कि 65 लाख।

(घ) हाल ही में घुड़सवार पुलिस संख्या में वृद्धि की गई थी। (क) एक नया पश्चिम दिल्ली पुलिस जिला बनाने (ख) 8 नये थाने तथा 12 पुलिस चौकियां बनाने का भी निर्णय किया गया है। जनशक्ति की तुरंत अपेक्षाओं को पूरा करने के विचार से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को दो अतिरिक्त बटालियनें दिल्ली पुलिस को उपलब्ध कराई जा रही है।

श्री के० राममूर्ति : यद्यपि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है किन्तु आजकल यह अपराध की राजधानी बन गई है। दिल्ली में अपराध दिन प्रति दिन बढ़ते जा रहे हैं। मंत्री महोदय द्वारा किये गये आरंभों से सभा संतुष्ट हो सकती है किन्तु वास्तविकता यह है कि दिल्ली के प्रत्येक भाग में

2—153 LSS/ND/78

जिसके संसद सदस्यों के क्वार्टर भो सम्मिलित हैं चोरियां तथा दिन दहाड़े लूट पाट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हाल में नार्थ एवेन्यू में...

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिये **(व्यवधान)**

श्री के० राममूर्ति : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अपराधों की विद्यमान गम्भीर स्थिति को देखते हुये सरकार पुलिस कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करेगी जिससे अपराधों को रोका जा सके ?

श्री धनिक लाल मंडल : जहां तक प्रश्न के पहले सभा का सम्बन्ध है आंकडें आंकडें है, तथा उन्हें हमेशा की तरह एकत्र किया गया है। माननीय सदस्य अपनी राय के अनुरूप तथ्यों को ढालना चाहते है तथ्यो के अनुरूप अपनी राय नहीं बनाते।

श्री वयालार रवि : यह राय नही तथ्य हैं। आप यह क्या कर रहे हैं ? प्रत्येक संसद-सदस्य की वस्तुएं चोरी जा रही हैं **(व्यवधान)**

श्री धनिक लाल मंडल : मैंने केवल यह कहा है कि आंकड़े आकड़े है जिन्हे सामान्यत: एकत्र किया जाता है। **(व्यवधान)** जहां तक प्रश्न के दूसरे ऋण का सम्बन्ध है मैंने दिल्ली पुलिस में पुलिस कर्मचारियों को संखया बढ़ाने के लिये उठाये जाने वाले कुछ कदमों का पहले भी उल्लख कर दिया है।

श्री वयालार रवि : संसद-सदस्यों के क्वार्टरों में भी चोरियां होती हैं। आम आदमियों की तो बात ही क्या है हम यहां सुरक्षित नहीं हैं। यह हमारी अपनी समस्या है। **(व्यवधान)**

श्री सी० के० जाफर शरीफ : सरकार का यह रवैया है। यदि सरकार संसद सदस्यों का सुरक्षा नहीं कर सकती तो और कौन करेगा ?

श्री के० राममूर्ति : आप भली भांति जानते हैं कि दिल्ली में जीवन सुरक्षित नही है। मंत्रियों के लिये सुरक्षा के बहुत से प्रबन्ध हो सकते हैं उनके पास पुलिस शक्ति और अन्य सभी सुविधायें हैं किन्तु सामान्य व्यक्तियों तथा संसद सदस्यों का जीवन इस राजधानी में असुरक्षित हो गया है। चूंकि दिल्ली देश की राजधानी है जिसमें राजनयज्ञ, दूतावास और महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं तो सरकार महत्वपूर्ण व्यक्तियों, दूतावासों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों और अन्य स्थानों के लिये सुरक्षा शक्ति को सामान्य पुलिस शक्ति से पृथक क्यों नही करती तथा अपराधों पर नियंत्रण क्यों नही करती ?

श्री धनिक लाल मण्डल : वास्तविकता यह है कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा के लिये जितने उपायों की आवश्यकता है उतने हैं नही।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। प्रश्न यह है कि आप उस शक्ति को अन्य शक्ति से पृथक क्यों नही करते। बस वह इतना पूछ रहे है। यदि आप उत्तर देते हैं तो कोई समस्या नहीं है किन्तु यदि आप भाषण दगे तो समस्या उत्पन्न होगी।

श्री धनिक लाल मण्डल : मैंने अपने मूल उत्तर में कहा है कि 4,236 पुलिस कर्मचारी...

अध्यक्ष महोदय : आपने अब भी प्रश्न नहीं समझा है। आप दोनों को पृथक पृथक क्यों नही करते ?

श्री धनिक लाल मण्डल : लगभग 21,000 पुलिस कर्मचारियों में से केवल 4200 सुरक्षा कार्यों के लिये हैं और वे भी केवल महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा के लिये नहीं हैं। इसमें दूतावास, हवाई अड्डे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान विदेशी व्यक्तियों का विनियमन आदि सम्मिलित है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या आप इन पुलिस कर्मचारियों को अन्य पुलिस कर्मचारियों से पृथक करने जा रहे हैं।

श्री धनिक लाल मण्डल : ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री यादवेन्द्र दत्त : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनका ध्यान कुछ महीने पहले दिल्ली के आई०जी० पुलिस द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि उसने सरकार को एक योजना प्रस्तुत की है जिसके अनुसार हमारी पुलिस प्रणाली को जो कि स्काटलेण्ड यार्ड की पुलिस प्रणाली से 30 वर्ष पिछड़ी हुई है कम से कम 10 वर्ष से अधिक पिछड़ी हुई न रहने दिया जायेगा। क्या वह सभा को यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें पुलिस शक्ति में आगे विकास करने के बारे में कोई योजना प्राप्त हुई है, यदि हां, तो उसकी रुपरेखा क्या है ?

श्री धनिक लाल मण्डल : ऐसा कोई पैमाना नहीं है . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें उत्तर देने दें। प्रश्न यह है कि क्या आई० जी० पुलिस ने कुछ प्रस्ताव प्रस्तूत किये हैं।

श्री धनिक लाल मण्डल : उसके लिये हम एक विशेषज्ञ समिति बना रहे हैं जिसमें श्री सक्सेना, श्री टंडन और कुछ अन्य व्यक्ति होंगे। (**व्यवधान**)

श्री के० लकप्पा : वह उचित रूप से उत्तर नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह उत्तर दे रहे हैं। आप उन्हें उत्तर देने नहीं देते। उन्हें उत्तर देने दें।

श्री धनिक लाल मण्डल : उन सभी बातों की जांच करने के लिये शीघ्र ही एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जायेगी। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि इस मामले की जांच करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जायेगी।

श्री यादवेन्द्र दत्त : मैंने स्पष्टरुप से पूछा है कि क्या उन्हें आई० जी० पुलिस की ओर से कोई प्रस्ताव मिला है जिसमें उसने भारतीय पुलिस को, जो वास्तव में स्काटलेण्ड यार्ड की पुलिस से 30 वर्ष पिछड़ी हुई है, विकसित करके स्काटलेण्ड यार्ड की पुलिस से केवल 10 वर्ष पिछड़ी हुई बनाने की योजना है, यदि हां, तो उसकी रुपरेखा क्या है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि इसकी जांच करने के लिये सरकार एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त कर रही है।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं यह नहीं समझ सका कि मेरे माननीय मित्र इस बात से क्या कहना चाहते हैं कि आई० जी० पुलिस ने कहा था कि वह पुलिस को 'पुल अप' करना चाहता है। किसी आई० जी० पुलिस का यह कहना कि वह पुलिस को 'पुल अप' करना चाहता है, मेरी समझ में नहीं आता। मैं उस वक्तव्य को देखना चाहूंगा। यदि उसका यह तात्पर्य है कि वह पुलिस को एक विशेष स्तर तक लाना चाहता है तो यह बात मेरी समझ में आती है। यह करने की मांग की

गई हैं। स्काटलैंड यार्ड के साथ कैसे तुलना की जा सकती है। लन्दन की आबादी 76 लाख है तथा वहां पुलिस कर्मचारियों की संख्या 25,000 है। यहां की जनसंख्या 54 लाख हैं और पुलिस कर्मचारियों की संख्या 16,000 हैं। कोई भी इस अन्तर को समझ सकता है। विभिन्न व्यक्ति विभिन्न चीजों को विभिन्न तरीकों से देखते हैं। दिल्ली की तुलना में लन्दन या न्यूयार्क में कहीं अधिक अपराध होते हैं। यदि आप आंकड़े देखना चाहें तो मैं दे सकता हूं। किन्तु यह सच है कि हमारा पुलिस प्रशासन गत 30 वर्षों से इस प्रकार कार्य कर रहा है जिसमें कार्य कुशलता बिल्कुल नहीं है। यह आज से ही नहीं है। **(व्यवधान)** मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य इतने उत्तेजित क्यों हैं। यह हमें अंग्रेजी सरकार से विरासत में मिला है और हम इस रवैये में इतना परिवर्तन नहीं कर पाये जितना होना चाहिये था। इसमें किसी एक व्यक्ति का दोष नहीं है। यह इस प्रणाली में स्वतः निहित है जो हमें उत्तराधिकार में मिली है और हमें अनुभव भी इसी का है। हमें इन तथ्य का भी ध्यान अवश्य रखना चाहिये। अब हम अनुभव का उपयोग कर रहे हैं जिससे कार्य उपयुक्त हम से किया जा सके और इसी लिये एक समिति नियुक्त कर दी गई है जैसा कि बताया गया है।

(व्यवधान)

श्री ए० सी० जार्ज : हाल में मैंने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी से पूछा था कि तुगलक रोड पर एक इमारत इतने समय से खाली क्यों पड़ी है। उसने मुझे बताया कि यह पुलिस स्टेशन के बिल्कुल पास है। मैंने पूछा इसका क्या अर्थ हुआ। उसने बताया कि क्योंकि यह पुलिस स्टेशन के बहुत पास है अतः यहां चोरियां बहुत होती हैं।

(व्यवधान)

कोई व्यक्ति उस इमारत को नहीं लेना चाहता क्योंकि वह पुलिस स्टेशन के बहुत पास है। दिल्ली जैसे नगर में, मैं सामान्य रूप से केवल आरोप नहीं लगा रहा हूं—यह धारणा है कि पुलिस कर्मचारियों के साथ कुछ सख्ती होनी चाहिये। प्रधान मंत्री इस पर विचार कर सकते हैं। किन्तु लोगों में यह धारणा अवश्य है कि पुलिस की ईमानदारी पर शक है। अतः क्या मंत्री महोदय कठोर उपाय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि कम से कम पुलिसमैन तो चोरी न करें।

श्री धनिक लाल मण्डल : मैं इस आरोप का खण्डन करता हूं।

Offer from Hungary Re: Manufacture of Buses in India

*1056. **Shri Dharmasinh Bhai Patel :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether an offer has been received from Hungary for manufacturing 200-seater buses in India and if so, when and the nature thereof;

(b) the action taken or proposed to be taken by Government of India thereon and the details of the programme therefor; and

(c) whether Government have any scheme for providing better transport facilities to the passengers in the country and if so, the details thereof.

The Minister of Industry (Shri George Fernandes) : (a) In December 1977, an offer for technical collaboration was received from Hungary for manufacture in India of buses of integrated construction, both articulated and non-articulated.

(b) Negotiations are in progress for evaluation of these vehicles under Indian conditions.

(c) Various schemes have been envisaged in the Plan for: strengthening the services on the existing roads and extending them into semi-urban areas; developing the road transport system to support the programme for decongesting large towns and cities; and promoting improvements in the nationalised sector which operates nearly 53% of the passenger transport services in the country.

Shri Dharmasinhbhai Patel: Mr. Speaker, Sir, hon. Minister has stated in his answer that negotiations are in progress for evaluation of these vehicles under Indian conditions. I would like to know the dates and occasions on which talks were held and the nature of these talks. I would also like to know the number of buses to be manufactured under the programme prepared not only for present but for future also and what will be the price of such a bus?

Shri George Fernandes : Mr. Speaker, Sir, in fact negotiations are going on with both Ikcrus Bhogat of Hungry and Leyland company of Britain. We have received proposals from both the companies stating that they are interested in manufacturing integral coaches in this country. When the British Prime Minister came here in January this initiative was taken by him and later on when the Trade Minister of that country came here then certain steps were taken to make some progress in this direction. When the Industry Minister of Hungry visited India in December, 1977 he also made proposals to this effect. We asked both the countries to send us their one vehicle of integral coach so that we may examine them properly and to see as to what extent these will be useful on our roads. Alvin Metal Industries have sought permission to manufacture these buses in the country and the permission has been given to them. But the question of co-operation with the Hungarian Company or Leyland Industries for manufacturing engine or chassis is also involved in the proposal made by that company. The whole matter is under consideration.

Shri Dharmasinhbhai Patel: The hon. Minister, in line six of part (c) of his answer has stated that — "promoting improvements in the nationalised sector which operates nearly 53% of passenger transport services in the country."

Nearly 100 per cent passenger transport services have been nationalised in Gujrat. I would like to know categorically from the hon. Minister whether maximum assistance will be given to Gujarat State Transport Corporation or the Gujrat Government and if so, how and when.

अध्यक्ष महोदय : दूसरा यहाँ प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

परिवहन संग्रहालय

1049. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में एक परिवहन संग्रहालय बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्य शुरू हो गया है; और

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि का नियतन किया गया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग): सरकार परिवहन संग्रहालय जिसमें सभी प्रकार के परिवहन शामिल होंगे, की स्थापना पर कार्यवाही कर रही है, जिसका वित्त पोषण संबंधित मंत्रालयों द्वारा किया जाएगा। रेलवे भाग का प्रथम चरण पहले ही जनता के लिए खोल दिया गया है। नौवहन और परिवहन मंत्रालय ने संग्रहालय के भाग के पहले चरण का अनुमान तैयार कर लिया है जिस पर कार्यवाही की जा रही है।

Development of 4 Additional Backward Districts of M.P.

*1052. **Shri Rameshwar Patidar** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether Central Government propose to include some additional districts of Madhya Pradesh under the rural industrial projects in the current Five Year Plan, if so, when a decision in this regard will be taken and when the other additional districts of Madhya Pradesh will be included for the purpose;

(b) whether any special grants have been given for these districts under the rural industrial projects and whether the Central Government propose to allocate special grants for the purpose;

(c) the difficulty in the way of Government to include fully all the backward districts of Madhya Pradesh under the central capital grant scheme and in case, this is to be introduced in phases, the programme and the period in respect of which these phases will be fixed; and

(d) whether the backward districts of Madhya Pradesh are also proposed to be included under the central transport grants scheme?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes) : (a) to (d) : A statement is being placed on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) : It has been decided to include all districts of various States/Union Territories including Madhya Pradesh under District Industries Centres Scheme which will also have the component of Rural Industries Projects Programme, in a phased manner.

Districts to be covered under the District Industries Centres Scheme will be provided non-recurring grant of Rs. 2 lakhs for construction of building for office accommodation and another non-recurring grant of Rs. 3 lakhs for meeting expenditure on furniture and fixtures, office equipment and vehicle etc. Further recurring grant not exceeding Rs. 3.75 lakhs subject to corresponding contribution by the State Government of Rs. 1.25 lakhs per year will also be provided.

Out of the districts selected as industrially backward in a State, 6 districts/'areas' from each of the States identified as industrially backward and 3 districts/'areas' from each of the other States have been selected on the basis of the proposals of the respective State Governments to qualify for the Capital Subsidy Scheme. As 6 'areas' of Madhya Pradesh State, out of the districts declared as industrially backward, have already been selected to qualify for Capital Subsidy Scheme, it is not possible to extend the Scheme in all the backward districts of the State.

The schemes of concessions and subsidies being offered by the Centre for the development of industrially backward districts including the Central Transport Subsidy Scheme are at present being reviewed in the Planning Commission with a view to evolving strategy for the development of backward areas during the Five Year Plan 1978-83.

Appointment of Casual Cameramen

*1057. **Shri R. L. P. Verma :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6683 on 12th April, 1978 and state :

(a) whether it is a fact that casual cameramen of Srinagar, Madras and other Doordarshan centres are being appointed in Delhi Doordarshan;

(b) whether the cameramen appointed in Delhi Doordarshan from such other centres will be sent back to those centres where they were working as casual cameramen;

(c) the details of centre-wise number of casual employees appointed in Delhi on regular basis;

(d) the reasons for not appointing the casual cameramen from the Delhi-Amritsar combined panel in Delhi whereas these were interviewed in 1977 and are working as casual cameramen since 1976-77; and

(e) the justification therefor?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani) : (a) Casual cameramen of other Kendras are not appointed in Doordarshan Kendra, Delhi as a matter of course. When the Delhi Kendra advertises vacancies, such casual cameramen also apply, and some do get selected.

(b) No, Sir. However, the Cameramen are liable to be transferred to any Doordarshan Kendra in the country.

(c) Doordarshan Kendras in Delhi have not maintained a record of casual engagements of the cameramen prior to their regular appointment in those Kendras.

(d) Casual engagement does not confer any right for regular appointment in any Kendra. Those of the casual cameramen working at Kendras at Delhi who applied and were approved have been appointed by the Kendras in Delhi.

(e) Does not arise.

Welfare of the Families of Servicemen

*1058. **Shri Hargovind Verma :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are formulating a scheme for the welfare of the families of servicemen;

(b) if so, the outline thereof and when this scheme will be introduced; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) to (c) : Welfare of the families of servicemen has been a continuing objective before the Government; and various measures in this regard have been adopted and will continue to be adopted from time to time.

ब्रेल हाथघड़ियों का निर्माण

*1059. **श्री सी० के० जाफरशरीफ :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाने ने हाल में ब्रेल हाथ घड़ियों का निर्माण आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसी कितनी घड़ियां बनाई तथा बेची गई हैं ; और

(ग) ऐसी प्रत्येक प्रकार की घड़ियों का बाजार मूल्य क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी, हां ।

(ख) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने आयातित हिस्से पूर्जों से अब तक 1000 ब्रेल घड़ियां बनाई हैं और 903 बेची हैं । 1978-79 में देशी हिस्से-पूर्जों से 5000 ब्रेल घड़ियां बनाने की योजना है ।

(ग) एच० एम० टी० ने केवल एक किस्म की ब्रेल घड़ी बनाई है जिसका मूल्य 165 रुपये है, इसमें उत्पादन शुल्क और स्थानीय कर शामिल नहीं हैं ।

लघु एककों का वित्त पोषण करने के लिए संस्था की स्थापना

1060. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु एककों का वित पोषण करने के लिये एक संस्था की स्थापना करने का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) और (ख) : मामला विचाराधीन है किन्तु ब्योरों पर अभी पूरी तरह विचार नहीं किया गया है ।

भारतीय राष्ट्रीय परिवहन कर्मचारी संघ के महासचिव से प्राप्त ज्ञापन

1061. **श्री अहसान जाफरी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय परिवहन कर्मचारी संघ के महासचिव से मांगों संबंधी कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो मांगें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या नीति है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) इंडियन नेशनल ट्रांसपोर्ट वरकर्स फैडरेशन, गुजरात शाखा अहमदाबाद के महा-मंत्री ने सड़क परिवहन कर्मचारियों की कुछ समस्याओं की सूची भेजी है ।

(ख) और (ग) : अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

विवरण

(ख) परिसंघ ने निम्नलिखित 5 बातें रखी हैं :—

(1) गाड़ियों की खरीद के लिये सड़क परिवहन परिचालकों को अग्रिम देने के लिय सरकारी तथा अन्य बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर घटाकर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की जाय ।

(2) छोटी गाड़ी के मालिकों को बेचे जाने वाले पेट्रोल की कीमत कम की जाय ।

(3) देश भर में चुंगी प्रभारों को और मोटर गाड़ियों पर लगाये जाने वाले करों की दर एक सी हो ।

(4) गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों पर विश्राम गृहों की व्यवस्था के लिये शीघ्र कार्यवाही की जाय ।

(5) सड़क परिवहन कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार करने के लिये बोर्ड की नियुक्ति की जाय ।

(ग) उपरोक्त बातों के सम्बन्ध में स्थिति निम्न प्रकार है :--

(1) सड़क परिवहन परिचालकों की बैंक द्वारा दिये गये ऋणों पर ब्याज की दर कई सम्बन्धित बातों को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जाती है। उधार देने की दर सीमा रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा निर्धारित की जाती है। परिसंघ का सुझाव वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के बैंकिंग पक्ष के विचारार्थ बताया गया है।

(2) यह प्रशासनिक रूप से व्यवहार्य नहीं है कि पेट्रोल के लिये 2 अलग-अलग बिक्री दरें हों—एक छोटी गाड़ी के मालिकों के लिये और दूसरी बड़ी गाड़ी के मालिकों के लिये।

(3) चूंकि मोटरगाड़ी कराधान राज्य का विषय है और अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग स्थिति होती है, इसलिये सम्पूर्ण देश में मोटर गाड़ियों पर कर की दरें एक समान रखना संभव नहीं है। चूंकि कर समाप्त करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(4) गुजरात राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी उपयुक्त स्थान पर पार्किंग स्थान की व्यवस्था करने के लिये यदि कोई विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त होता है तो उस योजना को स्वीकृत करने और उसके लिये धन की व्यवस्था करने पर विचार किया जायेगा।

(5) परिसंघ की गुजरात शाखा को सलाह दी जा रही है कि वह इस मामले में राज्य सरकार को लिखें।

Disparity in Pay Scales of Workers of D.M.S.R.D.E., Kanpur

*1062. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the details of disparities in pay scales, overtime allowance, leave, etc. in respect of office and factory workers of Defence Materials and Stores Research Development Establishment, Kanpur;

(b) whether office is constituted for the service of the factory and whether in the D.M.S.R.D.E., the office is not considered to be the integral part of the factory; and

(c) if so, the reasons therefor and action being taken by Government in this regard?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Defence Materials and Stores Research and Development Establishment (DMSRDE), Kanpur is a research & development establishment under the Defence Research and Development Organisation, and not a factory. It is not registered under the Factories Act. There are no disparities in pay scales, overtime allowance, leave etc. between workers of the same category employed in various sections in Defence Materials and Stores Research and Development Establishment.

(b) and (c) : In view of (a) above, (b) & (c) do not arise.

कोयला खानों में कोयले का उत्पादन

*1063. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **ऊर्जा** मंत्री निम्नलिखित की जानकारी देने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कोयला खानों की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां पर हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में उन खानों में कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ग) क्या कोयले की मांग को पूरा करने के लिये आगामी 2-3 वर्षों में नई कोयला खानें खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) भारत में कोयले की 400 चालू खानें हैं। इन खानों की राज्यवार स्थिति तथा इनको चलाने वाली कोयला कम्पनियों के नाम नीचे दिये गए हैं :--

राज्य/ कम्पनी	आंध्र प्रदेश	महा- राष्ट्र	आसाम	बिहार	मध्य प्रदेश	उड़ीसा	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल	कुल खानें
1 भा० को० को० लि०	--	--	--	87	--	--	—	4	91
2 से० को० लि०	--	—	--	47	2	5	2	--	56
3 वे० को० लि०	--	14	--	--	58	3	—	--	75
4 ई० को० लि०	--	--	--	17	--	--	--	100	117
5 ना० ई० को०	—	—	4	--	--	--	--	--	4
6 सि० को० कं० लि०	47	--	--	—	--	--	--	--	47
7 टा० आ० एंड स्टील कं०	--	--	--	6	—	--	—	—	6
8 इं० आ० एंड स्टील कं०	—	--	--	2	—	--	--	1	3
9 दा० घा० नि०	--	--	--	1	--	--	--	--	1
	47	14	4	160	60	8	2	105	400

(ख) गत तीन वर्षों में उन खानों से हुआ (कम्पनीवार) कोयले का उत्पादन नीचे दिया गया है :—

(मिलियन टनों में)

	1975-76	1976-77	1977-78 (अनन्तिम)
1 भा० को० को० लि० . . .	20.087	20.682	20.213

(मिलियन टनों में)

	1975–76	1976–77	1977–78
2 ई० को० लि०	26.193	26.465	25.259
3 से० को० लि०	20.693	20.725	21.197
4 वे० को० लि०	21.459	21.042	21.673
5 ना० ई० को०	0.556	0.574	0.621
को० इं० लि० कुल .	88.988	89.488	88.963
6 सिं० को० कं० लि० . . .	7.359	8.296	8.911
7 टा० आ० एंड स्टी० कं० . . .	2.182	2.137	2.243
8 इं० आ० एंड स्टी० कं० . . .	0.824	0.833	0.694
9 दा० घा० नि.	0.313	0.284	0.174
कुल समस्त भारत .	99.67	101.040	100.985
कहिए .			(101.00)

(ग) व (घ) : कोल इंडिया लि० के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में इस समय 38 खानों का निर्माण हो रहा है। इसके अतिरिक्त अगले 2/3 वर्षों में कोल इंडिया लि० द्वारा 13 खानों का निर्माण कार्य हाथ में लिये जाने की आशा है। सिंगरैनी कोलियरीज़ कं० लि० में 7 नई खानें तैयार की जा रही हैं और अगले 2 से 3 वर्षों के भीतर 17 नई खानों पर काम शुरू करने का प्रस्ताव है।

ईस्टर्न कोलफील्डस् लि०

क्रम सं०	नाम	राज्य	मि० टनों में क्षमता
1	2	3	4
क—निर्माणाधीन नई खानें			
1	केंडा ओ सी पी	प० बंगाल	0.34
2	डेबराना ओ सी पी	,,	0.18
3	कुमारडीही ओ सी पी	,,	0.28
4	परासिया ओ सी पी	,,	0.46
5	डालूरबंद ओ सी पी	,,	0.20
6	निमचा ओ सी पी	,,	0.38
7	महावीर ओ सी पी	,,	0.54
8	नक्राकोंडा अं० ग्रा	,,	0.30

ख—नई खानें जिनमें 2/3 वर्षों के भीतर काम शुरू किए जानें की संभावना है :—

1	2	3	4
1	बोजेमेहारी ओ सी पी	प० बंगाल	0.30
2	श्यामपूर/निरसा ओ सी पी	बिहार	0.45
3	संग्रामगढ़ ओ सी पी	प० बंगाल	0.50
4	चोरा ओ सी पी/कुमारखाला ओ सी पी	प० बंगाल	0.20

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

क्रम सं०	नाम	राज्य	मि० टनों में क्षमता
	क—निर्माणाधीन नई खाने		
1	जुनकुन्दर ओ/सी	बिहार	0.36
2	गोलुकडोह ओ/सी	बिहार	0.72
3	डामागोरिया ओ/सी	प० बंगाल	0.24
4	हुरीलाडोह	बिहार	0.24
5	भुरंगिया	बिहार	0.30
6	बुगुनिया	प० बंगाल	0.36
7	कुसेन्दा ओ/सी	बिहार	0.30
	ख—नई खानें जिनमें 2/3 वर्षों के भीतर काम शुरू करने की संभावना है		
1	पँच डिपोजिट ओ/सी	बिहार	1.2
2	ब्लाक II ओ/सी	बिहार	--
3	ब्लाक III ओ/सी	बिहार	--

सेण्ट्रल कोल्डफील्डस लि०

क्रम सं०	नाम	राज्य	(क्षमता मिलियन टनों में)
1	2	3	4
	क—निर्माणाधीन नई खानें		
1	रामगढ़	बिहार	3.00
2	केडला यू/जी	बिहार	1.00
3	कारो स्पेशल	बिहार	0.50 (इस समय 0.12 है)
4	गिरडोह ओ/सी	बिहार	0.30

1	2	3	4	
5	साउथ बालन्दा	उड़ीसा	1.00	
6	जयन्त	मध्य प्रदेश	3.00	(क्षमता बढ़ाने के लिए संशोधित किया जा रहा है)
7	झिगुरडाह . . .	मध्य प्रदेश	0.12	
8	धोबोडोह . . .	बिहार	0.12	
9	बीना . . .	उत्तर प्रदेश	2.00	(4.5 तक विस्तार किया जा रहा है)
10	अनन्ता	उड़ीसा	1.00	
11	गोविन्दपुर . . .	बिहार	1.50	

ख—नई खानें जिनमें 2/3 वर्षों के भीतर काम शुरू करने की संभावना है

1	लाइयो यू/जो . .	बिहार	0.50

वेस्टर्न कोल्डफील्डस लि०

क—निर्माणाधीन नई खानें

क्रम सं०	नाम	राज्य	(क्षमता मिलियन टनों में)	
1	राजगामार . .	मध्य प्रदेश	0.72	
2	चाचई यू/जो . . .	,,	0.50	
3	भटगांव . . .	,,	1.00	
4	शोभापुर . . .	,,	0.95	
5	जमना ओ/सी . .	,,	0.50	
6	नन्दन . . .	,,	0.23	
7	पाटनसोगी . . .	महाराष्ट्र	0.12	
8	कुसमुन्डा	मध्य प्रदेश	1.50	(6 मि० टन तक संशोधित किया जा रहा है)
9	चाचई ओ/सी . . .	मध्य प्रदेश	0.19	
10	नई मजरी ओ/सी . .	महाराष्ट्र	1.00	
11	चिरीमिरी ओ/सी . . .	मध्य प्रदेश	1.00	
12	दुर्गापुर ओ/सी . . .	महाराष्ट्र	1.00	

ख—वे नई खानें जिसमें 2/3 वर्षों में काम शुरू करने की संभावना है

1	धनपूरी ओ/सी फेज 1	मध्य प्रदेश	0.72
2	धनपूरी यू/जी	,,	..
3	बेलपहाड़	महाराष्ट्र	..
4	सतपुरा III यू/जी	मध्य प्रदेश	..
5	राजनगर ओ/सी	,,	..

सिंगरैनी कोलियरी कंपनी लिमिटेड

क—निर्माणाधीन खानें

1	कोठागुडम क्षेत्र	2 खाने
2	बेलमपल्ली क्षेत्र और मंडामरी	3 खानें
3	रामगुंडम	2 खानें
		7 खानें

ख—वे खानें जिन्हें अगले 2/3 वर्षों में खोला जाना है

1	बेलमपल्ली और मन्डामरी	6 यू/जी खानें
2	रामागुंडम	5 यू/जी खानें 1 औ/सी खानें
3	कोठागुडम क्षेत्र	3 यू/जी खानें 2 औ/सी खानें
		17 खानें

संक्षिप्त नामों के पूरे रूप

कम्पनियां

1	को० ई० लि०	कोल इंडिया लिमिटेड
2	भा० को० को० लि०	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
3	ई० को० लि०	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
4	स० को० लि०	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
5	वें० को० लि०	वेंस्टन कोलफील्ड्स लिमिटेड
6	ना० ई० को०	नार्थ-ईस्टर्न कोलफील्ड्
7	टा० आ० एंडस्टी० कं०	टाटा आयरन एंड स्टील कं० लि०
8	ई० आ० एंडस्टी० कं०	इंडियन आयरन एंड स्टील कं० लि०
9	सि० को० कं० लि०	सिगरेनी कोलियरीज कम्पमी लि०
10	दा० घा० नि०	दामोदर घाटी निगम

			राज्य
1	आ० प्र०	. .	आंध्र प्रदेश
2	म० प्र०	.	मध्य प्रदेश
3	उ० प्र०	. . .	उत्तर प्रदेश

प्रथम श्रेणी अधिकारियों के विरुद्ध मामले

*1064. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री निम्नलिखित की ज नकारी देने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के विभिन्न विभागों से सम्बद्ध प्रथम श्रेणी के कुछ राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध 250 रुपए अथवा इससे कम राशि की कथित राजस्व हानि के मामले चलाये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने अधिकारियों के विरुद्ध ऐसे मामले चलाये गये हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने 250 रुपए अथवा इससे कम राशि की वसूली के लिए ऐसे मामलों में की गई जांच पर भारी धनराशि खर्च की है ;

(घ) उक्त छोटे-छोटे मामलों पर अब तक व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले ; और

(ङ) उक्त मामलों का विस्तृत स्वरुप क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ख) । प्रथम श्रेणी के एक अधिकारी के विरुद्ध सरकार को लगभग 190 रुपए की राशि का धोखा देने के आरोप का केवल एक ही मामला है ।

(ग) से (घ) : उक्त मामले की प्रारम्भिक जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई थी जिसके बाद विभागीय कार्रवाई अभी चल रही है । इस विशिष्ट मामले की जांच पर हुआ व्यय बताना संभव नहीं है ।

(ङ) जांच का स्वरुप अर्द्धन्यायिक होने के कारण, इस अवस्था पर जबकि जांच अभी चल रही है, इस मामले का ब्यौरा प्रकट करना जनहित में नहीं है ।

News item Captioned 'Flying Saucer over Bombay'

*1065. **Dr. Mahadeepak Singh Shakya :**
Shri Keshavrao Dhondge :

Will the Minister of Space be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to the news item published in the 'Nav Bharat Times' dated 5th April, 1978 in which it has been reported that a flying saucer has also been sighted over Bombay; and

(b) if so, the information received by Government in this regard?

The Prime Minister (Shri Morarji R. Desai): (a) Yes, Sir.

(b) There is no observational evidence to substantiate the report.

Broadcasting of 20-Point Programme by Various Stations of All India Radio

*1066. **Shri Ram Prasad Deshmukh:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2080 on 8-3-78 and state:

(a) whether the comprehensive enquiry being conducted in regard to 'Chintan' programme broadcast from various commercial centres of All India Radio on 9 January, 1978, has since been completed;

(b) if so, the facts that came to light and the number of the officers working at commercial centres found guilty;

(c) whether it is a fact that besides the officers working at Bombay Vividh Bharati Centre, officers at other commercial Centres have also been held responsible for carelessness; and

(d) if so, the number of the officers found guilty in this regard?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani): (a) & (b): The inquiry into the broadcast of 'Chintan' programme on 9th January, 1978 has been completed and on the basis of the inquiry report, two officials have been issued written warnings and disciplinary proceedings have been instituted against two other officials under Rule 16 of the CCS (CC&A) Rules, 1965.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Supply of Cement to U.P. and other States

*1067. **Shri Ganga Bhakt Singh:**
Shri Shambhunath Chaturvedi:

Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether repeated demands are being received from Uttar Pradesh Government for the supply of cement but the supply is not being made;

(b) if so, the quantity of cement supplied to Uttar Pradesh and other States in the first quarter of 1978; and

(c) the per capita kilogramme cement allocated in Uttar Pradesh during the above quarter and average thereof in respect of other States?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes): (a) It is not correct to say that supply of cement is not made in spite of repeated demands received from U.P. Government.

(b) During January-March, 1978, 5.50 lakh tonnes of cement were allocated to U.P. Actual despatches amounted to 5.68 lakh tonnes (which included an element of carry-over from the previous quarters). In addition to the above quantity, 0.73 lakh tonnes were supplied to U.P. under the Central category. Allotments and despatches of cement to the States (excluding Central Sector) during January-March 1978 are shown in the attached statement.

(c) Allotment of cement is made quarterly depending on the anticipated production and the estimated demands from the States and the Central Departments. Cement is not allocated on a per capita basis.

Statement

Sl. No.	States	Allocation Qr.I/1978 in '000 tonnes	Despatches Qr. I/78 in '000 tonnes
NORTH			
1	Haryana	180·0	160·8
2	Himachal Pradesh	30·0	25·0
3	Jammu & Kashmir	37·5	34·0
4	Punjab	250·0	213·8
5	Rajasthan	160·0	170·0
6	Uttar Pradesh	550·0	568·1
7	Chandigarh	22·0	19·4
8	Delhi	135·0	115·0
	Total	1364.5	1306·1
EAST			
9	Arn. Pradesh	0·5	0·7
10	Assam	60·0	45·6
11	Bihar	300·0	237·4
12	Manipur	12·0	6·3
13	Meghalaya	10·0	9·4
14	Mizoram	4·0	3·1
15	Nagaland	7·0	4·4
16	Orissa	100·0	98·7
17	Sikkim	8·0	8·8
18	Tripura	6.3	4·8
19	West Bengal	320·0	266·3
	Total	827·8	685·5
WEST			
20	Gujarat	375·0	374·6
21	Madhya Pradesh	230·0	176·7
22	Maharashtra	575·0	474·4
23	Goa, Daman Diu	26·5	23·7
	Total	1206·5	1049·0
SOUTH			
24	Andhra Pradesh	500·0	373·7
25	Karnataka	240·0	251·8
26	Kerala	225·0	180·8
27	Tamilnadu	450·0	279·2
28	Andaman & Nicobar	4·7	2·2
29	Pondicherry	9·0	13·3
	Total	1428·7	1101·0
	Grand Total	4827·5	4141·6

कोका कोला के स्थान पर अन्य पदार्थ का विकास

9801. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय ने केन्द्रीय खाद्य प्रोद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान को कोका कोला का स्थानापन्न विकसित करने के लिये कब कहा था और ऐसा आवश्यक होने के क्या कारण थे ; और

(ख) फार्मूलेशन कब तैयार हुआ और उसे बाजार में लाने में किन कारणों से विलम्ब हुआ ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Rural Electrification Scheme for Shahbad Kishanganj in District Kota (Rajasthan)

†9802. **Shri Chaturbhuj:** Will the Minister of Energy be pleased to state:

(a) whether rural electrification scheme has been formulated for the electrification of Shahbad Kishanganj in District Kota (Rajasthan) under tribal project or by Rural Electrification Corporation; and

(b) if so, the reasons for delay in undertaking the scheme and the time by which work in the scheme is likely to be started?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) (a): A Rural Electrification Scheme covering Shahbad Panchayat Samiti in Kota District was received by the Rural Electrification Corporation in January, 1978 from Rajasthan State Electricity Board.

(b) The Board has classified the area of the scheme as "specially underdeveloped tribal", which is eligible for preferential terms and conditions of loan from the Corporation. The Corporation has written to the Board for certain clarifications regarding the power supply position in the area of the scheme. On receipt of these clarifications from the Board, it will be considered by the Corporation.

छुट्टी यात्रा रियायत नियम

9804. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छुट्टी यात्रा रियायत नियमों के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को अपने मूल स्थानों को जाने के लिये रेलगाड़ियों में आरक्षण के सम्बन्ध में दिये गये स्लीपर और आरक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति का हक है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित प्रणाली को आरम्भ करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनुसिंह पाटिल) : (क) यात्रा भत्ता रियायत नियमों के अनुसार वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदशो के अधीन द्वितीय श्रेणी में स्लीपर तथा आरक्षण शुल्क और प्रथम श्रेणी में आरक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति योग्य है। यह प्रतिपूर्ति छुट्टी यात्रा रियायत योजना के अधीन की गई यात्रा पर भी लागू होगी।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

छावनियों में भूमि संबंधी नीति के बारे में किरकी से अभ्यावेदन

9805. **श्री पुण्डलीक हरि दानवे** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार या निदेशक, सैनिक भूमि और छावनियों को किरकी (पुणे) महाराष्ट्र से छावनियों में भूमि संबंधी नीति के बारे में कोई अभ्यावेदन जनवरी या फरवरी, 1978 में मिला था ;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें क्या मांगे की गई थी, और

(ग) सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करना चाहती है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अभ्यावेदन में की गई मुख्य-मुख्य मांगें इस प्रकार हैं :—

(1) सिविल क्षेत्रों में स्थित भूस्थलों को, जो निरस्त छावनी कोड लीज के अन्तर्गत और ओल्ड ग्रांट की शर्तों के अन्तर्गत रखे गए थे, छावनी भूमि प्रशासन नियमावली 1937 के अन्तर्गत पट्टों में बदलने के लिए किराया और प्रीमियम कम किया जाना चा ।

(2) सिविल क्षेत्र के भूस्थलो को फ्री-होल्ड में बदलते समय भूमि का मूल्य निश्चित करते हुए भूमि का स्थान, भूमि की किस्म, वर्तमान स्थिति और उस से प्राप्त किराए अथवा आय जैसे सभी तत्वों को ध्यान में रखा जाना चाहि ।

(3) किरायों की वर्तमान मानक सारणी के 10 से 40 गुणा दर पर की जाने वाली कीमत बहुत अधिक है। इस कीमत को इस प्रकार से निश्चित किया जाना चाहिए कि जो मकान मालिक भूमि खरीदना चाहे उन पर भार को कम किया जा सके।

(4) मकान मालिकों को आसान किश्तों में मूल्य देने की अनुमति होनी चाहिए।

(5) छावनियों में भूमि नीति को उदार बनाया जाना चाहिए।

(ग) छावनी क्षेत्रों में वर्तमान भूमि नीति को नवम्बर 1976 में बनाया गया था और वह रक्षा मंत्रालय की वर्ष 1977-78 की वार्षिक रिपोर्ट में पृष्ठ संख्या 111–112 पर दी गई है। इस प्रश्न पर सरकार अलग से विचार कर रही है कि क्या इस नीति में संशोधन करने की आवश्यकता है, यदि हां, किस प्रकार के संशोधन करने चाहिए। इस सम्बंध में अन्तिम निर्णय लेते समय उक्त अभ्यावेदन में उठाए गए मुद्दों को ध्यान में रखा जाएगा। ये प्रस्ताव बिल्कुल अस्थायी अवस्था में है और इस मामले में अन्तिम निर्णय लेने में कुछ समय लगने की सम्भावना है।

दिल्ली क्लाथ मिल्स को स्थानान्तरित करना

9806. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली क्लाथ मिल्स को पुरानी दिल्ली से स्थानान्तरित करने का एक प्रस्ताव था ताकि रिहायशी क्षेत्र को प्रभावित करने वाले वायु तथा जल प्रदूषण से मुक्ति मिल सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में रहनेवाले लोगों के स्वास्थ्य तथा सम्पत्ति की रक्षा के लिये सरकार ने इस बारे में अन्तिम रुप से क्या निर्णय किया है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पेंशन की दरों में असमानता

9807. डा० कर्ण सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973 से पूर्व सेवा-निवृत्त होने वाले और उसके बाद सेवा निवृत्त होने वाले व्यक्तियों के पेंशन की दरों में असमानता है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अन्याय को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार व्यापक आधार पर पेंशन की समस्या और सेवाओं के मामलों के पुनर्निर्धारण के लिये उच्च-स्तरीय पेंशन और पुनर्निर्धारण आयोग की नियुक्ति करने का है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सेवा कार्मिकों की पेंशन के बारे में पेंशन की दरें अन्य बातों के साथ-साथ वेतन पर निर्भर करती हैं, इसलिए जब कभी वेतन-मानों में संशोधन होता है तो पेंशन दरों में भी उपयुक्त संशोधन किया जाता है । चूंकि 1-1-73 से लागू पेंशन की संशोधित दरें उन नए वेतन-मानों पर आधारित हैं जो तृतीय वेतन आयोग की सिफारिश स्वीकार कर लिए जाने के परिणामस्वरूप उस तारीख से लागू की गई थी, इसलिए ये दर उन कार्मिकों की पेंशन दरों की तुलना में स्पष्टत: ऊंची है जो 1-1-73 से पहले संशोधन पूर्व वेतन-मानों पर सेवा निवृत्त हुए थे । परन्तु पुरानी और नई पेंशन दरों के अन्तर को कम करने के लिए सरकार ने उन सभी पेंशनरों को जो 1-1-73 से पहले सेवा निवृत्त हुए हैं, 15 रुपए से लेकर 35 रुपए तक की तदर्थ राहत स्वीकार की है । यह तदर्थ राहत उन कार्मिकों को ग्राह्य नहीं है जो 1-1-1973 को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं ।

परन्तु पेंशन के 35 प्रतिशत की दर पर सरकार द्वारा स्वीकृत आवधिक राहतें उपर्युक्त दोनों वर्गों के पेंशनरों को ग्राह्य हैं । ये दरें न्यूनतम 35 रुपए प्रति मास और अधिकतम 175 रुपए प्रतिमास हैं ।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

Constitution of Hindi Advisory Committee

9808. **Shri Surendra Bikram: Will the Minister of Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Hindi Advisory Committee has been constituted in his Ministry; and

(b) if so, the names of members thereof and the number and names of the members among them who have been included therein on the recommendations of the Official Languages Department?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) (a) Yes, Sir.

(b) A statement is attached. **The Department of Official Language is** part of the Home Ministry and the Department has not recommended any name other than that recommended by the Ministry.

Statement

1. Home Minister	Chairman
2. Minister of State in the Ministry of Home Affairs (M)	Vice-Chairman
3. Minister of State in the Ministry of Home Affairs (P)	Vice-Chairman
4. Chief Minister, Arunachal Pradesh	Member
5. Shri Rama Nand Tiwary Member of Parliament (Lok Sabha)	Member
6. Sh. Chabi Ram Argal, Member of Parliament (Lok Sabha)	Member
7. Shri Bhishma Narain Sing, Member of Parliament (Rajya Sabha)	Member
8. Sh. N.P. Shahi, Member of Parliament (Rajya Sabha)	Member
9. Sh. Ganga Saran Singh, Patna	Member
10. Sh. Umahsankar Joshi, Ahmedabad	Member
11. Dr. Malsk Mohammad, Calicat	Member
12. Sh. Vishnukant Shastri, Calcutta	Member
13. Sh. Himansu Joshi, New Delhi	Member
14. Sh. Chandrakant Keni, Goa	Member
15. Home Secretary	Member
16. Secretary, Department of Official Language and Hindi Adviser to Government of India	Member
17. Secretary, Deptt. of Personnel and Administrative Reforms	Member
18. Additional Secretary (C), Ministry of Home Affairs	Member
19. Additional Secretary (M), Ministry of Home Affairs	Member
20. Additional Secretary (AR), Deptt. of P & A.R.	Member
21. Additional Secretary and Estt. Officer, Department of P&AR.	Member
22. Additional Secretary (Vigilance), Department of Personnel and Administrative Reforms.	Member
23. Joint Secretary (NE), MHA	Member
24. Joint Secretary (Admn.), MHA	Member
25. Joint Secretary (Police), MHA	Member
26. Joint Secretary (UT), MHA	Member
27. Joint Secretary (T.D.), MHA	Member
28. Joint Secretary (T), P & AR	Member
29. Joint Secretary (P.P.), P & AR	Member
30. Joint Secretary (S), P & AR.	Member
31. Joint Secretary (O.L.)	Member
32. Director General, Border Security Force, Ministry of Home Affairs.	Member
33. Director General, Backward Classes Welfare, Ministry of Home Affairs.	Member
34. Director General, Central Reserve Police Force, Ministry of Home Affairs.	Member
35. Registrar General of India	Member
36. Director, Central Bureau of Investigation.	Member
37. Deputy Secretary (NEC)	Member-Secy.

मैसर्स शार्पएज लिमिटेड का निर्यात दायित्व

9809. **श्री आर० आर० पटेल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्लेड बनाने वाली एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी मैसर्स शार्पएज लिमिटेड ने सरकार द्वारा विदेशी सहयोग की अनुमति देते समय निर्धारित निर्यात दायित्व को पूरा किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो निर्यात दायित्वों को पूरा न करने के लिए उनको दंड देने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख) : आयात तथा निर्यात के मुख्य नियन्त्रक ने जिनका सम्बन्ध निर्यात के दायित्वों को मोनोटोरिंग करने से है बताया है कि मैसर्स शार्पएज लिमिटेड ने स्टेनलैस स्टील रेजर ब्लेडों का उत्पादन करने के लिए उन्हें विदेशी सहयोग को स्वीकृति देते समय सरकार द्वारा निर्धारित किए गए निर्यात दायित्वों को पूरा करने में चूक की। आयात तथा निर्यात के मुख्य नियन्त्रक ने यह भी बताया है कि फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है और उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

राज्यों में गरमी में बिजली की कमी

9810. **श्री यशवन्त बोरोले** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 अप्रैल, 1978 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित इस समाचार कीओर दिलाया गया है कि इस वर्ष अधिक गरमी के मौसम में अधिकांश राज्यों को बिजली की कमी का सामना करना पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) राज्यों के इस भय को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : कुछ राज्यों में विशेषकर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और गोवा में विद्युत् की कमी है। अभी हाल ही में कुछ उत्पादन यूनिटों के जबरन बन्द हो जाने के कारण राजस्थान, दिल्ली तथा मध्य प्रदेश जैसे कुछ अन्य राज्यों में कुछ कमी का सामना करना पड़ रहा है।

विद्युत् उपलब्धता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाए किए गए हैं :—

1. वर्तमान विद्युत् संयंत्रों को उपलब्धता तथा निष्पादन में सुधार करके उनसे अधिकतम उत्पादन करना ;
2. जहां तक संभव हो, अधिकता वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को विद्युत् का स्थानान्तरण;
3. नई उत्पादन यूनिटों को शीघ्रता से चालू करना ;
4. अव्यस्ततम काल के उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन देकर अलग-अलग विद्युत् प्रणालियों के भार वक्रों को एक समान करना ;
5. ताप विद्युत् केन्द्रों में अनुरक्षण के लिए समय को कम करना ; तथा
6. विभिन्न विद्युत् प्रणालियों का समेकित प्रचालन ताकि ताप विद्युत् केन्द्रों को उच्च संयंत्र भार अनुपात पर प्रचालित किया जा सके।

डी० एस० आई० डी० सी० को वित्तीय सहायता

9811. **श्री राम कंवर बेरवा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम ने कितने औद्योगिक कांपलेक्स आरम्भ किये है और वे किन-किन स्थानों पर स्थित हैं ;

(ख) डी० एस० आई० डी० सी० द्वारा ऐसे औद्योगिक एककों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ग) डी० एस० आई० डी० सी० इन कांपलेक्सों पर किस सीमा तक और किस प्रकार का नियंत्रण अथवा देखरेख रखता है ;

(घ) डी० एस० आई० डी० सी० द्वारा ऐसे एककों को क्या-क्या विपणन सुविधाएं दी जाती हैं ; और

(ङ) क्या डी० एस० आई० डी० सी० का विचार ऐसे औद्योगिक एककों को कच्चे माल और विपणन की सुविधाएं देते समय इन कांपलेक्सों पर अधिक प्रभावी नियंत्रण रखने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम ने दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में 8 औद्योगिक काम्पलेक्स विकसित किये हैं। इनके नाम तथा स्थापना स्थल इस प्रकार हैं :—

1. न्यू ओखला इंडस्ट्रियल काम्पलेक्स फेज-1, तुगलक रोड के निकट, नई दिल्ली-20
2. न्यू ओखला इंडस्ट्रियल काम्पलेक्स, फेज-2, तुगलक रोड के निकट, नई दिल्ली-20
3. न्यू ओखला इंडस्ट्रियल काम्पलेक्स, फेज-2/सेक्टर-2, तुगलक रोड के निकट, नई दिल्ली-20
4. न्यू ओखला इंडस्ट्रियल काम्पलेक्स, फेज-2/सेक्टर-3, तुगलक रोड के निकट, नई दिल्ली-20
5. रोहतक रोड औद्योगिक काम्पलेक्स, नागलोई, दिल्ली-41
6. झिलमिल ताहिरपुर औद्योगिक काम्पलेक्स, जी० टी० रोड, शाहदरा, दिल्ली-32
7. लारेन्स रोड औद्योगिक काम्पलेक्स, लारेन्स रोड, दिल्ली-55
8. वजीरपुर औद्योगिक काम्पलेक्स, वजीरपुर अशोक बिहार, दिल्ली-52

(ख) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम ने इन एककों को 1973 से 31-3-78 तक कुल 135.31 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी है।

(घ) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम उपमियों में विपणन आर्डर वितरित करता है, सरकार तथा अन्य अभिकरणों से निर्यात आर्डर प्राप्त करता है और बड़े औद्योगिक घरानो द्वारा अपेक्षित उत्पानों के अनुषंगीकरण की कोशिश कर रहा है।

(ग) तथा (ङ) : उपमी अपने अपने एककों को स्वतन्त्रता पूर्वक चलाते हैं तथा डी० एस० आई० डी० सी० की भूमिका केवल एक संवर्धनात्मक अभिकरण की है। निगम स्थल, तकनीकी मार्गदर्शन, कच्चे माल की उपलब्धता तथा विपणन आर्डर संबंधी आदि सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता हैं। इस प्रकार यह एककों पर कोई नियंत्रण नहीं रखता है।

मध्य प्रदेश के भिन्न-भिन्न केन्द्रों से विविध भारती सेवा का प्रसारण

9812. **श्री माधवराव सिन्धिया :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विविध भारती की वाणिज्यिक सेवा का प्रसारण केवल भोपाल-इन्दौर से होता है जबकि वास्तव में भोपाल-इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर और रायपुर एक ही वेवलेंथ पर हैं ;

(ख) क्या सरकार मध्य प्रदेश के शेष अन्य केन्द्रों विशेषकर ग्वालियर को वाणिज्यिक प्रसारण सेवा के लिए शामिल करेगी ; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां। मध्य प्रदेश के केन्द्र एक हो 'वक्लेंथ' पर नहीं है।

(ख) फिल हाल इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) वाणिज्यिक प्रसारण केवल विविध भारती चैनल पर ही होता है, जो ग्वालियर, जबलपुर और रायपुर में उपलब्ध नहीं है।

Chairman of Cantonment Board

9813. **Shri Surendra Jha Suman :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether the Chairman of a Cantonment Board is a nominated member of it and the Deputy Chairman is elected by the nominated members;

(b) whether a no-confidence motion cannot be brought against a Cantonment Board; and

(c) if the answer to parts above be in the affirmative, whether Government propose to amend the Cantonment Act to ensure that the Chairman of the Cantonment Board is elected by the nominated members and the members are empowered to adopt a no-confidence motion against the elected Deputy Chairman thereof?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri Sher Singh) : (a) The Officer Commanding the Station normally functions as the ex-officio President of the Cantonment Board. The Central Government, in respect of any Cantonment is, however, empowered to direct the GOC-in-C of the Command to nominate any other military officer for the purpose. The Vice-President of the Cantonment Board is elected only by the elected members from amongst themselves.

(b) There is no provision in the Cantonment Act, 1924 for a no-confidence motion against the Cantonment Board.

(c) Certain proposals to amend the Cantonment Act, 1924 are under active consideration of Government. Cantonments are primarily military stations and the Boards are constituted in such a manner that they subserve and safeguard military interests. In view of this position, it is not proposed to provide for an elected President of Cantonment Board. However, there is a proposal under consideration to provide for removal of Vice-President if a no-confidence motion is passed against him at a special meeting of the Board by the elected members only.

तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

9814. **श्री आर० के० महालगी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग ने रक्षा विज्ञान सेवाओं के अधिकारियों के बारे में सिफारिश की है कि प्रथम श्रेणी के जूनियर ग्रेड में आने के लगभग छठे वर्ष में सीनियर वेतनमानों में पदोन्नति हो जानी चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सेवा चयन बोर्डों में कार्य कर रहे सीनियर वैज्ञानिक अधिकारियों (मनोवैज्ञानिकों के मामले में इस शिफारिश को कार्यान्वित किया गया है ;

(ग) क्या आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि जूनियर वेतनमान में भर्ती किये गये वैज्ञानिकों को, उनके पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझे जाने पर, एक ऐसे वेतनमान में रखा जाये जो सीनियर वेतनमान और अगले उच्च ग्रेड का संयोजन है और यह मिलाया हुआ, वेतनमान 1100—1800 रुपये का होना चाहिए ;

(घ) यदि हां, तो क्या चयन बोर्डों की सेवाओं में कार्य कर रहे सीनियर वैज्ञानिक अधिकारियों (मनोवैज्ञानिकों) के मामले में यह सिफारिश कार्यान्वित की गई हैं ; और

(ङ) यदि भाग (ख) और (ग) का उत्तर नकारात्मक हैं, तो उपरोक्त सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ग) : जी हां ।

(ख) और (घ) : सरकार ने तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग की उपर्युक्त सिफारिशें अभी तक स्वीकार नहीं की हैं ।

(ङ) रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा नियमावली और उसके कार्यान्वियन के तरीकों के प्ररुप में, जिसपर इस समय संघ लोक सेवा आयोग, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, वित्त मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय आदि के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा हैं, ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे वेतन आयोग की उपर्युक्त सिफारिशो में दिए गए उद्देश्यों की अधिकांश रुप से पूर्ति हो जानी चाहिए ।

उड़ीसा से अभ्यावेदन

9815. **श्री पद्माचरण सामन्त सिंहेरा** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने जब 10 अप्रैल, 1978 को उड़ीसा का दौरा किया था तब उन्हें कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : इसमें निम्नलिखित कार्यों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता की मांग की गयी है :—

(i) चिल्का झील में बेहतर और सुरक्षित संचार की व्यवस्था करने के लिए 20 मोटर लांचों की खरीद,

(ii) डुयूमा-पुरी मैराइन ड्राइव रोड का निर्माण ।

जहां तक मोटर लांचों की खरीद का संबंध है, इसे 1978–83 योजना के प्रारुप में शामिल नहीं किया गया है। परन्तु चिल्का झील, हीराकुड जलाशय और ज्वार नदियों के मुहानों में लांच सेवाएं आरंभ करदें की योजना के लिए उड़ीसा सरकार के 1978-79 के बजट में 6.00 लाख रु० की व्यवस्था की गयी है ।

जहां तक इ्यूमा-पुरी मैराइन ड्राइव रोड का संबंध है, इस पर 129.30 लाख रु० लागत आने का अनुमान है और उड़ीसा सरकार द्वारा पांचवी योजना में ऋण सहायता के लिए भेजे गए प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव यह भी है। परन्तु, इस सड़क के लिए कोई सहायता नहीं दी जा सकी क्योंकि राज्य सरकार ने इसे अपेक्षाकृत नीचे स्तर की प्राथमिकता दी थी। ऊंची प्राथमिकता की योजनाओं के लिए 239.00 लाख रु० की ऋण सहायता मंजूर की गयी। इस समय, किसी नई योजना पर विचार करने के लिए कोई व्यवस्था नही है।

बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा कदाचारों को रोकने के लिए कानून बनाया जाना

9816. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा कदाचारों को रोकने के लिये कोई कानून बनाने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी नहीं। विद्यमान कानून बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किये गये कदाचारों यदि कोई हों, से निपटने के लिए पर्याप्त है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Recruitment of Programme Executives and Producers

9817. **Shri T. S. Negi:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to USQ No. 4640 on the 29-3-1978 and state:

(a) the number of posts of programme executives filled through departmental promotions or through direct recruitment during the last five years;

(b) the number of posts of Producers filled and the number of new posts of Producers created during the last five years;

(c) whether more than 400 posts of programme executives have been filled whereas the number of posts of producers filled is not more than 80; and

(d) the reasons for such inequality in this regard and whether uniform number of posts of producers and programme executives will be filled in future?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani): (a) In All India Radio and Doordarshan a total of 478 posts of Programme executives have been filled up during the last five years, out of which 227 are through departmental promotion and 251 through direct recruitment.

(b) In All India Radio 72 posts of Producers have been filled during the last 5 years including 64 posts created during the said period. In Doordarshan 140 posts of Producers have been created and 111 posts filled during the same period.

(c) From (a) and (b) above it is seen that a total of 478 posts of programme executives and 183 posts of producers have been filled.

(d) Both categories are responsible for planning and production of programmes. No ratio between the number of posts of programme executives and producers have been fixed. It depends on individual requirements of the station in respect of sepecialised fields of programmes.

मिजों के लिये पुनर्वास अनुदान

9818. **डा० आर० रोथुअम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत अक्तूबर, नवम्बर 1977 में केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर किया गया पुनर्वास अनुदान राष्ट्रपति द्वारा क्षमा दान की अवधि के दौरान बाहर आने वाले व्यक्तियो सहित मियो नेशनल फ्रंट के सभी व्यक्तियों के लिए है ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त पुनर्वास योजनाओं के अन्तर्गत केवल एम० एन० एफ० के वही व्यक्ति आते हैं जो 1972 के बाद, मिजोरम के संघ क्षेत्र बनने के बाद, लौटे थे ; और

(ग) वर्ष 1966 में विद्रोह आरम्भ होने के पश्चात एम० एन० एफ० के लौटने वाले व्यक्तियों के बारे में पुनर्वास योजनाओ के अन्तर्गत कौन-कौन लोग आते हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) से (ग) : अक्तूबर, 1977 में केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर किया गया पुनर्वास अनुदान उन लौटने वाले व्यक्तियों के लिए है, जो 21 जनवरी, 1972, जब यह आश्वासन दिया गया था कि उन्हे उचित रूप से फिर से बसाया जायेगा, के बाद बाहर आ गए थे ।

डिफेंस बैरकों में आग लग जाना

9819. **श्री मोहम्मद हयात अली** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 17-4-78 को किंग जार्ज ऐवेन्यू की डीफेंस बैरकों में आग लगने के क्या कारण थे ;

(ख) क्या साऊथ ब्लाक में पानी के स्टेटिक टैंकों के स्वामित्व के बारे में नई दिल्ली नगर पालिका और अग्नि विभाग में लम्बे अर्से से चल रहे विवाद के परिणामस्वरुप आग बुझाने में विलम्ब हुआ था ; और

(ग) यदि हां, तो इन विवादों को हल करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे साऊथ ब्लाक में पानी के स्टटिक टैंकों ने पानी लेने की अग्नि विभाग को सुवि एं मिल सके ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) आग लगने के कारण का अभी पता नहीं है । एक जांच-अदालत नियुक्त की गई है जो अन्य बातों के साथ-साथ आग लगने के कारणों की भी जांच करेगी । जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) पानी की टांकियों के स्वामित्व के बारे में कोई विवाद नहीं था और आग बु ाने वाले इंजनों ने इन टंकियो के पानी का उपयोग किया था ।

(ग) प्रश्न नही उठता ।

राज्य आदिवासी विभागों की उप-योजनाओं मे भूमिका

9820. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में, राज्यवार, योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं की तैयारी, नियतन और क्रियान्वयन के लिये राज्य आदिवासी विभागों ने क्या भूमिका निभाई है ;

(ख) क्या राज्यों द्वारा समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं के लिये राज्यो द्वारा नियतन प्रशासन और योजनाएं बनाने के मामले में समेकित नीति अपनायी गयी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो राज्यों द्वारा क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं और केन्द्र ने इस सम्बन्ध में क्या अनुदेश दिये हुए हैं !

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) आदिवासी विकास के लिए उपयोजना दृष्टिकोण के अन्तर्गत यह बात जोर देकर कही गई है कि आदिवासी विकास कार्य का संबंध सभी विभागो तथा एजेंसियों, उन के अलग-अलग कार्य क्षेत्र से है और इससे केवल आदिवासी कल्याण विभागों का उत्तरदायित्व नहीं समझा जाना चाहिए। आदिवासी कल्याण वि ागो का कार्य आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में कार्यक्रमों का समन्वय करना तथा निरीक्षण करना है।

(ख) और (ग) : समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं के बनाने और कार्यान्वियन में प्रत्येक परियोजना क्षेत्र की आवश्यकताओ को ध्यान में रखा जाता है और उनके लिए संसक्तिशील कार्यक्रम तैयार किये जाते हैं। राज्य सरकारो ने विभिन्न उपाय किये हैं जैसे परियोजना अधिकारियों को नियुक्ति, वित्तोय तथा प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायोजन तथा अधिक प्रभावी आयोजना तथा कार्यान्वियन के लिए परियोजना स्तर को समितियों का गठन।

अन्दमान तथा निकोबार में पुलिस रेडियो आपरेटर

9821. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अंदमान तथा निकोबार प्रशासन के अधीन काम कर रहे पुलिस रेडियो आपरेटर दूरस्थ एवं कम आबादो वाले द्वीपों में नियुक्त होने के कारण बहुत कठिन सेवा करतेहैं और उनके लिये पदोन्नति का कोई रास्ता नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन कर्मचारियों को चयन-ग्रेड देने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल): (क) और (ख): अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन के अनुसार पुलिस रेडियो आपरेटर सशस्त्र पुलिस गार्डों के साथ सुरक्षा प्रयोजनों के लिए 3 से 6 महीने तक को अवधि के लिए कुछ दूरस्थ एवं कम आबादी वाले द्वीपों में अस्थाई स्थानांतरण पर नियुक्त किये जाते हैं। यह कहना सही नही है कि उनके लिए पदोन्नति के रास्ते नहीं है। हैड रेडियो आपरेटरों के पद रेडियो आपरेटरों से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। हैड रेडियो आपरेटर सुपरवाइजरों के पदों पर पदोन्नति के लिए भी पात्र हैं। रेडियो आपरेटरों के लिए सलेक्शन ग्रेड शुरू करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

Appointment of Station Directors in Commercial Centres of A.I.R.

9822. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Information & Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have given an assurance that the matter regarding the necessity of Station Directors at the Commercial Centres of All India Radio should be considered afresh;

(b) if so, whether the Committee of Ministry of Finance has since considered it; and if so, the recommendations thereof;

(c) whether it is also a fact that the talent of Station Directors is being wasted by appointing them at these Centres; and

(d) whether Government will soon take a decision in this regard?

Minister of Information & Broadcasting (Shri L. K. Advani) : (a) to (d) : In the meeting of the Consultative Committee of M.Ps for the Ministry of Information and Broadcasting held on 16-12-77, it was agreed to have a fresh look with regard to the justification of posting of Station Directors at A.I.R. Commercial Broadcasting Centres. Accordingly the Staff Inspection Unit of the Ministry of Finance was requested to undertake the review of All India Radio Commercial Stations. They however, regretted their inability to undertake such a review and advised the entrusting of the work to the Internal Work Study Unit of this Ministry itself. The Internal Work Study Unit of this Ministry has undertaken the study and their findings are awaited. Further action in the matter will be taken on receipt of the report of the study.

सी०एस०आई०ओ० चण्डीगढ़ की हानि

9823. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :** क्या विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चोरी, कमी, हानि, दूर्विनियोजन और जालसाजी के रूप में सी० एस० आई० ओ० चण्डीगढ़ की कितनी सम्पत्ति गायब है ;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान कितनी सम्पत्ति गायब हुई और सी० एस० आई० ओ० की कुल कितनी हानि हुई ;

(ग) क्या उपर्युक्त हानि प्रत्यक्ष जांच अथवा अन्य तरीके से की गई जांच के दौरान ध्यान में आई और अंतिम बार प्रत्यक्ष जांच कब की गई ;

(घ) क्या चोरी के सब मामलों की सूचना पुलिस अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरो को दी गई थी यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ; और

(ङ) क्या दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है और भविष्य में ऐसी हानियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है !

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) प्रारंभ से 43,029.04 रुपये मूल्य की संपत्ती ।

(ख) वर्ष 1976 से 12,541.10 रुपये मूल्य की सम्पत्ती ।

(ग) भण्डार और अन्य वस्तुओं के हस्तांतरण के दौरान जांच करने के परिणाम स्वरुप हानियों का पता लगा था । वर्ष 1975 में अंतिम प्रत्यक्ष जांच की गई थी ।

(घ) चोरी की शंकाओं संबंधी मामले पुलिस में सूचित किये गये थे । कमियों के मामले में निदेशक सी० एस० आई० ओ० द्वारा गठित विभागीय जांच समितियो द्वारा जांच आयोजित की गई थी ।

(ङ) कुछ मामलों में उचित कार्यवाही की गई है । जबकि दूसरे अन्य मामलों की या तो विभागीय या पुलिस द्वारा जांच की गई थी । सुरक्षा व्यवस्था को उन्नत करने के लिये लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

कोल्हापूर में दूरदर्शन कन्द्र

9824. **श्री राजाराम शंकरराव मानें :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उपग्रह के व्यापक प्रयोग से दूरदर्शन के अंतर्गत और अधिक क्षत्रों को लाने का है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार कोल्हापुर में टेलीविजन केन्द्र स्थापित कर पश्चिम महाराष्ट्र को उसके अंतर्गत लाने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवानी) : (क) वित्तीय संसाधनों की विकट कमी के कारण उपग्रह के व्यापक प्रयोग से दूरदर्शन सेवा क्षेत्र बढ़ाने का अनवरत योजना 1978—83 में कोई स्वीकृत प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) कोल्हापुर में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

केन्द्रीय मंत्रियों और स्वायत्त निकायों के अध्यक्षों को पारिश्रमिक और सुविधायें

9825. **श्री एम० ए० हनान अलहाज :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग जैसे विभिन्न स्वायत्त निकायों के चैयरमैन और डिप्टी चैयरमैन को केन्द्रीय मंत्रियों के समान परिलब्धियां और सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार है ;

(ख) केन्द्रीय मंत्रियों और स्वायत्त निकायों के अध्यक्षों को उपलब्ध पारिश्रमिक और परिलब्धियां और मकान, फर्नीचर, नौकर, कार, बिजली, जल परिवहन और अन्य सुवि एं जिनमें मनोरंजन आदि सुविधाएं भी शामिल हैं, का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उपलब्ध सुविधाओं का वित्तीय मूल्यांकन क्या है ; और

(घ) कौन-कौन सी सुविधाओं पर जिसमें पारिश्रमिक भी शामिल है, आयकर लगता है ीर यदि इन सब सुविधाओ को परिवर्तित कर दिया जाए और उन पर आयकर लगे तो उसकी सकल राशि कितनी होगी जिससे कि उसके द्वारा कर भुगतान के बाद उठाई जाने वाली वित्तीय सुविधाओं का लाभ, उसकी शुद्ध बचत बन सके ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ) : योजना आयोग एक स्वायत्त निकाय नहीं है। तथापि, विभिन्न स्वायत्त निकायों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों से संबंधित आवश्यकताओं और उन्हे उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में सूचना विभिन्न मंत्रालयों से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही केन्द्रीय मंत्री को उपलब्ध सुविधाओं के साथ वह सूचना सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

रुट नं० 212 पर बस सेवा को करौल बाग तक बढ़ाना

9826. **श्री रामजी लाल यादव :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नन्द नगरी से आने वाली बस रुट नं० 212 को आनन्द पर्वत की बजाय करौल बाग टर्मिनल तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि दैनिक यात्रियों की समस्या का समाधान हो सके ;

(ख) क्या सरकार दैनिक यात्रियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए बस रुट नं० 157 की बरास्ता आर्य समाज रोड ले जाने के लिए जिसका महत्वपूर्ण रुट होने के कारण दूरस्थ स्थानों से सम्पर्क अपेक्षित है, पुनः मार्ग निर्धारित करने की व्यवहार्यता और वांछनीयता पर भी विचार कर रही है ; और

(ग) इन प्रस्तावों पर सरकार कब तक निर्णय कर लेगी, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, नहीं। इस रुट को करौल बाग तक बढ़ा देने से इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी और उससे, 16 किलोमीटर से आगे यात्रा करने वाले यात्रियो को प्रत्येक यात्रा के लिए मौजूदा किराया पद्धति के अन्तर्गत इस समय देय 30 पैसे के स्थान पर 60 पैसे देने पड़ेंगे। चूंकि, नंदनगरी एक ऐसी पुनर्वास कालोनी है, जिसमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लोग निवास करते हैं, इसलिए यह वांछनीय नहीं समझा गया है कि इस रुट को बढ़ाकर उन्हें 30 पैसे की वर्तमान दर के मुकाबले प्रति यात्रा 60 पसे किराया देना पड़े।

(ख) रुट नं० 157 पहले से ही बरास्ता करौल बाग टर्मिनल चल रहा है, जो आर्य समाज रोड के बहुत नजदीक पड़ता है। इसलिए, इस रुट की सेवाओं को बरास्ता आर्य समाज रोड के मोड़ने की आवश्यकता नहीं समझी गयी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। कारण उपरोक्त (क) और (ख) में बताए गए हैं।

Sale of Cloth by N.T.C., M.P.

9827. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of Industry be pleased to state:

(a) the names of the traders to whom the cloth was sold by those seven textile mills which are functioning under the Textile Industries Corporation in Madhya Pradesh as also the quantity of cloth sold to each of them during the last three years;

(b) the number and names of the traders who purchased the cloth but have not so far cleared their dues to the corporation, the reasons why they did not clear their dues and also the amount of money due from each of them;

(c) whether the traders did not take delivery of the goods purchased by them and the Corporation took back the sold goods and if so, whether Government had to pay demurrage and additional freight to the transport companies; and

(d) whether the Corporation is not only taking back the sold goods from the traders in the aforesaid manner but is also allowing a rebate of $7\frac{1}{2}$ per cent or even more on each goods and if so, the figures of last three years in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Smt. Abha Maiti): (a) to (d): The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Quota of Cement to U.P.

9828. **Shri K. Prakash:** Will the Minister of Industry be pleased to state:

(a) the criteria for the allotment of cement to the States;

(b) the quantity of cement allotted per head during the last three years to each of the States;

(c) the quantity of cement demanded by the Uttar Pradesh and that supplied to it on quarterly basis during the last three years; and

(d) whether it is a fact that various development works of the Uttar Pradesh have come to a standstill due to paucity of cement?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Smt. Abha Maiti) (a) and (b): Allocation of cement is made quarterly depending on anticipated availability and the demand received from the different States as well as Central Government Departments. Allocation of cement is not made on per capita basis.

(c) A Statement is enclosed.

(d) No, Sir.

Statement

Cement Allocations and Despatches to Uttar Pradesh During 1975-76 to 1977-78

Year	Quarter	Quantity Demanded by the State	Quantity Allocated under State Sector	Despatches State Sector	Despatches Central Sector	Total
				(in thousand		tonnes)
1975-76	April-June' 75	540.0	540.0	319·6	33.4	353·0
	July-Sept' 75	N.A.	440·0	344·6	50.4	395·0
	Oct-Dec' 75	N.A.	440·0	459.2	44.5	503·7
	Jan-March' 76	440.0	440.0	493.6	52.2	545.8
	Total :	..	1860.0	1617.0	180.5	1797.5
1976-77	April-June' 76	450.0	450·0	446.0	38·8	484·8
	July-Sept' 76	500.0	500·0	487.7	54.9	542·6
	Oct-Dec' 76	575.0	575·0	537·1	83·5	620.6
	Jan-March' 77	620.0	620·0	563·4	51·3	614·4
	Total :	2145.0	2145·0	2034.2	228.5	2262.4
1977-78	April-June' 77	N.A.	451.0	483·0	48·3	531.3
	July-Sept' 77	N.A.	492.0	431·3	49·0	480.3
	Oct-Dec' 77	692·0	514.3	422·0	61·0	483.0
	Jan-March' 78	800.0	550·0	568·00	73·00	641·0
	Total :	..	2007.3	1904.6	231.0	2135.6

जैन कन्या इन्टर कालेज, मुज्जफरनगर के बारे में जांच

9829. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त :** क्या रक्षा मंत्री सेना के सामान की पुन: नीलामी के बारे में 29 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4768 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जैन कन्या इन्टर कालेज, मुजफ्फर नगर की वास्तविकता के बारे में जांच का मामला अब राज्य सरकार के पास नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो जिस पार्टी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है उसको रक्षा मंत्रालय द्वारा वस्तुएं देने के आर्डर जारी करने में और विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उल्लिखित वस्तुओं को देने के लिये और कितना समय अपेक्षित है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) से (ग) इस संस्थान की सदाशयता के बारे में शिकायत प्राप्त होने पर रक्षा अतिरिक्त भण्डार से संस्थान को 7 टन सूती पेराशूट और 4 टन अनुपयोगी रस्से दिए जाने के कालेज के अनुरोध को उत्तर प्रदेश सरकार के पास भेजा गया था। राज्य सरकार का उत्तर 5 अप्रैल को प्राप्त हुआ जिसमें उक्त संस्था को सामान दे दिए जाने को सिफारिश की गई है। संस्थान के पास उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर इतनी बड़ी मात्रा में स्टाक का उपयोग किए जाने का पूरा औचित्य प्राप्त करने के लिए इस मामले में फिर से राज्य सरकार को लिखा गया है। राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त होते ही इसमें अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

Foreigners Detained under MISA

9830. **Shri Yuvraj:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that foreign nationals have been kept under detention under MISA due to non-political reasons;

(b) whether they would be kept out of the purview of detention rules and would be prosecuted in accordance with law; and

(c) if so, by what time?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal): (a) to (c): Some foreign nationals have been detained under MISA with a view to making arrangements for their expulsion from India. In view of the proposal to repeal MISA, the State Governments have been advised to release them from such detention and to take appropriate action under the provisions of the Foreigners Act, 1946.

पंखा रोड

9831. **श्री नटवर लाल बी० परमार :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली छावनी क्षेत्र में पड़ने वाले पंखा रोड के काफी बड़े भाग की स्थिति बहुत खराब है जिसके परिणामस्वरूप यातायात दुर्घटनाएं होती हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्षाऋतु में सड़क के इस भाग में पानी भरा रहता है और वहां पर बिजली की भी कोई व्यवस्था नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो सड़क का सतह ऊंची करने के लिए जिससे वहां पानी जमा न हो और शेष पंखा रोड के लिए उल्लिखित यातायात मार्गों आदि के लिए विशिष्ट विवरण के अनुसार उसे चौड़ा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) उक्त सड़क पर बिजली की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां। पंखा रोड का लगभग 1300 मीटर भाग खराब स्थिति में है।

(ख) इस सड़क का यह भाग वर्षा के दिनों में पानी में डूबा हुआ नहीं रहता। परन्तु इस भाग में रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ग) और (घ) : इस सड़क का रेलवे क्रासिंग से लेकर स्टेशन रोड पर मिलने तक का भाग जो लगभग 1300 मीटर है दिल्ली छावनी के अन्तर्गत आता है। इसका निर्माण मुलतः सिविल प्राधिकारियों ने किया था। 13-3-1978 से इस भाग का वर्गीकरण सैनिक सड़क के रुप में कर दिया

गया है। इससे पहले दिल्ली क्षेत्र मुख्यालय ने 1974-75 में इसकी मरम्मत की थी जिसपर 54,645 रु० लागत आई थी यद्यपि उस समय यह क्षेत्र रक्षा विभाग के नियंत्रण के अधीन नहीं था। इस सड़क की स्थिति सुधारने के लिए अब दिल्ली क्षेत्र मुख्यालय ने एक परियोजना मंजूर कर दी है जिसके अन्तर्गत इसे सुधारने, चौड़ा करने, रोशनी की व्यवस्था करने और नालियां बनाने की व्यवस्था है और इस पर 4.83 लाख रु० खर्च होने का अनुमान है। यह सड़क 4.876 मीटर चौड़ी है और अब इसे 7.315 मीटर चौड़ा कर दिया जाएगा।

समाचार-पत्रों का स्वामित्व

9832. **श्री किरित बिक्रम देव बर्मन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न बड़े घरानों के समाचार-पत्रों के स्वामित्व के प्रश्न का अध्ययन करने के लिए एक नई समिति (पेनल) गठित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति के प्रस्तावित निदेश-पद क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां। द्वितीय प्रेस आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह, अन्य बातों के साथ साथ, प्रेस के अंगों के स्वामित्व के स्वरूप और उनके वित्तीय ढांचे की जांच करेगा।

(ख) विचारणीय विषयों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

दूर तक मार करने वाले विमानों के बारे में निविदायें

9833. **श्री के० लकप्पा :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूर तक मार करने वाले विमानों की विदेशों से खरीद के लिये सरकार को कितने प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं और/अथवा सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ख) क्या इस उद्देश्य से विश्व भर के देशों से निविदायें मांगी गयी हैं ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और ऐसी निविदाओं के परिणामस्वरूप कितने तथा किन-किन देशों ने निविदायें भेजी हैं ; यदि नहीं तो क्यों नहीं ;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार ब्रिटिश फर्मों के विभिन्न प्रस्तावों पर ही विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) इस बारे में तीन प्रस्तावों, अर्थात् फ्रांस का मिराज एफ- 1, ब्रिटेन का जागौर और स्वीडन का विज्जन बनाने वाले निर्माताओं के प्रस्ताओं पर विचार किया जा रहा है।

(ख) और (ग) : इस प्रकार के संवेदनशील रक्षा उपस्करों के मामलों में हम सार्वभौम टेंडर नहीं मंगाते हैं। उपयुक्त तीन विमानों के लिए हमारे वायु सेना के विशेषज्ञों, प्रकाशित सामग्री और इसी प्रकार के अन्य स्रोतों से उपलब्ध सूचना के आधार पर विचार किया जा रहा है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

जे० सी० बी० प्रैस में भर्ती के नियम

9834. **श्री हरि शंकर महाले** : क्या **रक्षा** मंत्री जे० सी० **बी०** प्रैस के कर्मचारियों की पदोन्नति के बारे में 19 अप्रैल, 1978 के प्रश्न संख्या 7321 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जे० सी० बी० फोटोलिथो प्रैस को सभी श्रेणियों में भर्ती नियमों को भारत सरकार की प्रैसों के अनुरूप करना स्वीकार कर लिया है जैसा कि दिनांक 13 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3313 के उत्तर में कहा गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो जे० सी० बी० की दोनों प्रैसों के रोडिंग स्टाफ को उनकी भर्ती, पदोन्नति, तबादले आदि के मामले में एक यूनिट न मानने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां। जे० सी० बी० फोटोलिथो प्रेस के कर्मचारियों के लिए भर्ती नियमों को जे० सी० बी० की आवश्यकताओं के अनुसार थोड़े से परिवर्तनों के साथ भारत सरकार मुद्रणालय के नियमों के नमूने पर बनाया गया है।

(ख) इस बात पर उस समय विचार किया जा सकता है जब जे० सी० बी० का लैटर प्रिन्ट सैक्शन अपने स्वयं के नियन्त्रण में कार्य करने लगेगा। लैटर प्रेस इस समय भारत सरकार मुद्रणालय का ही एक अंग है परंतु उसके अफसर तथा कुछ कर्मचारी जे० सी० बी० के हैं।

Construction of Air Building at Mathura-Brindavan

9835. **Shri Mahilal:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state;

(a) the action being taken for the construction of Mathura-Brindavan Radio Station building and studio and increasing the power of its transmitter; and

(b) whether it is a fact that the present building is not in a good condition and its rooms become hot?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani) : (a) Provision has been made in the Annual Plan 1978-79 for taking up the construction of permanent studios at Mathura. A proposal for expenditure sanction is now under consideration. At present there is no scheme for upgrading the power of transmitter at this station.

(b) The A.I.R. set up at Mathura is presently housed in an old building. The airconditioning facilities in the studios are also limited. Though there are no proposals for major modifications in the building in view of the scheme for constructing permanent studios normal maintenance is carried out periodically.

मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को 30 लाख रुपये की राज सहायता

9836. **श्री डी० अमात** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को देश के विभिन्न पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए 30 लाख रुपये की राज सहायता दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस योजना के अधीन उड़ीसा के कौन-कौन से क्षेत्र आयेंगे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) : जम्मू तथा कश्मीर राज्य में जम्मू जिले के बाड़ी ब्राह्मण स्थान पर संश्लिष्ट डिटरजैन्ट बनाने के लिए 1 करोड़ 32 लाख

रु॰ की पूंजी वाला एक औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिये मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि॰ को 15 लाख रु० की राज सहायता दी गई है। मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि० द्वारा उड़ीसा राज्य में कोई भी उद्योग स्थापित नहीं किया जा रहा है।

मंत्रालयों को मिलने वाले पत्र

9837. **श्री मनोहर लाल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि व्यक्ति अथवा निकाय अथवा संघ की ओर से मंत्रालयों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों को मिलने वाले सभी पत्रों का समुचित उत्तर दिया जाये अथवा उपयुक्त ढंग से उनकी प्राप्ति की सूचना दी जाये जैसा कि कार्यालय प्रक्रिया की नियम पुस्तक, 1972 के संस्करण और कार्मिक तथा प्रशासन सुधार विभाग द्वारा मई, 1977 में सभी मंत्रालयों को जारी किये गये परिपत्र में उपबन्ध है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटिल) : मई, 1977 में ऐसे अनुदेश जारी किए गए थे, जिनमें व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से प्राप्त होने वाले पत्रों की पावती तत्काल भेजने की आवश्यकता से सम्बन्धित केन्द्रीय सचिवायल कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका के उपबन्धों को दोहराया गया था। कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका में निर्धारित अनुभागों के वार्षिक निरीक्षणों में पहले से ही यह व्यवस्था मौजूद है कि निरीक्षण अधिकारी यह देखने के लिए नमूना-परीक्षण करेंगे कि ऐसे पत्रों की पावती उचित ढंग से भेजी जा रही है अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त जुलाई, 1977 में जारी किए गए एक परिपत्र के जरिए इस बात की विशेष रूप से तसल्ली की गई थी कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा यह अनुदेश उनके सम्बन्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों सहित सभी संबंधित व्यक्तियों में परिचालित कर दिये गये हैं। इसके बाद आन्तरिक कार्य अध्ययन एककों द्वारा किए गए नमूना-परीक्षणों से भी यह पता चला है कि इन अनुदेशों का आमतौर पर पालन किया जा रहा है।

स्टोर कीपिंग कर्मचारियों के रोजगार के बारे में कर्नल कैकर समिति की सिफारिशें

9838. **श्री किशोर लाल :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयुध डिपो में स्टोर कीपिंग कर्मचारियों/लिपिक-वर्ग के कर्मचारियों के रोजगार के बारे में कर्नल कैकर समिति की सिफारिशों को विभागीय परिषद (संयुक्त परामर्श-दाता तन्त्र) में कर्मचारी पक्ष में इस स्पष्ट आश्वासन पर छोड़ दिया गया था कि भविष्य में इस प्रश्न को पुनः न उठाया जाये ;

(ख) क्या यह सच है कि देवनाथ समिति और तीसरे वेतन आयोग द्वारा सभी विभागों के लिपिकीय संवर्ग में एकरूपता ला दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय दिनांक 9 नवम्बर, 1977 के ज्ञापन सं० 22(ii)77/6836-डी० (जे० सी० एम०) द्वारा सरकार द्वारा नियुक्त समिति के निर्देश-पदों की मद सं० 2(ii) के बारे में सरकार का आशय बताने की कृपा करेंगे ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) देवनाथ समिति द्वारा की गई सिफारिशें, आर्डनेंस फैक्टरियों को छोड़कर शेष सभी रक्षा स्थापनाओं के लिपिक संवर्ग के ग्रेडों और वेतन-मानों के ढांचे के बारे में थी।

(ग) लिपिकों को उच्च ग्रेडों में पदोन्नति के अवसरों के बारे में ए० ओ० सी० की क्लेरिकल एसोसिएशनों से प्राप्त अनेक अभ्यावेदनों की जांच करने के लिए सरकार ने एक समिति गठित की है।

राष्ट्रीय नौवहन नीति

9839. **श्री बापू साहिब परुलेकर : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांविधिक अधिकार वाली राष्ट्रीय नौवहन ऐजेंसी और एक राष्ट्रीय नौवहन नीति बनाने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिससे नौवहन उद्योग के सामने आने वाली सब समस्याओं को हल किया जा सके ;

(ख) क्या इस मामले में अन्तर्ग्रस्त एजेंसियों के कारण बुकिंग, सर्विसिंग एग्रोगेशन और माल-लदान के बारे में शिप्पर्स तथा नौवहन कम्पनियों के बीच समन्वय का अभाव है ; और

(ग) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (ग) : सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ इन मामलों के संबंध में भी भारतीय विदेश व्यापार संस्थान से अध्ययन कराया। संस्थान की 1976 की रिपोर्ट में दी गयी सिफारिशों की जांच एक विशेष कार्य अधिकारी कर रहे हैं, जिन्हें विशेषतया इसी कार्य के लिए नियुक्त किया गया है।

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अधीन उपक्रमों में श्रेणी-वार कर्मचारी

9840. **श्री शिव नारायण सरसूनिया :** क्या **इलेक्ट्रॉनिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अधीन निम्नलिखित उपक्रमों में श्रेणी I, II, III और IV के कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं :—

1. कम्प्यूटर मेन्टेनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड।
2. इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड एण्ड टेक्नोलाजी डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड।

(ख) प्रत्येक उपक्रम में अलग-अलग प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारी हैं ;

(ग) क्या रिक्त पदों के आरक्षण के बारे में भारत सरकार के इन आदेशों का इन उपक्रमों में भर्ती एवं पदोन्नति के मामलों में पालन किया जाता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) : अनुबंध I तथा II में संलग्न विवरण-पत्र में सूचना दी गई है।

(ग) तथा (घ) : इलेक्ट्रॉनिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड में आरक्षण से संबंधित भारत सरकार के आदेशों का अनुपालन किया जा रहा है। जहां तक कम्प्यूटर अनुरक्षण निगम लिमिटेड का सवाल है, उसमें इस समय मूल संरचनात्मक सुविधा के रूप में तकनीकी तथा व्यावसायिक किस्म के कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया जारी है। इन कर्मचारियों को इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स के साथ सम्पन्न हुए समझौते के अंतर्गत अधिकांशतः आई० बी० एम० के भूतपूर्व कर्मचारियों में से लिया जा रहा है। इन निगमों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित सरकारी अनुदेशों से अवगत करा दिया गया है और वे रोस्टर तैयार करने और सुरक्षित रिक्त स्थानों को आगे रोस्टर में शामिल करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं।

अनुबन्ध I

इलेक्ट्रानिको व्यापार तथा प्रौद्योगिको विकास निगम लिमिटेड 28 मार्च 1978 को स्थिति के अनुसार

श्रेणी	कर्मचारियों को कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
कार्यकारी अधिकारी :			
वर्ग 'क' .	41	1	..
वर्ग 'ख' .	18	..	
कर्मचारीगण :			
वर्ग 'ग'	55	4	
वर्ग 'घ' . . .	8	2	..

टिप्पणी : (i) उपर्युक्त के अलावा, अनुसूचित जाति के एक उम्मीदवार को शिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत (बुक-कीपिंग तथा लेखा व्यवसाय में) एक शिक्षु (एप्रेन्टिस) के रूप में भर्ती किया गया है।

(ii) खाली आरक्षित स्थानों को तब तक आगे ले जाया जाता है जब तक कि उन्हें भर नहीं लिया जाता।

अनुबन्ध II

कम्प्यूटर अनुरक्षण निगम लिमिटेड

निगम में कोई श्रेणी-वार वर्गीकरण नहीं है। 30 मार्च, 1978 को स्थिति के अनुसार निगम में कर्मचारियों की संख्या नीचे दिए अनुसार है :

	कर्मचारियों को कुल संख्या	अनुसूचित जाति की संख्या	अनुसूचित जनजाति की संख्या
कार्यकारी अधिकारीगण :			
(क) 725–1325 रु० तथा उससे ऊपर के समय-मान में कार्यरत ऐसे अधिकारी जिन्हें समेकित वेतन मिलता है।	144	..	
(ख) **कर्मचारीगण :**			
(i) 345–535 रु० के तथा उससे ऊपर के समय-मान में कार्य करने वाले ऐसे कर्मचारी जिन्हें समेकित वेतन मिलता है।	18	..	..
(ii) 345–535 ० से कम के समय-मान में काम करने वाले कर्मचारी जिन्हें समेकित वेतन मिलता है।	9	..	

ब्रिटेन से वस्तुओं का आयात

9841. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हमारे देश के साथ ब्रिटेन के व्यापार शेष को और कम करने के लिये ब्रिटेन को सहायता करने हेतु ब्रिटेन से 20 वस्तुएं आयात करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो सूची में दर्ज वस्तुओं के नाम क्या है और इस बारे में की गई व्यवस्था का अन्य ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख) : 10 से 16 मार्च, 1978 को दिल्ली में भारत ब्रिटेन आर्थिक समिति की बैठक में दोनों देशों में व्यापार बढ़ाने की संभावना पर विचार किया गया था। इस विचार-विमर्श में भारत से ब्रिटन को इंजीनियरी सामान का निर्यात तथा ब्रिटेन से भारत को इंजीनियरी सामान का आयात बढ़ाना शामिल था। ब्रिटेन से आयात की जा सकने वाली वस्तुएं मुख्यत: पावर जनित्रण उपकरण, डीजल अल्टरनेटर, ज्यादा क्षमता के ट्रांसफार्मर, ट्रैक्शन उपकरण इंटेग्रैल वाणिज्यिक गाड़ियां, मिट्टी हटाने के भारी उपकरण, विशिष्ट मशीन औजार, विशिष्ट डैस्टीफाई उपकरण, अधिक क्षमता के रेफ्रीजिरेशन संयंत्र, समुद्र तट से दूर खुदाई कार्य के लिए सुरक्षा उपकरण, उनी वर्सटड टेक्सटाइल मशिनरी, इस्पाती वस्तुएं, सामान्य औद्योगिक उपकरण, मछली मारने वाली नौकाओं के उपकरण एवं औजार, मोटर गाड़ी उद्योग का दर्जा बढ़ाने वाले उपकरण और विविध प्रकार के उपकरणों के पूर्जे है बशर्ते कि विशिष्ट विवरण, प्रतियोगी मूल्य व डिलीवरी स्वीकार्य हो। निर्यात और आयात दोनों क्षेत्रों का पता लगाने से संबंधित आगामी कार्यवाही की जा रही है।

जहाजरानी विकास निधि समिति द्वारा अनुरक्षण ऋण

9842. **श्री अण्णासाहिब गोटखिण्डे :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जहाजरानी विकास निधि समिति द्वारा अनुरक्षण ऋण प्रदान करने हेतु वर्ष 1977 में एक योजना स्वीकृत की थी; और

(ख) यदि हां, कितने ऋण की मंजूरी दी गयी तथा उसे वितरित किया गया, उनके वापस भुगतान की अवधि क्या है, उन पर अलग-अलग, ब्याज की क्या दर लगाई गयी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां।

(ख) 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4.11 करोड़ रु० स्वीकृत और वितरित किए गए। ऋण 4-5 वर्षों में प्रतिदेय हैं।

Rural Electrification Schemes of Vidisha and Raisen Districts (M.P.)

†9843. **Shri Raghavji:** Will the Minister of Energy be pleased to state :

(a) the names of Rural Electrification Schemes of Vidisha and Raisen Districts of Madhya Pradesh submitted to Rural Electrification Corporation in 1977-78;

(b) the names of the Schemes out of them approved by the Rural Electrification Corporation; and

(c) the reasons for the pending of the other schemes and when approval thereon will be accorded?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) The names of four schemes received from Madhya Pradesh State Electricity Board in 1977-78 are as follows :—

1. Lateri and Sironj blocks of Vidisha district.
2. Udaipura block of Raisen district.
3. Sanchi block of Raisen district.
4. Silwani block of Raisen district.

(b) The Rural Electrification Scheme of Udaipura block of Raisen district has been approved by the Corporation.

(c) The Scheme of district Vidisha was received in the Corporation in February, 1978. The scheme area was inspected by the Corporation's Appraisal Team in March, 1978 and would require revision in the light of its comments.

The two schemes of Raisen district were received in March, 1978 and are under processing.

संघ राज्य क्षेत्रों में अधिकारियों का स्थानान्तरण

9844. **श्री एम० अरूणाचलम :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० ए० एस० के संवर्ग अधिकारियों को संघ राज्य क्षेत्र से दूसरे एक संघ राज्य क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिये समय-सीमा के बारे में किन्ही नियमों का पालन किया जाता है;

(ख) यदि हां तो निर्धारित न्यूनतम अवधि कितनी है और क्या यह बिना अपवाद के सभी अधिकारियों पर सख्ती से लागू की जाती है; और

(ग) इस समय संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में कितने अधिकारी निर्धारित अवधि से अधिक से कार्य कर रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) से (ग) : संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग के आई० ए० एस० अधिकारी किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में सेवा कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। परन्तु यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किये जाते हैं कि वे एक से अधिक संघ राज्य क्षेत्र में कुछ उचित अवधि के लिए कार्य करें। जहां तक दिल्ली का संबंध है, अन्य संघ राज्य क्षेत्रों की तुलना में उस संघ राज्य क्षेत्र में पदों की अधिक संख्या है इस कारण, यह अनिवार्य है कि इस संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारी की नियुक्ति की अवधि कहीं अन्य की अपेक्षा लम्बी होगी।

Decline in Employees Passing Hindi Examinations

9845. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the reasons for decline in the number of employees passing Hindi Examination vide page 28 of the Annual Report of the Department of Official Language for 1977-78;

(b) the break up of employees passing these examinations in December, 1976 and June 1977 from Delhi Centre;

(c) whether the reasons for this decline is abolition of posts of Officers in overall charge and irregular meetings of Liaison Officers;

(d) if not how many meetings of those officers were held during the above two sessions; and

(e) whether employees not covered by the Hindi Teaching Scheme have also been given admission and sponsored to various classes in Delhi?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a) The number of employees appearing in the examinations held in June is generally less. However, as compared to 1976-77, the total number of examinees increased by nearly 6,800 in the year 1977-78.

(b) The position regarding the Delhi Centre is as given below:—

Examination	Dec. 1976	June 1977
Prabodh	509	435
Praveen	295	227
Pragya	422	270
	1226	932

(c) & (d) : No, Sir. Consequent on the recommendations of the Review Committee, the posts of Officers in Overall Charge have been abolished in Delhi. Classes are now organised by the Assistant Director with the assistance of Lecturers and with the cooperation of Liaison Officers. As it is, meetings are held in the Ministries/Departments at the commencement of these classes where officers from Hindi Teaching Scheme also participate. In view of the above, it has not been considered necessary to call separate meetings of Liaison Officers.

(e) No, Sir.

ए०टी०सी० द्वारा कच्चे माल की खरीद

9846. **डा० वसन्त कुमार पण्डित :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन० टी० सी० (डब्ल्यू० बी० ए० बी० एण्ड ओ०) लिमिटेड द्वारा 1974 से 1976 तक खुले बाजार से प्रतियोगिता पर, 1976-77 में आंशिक रूप से खुले बाजार से प्रतियोगिता पर था, 1977-78 में पूर्णतः सरकारी एजेंसियों से कच्चे माल की खरीद की जा रही थी;

(ख) उसे 1974 से 1978 तक, अलग-अलग, कितनी हानि हुई;

(ग) एन० टी० सी० लिमिटेड की 9 सहायक कम्पनियों में अलग-अलग लाभ और हानि की दृष्टि से उसका क्या स्थान है;

(घ) क्या उसने गत तीन वर्षों में रूई खरीदते समय कभी महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन फैडरेशन को बाजार मूल्यों से अधिक मूल्य का भुगतान किया;

(ङ) क्या एन० टी० सी० लिमिटेड अथवा इसकी सहायता कम्पनियों को फेडरेशन को रूई बेचने के लिये किसी दलाल को कमीशन मिलता है;

(च) एन० टी० सी० अथवा उसकी सहायक कम्पनियों द्वारा दलाल के माध्यम से रूई खरीदने के क्या कारण हैं जबकि बेचने वाला उपक्रम भी एक सरकारी उपक्रम या एजेंसी है; और

(छ) एन० टी० सी० (डब्ल्यू० बी० ए० बी० एण्ड ओ०) लिमिटेड और एन० टी० सी० लिमिटेड की अन्य सहायक कम्पनियों की कच्चे माल खरीदने की प्रणाली में क्या अन्तर है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) 1974-75 तथा उसके पश्चात् सहायक कम्पनी के वर्षवार घाटे निम्न प्रकार हैं :-

वर्ष	घाटा-करोड़ रु० में
1974-75	6.47 (लेखापरीक्षित)
1975-76	9.62 (अनन्तिम)
1976-77	4.77 (अनन्तिम)
1977-78	7.55 (अनन्तिम)
(अप्रैल, 77 से फरवरी, 78 तक) बोनस सम्मिलित नहीं है।	

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) से (छ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली पुलिस में पदोन्नतियां

9847. **श्री राज केशर सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 से दिल्ली में पुलिस बल के कार्यकारी और प्रशासनिक संवर्गों में अलग-अलग कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) प्रत्येक वर्ग में ऐसे कितने अधिकारी कर्मचारी हैं जो गत दस अथवा बारह वर्षों से पदोन्नति के लिये प्रतीक्षा कर रहे हैं ; और

(ग) उनकी पदोन्नति के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) वर्ष 1970 से दिल्ली पुलिस में पुलिस बल के कार्यकारी तथा प्रशासनिक संवर्गों में वृद्धि दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) : उन पुलिस कार्मिकों की संख्या जो कार्यकारी तथा प्रशासनिक संवर्गों में पिछले 10-12 वर्षों से पदोन्नति के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, निम्नलिखित हैं :—

निरीक्षक	उपनिरीक्षक	सहायक उपनिरीक्षक
	कार्यकारी संवर्ग	
25	302	5
	प्रशासनिक संवर्ग	
2	9	36

8 निरीक्षकों, 160 उपनिरीक्षकों तथा 5 सहायक उप निरीक्षकों के बारे में पहले विभिन्न अवसरों पर कार्यकारी संवर्ग में पदोन्नति के लिए विचार किया गया था परन्तु सेवा के रिकार्ड असंतोषजनक होने के कारण पदोन्नत नहीं किए जा सके। शेष 17 निरीक्षक तथा 142 उपनिरीक्षक अपने ग्रेडों में सीमित रिक्तियों होने के कारण पदोन्नति के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी प्रकार प्रशासनिक संवर्गों में 2 निरीक्षक, 9 उपनिरीक्षक तथा 36 सहायक उपनिरीक्षक रिक्तियों की कमी के कारण पदोन्नति के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं।

नए पुलिस स्टेशनों तथा पुलिस चौकियों और एक नया पश्चिमी दिल्ली पुलिस जिला भी बनाने का निर्णय किया गया है। घुड़सवार पुलिस की संख्या में वृद्धि की गई है। नए पदों के बन जाने से कुछ पुलिस अधिकारियों को पदोन्नति मिलेगी।

विवरण

	कार्यकारी संवर्ग									प्रशासनिक संवर्ग				
	महा-निरीक्षक	उप महा-निरीक्षक	पुलिस अधीक्षक	उप पुलिस अधीक्षक	निरीक्षक	उप-निरीक्षक	सहायक उप-निरीक्षक	हैड कांस्टेबल	कांस्टेबल	निरीक्षक	उप निरीक्षक	सहायक उप-निरीक्षक	हैड कांस्टेबल	स्टेनो
1-1-70	1	3	23	75	203	1062	800	2539	11253	11	73	214	367	40
1-1-78	1	4	27	89	294	1653	1178	3631	13819	12	81	280	431	48
वृद्धि .		1	4	14	91	591	378	1092	2566	1	8	66	64	8

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा अधिगृहीत भूमि के लिए मुआवजा दिया जाना

9848. **श्री ए० के० राय :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के निरसा-मुगेना क्षेत्र में ऐसे कौनसे क्षेत्र और कोयला खानें हैं जहां कानूनी रूप से अधिग्रहीत किये बिना ग्राम निवासियों की जमीन का प्रयोग किया गया अथवा नुकसान किया गया और ऐसी जमीन कितनी है;

(ख) क्या बी० एस० एल० एण्ड सी० डी० सी; आदि जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की यह सुस्थापित परम्परा है कि अधिग्रहीत की गई भूमि के बदले रोजगार और मुआवजा दिया जाये;

(ग) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने भूमि के मालिक को रोजगार देने के मामले में दो एकड़ भूमि की शर्त रखी है जबकि इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी द्वारा चासनाला (धनबाद) में और एन० सी० डी० सी० मनीडीह द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया भिन्न है और ई० सी० एल० केवल अधिग्रहित प्रति एकड़ भूमि पर रोजगार देता है; और

(घ) यदि हां, तो ग्राम निवासियों में दुर्भावना पैदा करने के लिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के इस रवैये के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सशस्त्र सेनाओं के महानिदेशक के मेडिकल यूनिट में लेखाकार का वेतनमान

9849. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या **रक्षा** मंत्री सशस्त्र सेनाओं के महानिदेशक के मेडिकल सेवाओं के मेडिकल यूनिट में लेखाकार के वेतनमान के बारे में 14 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3827 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को पूरा करते हुए 6 अप्रैल, 1978 को सभा पटल पर रखे गए विवरण संख्या तीन, मद संख्या 28 के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपरोक्त संगठन में लेखाकार के लिए 500- 900 रुपये का पुनरीक्षित वेतन-मान अब तक लागू नहीं किया गया है और वे 330- 560 के पुराने वेतनमान में काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) ग्रेड वेतनमान कब से लागू किया जायेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) न्यूक्लीर मेडिसिन एण्ड एलाइड साइंसेज/डिफेंस इन्स्टीट्यूट आफ फिजियालाजी एण्ड एलाइड साईसेज जब अनुसंधान तथा विकास स्थापना के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन थे तो उस समय वहां लेखाकारों के पद थे । बाद में इन संगठनों का प्रशासनिक नियन्त्रण सशस्त्र सेनाओं की चिकित्सा सेवाओं के महानिदेशक को हस्तांतरित कर दिया गया था । आई० एन० एम० एस० ए०/डी० आई० पी० ए० एस० के अधीन लेखाकारों के वेतन-मान 1-1-1973 से पहले 270-575 रुपए थे 330-560 रुपए नहीं । तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर उपर्युक्त वेतनमानों को 1-1-1973 से संशोधित करके 500-900 रुपए कर दिया गया था ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

टैक्सटाइल लेबर यूनियन, बयावर (राजस्थान) से ज्ञापन

9850. **श्री के० ए० राजन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :--

(क) क्या सरकार को टैक्सटाइल लेबर यूनियन बयावर (राजस्थान) से बयावर में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की दो मिलों के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में क्या मुद्दे उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने उनकी जांच के लिए कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन पर क्या निर्णय किया गया है अथवा किया जा रहा है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) समझा जाता है कि टैक्सटाइल लेबर यूनियन, बयावर ने राज्य सरकार को कुछ ज्ञापन सम्बोधित किये हैं।

(ख) ज्ञापन में उठाई गई बातें इस प्रकार है :--

1. राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड एम० टी० सी० (डी० पी० आर०) लि० के अधीन बयावर में स्थित मिलों अर्थात् एडवर्ड तथा महालक्ष्मी मिलों को बिजली की निरन्तर सप्लाई करने में असफल रहा हैं ;

2. बिजली की सप्लाई में बार-बार रूकावटें होने के कारण प्रबन्ध समिति द्वारा कर्मचारियों को काम से जबरन छूट्टी कर दी जाती है ;

3. पुनः अनुरोध करने के बावजूद भी राज्य विद्युत बोर्ड ने बिजली की निरन्तर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की हैं;

4. श्रमिकों का लगभग 60 से 70 रु० तक प्रतिमाह उनकी मजूरी कम मिल रही है;

5. बिजली की सप्लाई न होने के कारण तीसरी पारी की अफसर जबरन छुट्टी कर दी जाती है; तथा

6. इन मिलों को बिजली की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित की जाय तथा भविष्य में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए आगामी 3 से 4 महीने की अवधि में इन मिलों में जनित्रण लगाले जायें।

(ग) से (ङ) : एन० टी० सी० (डी० पी० आर०) इस मामले से अवगत है तथा इस मामले में राज्य सरकार से बातचीत कर रहा है। समझा जाता है कि बयावर (राज०) में इस समय इन दोनों मिलों में बिजली की सप्लाई में कोई कटौती नहीं है।

भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों द्वारा बिहार सरकार के विमान का चुनावों में प्रयोग करने के लिये कांग्रेस पार्टी पर बकाया धनराशि

9851. **श्री सरत कार :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों द्वारा बिहार सरकार के विमान का चुनावों और पार्टी प्रयोजनों के लिये प्रयोग करने के लिये कांग्रेस पार्टी पर एक बड़ी राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में केन्द्रीय सरकार को भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमति इंदिरा गांधी द्वारा बिहार सरकार के विमान का चुनावों और पार्टी प्रयोजनों के लिए प्रयोग करने के लिए कांग्रेस पार्टी पर 15,917.50 रु० बकाया है ।

(ख) इस बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Journeys performed by Former Chief Ministers of Andhra Pradesh and Madhya Pradesh

9852. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state whether on 25th June, 1975 the aeroplanes or helicopters of Central Government were used for the journeys of the then Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Vengal Rao and Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Prakash Chandra Sethi via Bangalore to Hyderabad and via Rajasthan to Bhopal respectively and if so, whether the bills therefor. were paid by State Governments or Central Government and if the bills were not prepared or after preparation were not paid, the reasons therefor indicating details thereof?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : The then Chief Ministers of Andhra Pradesh and Madhya Pradesh, Sarvashri Vengal Rao and Prakash Chandra Sethi, travelled in IAF aircrafts on 25th June 1975, from Palam to Hyderabad via Bangalore, and from Palam to Jaipur via Banswara and Bhopal respectively. The matter figures in the Shah Commission's report and will be considered in the light of the Commission's observations.

Important Programmes Broadcast from Gorakhpur Station of A.I.R.

9853. **Shri Phirangi Prasad :** Will the Minister of **Information & Broadcasting** be pleased to state the number of broadcasts made from the Gorakhpur Station of A.I.R. in Uttar Pradesh from February, 1978 to 14th March, 1978 on important subjects like programmes for rural areas, Urdu programme, agriculture, Development of Bhojpuri literature and cautioning the people from being cheated by bogus agents for providing employment in foreign countries, indicating the duration of each broadcast?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani) : The requisite information is furnished below :—

Programme	Talks	duration
Urdu programme	6	60 minutes
Rural including agriculture programme	15	164 minutes
Bhojpuri literary programmes	10 (including poems/plays and short-stories)	122 minutes
Anouncements cautioning against bogus agents		

"चन्द्रपुरा लाग बुक मिसिंग" शीर्षक समाचार

9854. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान बिजनेस स्टेंडर्ड, कलकत्ता, के 15 मार्च, 1978 के संस्करण में "चन्द्रपुरा लागबुक मिसिंग" शीर्षक समाचार की ओर गया है ; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां ।

(ख) यह सत्य नहीं है कि 19 सितम्बर, 1976 जबकि चन्द्रपुरा के पांचवे यूनिट के बायल के सी आई ई एस वाल्व क्षतिग्रस्त हो गए थे, से पहले की तीन महीने की अवधि से संबंधित लाग बुक गायब है । तथ्य यह है कि चन्द्रपुरा नाप विद्युत केन्द्र की चौथी ओर पांचवीं युनिटों फल होन के कारणों का अन्वेषण करने के लिए सरकार द्वारा गठित समिति को लाग बुक उपलब्ध करा दी गई थी ।

मैसर्स इनचेक टायर्स लिमिटेड द्वारा मैसर्स पिगमैण्ट एण्ड केमिकल प्रोडक्ट्स का भुगतान रोका जाना

9855. **श्री निर्मल चन्द्र जैन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को दिसम्बर, 1977 में मेसर्स पिगमैण्ट एण्ड़ केमिकल्स प्रोडक्ट्स (प्रो० गर्ग केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड,), 17, गणेशचन्द्र एवेन्यू कलकत्ता से कोई अभ्यावेदन/पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें लघु उद्योग एकक को परेशान करने के विचार से मैसर्स इन्चेक टायर्स लिमिटेड द्वारा उनकी राशि का भुगतान रोक लेने का आरोप लगाया गया था;

(ख) क्या इस प्रकार का कोई अभ्यावेदन औद्योगिक विकास मंत्रालय के विकास आयुक्त (एस० एस० आई०) को प्राप्त हुआ था;

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई,

(घ) इस प्रकार परेशान किए जानेवाले मामले में बड़े वाणिज्यिक संगठनों से लघु एककों की रक्षा करने के लिए सरकार के पास कौन से प्रस्ताव वचाराधीन हैं; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इस मामले पर मैसर्स इनचेक टायर्स लिमिटेड, कलकत्ता से बातचीत की गई थी जिन्होंने बताया है कि वे मैसर्स पिगमेन्ट्स केमिकल प्रोडक्टस्, कलकत्ता को 3,43,710 रुपये की बकाया राशि का भुगतान इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ने कंपनी को सलाह दी है कि वह अपने द्वारा अर्जित राशि में से ही इस प्रकार के भुगतान करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने 22-7-1976 को कंपनी को एक सहाय्यक (रिलीफ) उपक्रम घोषित किया था तथा 13-4-1978 को कंपनी का प्रबंध अपने हाथ में ले लिया था ।

(घ) और (ङ) : जब कभी उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन किसी औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध हाथ में लिया जाता है, उस समय साधारणतया अधिनियम की धारा 18 एफ० बी० के अधीन एक आदेश जारी किया जाता है । इस आदेश के फलस्वरूप हाथ में लेने से पूर्व की औद्योगिक उपक्रम से संबंधित देनदारियों को एक निर्दिष्ट समय के लिए ज्यों का त्यों रख दिया जाता है । सरकार को इस बारे में अभ्यवेदन प्राप्त हुए है कि इस प्रकार की कानूनी मोहलत के फल-स्वरूप लघु औद्योगिक एककों द्वारा औद्योगिक उपक्रमों, जिनका प्रबंध सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है को दी गई वस्तुओं व सेवाओं के बदले में भुगतान मिलने में देरी हो जाती है । और लघु

क्षेत्र के औद्योगिक एककों पर इस देरी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अधिनियम की धारा 18 एफ० बी० में इस बात की भी व्यवस्था है कि उपर्युक्त मामलों में ऋण-स्थगन से छूट दी जा सकती है। अधिनियम को धारा 18 एफ० बी० के उपबंधों के अनुसार इस प्रकार के ऋण-स्थगन से प्रभावित लघु क्षेत्र के औद्योगिक एककों को दी जाने वाली छूट एक संगत तथ्य होगी।

विमान में व्यक्ति की मृत्यु

9856. **श्री यादवेन्द्र दत्त :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी व्यक्ति ने मार्च के महीने में चण्डीगढ़ अथवा अम्बाला एयर फोर्स स्टेशन में एक विमान के अन्दर अपने को बन्द करके आत्मदाह कर लिया था ;

(ख) उक्त विमान को कितनी क्षति पहुंची ;

(ग) उस व्यक्ति द्वारा आत्मदाह करने के क्या कारण थे ; और

(घ) आत्मदाह करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पदनाम क्या था ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ) : कारपोरल वी० के० चोपड़ा की लाश 14 मार्च 1978 को अम्बाला में विमान के पिछले पुर्जे में पाई गई थी जिसपर जलने के चिन्ह थे। विमान में ताला नहीं लगा हुआ था। विमान को कोई गम्भीर क्षति भी नहीं हुई थी। विमान के पीछले पुर्जे में कुछ चीजें जली हुई पाई गई थी। इस मामले में सिविल पुलिस और साथ ही जांच अदालत जांच-पड़ताल कर रहा है। इस जांच-पड़ताल के परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है।

Increase in Permit Quota for the Poor Section of Society

9857. **Shri Rajendra Kumar Sharma:** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether Government have increased the percentage of permit quota for the backward and poor sections of society in respect of trucks, buses, taxies;

(b) the percentage of permit quota fixed for Harijans in this regard; and

(c) the quota fixed for Uttar Pradesh in this regard?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Chand Ram): (a) to (c): At present, there is no provision in the Motor Vehicles Act, 1939, for fixing any quota of permits for transport vehicles for any specified category of persons or class of applicants. The question of increase in the quota of permits for persons belonging to backward and poorer sections of the Society does not therefore, arise. A proposal for amendment to the Act to provide for reservation for Scheduled Castes & Scheduled Tribes, backward classes and economically weaker sections is, however, under consideration of Government.

Constitution of a Committee in Udaipur (Rajasthan) to Collect Gold

9858. **Shri Bhanu Kumar Shastri:** Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether as per the directions of the Central Government a Gold Committee was constituted in Udaipur, Rajasthan to collect gold at the time of Indo-Pak war in 1965;

(b) if so, the names of its Office bearers; and

(c) the quantity of gold collected by the Committee and the quantity deposited in Government treasury and whether full account thereof would be laid on the Table of the House?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai) : (a) According to information furnished by the Rajasthan Government at the time of Indo-Pak war in 1965, the Rajasthan State Citizens' Council under the Chairmanship of the then Chief Minister and the District Citizens' Council at Udaipur under the Chairmanship of the District Collector collected contributions in cash and in gold for the National Defence Fund.

(b) The District Collector was the Chairman of the District Citizens' Council at Udaipur and Shri Balwant Singh was one of the members. The State Government have stated that due to the weeding out of records, further details are not available.

(c) The District Council at Udaipur Collected Rs. 10,59,470.00 in cash and 16.750 gms. of gold. These were deposited in the Government Treasury and the Reserve Bank of India respectively for eventual credit to the National Defence Fund.

कोयला उद्योग में कुप्रबन्ध

9859. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें हाल में इंडस्ट्रीज एंड कामर्स एसोसिएशन, धनबाद के प्रेजीडेंट से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार कोयला उद्योग के काम में कुप्रबन्ध है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) यद्यपि हाल ही में उद्योग और वाणिज्य संघ के अध्यक्ष से कई ज्ञापन मिले हैं किन्तु उनमें कोयला उद्योग में कुप्रबंध के बारे में कोई आरोप नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कण्ट्रोल के कपड़े का उत्पादन

9860. **श्री प्रद्युम्न दत्त :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी मात्रा में कंट्रोल के कपड़े का उत्पादन होता है और उद्योग का कौन सा क्षेत्र उसका उत्पादन कर रहा है;

(ख) क्या सूत मिलों को अपना उत्पादन विद्युत करघा क्षेत्र को देना होता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह व्यवस्था संतोषजनक ढंग से काम कर रही है, यदि नहीं तो इस बारे में विद्युत करघा क्षेत्र को संरक्षण देने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति): (क) सूती कपड़ा उद्योग (मिल क्षेत्र) को प्रत्येक तिमाही में 10 करोड़ वर्ग मीटर कपड़े का उत्पादन करना पड़ता है।

(ख) और (ग) : योजना के अधीन सूती कपड़ा मिलें विद्युत करघों द्वारा उत्पादित नियन्त्रित कपड़ा भी प्राप्त कर सकती हैं। किन्तु मिल उद्योग द्वारा इस सुविधा का अधिक उपयोग नहीं किया गया है। इस संदर्भ में विद्युत करघों को संरक्षण देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

बौब मैक्डोनल्ड द्वारा अपने पुत्र की खोज

9861. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आस्ट्रेलिया निवासी 46 वर्षीय बौब मैक्डोनल्ड द्वारा अंदमान तथा निकोबार द्वीप-समूह में नवम्बर 1977 से गुम अपने पुत्र क्लर्क मैक्डोनल्ड की खोज कर रहे हैं ;

(ख) भारतीय वायु सेना ने पिता को पुत्र की खोज में यदि कोई सहायता दी है तो वह क्या है ;

(ग) क्या मैक्डोनल्ड के कुछ मित्र प्रधान मंत्री से उनके आस्ट्रेलिया के दौरे के समय मिले थे और उन्हें समस्या से अवगत कराया था ;

(घ) प्रधान मंत्री की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है और उन्होंने एक दुखी पिता को क्या आश्वासन दिये ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस मामले में उदार दृष्टिकोण अपनाने का है ताकि पिता अपनी खोज जारी रख सके और इस बारे में विवरण क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ङ) : श्री राबर्ट मैक्डोनल्ड को अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह जाने का अधिकार दिया गया था। उन्हें मोटर-लांच, पुलिस संरक्षण तथा/अथवा नौपरिवहन गाइड की सेवायें दी गई थीं। डकोटा वायुयान द्वारा समुद्रतटीय सर्वेक्षण करने की भी व्यवस्था की गयी थी। स्थानीय अधिकारियों ने भी इस खोज में साथ दिया।

(ग) और (घ) : राष्ट्रमण्डलीय देशों के अध्यक्षों की क्षेत्रीय बैठक में भाग लेने के लिए जब मैं सिडनी गया था तब श्री राबर्ट मैक्डोनल्ड 15 फरवरी 1978 को मुझसे मिले। मैंने निर्देश दिये थे कि श्री मैकडोनल्ड को अपने पुत्र की खोज करने के लिए सभी आवश्यक सुविधायें और सहायता प्रदान की जाये।

Emoluments of Managers of Tata, Birla, S.T.C. & F.C.I.

9862. **Shri Anant Ram Jaiswal :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the emoluments of the Directors and Managers of Tata & Birla companies and State Trading Corporation and Food Corporation of India separately and the average expenditure incurred on the emoluments in the financial year 1977-78 separately;

(b) the average emoluments of Labour Class of the aforesaid companies separately; and

(c) the number of Directors, Managers and Labourers in the aforesaid companies during the financial year 1977-78, separately and the expenditure incurred on their emoluments, separately?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) In respect of enterprises coming within the purview of the Companies Act, 1956, details of all employees drawing a total remuneration at the rate of Rs. 36,000/- or more per annum are given in the published annual reports of such companies which are open to inspection. As regards the Food Corporation of India and the State Trading Corporation, the pay scales are shown in the attached statement. The expenditure on

the pay and allowances of the Chairman, Managing Directors and other Managers in the Food Corporation of India during the year 1977-78 is estimated at Rs. 15.79 lakhs (provisional). As regards the State Trading Corporation, the expenditure on the emoluments of Directors and Managers for the year 1977-78 (head office) is estimated at Rs. 1.59 lakhs and 62.21 lakhs respectively.

(b) Government does not maintain information regarding emoluments of labour in private companies. As regards the Food Corporation of India, the emoluments payable to the Departmental labour numbering 13828 in the year 1977-78 are estimated at Rs. 6.36 crores which works out to an estimated Rs. 383/- per month per labourer. The State Trading Corporation does not engage factory labour.

(c) Government does not maintain such information in respect of private companies. Information in respect of Food Corporation of India and State Trading Corporation, is given in the attached statement.

Statement

Sl. No.	Category	Scale of pay Rs.	No. of posts
	Food Corporation of India		
1.	Chairman	3500—4000	1
2.	Managing Director	3000—3500	1
3.	Chief Commercial Manager Financial Adviser Commercial Manager Chief Traffic Manager Zonal Managers Chief of Project impiementation Division	2500—3000	49 (Managers and above
4.	Personnel Manager Additional Financial Adviser	2250—2750	
5.	Selection grade Managers including Secretary	2250—2500	
6.	Other Managers	1800—2250	
	State Trading Corporation		
1.	Chairman	3500—4000	1
2.	Executive Director	2500—3000	3
3.	Chief Marketing Manager (Grade-I)	2250—2500	299
4.	Chief Marketing Manager (Grade-II)	1800—2250	
5.	Marketing Manager	1300—1900	
6.	Deputy Marketing Manager (Grade-I)	1050—1550	
7.	Deputy Marketing Manager (Grade-II)	700—1250	

सी०ओ०डी० कानपुर से तांबा और स्क्रैप की चोरी

9863. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री जी० एम० बनतवाला :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 1977 से और 1978 में आज तक के दौरान 900

किलोग्राम तांबा/स्क्रैप की चोरी हुई थी तथा उसे सी०ओ०डी० प्राधिकारियों से वहां से ले जाया गया था और कानपुर में स्थानीय कबाड़ियों को सस्ते भाव पर बेच दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो सी० ओ० डी०, कानपुर के प्राधिकारियों की इन अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) क्या अपराधियों का पता लगाने के लिए अदालती जांच भी हुई थी और उसके क्या परिणाम निकले ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

ग्रामीण क्षेत्रों में नियंत्रित कपड़े का वितरण

9864. **श्री के० प्रधानी :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में अप्रैल, 1978 तक सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में नियंत्रित किस्म के कितने कपड़े का वितरण किया गया ;

(ख) इस अवधि में नियंत्रित कपड़े का कितना मूल्य बढ़ा; और

(ग) मिलों के लिए नियंत्रित कपड़े का उत्पादन कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) विभिन्न राज्यों को मिलों द्वारा उत्पादित नियंत्रित कपड़े का आबंटन जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रतिमास के हिसाब से किया जाता है, राज्यों के अंदर विभिन्न क्षेत्रों को 55,947 खुदरा बिक्री केन्द्रों (ग्रामीण क्षेत्रों में 44,790 तथा शहरी क्षेत्रों में 11,157) के जरिये कपड़े का वितरण करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है ।

(ख) नियंत्रित कपड़ें की विभिन्न किस्मों के मूल्य कानूनी ढंग से निर्धारित किये जाते हैं तथा 1977 या 1978 की अवधि में इन किस्मों के कपड़े के उपभोक्ता मूल्यों में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है ।

(ग) नियंत्रित कपड़े के उत्पादन करने की जिम्मेदारी इस तरह निश्चित की गई है कि एक तिमाही में 10 करोड वर्ग मीटर नियंत्रित कपड़ा मिल सके ।

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में लघु उद्योगों को लाइसेंस

9865. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में अनेक लघु एककों को कच्चे माल हेतु वर्ष 1977-78 के लिए आयात लाइसेंस अब तक जारी नहीं किए गए हैं यद्यपि इस संबंध में प्रस्तुत आवेदन पत्र सब तरह से पूर्ण थे ;

(ख) यदि हां, तो आयात तथा निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक के कार्यालय में ऐसे कितने मामले अनिर्णित पड़े हैं ;

(ग) उन पर निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(घ) सरकार का विचार इन सभी मामलों को कब तक निपटाने का है; और

(ङ) क्या इस विलम्ब से इन लघु एककों को भारी हानि हो रही है !

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) :(क) से (ङ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह वाणिज्य मंत्री द्वारा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विदर्भ में रुई उत्पादकों को होने वाली कठिनाइयां

9866. **श्री वसंत साठे** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदर्भ क्षेत्र में रुई उत्पादकों को रुई के मूल्यों में कमी होने और भारतीय रुई निगम द्वारा रुई खरीद न करने के कारण कठिनाईयां हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बारे में महाराष्ट्र राज्य/रुई उत्पादकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसमें उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (ग) : इस क्षत्र के उत्पादकों से जो अभ्यावेदन मिले हैं उनमें मूल्यों में कमी की शिकायत की गई है । यद्यपि मूल्यों क अध्ययन से यह संकेत मिलता है कि कमी का अनुमान चालू मूल्यों का मौसम के शुरु के मूल्यों तथा गत वर्ष के मूल्यों साथ तुलना पर आधारित है । जो सही संकेतक नहीं है । कीमतें अभी भी समर्थन स्तर से अधिक हैं । विदर्भ रूई को 9.50 लाख गांठों को कुल अनुमानित फसल में से 8.55 लाख गांठों का पहले हो विपणन किया जा चुका है । सरकार स्थिति पर नज़र रखे हुए और उत्पादकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हो समुचित कदम उठाएगी ।

C.B.I. Enquiry against Birla Group of Industries

9867. **Shri Hukmdeo Narain Yadav**: Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether C.B.I. enquiry was ordered against the Birla Group of industries by the previous Government of Congress party and whether some officers of the Finance Department were also alleged to be involved in the scandal in respect of which enquiry was ordered;

(b) whether investigations in this regard have been stopped by the Janata Government and the Birla families are being given all those facilities by the financial institutions which used to be given to them before;

(c) when the commission to investigate into the economic officers alleged against Birla was set up and the expenditure incurred thereon so far and when it is likely to submit its report; and

(d) when the report was due to be submitted by it and why it has not submitted an interim report; whether Government propose to take any action in this regard; and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) and (b) : Central Bureau of Investigation have registered a few cases against some of the companies belonging to Birla Group and some officials. Most of these cases are subjudice Information relating to financial assistance to these companies is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) and (d): The Commission of Inquiry on Large Industrial Houses was appointed on 18th February, 1970 to inquire *inter alia* into allegations against the Birla Group of concerns which were referred to in the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee and other allegations relating to this Group of concerns on which further investigation needs to be made in public interest. According to the notification appointing the Commission, the Commission was to submit its report within a period of one year from the date of notification. The Commission has not been in a position to submit its report and its term has been extended from time to time and in February 1978 it was extended upto 17th February, 1979. As on 31-3-1978 an expenditure of Rs. 1,26,90,107 was incurred by Government on this Commission. For the year 1977-78 an expenditure of Rs. 19,16,000 (Departmental actuals) was incurred by Government. Some of the companies belonging to the Birla Group have filed writ petitions in the High Courts of Calcutta and Punjab and Haryana challenging the validity of the appointment of the Commission. The High Court at Calcutta has issued stay orders in response to these writ petitions and these stay orders have not so far been vacated. Pending vacation of stay orders by the High Courts it is not possible to indicate at this stage any specific date for submission of the report by the Commission. The notification appointing the Commission does not provide for submission of an interim report and the Commission has not so far submitted any interim report to the Government.

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने के मामले में माता-पिता की आय की अधिकतम सीमा

9868. **श्री आर० एल० कुरील :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने के लिए मात-पिता की आय की अधिकतम सीमा जो वर्ष 1954 में 500 रुपए निर्धारित की गई थी, उसका पुनरीक्षण करके शिक्षा सत्र 1974-75 से 750 रु० प्रति मास कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1954 को आधार मान कर निर्वाह सूचकांक में हुई वृद्धि के आधार पर माता-पिता/अभिभावक की अधिकतम सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि तब से निर्वाह लागत चार गुना से अधिक बढ गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) से (ग): शिक्षा सत्र 1974-75 से अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मॅट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां देने के लिए 'जीविका साधन जांच' के अन्तर्गत आय की अधिक तम सीमा बढ़ाकर 750 रु० प्रतिमास कर दी गई थी और उसे अनुसूचित जन-जातियों के लिये 1976-77 से लागू किया गया था । 1954 को आधार मानते हुये निर्वाह खर्च के आधार पर 'जीविका साधन जांच' के अन्तर्गत माता-पिता की आय सीमा और बढ़ाने का कोई विचार नहीं है क्योंकि अभिप्राय यह है कि उपलब्ध वित्तीय साधनों में योजना का लाभ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों में कम सम्पन्न व्यक्तियों को मिलना चाहिये ।

Rural Electrification Schemes for Madhya Pradesh

†9869. **Shri Laxmi Narain Nayak:** Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) the number of villages in a backward State such as Madhya Pradesh for which electrification schemes have been sanctioned by Rural Electrification Corporation in the financial year 1977-78 indicating the names of such schemes and the amount sanctioned for each of them;

(b) the number of villages in Madhya Pradesh which are still deprived of electricity facility;

(c) the names of electrification schemes in Madhya Pradesh which have been provided assistance by Central Government but the work thereof was not completed within the prescribed period; and

(d) the names of the scheme of Tikamgarh and Chhatarpur districts in Madhya Pradesh for which assistance was given by Central Government during the financial year 1977-78?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) During 1977-78 the Rural Electrification Corporation approved 63 rural electrification schemes of Madhya Pradesh for a loan assistance of Rs. 24.04 crores. These include 62 area schemes, which envisage electrification of 3,793 new villages. One scheme is for setting up of a Linemen Training Centre in the state.

The names of the schemes approved and the loan amounts sanctioned are given in the statement at Annexure I. **[Place in Library.** *See* **No. LT—2300/78.]**.

(b) Out of 70,883 villages in Madhya Pradesh only 16,345 were electrified as on 31-3-78.

(c) There are 39 area schemes approved by the Corporation for Madhya Pradesh for which the period of implementation according to the original phasing has been completed but the targets for electrification of new villages are yet to be achieved. These schemes envisage electrification of 1,372 new villages. 990 villages have been electrified under these schemes up to 31st December, 1977. A statement giving the names of these schemes is enclosed (Annexure II). **[Place in Library.** *See* **No. LT—2300/78.]**.

(d) During 1977-78 the Corporation approved one Rural Electrification Scheme of Bijawar Block in Chhatarpur District. No scheme of Tikkamgarh District was approved during the year.

Nomadic Tribes in Gujarat

9870. **Shri Amarsingh V. Rathawa :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether there are certain nomadic tribes in Gujarat State; and if so, the number and other details thereof and whether certain other tribes are also included in them; and if so, the details thereof;

(b) whether there is any scheme for the rehabilitation of these tribes; and if so, the details thereof and which of these tribes would be rehabilitated first of all and the reasons therefor; and

(c) whether there is any legal provision for rehabilitating them at their present place of stay and scheme for providing them employment locally; if so, details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a) There are in all 28 communities known as Nomadic Tribes in Gujarat. This figure includes certain Scheduled Tribes like Kathodi, Kotwalia, Vitolia, Pardhi, Charan. The estimated population of these communities is around 4 lakhs.

(b) & (c) : There is no legal provision for rehabilitating nomadic tribes at their present place of stay. A provision of Rs. 16.40 lakhs has been made in the annual plan 1978-79 for programmes of nomadic tribes which includes schemes for Health and Housing, Economic Uplift and Education. The landless labourers and those

released from bonded labour are given preference in the schemes. Kotwalias and Kathodis have been identified as primitive tribes and special development programmes are taken up for their socio-economic development for which special allocations are made under special Central assistance.

महानगरों के विकास पर व्यय

9871. **श्री समर गुह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों से दिल्ली के विकास पर कोई धन व्यय किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह व्यय किस विभाग से किया गया ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कूल कितनी राशि व्यय की गई ;

(घ) क्या दिल्ली के विकास के लिए कोई विशष व्यय किया जाता है ; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसा विशेष व्यय करने का क्या आधार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) से (ङ) : सूचना कवित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दो जायेगी ।

आकाशवाणी पणजी (गोआ) द्वारा घोषित किए गए रिक्त पदों की संख्या

9872. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1974 से 31 दिसम्बर, 1977 तक आकाशवाणी, पणजी (गोवा) द्वारा घोषित किए गए रिक्त पदों की श्रेणीवार संख्या कितनी है ;

(ख) इंटरव्यू के लिए कितने उम्मीदवार उपस्थित हुए ;

(ग) कितने उम्मोदवार श्रेणोवार चूने गए; और

(घ) इसमें अल्पसंख्यक समुदायों कितने उम्मीदवार हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) : सूचना नीचे के विवरण में दी गई है :—

	प्रोडक्शन असिस्टेंट	उद्घोषक	प्रोड्यूसर (शैक्षणिक प्रसारण)	सहायक संपादक (परिवार कल्याण)	सहायक संपादक (शैक्षिणिक प्रसारण)	फील्ड रिपोर्टर (परिवार कल्याण)	ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव
(क)	1	1	1	1	1	1	2
(ख)	6	11	23	7	6	8	12
(ग)	1	1	1	1	1	1	2
(घ)*	.			..	..	..	1 (मुसलमान)

*चूने गए उम्मीदवारों में से ।

ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड तथा सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा प्रचार और मशीनीकरण पर किया गया व्यय

9873. **श्री रोबिन सेन : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड तथा सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा प्रचार और समाचार तथा पत्रिकाओं के प्रकाशन पर बहुत खर्चा किया जा रहा है ;

(ख) क्या ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड और सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड में मशीनीकरण के लिए, उपलब्ध जनशक्ति का उचित उपयोग किये बिना 15—20 लाख रुपय के राशि व्यय की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है ।

(ख) और (ग) : इस्टर्न कोल फील्ड्स लि० में लगभग 10 से 12 हजार उपभोक्ता नकदी आधार पर कोयला ले रहें है अर्थात् उन्हें बिलों और रेलवे रसीदो पर भुगतान करना होता है । चूंकि लदान की तारिख और भुगतान की तारीख के बीच और लदान की तारीख और देने की तारीख के बीच काफी समय का अन्तर पड़ जाता है इस लिए यह सुविधाजनक समझा गया कि इस कार्य का केन्द्रीकरण कर दिया जाए ताकि कैश बिलिंग के सभी कार्य कम्प्यूटर पर किए जा सकें । इसके फलस्वरूप अब बिल अधिक शीघ्रता से तैयार किए जाते है और इसकी वजह से बकाया पर ब्याज की पर्याप्त बचत हुई है । कम्प्यूटर सेवा के लिए किए जाने वाले प्रतिवर्ष भुगतान की रकम रु० 3.30 लाख (लगभग) है और स्टेशनरी की लागत अलग है । सभी उपलब्ध कर्मचारियों को कार्य की मदों में जहां कहीं वृद्धि होती है वहा समायोजित करके उनका समुचित रीति से उपयोग किया जाता है । सेन्ट्रल कोलफील्डस लि० के मामले में "ग्राहक और कोलियरी लेजरों" को जो लगभग 3,000 हैं, मशीन द्वारा तैयार किया जाता है जिसके लिए मासिक प्रभार लगभग रु० 15,000 केवल हैं ।

Cut on Domestic power supply in Delhi

†9874. **Shri Ganga Bhakt Singh :** Will the Minister of Energy be pleased to state :

(a) whether in order to meet reasonable demand of power of industrial establishments in Delhi, Government are considering a proposal to impose a cut on unnecessary domestic power supply; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) No, Sir.

(b) Question does not arise.

सी०आई०एस० में उच्च अधिकारियों की पदोन्नति के लिए विनियम

9875. **श्री लखन लाल कपूर : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सी० आई० एस० संवर्ग से बाहर के अधिकारियों की पदोन्नती पर सीनियर सूचना अधिकारियों अर्थात् डिप्टी प्रेस सूचना अधिकारियों, डिप्टी सूचना अधिकारियों में भारी असंतोष है ;

(ख) क्या एक भूतपुर्व सीनियर अधिकारियों को एक मंत्रालय में डिप्टी प्रेस सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया; है और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कराण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) सी० आई० एस० एसोसिएशन एक अभ्य वेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने भारतीय विदेश सेवा के एक अधिकारी की प्रधान सचना अधिकारी के पद पर प्रस्तावित नियुक्ति पर अपनी चिंता व्यक्त की है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय सूचना सेवा में उच्च अधिकारियों के पदोन्नति के लिए विनियम

9876. **श्रीमती मृणाल गोरे :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सूचना अधिकारियों ने एक संकल्प में सरकार से प्रेस में बाहर के लोगों को नालिए जाने तथा उनको उच्चतम पदों पर नियुक्ति न किए जाने की अपील की है ;

(ख) यदि हां, तो सूचना अधिकारियों, उप-सूचना अधिकारियों और डिप्टी प्रिंसिपल इंफोमशन अफिसरों को पदोन्नति सम्बन्धी विनियम क्या है ;

(ग) क्या उक्त विनियम का पालन किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जो, हां, । सी० आई० एस० एसोसिएशन में एक अभ्यावेदन दिमा है जिसमें उन्होंने यह प्रार्थना की है कि पत्र सूचना कार्यालय में प्रधान सूचना अधिकारी के पद पर केन्द्रीय सूचना सेवा के किसी अधिकारी की नियुक्ति की जाए । अन्य सभी पदों पर केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारी लगे हुए हैं ।

(ख) सूचना अधिकारो के पद जो केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड-1 में शामिल है, पर पदोन्नति के लिए एक अधिकारो की निचले ग्रड अर्थात केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड़-2 में 5 वर्ष की लगातार स्वीकृत सेवा होनी चाहिए । इसो प्रकार उप प्रधान सूचना अधिकारो के पद जो केन्द्रीय सूचना सेवा के जूनियर प्रंसासनिक ग्रेड में शामिल है, पर पदोन्नित के लिए एक अधिकारी की निचाले ग्रेड अर्थात केन्द्रीय सूचना सवा ग्रेड-1 में 5 वर्ष की लगातार स्वीकृत सेवा होनी चाहिए । पदोन्नति के लिए एक प्रावधान यह भी है कि "बशर्ते कि जब पदोन्नति के लिए किसी विशिष्ट ग्रेड के अधिकारी के बारे में विचार किया जाए तब इस प्रकार की पदोन्नति के लिए उस ग्रेड में उससे वरिष्ट सभी अधिकारियों के बारे में भी विचार किया जायगा भले ही वे उपर निर्धारित न्यूनतम सेवावधी संबंधी अपेक्षाओं को पूरा न भी करते हों" । केन्द्रीय सूचना सेवा के संवर्ग में उप सूचना अधिकारी के कोई पद नही हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) प्रश्न नही उठता ।

भूतपूर्व प्रधानमंत्री के इन्टरव्यू का प्रसारण

9877. **प्रो० पो० जो० मावलंकर :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्रो यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या दिल्ल. में और/अथवा देश के अन्य भागों में आकाशवाणी और/अथवा दूरदर्शन केन्द्रों ने 24 मार्च. 1977 और 20 अप्रैल, 1978 के बीच भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी का इन्टरव्यू/वार्ता/संदेश रिकार्ड किया था और/अथवा प्रसारित किया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी पूरे तथ्य और कारण क्या हैं ; और

(ग) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान किसी रेडिओ और/अथवा टेलीविजन केन्द्र ने कोई ऐसा कार्यक्रम प्रसारित किया अथवा दर्शाया जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी को व्यक्तिगत रूप से भाग लेते/उपस्थिति दिखाई गई हो, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) : आकाशवाणी ने 24 मार्च, 1977 के बाद भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का कोई नया इण्टरव्यू या सन्देश प्रसारित नहीं किया। तथापि, उनके स्वर में कुछ वाक्य उन दो कार्यक्रमों में, एक अंग्रजी में और दूसरा हिन्दी में, प्रयुक्त किए गए थे जो 1977 के अन्त में प्रस्तुत किए गए थे जिनमें वर्ष की मुख्य घटनाओं का सिंहावलोकन किया गया था। ये वाक्य मार्च 1977 में लोक सभा चुनावों को कराने के बारे में श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा की गई घोषणा तथा अपनी हार के बाद पद को छोड़ते समय उनकी टिप्पणियों से सम्बन्धित थे जो वर्ष के दौरान के घटनाक्रमों के सन्दर्भ में संगत थे।

24 मार्च, 1977 और 20 अप्रैल, 1978 के बीच दूरदर्शन से ऐसा कोई कार्यक्रम नही दिखाया गया जिसमें श्रीमती इन्दिरा गांधी को व्यक्तिगत रूप से भाग लेते हुए दिखाया गया हो ; किन्तु उक्त अवधि के दौरान इनके बारे में फिल्म आधारित तीन समाचार, जिनमें वह थोड़े समय के लिए दिखाई देती हैं, दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र द्वारा अपने समाचार बुलेटिनों में टेलीकास्ट किए गए थे ; ये थे :-

(1) 27 मई, 1977 को जवाहर लाल नेहरू की शान्ति बन समाधि में श्रीमती गांधी को माल्यार्पण करते हुए।

(2) 4 अक्तूबर, 1977 की गिरफ्तारी के बाद श्रीमती गांधी को छोड़ते हुए; और

(3) 9 जनवरी, 1978 को शाह आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी को पटियाला हाउस में आते हुए।

मिजोरम में राजनीतिक स्थिति

9878. **श्री चित्त बसु :**
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजो नैशनल फ्रन्ट के साथ संधिवार्ता के असफल रहने से मिज़ोरम में उत्पन्न हुए राजनीतिक स्थिति का इस बीच मूल्यांकन कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मूल्यांकन किया हैं ; और

(ग) इस स्थिति का प्रशासनिक तथा राजनीतिक स्तर पर मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) से (ग) : मिजोरम में स्थिति का लगातार पुनरीक्षण किया जाता है तथा समय-समय पर उपयुक्त उपाय किये जाते हैं। सरकार ने मिजोरम में विधानसभा के चुनाव करने का निर्णय किया है तथा ये अब 17 तथा 20 मई, 1978 को होने निश्चित हुये हैं। इस निर्णय का मिजोरम में पूर्ण स्वागत हुआ है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र तथा शान्तिपूर्ण हों, पर्याप्त सुरक्षा तथा अन्य प्रबंध कर दिये गये हैं।

Development of Industry in Bastar, M. P.

9879. **Shri Aghan Singh Thakur:** Will the Minister of Industry be pleased to state:

(a) whether Government have laid down a new policy for the development of industries in rural and backward areas; and

(b) if so, the details of Government policy regarding development of small industry in Madhya Pradesh specially in Bastar district and providing employment to youths?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti): (a) and (b): The Government have decided that no more licences should be issued to new industrial units within certain limits of different metropolitan cities having a population of more than 1 million and urban areas with a population of more than 5 lakhs as per the 1971 census. State Governments and financial institutions will be requested to deny support in these areas to those industries which do not require an industrial license but the investment is large. The Government would also consider providing assistance to large existing industries which want to shift from congested metropolitan cities to approved locations in backward areas.

With a view to shifting the focal point of development for small scale and cottage industries from big cities and State capitals to the districts headquarters, District Industries Centres are being set up to attend to all the requirements of small and village industries under one roof.

The following incentives are given by the Central Government for setting up industries in backward areas:—

(i) Concessional Refinance Scheme of Industrial Development Bank of India.

(ii) Deduction in Income-tax.

(iii) Consultancy for Technical Services.

(iv) Registration of new units and expansion of existing units in respect of items which are otherwise banned in the country.

(v) Interest subsidy.

(vi) Supply of machinery on concessional terms by the National Small Industries Corporation Limited.

(vii) Central Investment Subsidy.

(viii) Special facilities for importing raw materials.

(ix) Transport Subsidy.

Baster District is included in the list of backward districts qualifying for concessional finance facilities.

Plans for the development of districts are prepared by the State Governments concerned.

पुरानी कोयला खानों का पुनः खोला जाना

9880. **श्री रामदास सिंह** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पूर्व भारी खर्च के कारण कोयले की कुछ पुरानी खान बन्द कर दी गई थी उन्हें कोकिंग कोयले की माँग पूरी करने के लिए फिर खोला जाएगा ; और

(ख) यदि हां, तो कार्य कब आरम्भ किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) व (ख) : राष्ट्रीयकरण के बाद से भारी खर्चे के आधार पर कोई कोककर कोयला खान बन्द नहीं की गई बल्कि भारत कोकिंग कोल लि० की तीन कोककर कोयला खानें—जो भूतपूर्व प्राइवेट प्रबंध मंडलों ने बन्द कर दी थी—पुन: खोल दी गई हैं। इसके अतिरिक्त भी, राष्ट्रीयकरण से पहले भूतपूर्व मालिकों द्वारा बन्द की गई कुछ कोककर कोयला खानों को पुन: खोलने के लिए खोज कार्य किया जा रहा है।

जनतायुग, दैनिक प्रकाश और प्रावदा की बिक्री संबंधी आंकड़े

9881. **श्री सी० आर० महाटा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अलीगढ़ से प्रकाशित होने वाले दैनिक प्रकाश, प्रावदा और जनतायुग नामक दैनिक समाचार-पत्र के सम्पादकों द्वारा बताए गए वर्ष 1977-78 के प्रतिदिन की बिक्री के आंकड़ों का सत्यापन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो चार्टर्ड एकाउन्टटों के प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त अन्य किस प्रक्रिया से यह काम किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र साइंटिफिक कम्पनी वर्कर्स यूनियन मसुलीपटम द्वारा ज्ञापन

9882. **श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 25-6-77 का आंध्र साइंटिफिक कम्पनी वर्कर्स यूनियन मसूलीपटम द्वारा प्रस्तुत किया गया एक ज्ञापन उन्हें प्राप्त हुआ था ;

(ख) क्या यह सच है कि इस कम्पनी का प्रबन्ध, भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ में पांच वर्ष की अवधि के लिए और बाद में इसे एक वर्ष बढ़ा दिया गया था/अपने नियंत्रण में लिया गया था ;

(ग) क्या यह सच है कि कम्पनी के निदेशक-बोर्ड ने एक संकल्प पारित करके भारत सरकार से इस कम्पनी का अधिग्रहण करने के लिए अनुरोध किया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि भारत सरकार द्वारा इस कम्पनी को अपने नियंत्रण में लेने के बाद यह कम्पनी तीव्र गति से प्रगति कर रही है ; और

(ङ) इस कम्पनी का अधिग्रहण करने के मामले पर क्या कार्यवाही की गई है जैसा कि निदेशक बोर्ड द्वारा संकल्प पारित करके और कर्मचारी संघ द्वारा अनुरोध किया गया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) कम्पनी गम्भीर वित्तीय समस्याओं का सामना कर रही थी, इसलिए निदेशक बोर्ड ने 1970-71 में दो प्रस्ताव पास किए जिनमें भारत सरकार से यह अनुरोध किया गया था कि सरकार या तो कम्पनी की कुल इक्विटी शेयर पूंजी में 51 प्रतिशत अथवा अधिक की साझेदार बने अथवा कम्पनी का पूरा कार्यभार सम्भाल ले।

(घ) जी, हां। कम्पनी का कार्यभार सम्भाल लिए जाने के बाद इस का कार्य कुल मिला कर अच्छा रहा है।

(ङ) इस कम्पनी के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए न्यायाधिकरण

9883. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिये कोई स्थायी न्यायाधिकरण बनाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनुसिंह पाटिल) : (क) और (ख) : विशिष्ट वर्गों के लोग व्यक्तियों (पब्लिक मैन) के विरुद्ध कदाचार की शिकायतों की जांच करने के लिए लोकपाल संस्था के गठन की व्यवस्था किए जाने के लिए, एक विधेयक आजकल संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति के विचाराधीन है। स्थायी न्यायाधिकरणों की स्थापना का इस समय कोई अन्य प्रस्ताव नहीं है।

20 प्रतिशत से अधिक लाभांश घोषित करने वाली कंपनियां

9884. **श्री गणनाथ प्रधान :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाली ऐसी कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान किसी भी वर्ष में 20 प्रतिशत से अधिक की दर पर लाभांश घोषित किया है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इनमें से प्रत्येक कंपनी द्वारा कितनी राशि का मुनाफा कमाया गया और उनके पूंजी निवेश की तुलना में इसकी प्रतिशतता क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि बहुत सी कंपनियां अपने उत्पादों को उत्पादन लागत की तुलना में बहुत ऊंची दरों पर बेच रही हैं ; और

(घ) उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कर रही कंपनियों द्वारा कमाये गए मुनाफे की प्रतिशतता पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाने का विचार है ताकि जनता को ये वस्तुएं सस्ती दर पर उपलब्ध हो सकें।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (ग) : सरकार ने न तो विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कर रही कम्पनियों द्वारा भुगतान किए गए लाभांशों अथवा अर्जित किए गए लाभ का कोई विशिष्ट अध्ययन ही किया है और न लाभांश, लाभ तथा विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं की उत्पादन की लागत से सम्बन्धित आंकड़ों के बारे में उद्योग मंत्रालय में विस्तृत जानकारी ही रखी जाती है।

(घ) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई प्रस्ताव विशेष रूप से सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विभिन्न मिलों के विस्तार के लिए श्रमिक क्षेत्र

9885. **श्री दिलीप चक्रवर्ती :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार है कि एक श्रमिक क्षेत्र की स्थापना की जाये तथा इस क्षेत्र को निम्नलिखित कार्य क्षेत्रों के विस्तार का कार्य सौंपा जाये—

(1) चावल मिलें (2) चीनी मिलें (3) तेल मिलें (4) कपड़ा मिलें (5) कागज मिलें (6) ईंट उद्योग और (7) आटा मिलें; और

(ख) क्या सरकार राज्य तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कर कर श्रमिक क्षेत्र को प्रोत्साहन देती है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख): प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लेने के बारे में सरकार की नीति को उद्योग मंत्री द्वारा 23 दिसम्बर, 1977 को संसद के समक्ष रखे गए औद्योगिक नीति संबंधी विवरण के पैरा 33 में स्पष्ट कर दिया गया है। देश के श्रम संसाधनों का प्रभावी रूप से उपयोग केवल ऐसे वातावरण में ही किया जा सकता है जिसमें श्रमिक और प्रबन्धक, दोनों ही उद्यम के संचालन में व्यक्तिगत रुचि ले। व्यवसाय विशेषकर बड़े क्षेत्र के उद्योगों में चला आ रहा पारिवारिक नियंत्रण एक पुरानी व्यवस्था है तथा सरकार प्रबंध का व्यवसायीकरण करने की नीति पर जोर देती रहेगी। इसके साथ-साथ सरकारी एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों के कर्मचारियों में उन्हें कुशलता पूर्वक चलाने की भावना पैदा करने के तौर-तरीकों का पता भी लगाना पड़ेगा। सरकार श्रमिकों के हितों पर किसी तरह का प्रतिकूल असर डाले बिना औद्योगिक एककों की ईक्विटी में श्रमिकों की भागीदारी बढ़ाने की संभाव्यताओं पर विचार कर रही है। कार्यशाला स्तर से लेकर बोर्ड स्तर तक निर्णय लेने में श्रमिकों के सक्रिय रूप से संबद्ध किये जाने और इस प्रकार की इक्विटी सहभागिता से उद्योग के प्रबंध में श्रमिकों की सार्थक सहभागिता के लिए आवश्यक वातावरण तैयार हो सकेगा।

राज्य में बिजली उत्पादन की योजनाओं के वित्त पोषण के लिए विशेष निधि

9886. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जल विद्युत क्षमता बढ़ाने के लिए राज्यों में बिजली उत्पादन योजनाओं के वित्त पोषण के लिए किसी विशेष निधि की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता से कार्यालय/विभागों का स्थानान्तरण

9887. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, सेन्ट्रल कोल फील्डस लिमिटेड, वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटड और सेन्ट्रल माइंस प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड के कार्यालय/विभाग अथवा वर्कर्स को कलकत्ता से बाहर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस स्थानान्तरण को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) क्या ऊर्जा मंत्रालय का विचार कोल इण्डिया लिमिटेड और इसकी सहायक कम्पनियों को अनुदेश देने का है कि वह ऐसे वर्कर्स को कलकत्ता में दुबारा स्थानान्तरित करें जो आपात कालीन अवधि के दौरान स्थानान्तरित किये गये थे ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) : स समय कलकत्ता से कोयला कम्पनियों का कोई कार्यालय हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) वर्ष 1975-76 के दौरान मशीनरी, स्टोर आदि की खरीद और प्राप्ति से संबंधित कार्य के कुछ भाग का विकेन्द्रीकरण किया गया था । इस समय यह कार्य फिर सबसे बड़े कार्यालय को ही स्थानान्तरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

आकाशवाणी द्वारा प्रत्येक उम्मीदवार को दिया गया समय

9888. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को बिना किसी प्रचार के आकाशवाणी के स्थानीय अथवा क्षेत्रीय स्टेशनों से कुछ समय तक प्रसारण करने की अनुमति देने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार के सामने क्या कठिनाइयां हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य विधान सभाओं के चुनाओं से पहले, निर्वाचन प्रतिक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के उपबन्धों के अन्तर्गत मुख्य निर्वाचन आयुक्त से अखिल भारतीय आधार पर या राज्यीय स्तर पर मान्यता-प्राप्त प्रत्येक राजनीतिक दल को प्रसारण के लिए बराबर बराबर समय दिया जायेगा । इस प्रकार के प्रत्येक दल को दो बार 15-15 मिनट का समय दिया जा रहा है । ये सुविधायें जून, 1977 में हुए 10 राज्यों तथा दो संघ शासित क्षेत्रों में राज्य विधान सभा चुनावों के लिए दी गई थी । बाद में ये सुविधायें नागालैंड, त्रिपुरा और अखिरी में, फरवरी 1978 में 5 राज्यों तथा एक संघशासित क्षेत्र में राज्य विधान सभा चुनावों के लिए भी दी गई थी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मुकदमे दायर करने के लिये कानून में संशोधन

9889. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** :

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने राज्य सरकारों की अनुमति लिये बिना ही गम्भीर मामलों में मुकदमें दायर करने के लिये केन्द्रीय सरकार से कानून में संशोधन करने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने केन्द्रीय सरकार को बहुत से प्रस्ताव भेजे हैं ;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे प्रस्तावों पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटिल) : (क) से (घ) : केन्द्र में वर्तमान सरकार की स्थापना के बाद, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से ऐसा कोई विधान बनाए जाने का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है,

है, जिसमें उसके अधिकारियों को राज्यों के क्षेत्रों में संबंधित राज्य सरकार को सहमति के बिना अपनी शक्तियों तथा अधिकारिता का प्रयोग करने की व्यवस्था की जा सके। पहले कुछ प्रस्ताव थे जिन पर कार्रवाई नहीं की गई थी।

आधुनिक कैमरों के एक कारखाने की स्थापना करना

9890. **श्री राजे विश्वेवर राव :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आधुनिकतम कैमरों के उत्पादन के लिए एक कारखाने की स्थापना कर रही है, यदि हां, तो कहां;

(ख) क्या सरकार को पता है कि भारत में फोटोग्राफी उद्योग बहुत ही अधिक पिछड़ा हुआ है;

(ग) क्या सरकार का विचार किसी प्राइवेट एजेंसी की सहायता करने का है बशर्तें कि वे ऐसा एक कारखाना लगाना चाहती है; और

(घ) यदि हां, तो किस अनुपात में ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता ने जो सरकारी क्षेत्र की एक परियोजना है, हाल ही में सूक्ष्म कैमरे बनाने का काम हाथ में लिया है। इस प्रकार के कैमरों का निर्माण करने हेतु सरकारी क्षेत्र में किसी अन्य कारखाने की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) फोटोग्राफी माल उद्योग से संबंधित कुछ ट्रेड एसोसिएशनों से अभ्यावेदन मिल हैं जो यह कहते है कि उद्योग फिल्म रोलों तथा व्यावसायिक कैमरे आदि प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है। चूंकि देश में फिल्म रोलों का अनुमानित उत्पादन वर्ष 1977-78 की अनुमानित मांग पूरी करने के लिये काफी नहीं था, इस लिये इस कमी को पूरा करने के लिये आयात करने की अनुमति दे दी गई थी। आयातित माल मिलने में देरी हो जाने से अस्थाई तौर पर कुछ कमी भी महसूस की गई थी। व्यावसायिक फोटोग्राफरों/स्टुडियों आदि को बाक्स किस्म के अतिरिक्त कैमरों का आयात करने की भी अनुमति दी जा रही है।

(ग) और (घ) : सरकार कैमरों का निर्माण करने के लिये निजी पार्टियों से मिले किसी भी प्रस्ताव पर गुणावगुण तथा सरकार की घोषित नीति के अनुसार विचार करेगी।

शिमला जिले की रामपुर और रोहड़ू तहसीलों के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

9891. **श्री बालक राम :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की रामपुर और रोहड़ू तहसीलों के लिए रामपुर-रोहड़ू ग्रामीण विद्युतीकरण योजना नामक ग्रामीण विद्युतीकरण योजना मंजूर की गई थी ;

(ख) क्या उपरोक्त योजना का क्रियान्वयन आरंभ हो गया है और यदि हां, तो उपरोक्त योजना के अन्तर्गत मुख्य लक्ष्य क्या निर्धारित किए गए और कौन से लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं ;

(ग) क्या इस योजना में रोहड़ू तहसील का कोई क्षेत्र शामिल है, यदि नहीं, तो ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की क्रियान्विति के बाद लघु ग्रामीण औद्योगिक एककों को बिजली के कनेक्शन दिये जाने के लिए जोरदार मांग किए जाने के बावजूद इस क्षेत्र की जनता की उपेक्षा किए जाने के क्या कारण हैं ; और

6—153 LSS (ND)/78

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीण औद्योगिक एककों को बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के अन्तर्गत आने वाली राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश जारी करने का है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) शिमला जिले की रामपुर और रोहडू तहसीलों के विद्युतीकरण के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम ने एक ग्राम विद्युतीकरण स्कीम फरवरी, 1976 में स्वीकृत की थी ।

(ख) स्कीम का कार्यान्वयन शुरू हो गया है । 31-12-1977 तक के वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :-

	लक्ष्य	उपलब्धियां
विद्युतीकरण किए जाने वाले नए गांव	141	8
ऊर्जित किए जाने वाले पम्प सेट	1	..
लघु उद्योगों को कनेक्शन .	77	3
घरेलु/वाणिज्यिक कनेक्शन ..	6558	85

(ग) रोहडू तहसील के 81 नए गांवों का विद्युतीकरण करना तथा पहले से ही विद्युतीकृत 75 गांवों का सघन विद्युतीकरण करना इस स्कीम के अन्तर्गत आता है । तहसील में 34 लघु उद्योगों को बिजली के कनेक्शन देने और 4179 अन्य कनेक्शन देने की व्यवस्था इसमें है ।

(घ) निगम द्वारा स्वीकृत स्कीम में लघु उद्योगों की विद्युत सप्लाई की व्यवस्था पहले से ही है ।

हल्दिया चेनल में अच्छे खिचाव के लिए तल-कर्षण की लागत

9892. **श्री सुशील कुमार धारा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में हल्दिया चेनल में अच्छे खिचाव के लिए आकलैंड बार में तल कर्षण की लागत में काफी वृद्धि हुई है हालांकि इसकी गहराई में संतोषजनक प्रगति नहीं हुई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि विदेशी तल-कर्षण फर्मों के साथ करार को अन्तिम रूप देने से पूर्व सी०पी०टी० द्वारा कोई लागत लाभ विश्लेषण और मंत्रालय द्वारा वास्तविक मूल्यांकन नहीं किया गया था; और

(ग) क्या विदेशी फर्मों के साथ किए करार समय के अनुसार निर्धारित थे जिनमें उचित खिचाव प्राप्त करने के लिए कोई शर्त नहीं थी और यदि हां तो क्या सरकार इस मामले की जांच कराएगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग) : कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा योजना के लागत लाभ विश्लेषण करने के बाद हल्दिया जलमार्ग के निकर्षण का अनुमान स्वीकृत किया गया । स्वीकृत अनुमान में पत्तन के अपने निकर्षकों नौवहन और परिवहन मंत्रालय के निकर्षकों द्वारा और ठेके पर निकर्षण कार्य करने की व्यवस्था थी । अप्रैल 1975 तक बाहरी मुहाने में अपेक्षित डुबाव प्राप्त कर लिया गया । बाहरी मुहाने में अप्रैल, 1975 में और भीतरी मुहने में दिसम्बर, 1975 में ठेका निकर्षण बन्द कर दिया गया । पत्तन के निकषकों और मंत्रालय के

निकर्षकों (जो अब सरकारी उपक्रम भारतीय निकर्षण निगम के पास हैं) द्वारा निकर्षण कार्य करना अभी तक जारी है। हुगली नदी की विशेष जल संबंधी स्थिति के कारण कार्य की निरन्तर समीक्षा करने की व्यवस्था के अन्तर्गत समय दर ठेका करना पड़ा। नौवहन और परिवहन मंत्रालय के निकर्षक भी उसी दर पर लगाये गये हैं। पुन: भारी शोलिंग के कारण भीतरी मुहाने, जिसके अन्तर्गत आकलैन्ड बार भी आता है, में डुबाव प्राप्त नहीं किया जा सका। इन परिस्थितियों में कोई भी जांच करने का प्रश्न नहीं उठता।

नगर हवेली में कर्मचारियों की संख्या

9893. **डा० बलदेव प्रकाश :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र नगर हवेली की जन संख्या कितनी है ;

(ख) इस संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन चलाने के लिये कुल कितने सरकारी कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं और उन्हें कुल कितनी वार्षिक परिलब्धियां दी जाती हैं ; और

(ग) इस संघ राज्य क्षेत्र में यदि कोई राजस्व एकत्र किया जाता है तो वह कितना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) 1971 की जनगणना के अनुसार संघ शासित क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की जनसंख्या 74,170 थी। 1-3-78 की जनसंख्या का अनुमान लगभग 84,000 लगाया गया है।

(ख) 31 मार्च, 1978 को दादरा और नगर हवेली प्रशासन के अधीन नियुक्त सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या 1414 थी जिसमें 414 अध्यापक तथा चिकित्सा विभाग के 131 कर्मचारी शामिल हैं। वर्ष 1977-78 के दौरान सरकारी कर्मचारियों को दी गई कुल परिलब्धियों लगभग 86.41 लाख रुपए थी।

(ग) वर्ष 1977-78 के दौरान दादरा और नगर हवेली प्रशासन की राजस्व प्राप्ति 51.52 लाख रुपए थी।

कोयला खानों के मुहानों में पड़ा कोयले का स्टाक

9894. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1978 को कोयला खानों के मुहानों में कोयले का कितना स्टाक पड़ा था और गत वर्ष की तुलना में उसकी स्थिति क्या है;

(ख) इस समय ओबरा ताप बिजली घर को कोयले की सप्लाई प्राप्त करने में होनेवाले कठिनाइयों के क्या कारण हैं ; और

(ग) जब कभी आवश्यकता हो, वहां कोयले की समय पर और नियमित सप्लाई करने के लिए उचित योजना कब तक बनाई जायेगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) कोयले का खान मुहाना स्टाक 31 मार्च, 1977 के 14.50 मिलियन टन की तुलना में 31 मार्च, 1978 को 12.40 मिलियन टन था।

(ख) इस समय ओब्रा में कोयले का स्टाक 11 दिन की खपत के बराबर है। ओब्रा को कोयले की सप्लाई करने वाली कोलियरियों के पास पर्याप्त स्टाक है। कभी कभी ओब्रा ताप बिजलीघर

के पास कोयले के स्टाक की मात्रा इसलिए कम रही है कि बिजली घर में वैगनों को पर्याप्त मात्रा में समय से खाली नहीं किया गया।

(ग) कोयले की सप्लाई की योजना नियमित रूप से रेलवे, उत्पादकों और मुख्य उपभोक्ताओं से परामर्श करके बनाई जाती है।

Manufacture of Television Spares

9895. **Shri Ram Sewak Hazari:** Will the Minister of **Electronics** be pleased to state:

(a) the quantum of annual demand for television spare parts, especially screens and tubes and the expenditure incurred in foreign exchange thereon;

(b) the observations made by the Committee appointed to study the technical and economic aspects of television production; and

(c) the measures being taken to manufacture them in the country itself?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai): (a) The annual demand for television spare parts is estimated to be 20,000 TV picture tubes and some quantity of general purpose electronic items such as valves, semiconductor devices and passive components. Very little import takes place on this account, as practically all of these components are being manufactured in the country. Imports are needed only when there are shortfalls in production, or when a manufacturer has used a design involving some special items.

(b) Two panels were set up under the Chairmanship of Shri S. S. Marathe, the then Chairman, Bureau of Industrial Costs and Prices and now Secretary, Department of Industrial Development: one was on 'The Cost Structure of the Production and Marketing of TV Picture Tubes' and the other on 'Cost and Price Structure Evaluation of the TV Receiver Industry'. The first Report indicated considerable scope for reduction in the price of TV picture tubes; this has actually taken place. The second Report looked into the possibility for price reduction of TV sets, the structuring and further licensing of TV manufacturing capacity in the country, and aspects related to quality control and adequate servicing of TV sets. Reduction in the prices of TV sets has taken place on the basis of reduced costs of inputs particularly the picture tube and the differential excise duty imposed by Government for which the cost aspects gone into by the Marathe Panel were taken into account. The principal objectives defined by the Panel in their other observations are being given effect to administratively.

(c) Adequate capacity has been created in the country for the manufacture of TV picture tubes, valves and semiconductor devices, as also deflection components and general passive components needed for the TV industry. Some temporary shortfalls in indigenous availability of TV picture tubes, mainly because of shortfalls in production are being made up through bulk imports.

पारादीप पत्तन में घाटा

9896. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन में वर्ष 1977-78 के दौरान 2 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) : 1977–78 के लेखे अभी तक बन्द नहीं किए गए हैं। जनवरी, 1978 में तैयार किए इस वर्ष के संशोधित अनुमानों के अनुसार पत्तन के पास 25.85 लाख रुपये के परिचालन अधिशेष की संभावना थी। वित्त तथा विविध आय और व्यय को हिसाब में लेने के बाद 216.89 लाख रुपये के घाटे का अनुमान था घाटे का कारण एक तो यह था कि खनिज लौह की ढुलाई में कमी के कारण आय में कमी हो गई और दूसरी ओर वेतन पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन से तीसरी और चतुर्थ श्रेणी के स्टाफ को बकाया राशि के भुगतान, $8\frac{1}{3}$ प्रतिशत की दर से बोनस की प्रदाय अनुग्रहपूर्वक अदायगी निक्षेपण पर बढ़ते हुए व्यय, अधिक ब्याज देयता आदि पर अतिरिक्त व्यय हुआ।

टेलीविजन और रेडियो पर वाणिज्यिक विज्ञापनों से हुई आय

9897. **श्री के० मालन्ना** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 के दौरान टेलीविजन और रेडियो पर वाणिज्यिक विज्ञापनों से कुल कितनी आय हुई; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य-वार और केन्द्र-वार हुई आय का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क)

(1) **दूरदर्शन** :

कुल सकल राजस्व : 2,28, 57, 500 रुपए

(2) **रेडिओ** :

कुल सकल राजस्व : 7,27,86,208 रुपए (अनन्तिम)

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

रेडियो और दूरदशन आय	आकाशवाणी		दुरदर्शन	
राज्य	केन्द्र	सकल प्राप्ति (अनन्तिम)	केन्द्र	सकल प्राप्ति
1	2	3	4	5
		रुपये		रुपये
आन्ध्र .	हैदराबाद-विजयवाड़ा	45,20,464	..	..
बिहार .	पटना-रांची	25,94,355	..	..
गुजरात .	अहमदाबाद-राजकोट	42,28,756	..	..
हरियाणा-पंजाब	चंडीगढ़-जालंधर	46,42,265	अमृतसर	7,35,250
जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	10,45,766	श्रीनगर	42,000
कर्नाटक	बंगलौर-धारवाड़	38,72,889	..	..
केरल .	त्रिवेन्द्रम-कालीकट	20,32,665	..	..

विवरण—जारी

1	2	3	4	5
मध्य प्रदेश	भोपाल-इन्दोर	28,86,626	..	..
महाराष्ट्र .	बम्बई-पूना-नागपुर	1,31,26,325	बम्बई	1,05,46,500
उड़ीसा .	कटक	13,88,740	..	..
राजस्थान .	जयपुर-जोधपुर	24,45,905	..	..
तमिलनाडु .	मद्रास-तिरुची	57,36,191	मद्रास	7,65,250
उत्तर प्रदेश .	कानपुर-लखनऊ-इलाहाबाद	54,69,487	लखनऊ	4,77,250
पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	86,02,844	कलकत्ता	15,22,000
दिल्ली (संघशासित क्षेत्र)	दिल्ली	99,92,930	दिल्ली	87,69,250
		7,27,86,208		2,28,57,500

युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं के लिये पेंशन में वृद्धि

9898. **श्री सुखन्द्र सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं के लिये पहले निर्धारित की गई पेंशन में वृद्धि की है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और उन्हें निःशुल्क पास जारी करने जैसी सुविधायें देने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) 1971 के भारत-पाक युद्ध के परिणाम स्वरूप युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं के लिए विशेष प्रबंध के रूप में उदार पेंशन अवार्ड मंजूर किए गए थे जिसके अन्तर्गत पेंशन की सामान्य दरों में वृद्धि की गयी थी। उदाहरणार्थ युद्ध में मारे गए सैनिक अफसरों की विधवाएं अफसर को मृत्यु के समय उसके मूल वेतन के 3/4 के बराबर की दर पर विशेष परिवार पेंशन की हकदार हैं (इसके साथ संतान भत्ता देय नहीं है) यह रियासत उस पूरी अवधि तक उपलब्ध है जब तक कि जीवित रहने की स्थिति में वह अफसर सेवा-निवृत्ति की सामान्य आयु प्राप्त करता अथवा 7 वर्ष की अवधि के लिए, जो भी बाद में हो। उसके बाद, मृत्यु के समय अफसर के पद के अनुसार सामान्य पेंशन दर पर परिवार पेंशन मिलती है, इसमें सेवा निवृत्ति की तारीख तक सेवा की गणना की जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि कोई अव्यस्क बच्चे हैं तो उन्हें भी 100 रु० प्रति बच्चे की दर पर विशेष संतान भत्ता भी मिलता है। (संतान भत्ते समेत कुल पेंशन अवार्ड मृत व्यक्ति के मूल वेतन के 3/4 से अधिक नहीं होगा)।

2. अफसर पद से नीचे के कार्मिकों के बारे में विधवा को उसकी मृत्यु तक अथवा पेंशन के लिए उसके अयोग्य हो जाने तक मृत कार्मिक द्वारा लिए गए अन्तिम वेतन की दर पर विशेष परिवार पेंशन दी जाती है। ऐसे मामलों में वेतन में केवल मूल वेतन और मृतक को नकद दिए जाने वाले अन्य भत्ते

ही नहीं बल्कि वस्तु के रूप में उसके द्वारा ली जाने वाली रिआयतो के गृह बचत तत्व जैसे राशन आदि का काल्पनिक मूल्य भी लिया जाता है जो 1971 के युद्ध के बारे में सिपाही के लिए 30 रुपए प्रतिमास से लेकर सुबेदार मेजर के मामले में 65 रुपए प्रति मास है। विशेष परिवार पेंशन की गणना करने के लिए गृह बचत तत्व को नकद रकम में बदल दिए जाने से युद्ध-विधवा की विशेष परिवार पेंशन, वास्तव में उसके पति द्वारा लिए जा रहे नकद वेतन से अधिक हो जाती है। (इसके साथ संतान भत्ता ग्राह्य नहीं है)।

3. यह एवार्ड विशेष प्रबंध के रूप में है इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता और समय-समय पर मंजूर की गई कोई तदर्थ और अथवा अन्य राहत इसके साथ नहीं दी जा सकती। फिर भी युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं को देय उदार पेंशन, 1971 से पहले के युद्धों के कतिपय मामलों को छोड़कर सामान्य विशेष पेंशन तथा रियायतों के मुकाबले अधिक लाभदायक बनी हुई है। परन्तु आदेशों में यह प्रावधान है कि जहां और जब तक सामान्य दरें अधिक लाभदायक हों वहां ऊंची दरों का लाभ पाने का अधिकार होगा।

(ग) 1962, 1965 और 1971 के युद्ध में मारे गए अफसरों और जवानों के ऐसे बच्चों को जो शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के अन्तर्गत की अथवा उस विभाग द्वारा वित्तपोषित शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं अथवा दाखिल किए गए हैं निम्नलिखित रियायतें दिए जाने के लिए पहले ही आदेश विद्यमान हैं :—

1. सम्बन्धित शिक्षा संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली ट्यूशन फीस तथा अन्य शुल्क से पूरी छूट; (इसमें स्कूल की बस का किराया और संस्थाओं के प्रधान द्वारा प्रमाणित छात्रों के रेल अथवा बस के पास का वास्तविक किराया भी सम्मिलित है)।
2. जो छात्रावास वाले स्कूलों और कालेजों में अध्ययन कर रहे हैं उन्हें छात्रावास का खर्च पूरा करने के लिए अनुदान,
3. पुस्तकों और लेखन सामग्री की पूरी लागत ; और
4. जहां वर्दी अनिवार्य हो वहां वर्दी की पूरी लागत।

'अलीगढ़ मेल' को सरकारी विज्ञापन

9899. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा०ए०वी०पी० को विज्ञापन देने के लिये नीति की हाल ही में किये गये पुनरीक्षण से पूर्व अलीगढ़ शहर से प्रकाशित शाम को निकलने वाले एक हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र 'अलीगढ़ मेल' के संपादक ने सरकारी विज्ञापन देने के लिये अपनी 6 महीने की नमूने की प्रतियों के साथ एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था ;

(ख) क्या 'अलीगढ़ मेल' को पिछली सरकारी विज्ञापन नीति के अंतर्गत सरकारी विज्ञापन दिये जा सकते थे; और

(ग) यदि हां, तो 'अलिगढ़ मेल' को सरकारी विज्ञापन न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगबीर सिंह) : (क) से (ग) : 'अलीगढ़ मेल' ने सरकारी विज्ञापनों के लिए जुलाई, 1977 में आवेदन किया था, किन्तु इसके सम्पादक ने इसके पिछले अंकों की नमूना प्रतियां अक्तूबर, 1977 में ही उपलब्ध की थी। क्योंकि उस अवस्था पर

सरकार की नई विज्ञापन नीति बनाई जा रही थी; अतः यह उपयुक्त समझा गया कि इस समाचार-पत्र को विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की माध्यम सूची में शामिल करने के बारे में विचार नई विज्ञापन नीति के अनुसार ही किया जाए ।

यह पत्र इस नीति में निर्धारित अपेक्षाएं पूरी नहीं करता ।

Assistance sought by U.P. to check Unrest and Crimes

9900. **Shri Ram Lal Rahi:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Uttar Pradesh Government have sought assistance from Central Government to check increasing unrest and crimes in the State;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the suggestions and the assistance given by the Central Government to the State?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) (a) to (c): As and when required by the Government of Uttar Pradesh they were provided assistance in the form of Central Armed Police re-enforcement to assist them in the maintenance of law and order in the State.

रक्षा कारखानों में उपकरणों का कम उपयोग

9901. **श्री गदाधर शाहा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० जी० ओ० एफ० के अधीन रक्षा कारखानों में मशीनों और उपकरणों का कम उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो डी० जी० ओ० एफ० के अधीन विभिन्न रक्षा कारखानों में कारखानावार इस समय कितने रूपयों का माल उत्पादित करने की क्षमता है, इस समय प्रत्येक कारखाने में कितना उत्पादन होता है तथा संसाधनों की पूरी क्षमता का उपयोग किये जाने/न किये जाने के क्या कारण है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख): आर्डनेंस कारखानों के महानिदेशक के अधिन आर्डनेंस कारखानों में मशीनरी तथा उपस्कर का उपयोग रक्षा सेवाओं की आवश्यकताओं के साथ बंधा होता है । चूंकि ये कारखाने रक्षा सेवाओं के अपने उपयोग उद्योग हैं इसलिए उनका कारखानावार ब्यौरा देना लोकहित में नहीं होगा ।

मिजोरम में विधान सभा चुनावों का बहिष्कार करने का आह्वान

9902. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा :**
श्री रामानन्द तिवारी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्रोही मिजो नेता ने मिजोरम में विधान सभा चुनावों का बहिष्कार करने का आह्वान किया है ;

(ख) क्या मिजो छापामार तथा विद्रोही सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय रूप से अव्यवस्था उत्पन्न कर रहे है ; और

(ग) शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) से (ग) : हालांकि मिजोरम के भूमिगत लोगों के एक वर्ग द्वारा विधान सभा के चुनाव कराने के विरोध का पता है, परन्तु सरकार के पास किसी व्यक्ति द्वारा चुनावों के बहिष्कार करने के किसी स्पष्ट आह्वान की कोई निश्चित

रिपोर्ट नहीं है । मिजोरम में विधान सभी के चुनाव 17 तथा 20 मई, 1978 को होने निश्चित हुए हैं । मिजोरम में सीमान्त क्षेत्रों में अथवा अन्य स्थानों पर किन्ही उपद्रवो के कोई समाचार नहीं है । फिर भी सुरक्षा बल पुरी तरह सतर्क है और यह सुनिश्चित करने के सभी प्रबंध किय जा रहें है कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा शान्तिपूर्ण हों ।

जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में रखने संबंधी मानदण्ड

9903. **श्री बी० सी० काम्बले :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जातियों को अनुसूचित जातियों की सूचि में रखने संबंधी मानदंड क्या है जो पिछली कांग्रेस सरकार और वर्तमान जनता सरकार द्वारा अपनाये गये हैं ;

(ख) क्या अस्पृश्यता से वास्तविक उत्पीड़न एक ऐसा मानदंड है ;

(ग) क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के उपबंधों को देखते हुए सरकार का विचार अस्पृश्यता के मानदंड को खत्म करने का है; और

(घ) यदि नहीं । तो उसके क्या कारण हैं और सरकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के साथ किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (घ) : मानदंड जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं यह है कि अनुसूचित जाति समझा जानेवाला समुदाय अस्पृश्यता की परंपरागत प्रणाली से उत्पन्न अत्याधिक सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक पिछड़ेपन से पीड़ित होना चाहिए । यह मानदंड संविधान के अनुच्छेद 17 के उपबंध का अतिक्रमण करने वाला नहीं है ।

अरुणाचल प्रदेश की राजधानी

9904. **श्री बकिन पार्टिन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंजीनियर इन चीफ के अधीन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के तकनोको विशेषज्ञों ने अरूणाचल प्रदेश को राजधानी के लिए वर्तमान स्थल इटानागर को अस्वीकार कर दिया था;

(ख) इटानागर में राजधानी बनाने के कार्य पर अब तक कितनो धनराशि खर्च को गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि राजधानो का स्थल पुरातत्वीय महत्व का एक उजड़ा हुआ वगर है ; और

(घ) क्या वर्तमान सरकार का विचार अरूणाचल प्रदेश की राजधानी एक अच्छे त ा तकनीक दृष्टि से अनुमोदित स्थल पर बनाने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी नहीं, श्रीमान । इटानागर में स्थायी राजधानी के लिए स्थल का अनुमोदन भारत सरकार द्वारा तिनियुक्त तकनिकि वशेष ों के एक दल द्वारा किया गया था ।

(ख) स्थाई राजधानी परियोजना पर लगभग 4.8 करोड़ रुपए की धन राशि खर्च की गई है और कार्य चल रहा है ।

(ग) आसपास कुछ खंडहरों का पता लगा है जो पुरातत्वीय महत्व के हो सकते हैं । राजधानी परियोजना ऐसे नियोजित की गई है कि इन पर प्रतिकुल प्रभाव नहीं पडेगा ।

(घ) उपयुक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है ।

Pay Scales of Employees of Akaltara Cement Factory

9905. **Shri Govind Ram Miri:** Will the Minister of Industry be pleased to state:

(a) the category-wise and pay scale-wise number of officers/employees working in the Akaltara Cement Factory in Bilaspur district of Madhya Pradesh on 30th March, 1978;

(b) the category-wise number of persons belonging to the scheduled castes and scheduled tribes among them and whether all the reserved posts have been duly filled and if not, the reasons therefor;

(c) the category-wise number of persons belonging to Chhatisgarh and Madhya Pradesh among the persons referred to part (a) above; and

(d) the definition/criteria on the basis of which a person is said to belong to Madhya Pradesh or Chhatisgarh?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti): (a) and (b): A statement is attached.

(c) and (d): Statistics of employees according to the States/Regions they belong to are not maintained.

Statement

As on 30-3-1978

Category	Pay scale	No. of persons	Position regarding reservation: No. of posts reserved	Position regarding reservation: No. of SC/ST in position	Remarks
Group 'A'	Rs.2,000—2,500	1			1. Information of persons belonging to Chhatisgarh alone is not available.
	Rs.1,500—2,000	1	1	Nil	
	Rs.1,300—1,700	1			
Group 'B'	Rs.1,100—1,600	6	3	Nil	2. Vacancies for SC/ST are reserved according to the instructions of the Government issued from time to time. Reserved vacancies are carried forward according to instructions when suitable candidates of the required community are not available.
Group 'C'	Rs.700—1,300	10			
	Rs.650—1,200	1			
	Rs.650—1,040	2			
	Rs.650—960	2			
	Rs.550—800	1			
	Rs.425—700	15	22	9	
	Ad hoc Rs.400+ allowances	4			
	Rs.350	10			
	Rs.320	4			3. Special efforts are also made to appoint SC/ST candidates against the reserved vacancies.
	Rs.305	12			
	Rs.300	1			
Group 'D'	Rs.260—350	1			
	Rs.280+allowance	1			
	Rs.250 ,,	8			
	Rs.245 ,,	4	21	9	
	Rs.240 ,,	18			
	Rs.200 ,,	21			
	Rs.190 ,,	10			
Group 'D' (Sweepers)	Rs.190 ,,	3		3	

Supply of Cement by Churk Cement Factory to U.P.

9906. **Shri Ram Naresh Kushwaha :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether total quantity of cement has been supplied by Churk Cement Factory as required by U.P. Government in 1977-78;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) the time by which supplies would be made in 1977-78 which could not be made so far?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) to (c) : The allocations under the State Sector to Uttar Pradesh from the cement factory at Churk during 1977-78 were 2.67 lakh tonnes. The factory has supplied 2.76 lakh tonnes upto 31st March, 1978. According to the present instructions, despatches in respect of the allocations made during January-March 1978 could be completed during April-June 1978.

Inspections in Hindi Teaching Scheme

9907. **Shri Roop Nath Singh Yadav :**
Shri Arjun Singh Bhadoria :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of times inspections of the Hindi Teaching Scheme centres carried on by the Secretary of the official language commission and the Hindi Adviser of Government of India from 30-5-75 uptil now;

(b) the number of times on which Joint Secretary and Deputy Secretary-in-charge as well as concerned Regional Officers (now Deputy Director) accompanied them during the said inspections; and

(c) the functions of Hindi Teachers at various centres?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal): (a) and (b) : The formal inspections of the centres of Hindi Teaching Scheme are carried out by the concerned Deputy Secretary/Director. However, the Secretary, Official Language Department and Hindi Advisor to the Government of India, while on tour and if there are Hindi Teaching Scheme Centres located at these places, may visit these according to his will and convenience.

(c) The Hindi Teachers impart training of Hindi to Central Government employees and carry out functions concerned with organisation of these classes and matters related to training.

दुनकुनी एल०टी०सी० प्रोजेक्ट सम्बन्धी योजना

9908. **श्री धीरेन्द्र नाथ बसु :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुनकुनी एल० टी० सी० प्रोजेक्ट सम्बन्धी योजना छोड़ दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो यह कार्य कब शुरू किया जायगा ; और

(घ) इस योजना को सुरू करने के लिए विशेषज्ञ मत के बावजूद इसको कितनी अवधि तक स्थगित रखा गया है और इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) : 20.33 करोड़ रुपए के निवेश वाले दुनकुनी निम्न ताप कार्बनीकरण संयंत्र के लिए एक साध्यता रिपोर्ट का अनुमोदन जुलाई, 1975 में किया गया था । इस परियोजना के कार्यान्वयन के आरम्भिक चरणों में यह पता चला कि इसकी पूंजीगत लागत 100% बढ़ने की संभावना है । अब एक संशोधित साध्यता रिपोर्ट तैयार की गई है जिस पर विचार किया जा रहा है । इस बीच कोयला कम्पनी ने निविदाएं मांगी हैं जिनकी छानबीन की जा रही है ।

Social Rights and Equal Status for Women

9909. **Shri Ramanand Tiwary:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7357 on 19th April, 1978 and state:

(a) the details of action taken to give equal rights to men and women after the formation of Janata Government; and

(b) the steps proposed to be taken to enforce the existing laws soon with a view to remove hurdles in the way of inter-caste marriages?

The Minister of State in the Ministry of Home affairs (Shri Dhanik Lal Mandal): (a) The details are given in the statement.

(b) As indicated in reply to Lok Sabha Unstarred Question No. 7357 on the 19th April, 1978 existing laws provide adequate protection in such cases.

Statement

In order to translate the Constitutional guarantee of equality of rights between men and women, a national plan of action for women has been drawn up by the Department of Social Welfare. It was sent to the Governments of States and Union Territories and the concerned Central Ministries/Departments in July 77 so that they could use it as a guideline to draw up their own plans of action.

2. The National Committee on Women was re-constituted on the 21 Jan. 78 with the Prime Minister as Chairman and the Minister of Education, Social Welfare and Culture as the Vice-Chairman. This Committee is intended to guide the Government in evolving suitable policies and initiating appropriate programmes for welfare and development of women, including elimination of discrimination and securing equal rights and equality of opportunity as guaranteed in the Constitution. The Committee met on the 18 Apr. 78 *inter alia* resolved to endorse the national plan of action.

3. Several steps are on the anvil in the legislative sphere. For example, the Dowry Prohibition Act is to be reviewed and there is a proposal for compulsory registration of marriages. The Child Marriage Restraint Act, 1929, has been amended to raise the age of marriage of girls from 15 to 20 and for boys from 18 to 25 years. The equal Remuneration Act, 1976, was extended to 7 industries after the new Government assumed office. It is now applicable to a total of 23 industries.

4. A constant dialogue is on with various groups of people in order to create public interest and awareness on this issue. Among the efforts made in this direction are:

(i) Two meetings were held by the Ministry of Education, Social Welfare and Culture on 29 Jul. 77 and 4 Aug. 77 (with lady Members of Parliament on the subject of implementation of recommendations of the Committee on the Status of Women in India).

(ii) A get together of women MPs and women legislators from all over the country funded by the Department of Social Welfare, was held on the 15 and 16 Apr. 78 under the auspices of the Gandhi Peace Foundation. The objective was to deepen the awareness on issues concerning women among the chosen representatives of the people.

5. Working Groups and Sub-Groups to discuss issues relating to women and suggest programmes to be taken up during the Sixth Plan have been constituted on the following :

(i) Women's employment (Ministry of Labour).

(ii) Development of Rural Women's Organisations (Department of Rural Development).

(iii) Women welfare (Department of Social Welfare).

निर्धनता से नीचे के स्तर पर रहने वाले लोग

9910. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निर्धनता से नीचे के स्तर पर रहने वाले लोगों की संख्या के बारे में हाल में कोई अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) रुपए के निरन्तर घटते हुए मूल्यों और वस्तुओं की कीमतों में बृद्धि के सन्दर्भ में 'निर्धनता के स्तर' वाक्य की नवीनतम परिभाषा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) पंच वर्षीय योजना के प्रारूप (1978-83) को तैयार करने के लिए, योजना आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी की पोषाहार की मान्य आवश्यकता और शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2100 कैलोरी की पोषाहार की मान्य आवश्यकता के आधार पर गरीबी के स्तर की परिभाषा की है। रुपयों के संदर्भ में, गरीबी का स्तर व्यय करने वाले वर्ग का मध्य बिन्दु है (1973-74 के उपभोक्ता व्यय के आंकड़ों के आधार पर), जहां पर कैलोरी की आवश्यकता की पूर्ति होती है। इसके अनुसार 1976-77 की कीमतों पर प्रति व्यक्ति मासिक व्यय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 61.8 रु० और शहरी क्षेत्रों के लिए 71.3 रु० होता है। इस प्रकार, गरीबी के स्तर से नीचे के व्यक्तियों की संख्या का समय-समय पर अनुमान लगाते समय, कीमतों के स्तर में हुए परिवर्तनों के अनुसार आय के स्तरों को समायोजित कर लिया जाता है।

सीमेक बुनाई मशीन के अत्यधिक मूल्य लिये जाने के बारे में शिकायतें

9911. **श्री शम्भुनाथ चतुर्वेदी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिंगर स्यूइंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा बेची जाने वाली सीमेक बुनाई मशीन के अत्यधिक मूल्य लिय जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं जिसके उत्पादन मूल्य और खुदरा मूल्य में भारी अन्तर है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इसके मूल्य पर नियंत्रण करेगी क्योंकि इस मशीन का उपयोग गरीब महिलाओं द्वारा अपनी जीविका के लिये किया जाता है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मैति) : (क) जी, हां।

(ख) यह मामला निर्माताओं अर्थात् मे० सीमेक ग्रुप (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई तथा मे० सिगर स्युइंग मशीन कम्पनी, बम्बई जो इन मशीनों की बिक्री करते हैं; के साथ उठाया गया है।

Loss due to shortage of power in Small Scale Industries, Bihar

9912. **Shri Birendra Prasad:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether small scale industries in Bihar State are incurring heavy losses due to shortage of power;

(b) whether the Central Government have any scheme to provide power generators by giving grants to small scale industries and by arranging loans on easy instalments and at less rate of interest; and

(c) if so, whether the Central Government have extended this facility to any small scale unit in Nalanda District of Bihar and if so, the names thereof and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti): (a) In Bihar State, according to the information available, there are 12141 small scale units. They are not under obligation to supply production returns, losses incurred and reasons thereof. It is not therefore possible to state on the basis of statistics, whether small scale industries in Bihar are incurring heavy losses due to shortage of power.

(b) & (c): No Sir. The Ministry of Industry have no scheme to provide power generating sets. The Department of Power in the Ministry of Energy draws up the policy in respect of establishment of captive power plants. In the case of individual units, the capital cost and unit cost of electricity would be very high and generating set for a group of small scale units would be cheaper. The State Government have not submitted any proposal for power generating sets on behalf of any group of small scale units.

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में व्यय

9913. **श्री ए० मुरुगेसन :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नेवलीलिग्नाईट कारपोरेशन में सभी कैडरों में नियुक्त कर्मचारियों पर कितनी धनराशि खर्च होती है तथा गत तीन वर्षों में वर्षवार कितना उत्पादन हुआ है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : नैवेली लिग्नाईट कारपोरेशन के सभी संवर्गों के स्टाफ पर गत तीन वर्षों के दौरान हुआ कुल व्यय और उत्पादन वर्षवार नीचे दिया गया है :—

विवरण (लाख रुपए)

	1975–76	1976–77	1977–78 (अनन्तिम)
व्यय			
(वेतन, मजदूरी, बोनस, आनुतोषिक (ग्रेच्युटी), श्रमिक व कर्मचारी कल्याण, आदि) .	1372.42	1466.99	1495.59
उत्पादन			
लिग्नाईट (लाख टन) . . .	30.27	40.17	35.80
बिजली शुद्ध (मिलियन युनिट) . .	2230	2968	2402
यूरिया (टन)	60172	95779	89503
लेको (टन)	30536	49659	47948

प्रशासनिक अधिकारियों के पद

9914. **श्री रामधारी शास्त्री :**

श्री रामनरेश कुशवाहा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा विज्ञान प्रयोगशाला के विभिन्न विभागों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों और सहायक प्रशासनिक अधिकारियों के कितने पद हैं ;

(ख) इन पदों पर वर्तमान पदाधिकारी कब से कार्य कर रहे हैं ;

(ग) क्या वर्तमान पदाधिकारी कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्धारित की गई पांच वर्ष से अधिक की अवधि से कार्य कर रहे हैं ;

(घ) यदि हां, तो निर्धारित अवधि से अधिक के लिए इन अधिकारियों के बने रहने के क्या कारण हैं और सरकार का विचार पांच वर्ष से अधिक की अवधि पर बने रहने वाले अधिकारियों के स्थानान्तरण के लिए क्या कार्यवाही करने का है ; और

(ङ) क्या इन अधिकारियों ने वैज्ञानिकों के प्रति, विशेष रुप से राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले वैज्ञानिकों, आवास, वेतन आदि के मामले में प्रतिशोधात्मक रवैया अपनाया है और परिणामत: इसके विरोध में कुछ वैज्ञानिक जनवरी 1978 से अपना वेतन नहीं ले रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क)

वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी . .	1
प्रशासकीय अधिकारी . .	1
सहायक प्रशासकीय अधिकारी . .	शून्य

(ख) वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी सितम्बर 1970 से तथा प्रशासकीय अधिकारी जुलाई 1976 से कार्य कर रहे हैं ।

(ग) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी/प्रशासकीय अधिकारी के पदों के लिए कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं की गई है ।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) जी नहीं । परंतु एक जूनियर वैज्ञानिक अधिकारी जनवरी 1978 से अपने वेतन बिल पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है ।

विद्युत उत्पादन के बारे में पश्चिम बंगाल से प्रस्ताव

9915. **श्री मुकुन्द मण्डल :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने विद्युत उत्पादन के लिए कोई प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन): (क) से (ग) : विद्युत उत्पादन के लिए पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

1. बालासन जल विद्युत परियोजना चरण-एक . . .	4×2.86	मेगावाट
2. रामन जल विद्युत परियोजना चरण-एक . . .	2×15	मेगावाट
3. तीस्ता नहर प्रपात विकास जल विद्युत परियोजना (प्रपात सं० 1) . . .	2×11.25	मेगावाट
4. कोलाघाट ताप विद्युत केन्द्र विस्तार . . .	3×210	मेगावाट
5. गैस टारबाइन विद्युत उत्पादन यूनिट :		
(क) हल्दिया	2×15	मेगावाट
(ख) सिलीगुड़ी	2×15	मेगावाट
(ग) गौरीपुर	1×20	मेगावाट

इन परियोजनाओं की आवश्यकता किस समय-सीमा में होगी इस बात को ध्यान में रखते हुए इनका तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन करने के पश्चात केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इनका अनुमोदन कर दिए जाने पर ही इन पर निवेश के बारे में निर्णय लिया जा सकता है।

उपर्युक्त प्रस्तावों के अतिरिक्त, कलकत्ता के निकट टीटागढ़ में 240 मेगावाट का एक ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिए मैसर्स कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन के प्रस्ताव को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। उद्योग नीति संबंधी संकल्प में ढील देकर सरकार द्वारा इस परियोजना को अनुमति प्रदान की जानी है।

Bus Service from Madras Hotel to Naraina

†9916. **Shri Madan Tiwary**: Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that no bus is available to Naraina from Madras Hotel and as a result the people going from Connaught Place to Naraina have to face great difficulties;

(b) whether Government propose to introduce bus service between Madras Hotel and Naraina via Gole Market, Karol Bagh, Patel Nagar and Shadipur Depot;

(c) if so, by what time; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Chand Ram): (a) Connaught Circus (Regal) and D.D.A. Colony, Narain Vihar, are connected by direct services operating on route No. 70. Narain Vihar is in close proximity to Naraina Village and Madras Hotel in close proximity to Regal. Thus, adequate bus facilities are available to the residents of Naraina Village for going to Madras Hotel.

(b) to (d): No, Sir. Narain Vihar is already well connected to Karol Bagh by bus services on four routes *i.e.* routes No. 74, 751, 838 and 853. In view of this, and since, as a stated in the reply to part (a) above, Naraina Vihar is also connected

to Regal by route No. 70 which goes via Patel Nagar & Gole Dak Khana, it is not proposed to start a direct bus service from Naraina village to Madras Hotel via Gole Market, Karol Bagh, Patel Nagar and Shadipur Depot.

पाण्डिचेरी में दूरदर्शन केन्द्र

9917. **श्री जी० मुवाराहन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाण्डिचेरी में दूरदर्शन केन्द्र चालू करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो किस तारीख तक ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) : जी, नहीं । वित्तीय संसाधनों की विकट कमी के कारण पाण्डिचेरी में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

पारादीप पत्तन में गोदी श्रम बोर्ड

9918. **श्री पवित्र मोहन प्रधान :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन में गोदी श्रम-बोर्ड की स्थापना करने के लिए अप्रैल, 1978 के प्रथम सप्ताह में सरकार को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी हां ।

(ख) इस समय पारादीप पत्तन में हाथ से धरा उठाई किए जा रहे माल की प्रमात्रा को देखते हुए पत्तन में गोदी श्रम-बोर्ड की स्थापना का कोई औचित्य नहीं है । अतः यह निश्चय किया गया है कि इस समय इस पत्तन पर गोदी श्रम बोर्ड की स्थापना न की जाए ।

दैनिक मजूरी वाले श्रमिक

9919. **श्री बलदेव सिंह जसरोतिया :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में पश्चिमी और उत्तरी कमांडों के सैनिक फर्मों में रोजगार कार्यालयों की उपेक्षा करके दैनिक मजूरी पर सीधे कितने श्रमिकों को रोजगार दिया गया;

(ख) गत एक वर्ष में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से दैनिक मजूरी पर कितने श्रमिकों को रोजगार दिया गया;

(ग) भाग (क) और (ख) में उल्लिखित श्रमिकों में से अलग-अलग कितने श्रमिकों ने रोजगार व्यवधान की अवधि सहित 240 दिन और एक वर्ष से अधिक समय पूरा कर लिया है;

(घ) उन्हें नियमित मासिक मजूरी पर रखने के लिए विभाग ने क्या कार्यवाही की है; और

7—153 LSS (ND)/78

(ङ) भाग (क) और (ख) में उल्लिखित श्रमिकों में से कितने श्रमिक अलग-अलग नियमित पदों पर कार्य कर रहे हैं तथा कब से?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) : सैनिक फार्मों में जिस किस्म और स्वरुप का कार्य है उसके अनुसार रोजगार कार्यालय के माध्यम से रोजगार ढूंढने वाले व्यक्ति नहीं मिलते हैं इसलिए 423 कामगारों को खुले बाजार से भर्ती किया गया है। इस अवधि में 13 कामगारों को रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भर्ती किया गया है। खुले बाजार से भर्ती किए गए 151 कामगारों ने और रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भर्ती किए गए 7 कामगारों ने 240 अथवा इससे अधिक दिन पूरे कर लिए हैं।

(घ) सैनिक फार्मों में 1974 से कार्य कर रहे नमितिक कामगारों को वेतन की मासिक दरों पर लाने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ङ) (क) के लिए 171 और (ख) के लिए 91। उनके कार्य की अवधि कुछ सप्ताहों से लेकर कुछ महीनों तक की है।

आर्म्ड फोसज हेडक्वार्टर्स सिविल सर्विस रूल्ज, 1968 में संशोधन करने का प्रस्ताव

9920. **श्री बैरागी जेना** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्म्ड फोर्सेस हैडक्वार्टर्स सिविल सर्विस रूल्ज, 1968 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है ताकि "डाइरेक्ट रिक्रूट्स" (एसिस्टेंटस एण्ड एसिस्टेंट सिविलियन स्टाफ आफिसर्स) को अगली पदोन्नति पाने से पहले कुछ निश्चित वर्षों तक सेवा करनी पड़े;

(ख) यदि हां, तो नियमों में ऐसा संशोधन करने के क्या कारण हैं जो "डायरेक्ट रिक्रूटस" के हितों के लिए अत्याधिक हानिकारक है;

(ग) क्या सिविलियन स्टाफ आफिसर्स के रुप में पदोन्नत किए जाने वाले असिस्टेंट सिविलियन स्टाफ आफिसर्स के पेनल जारी करने में इसलिए विलम्ब हो रहा है ताकि पेनल जारी किए जाने से पहले ऐसा संशोधन प्रभावी हो जाये; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियमावली, 1968 को दिनांक 27-4-1978 के एस० आर० ओ० 155 द्वारा पहले ही संशोधित कर दिया गया है। संशोधित व्यवस्था के अनुसार, यदि सहायक सिविलियन स्टाफ अफसर की श्रेणी के किसी व्यक्ति पर, सिविलियन स्टाफ अफसर की श्रेणी में प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है तो उस श्रेणी में उससे ज्येष्ठ उन सभी व्यक्तियों पर भी जिन्होंने उस श्रेणी में छः वर्ष से कम की सेवा न की हो, इस बात के होते हुए भी कि उन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की अनुमोदित सेवा की हो, विचार किया जाएगा। परन्तु छः वर्ष सेवा की पूर्वोक्त शर्त उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का है। इस प्रकार से यदि सहायक की श्रेणी के किसी व्यक्ति के मामले में सहायक सिविलियन स्टाफ आफिसर की श्रेणी में प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उससे ज्येष्ठ सभी व्यक्तियों पर भी, इस बात के होते हुए भी कि उन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की अनुमोदित सेवा न की हो, विचार किया जाएगा।

(ख) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियमावली 1968 के अनुसार, सहायक सिविलियन स्टाफ आफिसर और सहायक के प्रवर्गों में सापेक्ष ज्येष्ठता विभागीय प्रोन्नतों और सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के बीच रिक्तियों के चक्रानुक्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी जो प्रोन्नतों और सीधी भर्ती के लिए आरक्षित रिक्तियों के कोटा पर आधारित है। इस प्रक्रिया में सीधे भर्ती किए गए सहायक सिविलियन स्टाफ अफसर तथा सहायक अपने कोटे में होने वाली स्थायी रिक्तियों पर ज्येष्ठता प्राप्त करते हैं, जो अपनी वास्तविक नियुक्ति की तारीख से काफी पहले वर्षों के होते हैं। पूर्वोक्त संशोधन जारी किए जाने से पहले, ग्रेड में न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा वाले सहायक सिविलियन स्टाफ अफसर और ग्रेड में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा वाले सहायक क्रमश: सिविलियन स्टाफ आफिसर तथा सहायक सिविलियन स्टाफ आफिसर प्रोन्नत किए जा सकते थे, बशर्ते कि ऐसी प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, तो संबंधित ग्रेड में उनसे ज्येष्ठ सभी व्यक्तियों की प्रोन्नति पर भी, इस बात के होते हुए कि उन्होंने 10 वर्ष अथवा 5 वर्ष, जैसा भी मामला हो, की सेवा न की हो, विचार किया जाएगा। इस तरह से सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति अपनी सर्वोपरि ज्येष्ठता के कारण विभागीय प्रोन्नतों के मुकाबले काफी कम सेवा अवधि में ही अगले उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए ऊपर आ जाते हैं। इस लिए सीधे भर्ती किए गए सहायक सिविलियन स्टाफ आफिसरों और सहायकों दोनों को सिविलियन स्टाफ आफिसर और सहायक सिविलियन स्टाफ आफिसर के ग्रेड में प्रोन्नति के लिए न्यूनतम सेवा अवधि निर्धारित करने के लिए संशोधन किए गए है। इस में दक्षता की आवश्यकता और प्रोन्नत कर्मचारियों तथा सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के बीच प्रोन्नति के अवसरों में असमानता को कम करने का ध्यान रखा गया है। पूर्वोक्त संशोधन केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली, 1962 में इसी तरह के अधिसूचित संशोधनों के आधार पर किए गए हैं।

(ग) और (घ): जी, नहीं। विलम्ब इस कारण से हुआ है कि सिविलियन स्टाफ आफिसर के ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपेक्षित सेवा अवधि 10 वर्ष वाले पात्र सहायक सिविलियन स्टाफ अफसर इस समय उपलब्ध नहीं हैं। यहां तक कि सम्भावित रिक्त स्थानों पर चयन करने के लिए रिक्त स्थानों के तिगुने तक की न्यूनतम संख्या में भी व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए यह प्रस्ताव किया गया है कि वर्तमान नियमों में दो वर्ष तक छूट दे दी जाए ताकि 10 वर्ष से कम की सेवा वाले आफिसर भी सिविलियन स्टाफ आफिसर के पद पर प्रोन्नति के लिए रिक्तियों के कम से कम दुगने आफिसरों उपलब्ध हो सकें। संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध किया गया है कि वे उक्त छूट के बारे में अपना अनुमोदन प्रदान करें। उनकी सहमति मिल जाने पर चयन सूची तैयार की जाएगी।

विमान चालक के हृदय पर दबाव का पता लगाने के एक उपकरण का विकास

9921. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर स्थित विमानन चिकित्सा संस्थान ने विमान-चालक के हृदय पर पड़ने वाले दबाव का पता लगाने और उड़ान के दौरान ही उसका उपचार करने के लिए एक उपकरण का विकास किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस उपकरण का ब्यौरा क्या है तथा इसकी वाणिज्यिक संभावनायें क्या हैं; और

(ग) इस उपकरण का विकास करने वाले कर्मचारियों को क्या पुरस्कार अथवा प्रशस्ति प्रदान की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : बंगलौर स्थित एविएशन मेडिशिन इंस्टिट्यूट ने एक ऐसे उपकरण का विकास किया है जो उड़ान की वास्तविक स्थितियों में पायलट के दिल की स्थिति का पता लगा सकता है। इस यंत्र का उपयोग केवल रोग का पता लगाने के लिए ही किया जा सकता है, उसके उपचार के लिए नहीं। चूंकि उड़ान मे भिन्न क्षेत्रों में इस उपकरण का उपयोग किए जाने की संभावना नहीं है इसलिए इस यंत्र की वाणिज्यिक उत्पादन की संभावनाएं इस समय सीमित हैं।

(ग) जिस अफसर ने इस यंत्र का विकास किया था उनकी प्रसंशा में उन्हें वायु सेना मेडल प्रदान किया गया था और नकद इनाम तथा एक उपहार भी दिया गया था ।

Assistance to Rajasthan under Rural Electrification Scheme

†9922. **Shri Lalji Bhai**: Will the Minister of **Energy** be pleased to state the names of the districts for which assistance is proposed to be given to Rajasthan State for 1977-78 under the Rural Electrification Scheme by the Rural Electrification Corporation and the works for which this assistance is proposed to be given?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran): During 1977-78 the Corporation sanctioned 36 rural electrification schemes of Rajasthan for a total loan assistance of Rs. 14.32 crores. 30 schemes are for electrification of 1,551 new villages and energisation of 10,650 agricultural pump sets in the following 17 districts:—

Alwar, Bharatpur, Bhilwara, Bikaner, Chhitorgarh, Churu, Dhungarpur, Jaipur, Jalore, Jhunjhunu, Jhodpur, Nagaur, Pali, Swai Madhopur, Sikar, Ganganagar and Udaipur.

2 schemes are for setting up of workshops for repair of damaged transformers/ Linemen Training Centre and 4 are for system improvement/power factor rectification.

भारत और सोवियत रूस द्वारा ऊर्जा का उत्पादन

9923, **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और सोवियत रूस मिलकर एम० एच० डी० प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करने का प्रयास कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) : जी, हां। कोयले पर आधारित एम० एच० डी० प्रौद्योगिकी के विकास के लिए एक अनुसंधान परियोजना भारत हैवी इलक्ट्रिकल्स तथा भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा संयुक्त रुप से हाथ में ली गई है। इस कार्यक्रम के

प्रथम चरण में, जिस पर कार्य चल रहा है, एक पायलट 5 मेगावाट (ताप) विद्युत संयंत्र की स्थापना करना शामिल है। प्रायोगिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए वर्तमान भारत सोवियत समझौते के अंतर्गत सोवियत यूनियन इस कार्यक्रम के लिए भारत को तकनीकी परामर्श प्रदान कर रहा है। यह पायलट संयंत्र 1981 तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

Sick Small Industries in South

9924. **Shri O. P. Tyagi:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the number of sick small scale industries in South India is fast increasing and any of them have also been closed;

(b) whether it is also a fact that the owners of small scale industries have such for approval some concrete suggestion to Government for their protection high lighting the causes of the sickness; and

(c) if so, Government's reaction thereto?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti): (a) Reports received do not indicate that there is any steep increase in the number of small scale units in South India which have been closed due to sickness.

(b) and (c): Various suggestions are made from time to time by Associations as well as owners of small scale units for providing solutions to their problems. These are examined by Coordination Committees at the State level and suitable action is taken on them.

Expenditure Incurred on Scheduled Tribes in Andaman Island

9925. **Shrimati Chandravati:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state;

(a) the total expenditure incurred on Andaman Islands annually and the percentage of expenditure incurred on Scheduled Tribes annually for the last three years; and

(b) the expenditure incurred so far on their welfare and the items on which it has been incurred during the above period?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal): (a) & (b): A statement in respect of the years 1974-75, 1975-76 and 1976-77 is annexed. The expenditure incurred on the welfare of Scheduled Tribes has been incurred on all the developmental items. The exact percentage cannot, however be computed as the flow from all the different sources have not been quantified.

Statement

Total expenditure incurred in Andaman and Nicobar Islands and expenditure incurred on Tribal Welfare in the Years 1974-75, 1975-76 and 1976-77.

(Rs. in lakhs)

Year	Total expenditure incurred	Expenditure on Tribal Welfare			Total
		From U.T. Plan	From special central assistance	Non-Plan	
1974-75	2,483.75	2.14*	Nil	Not quantified	N.A.
1975-76	3,115.42	7.78*	Nil	-do-	N.A.
1976-77	3,324.31	22.91	11.29	-do-	N.A.

*Information is available only in respect of the sector Welfare of Backward Classes. In respect of the other sectors the expenditure on Scheduled Tribes has not been quantified.

Heavy Water Plant at Baroda

9926. **Shri Y. P. Shastri:** Will the Minister of **Atomic Energy** be pleased to state:

(a) the amount of loss suffered by the Heavy Water Plant of Baroda due to the explosion and expenditure involved in procuring the equipment destroyed in the explosion and when the production of heavy water will be resumed; and

(b) from where the heavy water will be supplied to the atomic plants in the country till the Baroda plant resumes production and the annual expenditure to be incurred therefor?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai): (a) On visual inspection of the external damages, the loss incurred due to the explosion is estimated at Rs. 1.20 crores (approx.) which will be required mainly for repairs/replacement of equipments. The plant is expected to be ready for production by end March 1979, if replacement of major equipment is not involved.

(b) The atomic power plants using heavy water will be supplied heavy water to the extent available from the following sources:

(i) Nangal Heavy Water Plant.

(ii) Imports.

(iii) Tuticorin Heavy Water Plant which is expected to produce heavy water from end 1978.

The estimated expenditure in 1978 on account of purchasing heavy water is about Rs. 43 crores.

छावनी अधिनियम, 1924

9927. **श्री सूरज भान :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 54 वर्षों में देश में हुए राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक परिवर्तनों के करण छावनी अधिनियम 1924 पुराना पड़ गया है;

(ख) क्या निकट भविष्य में उपरोक्त अधिनियम में कोई परिवर्तन करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वर्तमान परिस्थितियों में अपेक्षित परिवर्तनों के बारे में सुझाव देने के लिए इस मामले पर भली भांति विचार करने हेतु कोई संसदीय समिति अथवा कोई अन्य समिति नियुक्त करने का है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

छावनियां सैनिक स्टेशन होते हैं जो मुख्यत: सैनिक आवश्यकताएं पूरी करते हैं। इसलिए छावनी क्षेत्रों का प्रशासन स्पष्टत: सैनिक दृष्टि से विशेष विनियमों के अधीन होता है। सैनिक आवश्यकताओं तथा छावनी की सिविल जनता की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए छावनी अधिनियम, 1924 में समय-समय पर संशोधन किया गया है। इन संशोधनों तथा जारी किए गए प्रशासनिक अनुदेशों के परिणामस्वरुप सिविल क्षेत्र समितियों को कुछ शक्तियां दे दी गई हैं। इन समितियों में छावनी बोर्डों के चुने हुए सदस्य होते हैं जो छावनी बोर्डों में रहने वाली सिविल जनता के हितों से संबंधित कई मदों को देखती हैं।

2. सैनिक आवश्यकताओं तथा सिविल जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिनियम को अद्यतन करने के विचार से इस में संशोधन करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। छावनियों के प्रशासनिक पुनर्गठन के प्रश्न पर प्रासनिक सुधार के एक अध्ययन दल ने विचार किया था और उन्होंने कुछ सिफारिशें की हैं। इस मंत्रालय ने अधिनियम में संशोधनों की सिफारिश करने के लिए 1972 में एक कृत्य दल गठित किया था और इस दल ने अनेक प्रस्ताव किए हैं। इस कृत्य दल की सिफारिशों तथा अन्य क्षेत्रों से इस संबंध में प्राप्त सुझावों के आधार पर संसद के अगले सत्र में एक संशोधन विधेयक लाए जाने की सम्भावना है। यह विधेयक जब विचार के लिए आएगा तो संसद सदस्यों को अपने विचार तथा सुझाव देने का काफी अवसर मिलेगा।

व्यापार केन्द्रों की स्थापना

9928. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पांच व्यापार केन्द्र—पांच राज्यों में एक-एक स्थापित करने का है;

(ख) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने उस राज्य में एक ऐसा केन्द्र स्थापित करने का केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा की जानेवाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) पांच व्यापार केन्द्र पांच विभिन्न राज्यों में पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं।

(ख) से (घ) : 1978-79 में भोपाल, मध्यप्रदेश में एक व्यापार केन्द्र स्थापित करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

अल्पसंख्यक आयोग, उत्तर प्रदेश को समाप्त करना

9929. **श्री मोहन लाल पिपिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने इसके बावजूद कि अल्पसंख्यक आयोग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, गत तीन वर्षों से अल्पसंख्यकों की शिकायतों की जांच करने तथा उनके अधिकारों की रक्षा के लिये बहुत उपयोगी काम कर रहा है, इस आयोग को 30 अप्रैल, 1978 से समाप्त कर देने के आदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्योंकि हाल ही में नई दिल्ली में गठित अल्पसंख्यक आयोग प्रत्यक राज्य तथा जिले में जाकर परिस्थितियों की जांच नहीं कर सकता तो क्या यह आवयक नहीं है कि कम से कम प्रत्येक महत्वपूर्ण राज्य में उचित दर्जा तथा साधिकर प्राप्त एक-एक प्रादेशिक अल्पसंख्यक आयोग हो और केन्द्रीय अल्पसंख्यक आयोग उनके कार्यकलापों का समन्वय करें?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी नहीं, श्रीमन।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस पर विचार करना राज्य सरकारों का काम है।

हरिजनों को जिन्दा जलाना

9930. **श्री शरद यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्न स्थानों पर हरिजनों को जिन्दा जलाया गया था: (एक) एक हरिजन (पुरुष) जिला गुन्टुर (आंध्र प्रदेश), (दो) एक हरिजन महिला, बंगलौर में देवानहाल्ली ग्राम, (तीन) एक हरिजन (पुरुष) बम्बई में जोशेशवाड़ी; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी नहीं। संबंधित राज्य सरकारों के अनुसार इन स्थानों पर ऐसी किसी घटना की सूचना नहीं है जिसमें किसी हरिजन को जलाकर मार डाला गया हो।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन

9931. **श्री मनीराम बागड़ी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 19 नवम्बर, 1977 के अपने आदेश यू० ओ० संख्या 4373/पेंशन के द्वारा उन भूतपूर्व सैनिकों को जो सेवा-निवृत्त हो गये हैं और उनकी पेंशन

1 जनवरी, 1977 अथवा इसके बाद देय है, 50/- रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मंजूर की है; और

(ख) इससे पूर्व सेवा-निवृत्त हुए भूतपूर्व सैनिकों को इससे वंचित रखने के क्या करण हैं और इस बारे में ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तारीख 19 नवम्बर, 1977 के जिन आदेशों का उल्लेख किया गया है वे रिजर्विस्टों की पेंशन में संशोधन करने के बारे में हैं। तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1 जनवरी, 1973 से सेवा कार्मिकों की पेंशन की दरों में की गई वृद्धि के परिणामत: उन अन्य रैंकों के रिजर्विस्टों तथा इन्हीं वर्गों के नौसेना और वायु सेना के रिजर्विस्टों की पेंशन की दरें भी बढ़ा कर 50 रु० प्रतिमास कर दी गई हैं जिन्हें 1-1-1973 को या उसके बाद पेंशन मंजूर की गई है। पेंशन के अलावा उन्हें 35 रुपये की अतिरिक्त राहत भी मिलती है और इस प्रकार उनकी कुल पेंशन 85 रुपये प्रतिमास होती है।

(ख) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरुप संशोधित की गई अन्य सेना वर्गों के कार्मिकों की पेंशन की दरें 1-1-1973 से लागू की गई थीं, अर्थात ये संशोधित दरें उन कार्मिकों पर लागू नहीं हैं जो 1-1-1973 से पूर्व निष्प्रभावी हुए थे। इसी प्रकार रिजर्विस्टों के मामले में भी पेंशन की संशोधित दरें 1-1-1973 से लागू की गई हैं।

परन्तु 1-1-1973 से पहले जिन रिजर्विस्टों को पेंशन मंजूर की गई थी उनकी और 1-1-1973 को इसके बाद जिन्हें पेंशन दी गई है उनकी पेंशन परिलब्धियों में वास्तव में 5 रुपये से 10 रुपये प्रति मास का ही अन्तर है।

जे०सी०बी० में विभागेतर तकनीकी सहायक

9932. **श्री उग्रसेन :**

श्री रामकंवर बेरवा :

श्री हरि शंकर महाले :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जायंट साइफर ब्यूरो में अस्थाई रूप से काम करने वाले उन विभागेतर तकनीकी सहायकों की संख्या कितनी है जो जे० सी० बी० के संवर्ग नहीं है और वे वहां पर कब से काम कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उनको जे० सी० बी० में स्थाई रुप से खपाने और नियमित करने के लिये उनको शिक्षा संबंधी अर्हताओं में रियायत करके संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी;

(ग) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा में असफल रहने के बावजूद उन्हें सभी नियमों और विनियमों की उपेक्षा करके विभागीय कर्मचारियों का अहित करके जे० सी ० बी० में खपाया जा रहा है; यदि हां, तो जे० सी ० बी० में उच्च स्तर पर इतनी बड़ी अनियमितताएं किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या कुछ विभागीय तकनीकी सहायकों ने अधिकारियों के इस दृष्टीकोण के विरुद्ध उनको अभ्यावेदन भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो उनके अनुरोध पर क्या कार्यवाही की गई है या की जा रही है और उन्हें अपने संवर्ग में कब तक नियमित किया जायेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 12 कर्मचारियों को जो पहले सशस्त्र सेना मुख्यालयों और अन्तर सेवा संगठनों में काम कर रहे थे, 1968 में जे० सी० बी० में तदर्थ आधार पर तकनीकी सहायकों के रुप में काम करने के लिए चुना गया था और तब से वे उक्त संगठन में काम कर रहे हैं। इनमें से 11 कर्मचारियों को, संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करने के बाद 22-4-1978 से नियमित आधार पर नियुक्त कर दिया गया है। शेष एक कर्मचारी के मामले पर भी संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श किया जा रहा है।

(ख) सीधी भर्ती कोटे के अन्तर्गत आने वाले रिक्त स्थानों पर तकनीकी सहायकों के पदों पर नियमित रूप से नियुक्ति के लिए इन कर्मचारियों ने अन्य बाह्य उम्मीद्वारों के साथ संघ लोक सेवा आयोग को आवेदन किया था। यद्यपि ये कर्मचारी अपेक्षित शैक्षिक अर्हताओं को पूरा नहीं करते थे, फिर भी अपेक्षित शैक्षिक अर्हताओं में छूट देते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने इन्हें लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी थी।

(ग) जी नहीं, लेकिन लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण न होने के कारण उन्हें नहीं चुना गया था। परन्तु इस बात पर विचार करते हुए कि वे लगभग 10 वर्ष की सेवा कर चुके हैं, उन्हें संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके तकनीकी सहायको के सीधी भर्ती के कोटे के पदों पर नियमित कर दिया गया था। शेष एक कर्मचारी की सेवा को नियमित करने के मामले पर विचार किया जा रहा है। इससे संगठन के तकनीकी सहायकों के पदों पर, विभागीय कोटे में पदोन्नत होने वाले कर्मचारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(घ) और (ङ) : विभागीय कोटे पर तकनीकी सहायक के पदों पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए और पिछले लगभग 6 वर्षों से इन पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों में से एक ने संबंधित प्राधिकारियों के पास अभ्यावेदन किया है जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि उन्हें उन पदों पर नियमित किया जाए। अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है।

Quota of Cement to Gujarat

9933. **Shri Motibhai R. Chaudhary:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the quantum of quarterly cement quota allocated to Gujarat as against the demand of the State;

(b) whether demand for cement has gone up from 3 lakh tonnes to 6 lakh tonnes because of large scale damage to houses, roads, bridges, wells and ponds due to devastating floods this year and the action proposed to be taken by Government to meet the demand;

(c) whether imported cement is also allocated to Gujarat; if so, the quantity thereof and if not the reasons therefor;

(d) whether more cement will be imported to meet country's requirement; and

(e) whether Gujarat will be supplied cement in accordance with its demand so that all the works are completed before the on set of monsoons ?

The Minister of State in the Ministery of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) There is no fixed quota for allocation of cement to any State. Allocations of cement to the States and the Central Government Departments are made on quarterly basis depending upon the anticipated availability of cement, demands received and previous off take. The quarterly allocations and despatches of cement to Gujarat during 1977-78 (including the requirements of the Central Sector in the State) are shown below :

(In '000 tonnes)

Quarter	Allocation (State Sector)	Despatches		
		State Sector	Central Sector	Total
April-June, 1977	307.5	257.1	34.8	291.9
July-September, 1977	334.7	345.0	43.4	388.4
October-December, 1977 .	350.6	363.6	34.1	397.7
January-March, 1978	375.0	374.5	35.5	410.0

(b) According to State Government, the demand for cement in the State has increased from 4 lakh tonnes to 6 lakh tonnes per quarter on account of greater developmental activities in all spheres.

(c) No imported cement has so far been allocated to Gujarat. However, the possibility of importing cement through Kandla Port is being examined.

(d) Yes, Sir.

(e) Every effort will be made to meet the demand of the State for cement as much as possible depending upon the overall availability.

"कैप्टिव" विद्युत संयंत्रों की स्थापना

9934. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह उद्योग को रियायती शर्तों पर ऋण देकर "कैप्टिव" विद्युत संयंत्र स्थापित करने की अनुमति दे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी हां ।

(ख) उद्योग को विद्युत की कमी से जिस कठिनाई का सामना करना पड़ता है उससे सरकार अवगत है तथा औद्योगिक एककों द्वारा कैप्टिव विद्युत संयंत्रों की स्थापना के प्रस्तावों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा ।

रूई के मूल्य में कमी

9935. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ महीनों में रुई, विशेषकर छोटे रेशे वाली रुई के मूल्य में बहुत अधिक गिरावट आई है;

(ख) क्या पिछले 6 सप्ताहों में नई रुई के मूल्य में भी बहुत कमी हुई है;

(ग) यदि हां, तो रुई उत्पादकों को सहायता के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(घ) क्या मिल मालिक जानबूझकर कपास खरीदने से इन्कार कर रहे है जिससे इसके मूल्यों में और कमी हो तथा उत्पादकों को घाटा देकर उन्हें अधिक लाभ हो;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (घ) : फरवरी, 1978 से रूई की कीमतों में सामान्यतः कमी रही है। फसल का काफी हिस्सा फरवरी, 1978 से पहले बेच दिया जाता है और बाद में आने वाली फसल आम तौर पर घटिया किस्म की तथा तीसरी बार चुनी हुई होती हैं। बाकी स्टाक की कीमतों पर उसकी किस्म और मांग के आधार पर विचार किया जाएगा। हालांकि कीमत गिरी हैं तो भी वे अभी सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्यों से अधिक ही हैं। मिलों द्वारा रूई की कम खरीदारियों का निश्चत पता अभी नहीं लगा है। सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है और यदि आवश्यक हुआ तो रुई उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाएगी।

बाटा लिमिटेड में विदेशी तकनीशियन

9936. **श्री भगत राम :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स बाटा लिमिटेड में कितने विदेशी तकनीशियन हैं, व कब से वहां काम कर रहे हैं तथा उन पर प्रति वर्ष कुल कितनी धनराशि खर्च की जाती है तथा उन्हें वहां अभी तक रखने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल में मसर्स बाटा लिमिटेड के इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है कि उनके द्वारा नियुक्त दो तकनीशियनों की सेवा में और वृद्धि करने की अनुमति दी जाये;

(ग) क्या यह सच है कि बाद में सरकार ने अपने पूर्व निर्णय को बदलते हुए दो तकनिशियनों को अग्रेतर अवधि के लिए नियुक्त करने के बारे में कम्पनी को स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) मे० बाटा इण्डिया लिमिटेड में काम कर रहे इस समय छः विदेशी नागरिक है और कम्पनी में उनकी सेवा की अवधि निम्नलिखित है :—

अवधि	विदेशी नागरिकों की संख्या
5 और 6 वर्ष के बीच . . .	1
2 और 3 वर्ष के बीच . . .	3
1 और 2 वर्ष के बीच . . .	1
1 वर्ष से कम	1
योग . .	6

इन व्यक्तियों को कमीशन और अथवा परिलब्धियों सहित जैसी लागू हों, 6,60,000 रुपये कुल वेतन दिया जाता है।

सरकार द्वारा विदेशी तकनीशियनों को नौकरी में रखें जाने की अनुमति कम्पनी की विशेष आवश्यकताओं, तकनीशियनों की योग्यता अनुभव तथा उपर्युक्त भारतीय कार्मिकों की उपलभ्यता ध्यान में रखते हुए गुणवत्ता के आधार पर दी जाती है।

(ख) से (घ) : हाल ही में कम्पनी ने दो विदेशी नागरिको की सेवा जारी रखने की अनुमति मांगी है, जिनमें से एक ने कम्पनी की सेवा में दो वर्ष पूरे कर लिये थे और दूसरे ने एक वर्ष पूरा कर लिया है। प्रारम्भ में अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया था। फिर भी, कम्पनी से एक अभ्यावेदन प्राप्त होने पर निवेदन की पुन: जांच की गई और निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा इन दो तकनोकीशियनों की सेवा को एक वर्ष की और आगे की अवधि के लिये जारी रखना स्वोकार किया गया था :—

(1) कंपनि की इक्विटी में अनिवासी का हित $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है।

(2) कंपनी का निर्यात कई वर्षों से लगातार बढ रहा है और 1977 में 5.3 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया था।

(3) कंपनी द्वारा नियोजित विदेशी नागरिको की संख्या 1970 में 18 से घट कर 1978 में 6 हो गई है।

(4) कम्पनी ने आश्वासन किया है कि देश से बाहर जाने वालों की संख्या घटाने का कार्य निरन्तर चलता रहेगा।

(5) कम्पनी द्वारा 11 भारतीय नागरिकों को प्रशिक्षण दिया गया जो विदेशो में बांटा कम्पनियों में कार्य कर रहे है।

(6) प्रशिक्षण प्राप्त भारतीय कार्मिक अभी इन तकनीशियनों का कार्य करने के लिये पूरी तरह तैयार नहीं है।

बी० एच० ई० एल० तिरुची में परमाणु शाप बिल्डिग के गिरने के बार म समिति के निष्कर्ष

9937. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 19 मार्च, 1978 को परमाणु शाप बिल्डिग, तिरुचि के गिरने के कारणों का और उससे हुई हानि का पता लगाने के लिये नियुक्त की जांच समिति की रिपोर्ट का अध्ययन कर लिया है;

(ख) समिति के क्या निष्कर्ष है;

(ग) ढांचे के गिरने से तथा मशीनों को पंहुची क्षति से कितना नुकसान होने का अनुमान है; और

(घ) ढांचे के निर्माण से संबंधित अधिकारियों तथा ठेकेदारों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) : सरकार ने समिति द्वारा प्रस्तुत केवल प्रारम्भिक रिपोर्ट देखी है। अंतिम रिपोर्ट में तकनीकी ब्यौरे है,

जिसे समिति ने 27 अप्रैल, 1978 को बी० एच० ई० एल० तिरुचि के प्रबंधकों को प्रस्तुत किया है। बी० एच० ई० एल० इस रिपोर्ट को जांच कर रहा है और उनकी सिफारिशों की प्रतिक्षा की जा रही है। प्रारम्भिक रिपोर्ट से डिजाइन में कुछ कमियों और ड्राइंग और वास्तविक निर्माण में अन्तर होने का पता चला है।

(ग) इस मंत्रालय को प्राप्त समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट में भवन को लगभग 12 लाख रुपयें तक की क्षति होने का अनुमान लगाया गया है। मशीनों की पहुंची क्षति का निर्धारण करने के लिए सम्भरण कर्ताओं के एक प्रतिनिधि को भी इस जगह आने और क्षति का निर्धारण करने के लिए बुलाया गया है। इस संबंध में अंतिम आंकड़े अभी मालूम नहीं है।

(घ) जांच होने तक डिजाइन और निर्माण कार्य के निष्पादन से संबंधित तीन अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है। ठेकेदार द्वारा किए जा रहे सभी काम रोक दिए गए है।

विदेशों में संयुक्त परियोजनाओं में भाग लेने के लिए फर्मों की क्षमता

9938. **श्री राम किशन :** क्या इलेक्ट्रॉनिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में संयुक्त परियोजनाओं में भाग लेने के लिए फर्मों की तकनीकी क्षमता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से साझा बाजार कम्प्यूटर उद्योग के एक प्रतिनिधि-मण्डल ने इस वर्ष मार्च के अन्त में भारत का दौरा किया था;

(ख) प्रतिनिधिमण्डल के दौरे के समय किन विषयों पर चर्चा की गई;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे क्षेत्रों के बारे में स्पष्टीकरण किया था जिनमें भारत से बाहर स्थित परियोजनाओं, तीसरे देशों में संयुक्त परियोजनाओ को सहायता पहुंचाई जाएगी और यूरोपियन फर्मों को ठेके के आधार पर सामान्य सेवाएं उपलब्ध कराई जायेंगी; और विदेशी सहयोग के बारे में सरकारी नीति क्या है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ) : भारतीय तथा यूरोपीय इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा संसाधन (डेटा प्रोसेसिंग) उद्योगों के बीच सहयोग की सम्भावना का पता लगाने के लिए 27 मार्च, 1978 से 4 अप्रैल, 1978 के बीच यूरोपीय आर्थिक समुदाय का एक प्रतिनिधिमण्डल भारत आया। प्रतिनिधिमण्डल की यह यात्रा, भारतीय प्रतिनिधिमण्डल द्वारा नवम्बर, 1977 में की गई ब्रुसेल्स की यात्रा के जवाब में थी, जहां इस मामले पर सर्वप्रथम चर्चा की गई। जिन क्षेत्रों में सहयोग की सम्भावनाओं पर चर्चा की गई, उनका विषय-क्षेत्र निम्नलिखित था :—

1. कम्प्यूटरों के साफ्टवेयर की आवश्यकताओं की पूर्ति और साफ्टवेयर सेवाएं उपलब्ध कराना;
2. मध्य-पूर्व के देशों, अफ्रीका तथा यूरोप में यूरोपीय कम्पनियों द्वारा निष्पादित ी जा रही कम्प्यूटर के साफ्टवेयर की परियोजनाओं में इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के क्षेत्र में कुशल भारतीय स्टाफ द्वारा भाग लेना;
3. कम्प्यूटर की यूरोपीय साफ्टवेयर-फर्मों, और भारतीय कम्प्यूटर साफ्टवेयर-फ ों के ीच मध्य पूर्व के देशों, अफ्रीका तथा यूरोप में संयुक्त सहयोग के आधार पर कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं का निर्धारण करना;

4. अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में यूरोपीय फर्मों के प्रयोग के लिए भारतीय संगठनों द्वारा (कम्प्यूटर साफ्टवेयर के क्षेत्र में) विशेषीकृत सेवाएं प्रदना करना;

5 भारतीय फर्मों द्वारा यूरोपीय कम्प्युटर-शाफ्टवेयर का आयात किया जाना और इन्हें-भारत में प्रयोग किए जाने और इनका निर्यात करने के लिए उपयोगी बनाना;

6. यूरोपीय आर्थिक समुदाय की कम्पनियों के सहयोग से भारत में कम्प्यूटर यंत्र सामग्री (हार्डवेयर) का निर्माण।

सरकार ने भारत में इस क्षेत्र में उपलब्ध कर्मचारियों की कुशलता का उपयोग करते हुए न केवल स्वदेशी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपितु निर्यात के लिए भी कम्प्यूटर-साफ्टवेयर के क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की बात स्वीकार की है। सरकार द्वारा अनुमोदित शर्तों पर, सरकार यूरोपीय आर्थिक समुदाय के क्षेत्र में स्थित फर्मों और भारत की साफ्टवेयर-फर्मों द्वारा प्रस्तावित संयुक्त परियोजनाओं को प्रोत्साहन देगी। इस सिलसिले में प्रतिनिधि मण्डल के साथ हुई चर्चा के दौरान, कम्प्यूटर के निर्माण के क्षेत्र में सरकारी नीति, भारत में कम्प्यूटरों के प्रयोग विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम, विदेशी सहयोग, आयात/निर्यात नीति आदि के क्षेत्र में सरकारी नीति क्या है, इसके बारे में स्पष्टीकरण दिए गए और यह भी बताया गया कि किस उपयुक्त सीमा तक सहयोग प्रदान किया जा सकता है।

रोजगार के अवसरों के बारे में राष्ट्रीय प्रबंधक सम्मेलन

9939. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 8 अप्रैल, 1978 को मद्रास में अखिल भारतीय प्रबंधक एसोसिएशन द्वारा आयोजित छठे राष्ट्रीय प्रबंधक सम्मेलन में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए जिस नीति का सुझाव दिया गया है, उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या इस से अगले दशक में पुर्ण रोजगार सुनिश्चित करने का सरकार का लक्ष्य पूरा हो जाएगा और यदि नहीं, तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वैकल्पिक नीति का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) : 9 अप्रैल 1978 को मद्रास में अखिल भारतीय प्रबंधक एसोसिएशन द्वारा आयोजित छठा राष्ट्रीय प्रबंधक सम्मेलन रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए अन्तर्वस्तुओं की व्यवस्था के बारे में विभिन्न क्षेत्रों के विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए एक फोरम था। उनके द्वारा विकसित की गई किसी भी नीति का सरकार को पता नहीं है। अखिल भारतीय प्रबंधक एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारी यह देखने के उद्देश्य से कि जिला औद्योगिक केन्द्रों के कार्यकरण में वे कितनी सहायता दे सकते ह, उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों सम्पर्क में है।

सेना के कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उन्हें मकान किराये की भुगतान की राशि पर आय-कर काटा जाना

9940. **मुख्तियार सिंह मलिक** :
श्री जी० एम० बनातवाला :
क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना के कमीशन प्राप्त अधिकारी निःशुल्क आवास या रियायती किराये पर आवास के अधिकारी हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब सरकार उन्हें आवास देने में असमर्थ होती है तब उन्हें खुले बाजार में गैर-सरकारी मकान किराये पर लेने और उसका किराया सरकार से प्राप्त करने की अनुमति होती है और उन्हें इस प्रकार मिली किराया राशि पर आयकर देना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो किराये की ऐसी राशि पर, जो सरकार द्वारा सीधे ही दी जानी चाहिए, अधिकारियों से कार्य कर लिए जाने के कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) कमीशन प्राप्त अफसर नि:शुल्क आवास पाने के हकदार नहीं हैं। उन्हें वेतन के 5 प्रतिशत किराया अथवा मकान का निर्धारित किराया जो भी कम हो, वह देना होता है।

(ख) और (ग) : जिन सेवा अफसरों को सरकारी आवास अथवा सरकार द्वारा किराए पर लिया गया आवास नहीं दिया जा सकता है वे अपनी पसन्द का मकान किराए पर ले सकते हैं और सरकार से किराए की प्रतिपूर्ति करा सकते ह। 400 रुपए प्रति मास से अधिक की प्रतिपूर्ति की रकम पर वित्त अधिनियम 1975 द्वारा तथा संशोधित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (13-क) की व्यवस्थाओं के अतर्गत आयकर देना होता है। इस व्यवस्था में केवल सेवा अफसरों के लिए छूट देना सम्भव नहीं पाया गया है क्योंकि किराए के भुगतान पर वास्तविक व्यय को पूरा करने के लिए नियोक्ता द्वारा करदाता को दिए गए भत्तों पर कर के मामले में आयकर अधिनियम की व्यवस्थाएं सभी पर समानरुप से लागू होती हैं। परन्तु ऐसे अफसरों को इस बारे में रियायत देने के लिए 15 अक्तूबर 1977 से उनके मामले में किराए का उत्तरदायित्व उनके वेतन का 5 प्रतिशत से घटा कर $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत कर दिया गया है।

दिल्ली में जिस समारोह में श्रीमती गांधी उपस्थित थीं उसमें पिस्तौलधारी एक व्यक्ति

9941. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :**
श्री अहमद एम० पटेल :
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक एक मार्च, 1978 को चांदनी चौक में एक समारोह में पुलिस ने एक पिस्तौलधारी व्यक्ति को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब उसने, जैसे ही श्रीमती गांधी उस समारोह में भाग लेने के लिये पहुंची, उनकी कार की ओर निशाना बांधा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) : 13-1-1978 को शाम के लगभग 5-30 बजे जब श्रीमती इंदिरा गांधी एक एम्बैसडर कार में दिल्ली के टाऊनहाल की निगम रंगशाला के पोर्च में पहुंची तो पुलिस ने पिस्तौल लिए हुए जिसमें चार चालू कारतूस थे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 तथा आयुध अधिनियम की धारा 27/54/59 के अधीन 13-1-1978 को एक मामला

प्र० सू० रि० संख्या 66 दर्ज किया गया । जांच पड़ताल के दौरान मालूम हुए तथ्यों से कोई हस्तक्षेप अपराध नहीं बनता है । अत: अभियोग पक्ष ने न्यायालय में मामले को समाप्त कर देने को सिफारिश की । तदनुसार अभियुक्त को, जो 23-1-1978 से जमानत पर था, मैट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा मुक्त कर दिया गया ।

Promotion to Journalist Group of A.I.R.

9942. **Shri T. S. Negi:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the number of persons belonging to the journalist group (writers) in the various centres of All India Radio who have not been given any promotion since their appointment;

(b) whether some of these employees who are great writers having many books at their credit, possess M.A. degree and have been working in All India Radio for the last about 20 years are still working in the capacity of a junior grade script writer or sub-editor; and

(c) if so, reasons therefor?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani): (a) to (c): Information is being collected from various stations of All India Radio and will be placed on the Table of the House.

Suspended and demoted

9943. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Industry** be pleased to refer to the reply given to USQ No. 275 on 22nd February, 1978 regarding purchase of cotton by Textile Industry Corporation in M.P. and state:

(a) the number of officials of seven textile mills under National Textiles Corporation in M.P. who have been transferred, suspended or demoted on grounds of inefficiency during the last three years; and

(b) the number of sales and purchase officers, against whom action has been taken for causing financial loss to the textile industry?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti): (a) The required information is as follows:

(i) Officials transferred — 6

(ii) Officials suspended — Nil

(iii) Officials demoted — Nil

(b) Information is being collected and will be laid on the table of the House.

दिल्ली के थाना हौज काजोक्षेत्र के एस०डी०एम० के पास दर्ज कराई गई शिकायत

9944. **श्री चतुर्भुज :**

श्री राम कवार बेरवा :

श्री उग्रसन :

श्री मही लाल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 17 अगस्त, 1977 को दिल्ली के थाना हौज काजी क्षेत्र के एस० डी० एम० के पास कितनी शिकायतें दर्ज कराई गई थी;

(ख) क्या उनमें से कोई शिकायत गली कूंड़े-वालान में हुई कथित घटना के बारे में थी जिसमें उस कथित घटना की तारीख और समय का भी उल्लेख नहीं है;

(ग) यदि हां, तो अब तक इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस प्रकार की शिकायत का निपटान फौरी तरीके से न किये जाने के क्या कारण हैं और इतने अधिक समय तक ऐसी शिकायत विचाराधीन रखने का क्या औचित्य है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (घ) : 17-8-1977 को हौजकाजी के एस० डी० एम० के पास दर्ज कराई गई तीन शिकायतों में से एक का संबंध गली कुंड़ेवालान की घटना से था। यह घटना 17-8-77 को प्रातः घटी थी जबकि शिकायतकर्ता कन्हैयालाल को, जो अपने घर गया हुआ था, उमरावसिंह तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा डराया धमकाया गया था। स्थानीय पुलिस द्वारा की गई जांच से पता चला कि इससे पहले भी दोनो पक्षों के बीच शान्ति भंग होने की घटनाएं हुई हैं। चूंकि शांति भंग होने की आशंका थी अतः दोनों पक्षों को एक वर्ष के लिए शांति रखने के वास्ते 17-2-1978 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/111 के अधीन नोटिस दिया गया था। मुकदमा एस० डी० एम० के न्यायलय में अनिर्णित पड़ा है। इस बीच 26-1-1978 को एक घटना के बाद कन्हैयालाल तथा अन्य के विरूद्ध हौजकाजी थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 147/148/149 के अन्तर्गत मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 64 दिनांक 26-1-1978 दर्ज किया गया था और मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अनिर्णीत है।

हिमाचल प्रदेश में निर्यात प्रधान हथकरघे

9945. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिले में हथकरघा उद्योग के लिये निर्यात प्रधान परियोजना में, प्रत्येक पहलू की दृष्टि से, अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिले में इस परियोजना के अधीन कितना और कितने मूल्य का माल बनाया जा रहा है; और

(ग) उक्त परियोजना के अधीन इस राज्य के प्रत्येक जिले में अब तक प्रशिक्षित बुनकरों की संख्या कितनी है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मइति) : (क) हिमाचल प्रदेश के लिए 1976-77 में कुल 66 लाख रू० की वित्तीय परिव्यय को "100 प्रतिशत केन्द्र द्वारा वित्त पोषित" एक हथकरघा निर्यात उत्पादन परियोजना भारत सरकार द्वारा मंजूरी की गई थी। इस परियोजना में 5 वर्ष की अवधि में हिमाचल प्रदेश के सात जिलों के 1000 करघों शामिल किये जायेंगे। ये जिले शिमला, किन्नौर, बिलासपुर, मण्डी, कुल्लू, कांगड़ा तथा चम्बा है। इस योजना के प्रत्येक भाग के लिए 66 लाख रु० के परिव्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:-

1. करघों का आधुनिकीकरण	10 लाख रु०
2. प्रशिक्षण .	10 लाख रु०
3. रंगने हेतु एण्ड फिनिश करने के लिए संयंत्र . .	15 लाख रु०
4. तयार उत्पादों के लिए मार्जिन राशि . . .	10 लाख रु०
5. कच्चे माल के लिए मार्जिन राशि . . .	13.50 लाख रु०
6. डिजाइन केन्द्र	3 लाख रु०
7. परियोजना प्रशासन	4.50 लाख रु०
	66 लाख रु०

जनवरी, 1978 तक शिमला में एक प्रशिक्षण केन्द्र शुरू किया गया था, 150 करघों का आधुनिकीकरण किया गया और 25 डिजाइन तैयार किये गये थे। बिलासपुर में रंग-सह-फिनिशिंग संयंत्र स्थापित करने के लिए हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

(ख) तथा (ग) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है।

C. B. I. enquiries against officials of N. T. C., M. P.

9946. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of Industry be pleased to state:

(a) the number of high ranking officers such as purchase and Sales Managing Director, Technical Director and Chairman and others of the National Textile Corporation of Madhya Pradesh against whom enquiries were conducted for misappropriations, corruption and bunglings through C.B.I. Vigilance and other agencies during the last three years ending on 22nd February, 1978; and

(b) whether Government's attention has been drawn to the news item appearing in a weekly Malav Published from Indore of 2nd October, 1977 in which a mention has been made of numerous misdeeds of the Chairman of the Textile Corporation, Madhya Pradesh and if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti): (a) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) A letter enclosing some clippings including that of October 2, 1977 of "Malav Samachar" was received from its Chief Editor. The contents therein have been taken note of.

"एक्स-नेपा चीफ सेज ही वाज अनफेयरली रिमूवड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

9947. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 अप्रैल, 1978 के कलकत्ता के प्रमुख दैनिक "बिजनेस स्टैंडर्ड" में "एक्स-नेपा चीफ सेज ही वाज अनफेयरली रिमूवड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह आरोप लगाया गया है कि मंत्रालय के कुछ वरिष्ठ अधिकारी मैनेजमेंट के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे थे और इससे नेपा के आन्तरिक प्रशासन में अव्यवस्था उत्पन्न हुई;

(घ) यदि हां, तो क्या इस बारे में व्यापक जांच नहीं की गई है; और

(ङ) भूतपूर्व अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, जो पेपर टेक्नोलाजिस्ट और विशेषज्ञ के रुप में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, के संरक्षण के लिये क्या उपाय किये गये हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (ग) : 8 अप्रैल, 1978 के बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित एक समाचार में यह कहा गया था कि नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स के भूतपूर्व अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री एन० बी० दास गुप्ता द्वारा अपने पद से बिना पर्याप्त औचित्य के हटाये जाने के बारे में कुछ वक्तव्य दिए बताए गए हैं। श्री गुप्ता के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार की वन-नीति का विरोध करने के कारण ही उन्हें उनके पद से हटाया गया है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया है कि नेपा मिल्स के प्रबंधकों द्वारा मिलों के वित्त-नियंत्रक को उनके पद से हटा दिए जाने के कारण उद्योग मंत्रालय का एक वरिष्ठ अधिकारी, जो वित्त-नियंत्रक का रिश्तेदार था, उनका विरोधी बन गया था।

(घ) और (ङ) : सरकार का यह विचार था कि श्री एन० बी० दास गुप्ता नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स के अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक के उत्तरदायित्वों को निभा सकने के योग्य व्यक्ति नहीं थे। तदनुसार सेवा संविदा की शर्तों के मुताबीक उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं इन आरोपों में कोई सचाई नहीं है कि उद्योग मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारी मिलों के प्रबंध संबंधी कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे थे या भूतपूर्व वित्त सलाहकार उद्योग मंत्रालय के किसी वरिष्ठ अधिकारी का रिश्तेदार थे। सरकार ने श्री दास गुप्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न अभ्यावेदनों पर भी विचार किया है लेकिन उनके मामले में लिए गए निर्णय को बदलने में कोई औचित्य नहीं दिखाई पड़ता है।

रक्षा सेवाओं में राज्यों का भाग

9948. **श्री पद्माचरण सामन्त सिंहेरा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुछ राज्य रक्षा सेवाओं की दृष्टि से बहुत पीछे है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में राज्यवार, केडरवार और वर्षवार कुल कितने व्यक्ति भर्ती किए गए ;

(ग) रक्षा सेवाओं में कुल कितने व्यक्ति हैं तथा उनकी राज्यवार और केडरवार संख्या कितनी है; और

(घ) रक्षा सेवाओं में भर्ती के लिए पिछड़े राज्यों के बारे में सरकार का क्या प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ) : एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 2301/78**]

राज्य व्यापार निगम द्वारा रुई की खरीद

9949. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि गुजरात राज्य में उत्पादकों के पास बहुत बड़ी मात्रा में रुई पड़ी है;

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा उत्पादकों से रुई न खरीदने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उत्पादकों को तबाह होने से बचाने हेतु राज्य व्यापार निगम को उनसे रुई खरीद न हेतु तयार करने हेतु कदम उठाये है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (ग) : राज्य व्यापार निगम रुई का कारोबार नहीं करता है। दूसरी ओर, भारतीय रुई निगम यह सुनिश्चित करने की भूमिक निभाता है कि रुई की कीमतें समर्थन मूल्य स्तर से नीचे न गिरने पाये भारतीय रुई निगम ने अब तक राष्ट्रीय वस्त्र निगम के लिए गुजरात से 86,500 गांठों की खरीद की है तथा खरीद का काम अभी जारी है। चालू बाजार मूल्य समर्थन मूल्यों से अधिक हैं। सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है और जैसे ही उत्पादकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, सरकार समुचित उपाय करेगी।

हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण

9950. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो देश में किन केन्द्रों में यह प्रशिक्षण उपलब्ध है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां।

(ख) देश में हिन्दी आशलिपि का प्रशिक्षण दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता मद्रास, हैदराबाद, कानपुर, इलाहाबाद और जबलपुर में उपलब्ध है।

आपात स्थिति से पहले और उसके दौरान सत्ता का दुरुपयोग करने संबंधी मामलों का पता लगाया जाना

9951. **श्री पुण्डलीक हरि दानवे :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय से उन सभी मामलों का पता लगाने को कहा है जिनमें आपात स्थिति के दौरान ही नहीं बल्कि उसकी घोषणा से पहले भी सत्ता का दुरुपयोग तथा अन्य अनियमितताएं की गई;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के मामलों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) क्या ऐसे मामलों के बारे में कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) : शाह जांच आयोग की नियुक्ति के परिणामत: गृह मंत्रालय ने नियामक अनुदेश जारी किए जिनमें उपर्युक्त जांच आयोग के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए गए थे। इसी अवधि के दौरान दण्डित किए गए सरकारी कर्मचारियों के कुछ निर्दिष्ट वर्गों के मामलों के पुनरीक्षण के लिए भी गृह मंत्रालय ने अनुदेश जारी किए।

रक्षा मंत्रालय ने स्वयं ही सरकारी कर्मचारियों के उन सभी मामलों के पुनरीक्षण का काम शुरु कर दिया है जिन्हें पिछली आन्तरिक आपात स्थिति के दौरान सेवा से बर्खास्त किए जाने और/अथवा हटाए जाने और अनिवार्य रुप से सेवानिवृत्त किए जाने का गंभीर दंड दिया गया था उसी अवधि के दौरान समय पूर्व सेवा निवृत्त किए गए सभी कर्मचारियों के मामलों के पुनरीक्षण पर भी रक्षा मंत्रालय ने विचार करना आरम्भ कर दिया। इन मामलो की संख्या और अब तक किए पुनरीक्षणों के परिणाम संलग्न विवरण I और II में दिये गए हैं।

विवरण संख्या I

आन्तरिक आपात स्थिति के दौरान गंभीर दंड किए जाने के मामलों का ब्यौरा

22-4-78 की स्थिति के अनुसार

क्रम संख्या	मामलों का ब्यौरा	कुल
1	मामलों को कुल संख्या	962
2	अब तक पुनरीक्षित मामलों की कुल संख्या . . .	883
3	उन मामलों की कुल संख्या जिनमें सजा में कमी की गई (क्रम संख्या 4 के मामलों को छोड़कर)	13
4	उन मामलों की कुल संख्या जिनमें बहाली के आदेश दे दिए गए हैं .	218
5	उन मामलों की संख्या जिनमें स्थिति यथावत बनाए रखी गई है .	652
6	विचाराधीन मामले	79

विवरण संख्या II

पिछली आन्तरिक आपात स्थिति के दौरान समय पूर्व सेवा निवृत्ति के मामलों का विवरण

22-4-1978 की स्थिति के अनुसार

क्रम संख्या	ब्यौरा	कुल
1	कुल मामले	109
2	अब तक पुनरीक्षित मामलों की कुल संख्या . . .	65
3	उन मामलों को कुल संख्या जिनमें बहाली के आदेश दे दिए गए हैं .	10
4	उन मामलों की संख्या जिनमें सरकारी कर्मचारी को निम्न पद पर बनाए रखा गया	2
5	उन मामलों की कुल संख्या जिनमें स्थिति यथावत बनाए रखी गई है	53
6	उन मामलों की कुल संख्या जिन्हें प्रतिवेदन समिति को भेजा गया .	38
7	उन मामलों की संख्या जिन पर अभी विचार किया जा रहा है .	6

"पिटहेड स्टाक पाइल आफ कोल" (खानों के मुहानों पर कोयले का जमा हो जाना) शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

9952. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 अप्रैल, 1978 के "पैट्रियट" में "पिटहेड स्टाक पाइल आँफ कोल" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ग) अन्य बातों के साथ-साथ कोयले की ढुलाई में रुकावट के कारण आम ग्राहकों पर इसका किस प्रकार प्रभाव पड़ा है; और

(घ) रेल मंत्रालय तथा उनके मंत्रालय के विभागों के बीच समन्वित प्रयास करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा की गई है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी हां।

(ख) देश में कोयले का खान मुहाना स्टाक दिसम्बर, 1977 के अंत के 9.79 मि० टन की तुलना में मार्च, 1978 के अन्त में 12.40 मिलियन टन रहा। देश के कुल खान मुहाना स्टाक में से कोल इंडिया लि० के पास मार्च, 1978 और दिसम्बर, 1977 के अन्त में क्रमश: 10.94 मिलियन टन और 8.54 मिलियन टन स्टाक रहा है। प्रत्येक वर्ष के आखरी महीनों में खान मुहाना स्टाक में वृद्धि आमतौर पर होती ही है जिसका कारण इस अवधि के दौरान उत्पादन में होनेवाली वृद्धि होती है।

(ग) और (घ) : चूंकि रेल/सड़क द्वारा कोयला ले जाने के लिए खान मुहानों पर कोयले का बहुत स्टाक है, इसलिए कोयला उपलब्ध न होने के कारण कोयले का संचलन और प्रेषण बंद करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। फिर भी, रेल द्वारा कोयले की ढुलाई में वृद्धि करने के विचार से रेल विभाग के साथ घनिष्ठ समन्वय रखा जा रहा है।

फिलिप्स इंडिया लिमिटेड के विरुद्ध शिकायतें

9953. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिजली के और इलेक्ट्रानिक सामान का निर्माण और बिक्री करने वाली भारत में कार्यरत एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी की एकक, फिलिप्स इंडिया, लिमिटेड ने अपनी क्षमता में लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक वृद्धि कर ली है;

(ख) क्या विभिन्न भारतीय फर्मों और ऐसा ही व्यापार करने वाली अन्य कम्पनियों ने फिलिप्स इंडिया लिमिटेड की नीति के विरुद्ध सरकार से गम्भीर शिकायतें की हैं;

(ग) कम्पनी के आचरण के बारे में क्या जांच पड़ताल की गई है; और

(घ) सरकार की स्वीकृति के बिना, गैर-कानूनी ढंग से व्यापार करने के लिए उक्त कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी हां। कम्पनी कुछ विद्युत तथा इलैक्ट्रानिक वस्तुओं का उत्पादन अपनी लाइसेन्स प्राप्त क्षमता से अधिक परिमाण में कर रही थी।

(ख) से (घ) : हाल ही में कोई गम्भीर शिकायतें नहीं मिली हैं। अतएव, जांच करने का प्रश्न ही नहीं उठा। अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन करने के लिए कम्पनी के विरुद्ध जो कार्यवाही की जायेगी मामले के विशेष तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार की सामान्य नीति के अनुसार ही होगी।

पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड के लिए विद्युत उपकरणों का आयात

9954. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**
श्री चित्त बसु :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में पश्चिम बंगाल राज्य ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वह राज्य विद्युत बोर्ड को कुछ आधुनिक विद्युत उत्पादन उपकरणों का आयात करने और अपने विद्युत बोर्ड के संचालन के लिये बाहर से आदमी बुलवाने की अनुमति देकर उसके प्रबंध को अकुशलता दूर करने में सहायता करें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कि राज्यों में विद्युत का उत्पादन बढ़े, क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख): निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए गैस टरबाइनों के आयात के लिए पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनके लिए देश में प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है :—

1. सिंगरौली	. . . . .	2 × 15 मेगावाट
2. हल्दिया	. . . . .	2 × 15 मेगावाट
3. गौरीपुर	. . . . .	1 × 20 मेगावाट

तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से इन प्रस्तावों की जांच की जा रही है ।

पश्चिमी बंगाल राज्य बिजली बोर्ड की रामन जल-विद्युत परियोजना की 12.5–12.5 मेगावाट की 4 यूनिटों के लिए विश्वव्यापी टेंडर मंगाने के लिए हाल ही में अनमति प्रदान की गई है ।

2. अपने कार्यसंचालन के संबंध में किसी विदेशी परामर्शदाता की सेवाएं प्राप्त करने हेतु राज्य बिजली बोर्ड से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

3. नई परियोजनाओं के अतिरिक्त, जिनसे अगले 5-7 वर्षों में पश्चिम बंगाल में विद्युत सप्लाई में अभिवृद्धि होने की संभावना है, वर्तमान विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करने तथा संथाल डीह और बंदेल में निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए भी पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड ने कदम उठाए हैं ।

संथालडीह में नई चालू की गई यूनिटें के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए बहुविधा दलों वाले एक परियोजना नवीकरण दल का गठन किया गया है जिसमें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लिमिटेड, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण, इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, कोटा, तथा परामर्शी इंजीनियर शामिल हैं। अपेक्षित मात्रा में सही ग्रेड के कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कोयले के उपयुक्त-लिंक बनाए गए है। उचित गुणवत्ता वाले पर्याप्त फुटकर पुर्जों के आयात के लिए भी व्यवस्था की गई है । राज्य में विद्युत् की उपलब्धता में सुधार करने के लिए पश्चिम बंगाल में विद्युत् उत्पादन करने वाली विभिन्न एजेंसियां के बीच बेहत्तर समन्वय सुनिश्चित करने तथा विद्युत् संयंत्रों के अनुरक्षण में सुधार करने की सलाह पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड को दी गई है ।

सरकारी अधिग्रहण में लिये गये रूग्ण उद्योगों की संख्या

9955. **श्री महेन्द्र सिंह सैयावाला** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गत एक वर्ष के दौरान छोटे और बड़े दोनों कितने रूग्ण एककों का अधिग्रहण किया ;

(ख) यदि हां, तो कम्पनियों के नाम क्या हैं और अधिग्रहण के क्या विशेष कारण है ; और

(ग) क्या ऐसे एककों का अधिग्रहण करते समय संसाधनों के सरकार द्वारा घोषित मानदण्ड को ध्यान में रखा गया था ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख): केन्द्रीय सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 1977 से अब तक उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन निम्नलिखित औद्योगिक उपक्रमों का प्रबंध अपने हाथ में लिया गया है :—

क्र० सं०	उपक्रम का नाम	अधिनियम की धारा जिसके अधीन प्रबंध हाथ में लिया गया
1.	मैसर्स यूनियन जूट कं० लि०, कलकत्ता	18एफ० ए०
2.	मै० खरदाह कं० लि० कलकत्ता	18 ए० ए०
3.	मै० एलेक्जेंडर जूट मिल्स, कलकत्ता	18 एफ० ए०
4.	मै० प्रियलक्ष्मी मिल्स, बड़ौदा	18 ए०
5.	मै० श्री सुब्रालक्ष्मी मिल्स, काम्बे (गुजरात)	18 ए०
6.	मैसर्स इन्दौर टैक्सटाइल लि० उज्जैन (मध्य प्रदेश)	18 ए० ए०
7.	मैसर्स सोमसुन्दरम सुपर स्पि० मिल्स, मुथानेंडल जिला—रामानाथपुरम (तमिलनाडु)	18 ए० ए०
8.	मै० बंगाल कैमीकल एण्ड फ़ार्मेस्यूटिकल वर्क्स, कलकत्ता	18 ए०
9.	मै० नेशनल रबर मैन्युफैक्चरर्स लि०, कलकत्ता	18 ए० ए०
10.	मै० श्रीराम सुगर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, बोबिलो, जिला—श्रीकाकुलम (आंध्र प्रदेश)	18 ए०ए०
11.	मै० कोट्टायम टैक्सटाइल्स लि०, एट्टूमनूर (केरल)	18 ए०ए०
12.	मै० प्रभूराम मिल्स लि०, चेंगान्नूर (केरल)	18 ए०ए०
13.	मै० मालाबार स्पि० एण्ड वीविंग मिल्स लि०, कालीकट (केरल)	18 ए०ए०
14.	मै० नेशनल रबर मैन्यूफक्चरर्स लि०, (कल्याणी यूनिट)	18 ए०
15.	मै० आलोक उद्योग वनस्पति एण्ड प्लाईवुड लि०, कलकत्ता	18 ए०
16.	मै० श्री दुर्गा कॉटन स्पि० एण्ड वीविंग मिल्स लि०, कोन्नागर, जिला-हुगली (पश्चिम बंगाल)	18 ए० ए०
17.	मै० इनचेक टायर्स लि०, कलकत्ता	18 ए०
18.	मै० स्वदेशी मिल्स लि०, कानपुर	18 ए० ए०
19.	मै० अल्यूमिनियन कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, कलकत्ता	18 ए० ए०

प्रबंध हाथ में ले के कारण :—

उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 कुछ परिस्थितियों में औद्योगिक उपक्रम के कार्यों की जांच करने का आदेश देने का अधिकार प्रदान करता है। एक प्रमुख कारण जिसके लिए जांच का आदेश दिया जा सकता है यह है कि संबंधित औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध इस प्रकार से किया जा रहा है जो संबंधित अनुसूचित उद्योग अथवा जनहित के लिए घातक हो। अधिनियम की धारा 18क (1) (ख) केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार भी प्रदान करती है कि अधिनियम की धारा 15के अधीन जांच दिए गए आदेश से यदि यह निष्कर्ष निकलता है कि औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध संचालन इस प्रकार किया जा रहा है जो अनुसूचित उद्योग अथवा जनहित के लिए घातक है तो केन्द्रीय सरकार उसका प्रबंध अपने हाथ में ले सकती है। अधिनियम की धारा 18कक केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार भी प्रदान करती है कि कुछ परिस्थितियों में कोई जांच कराये बिना भी किसी औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध अपने हाथ में ले सकती है। सरकार औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध अपने हाथ में ले सकती है बशर्ते कि उसके पास यह दिखाने के लिए ऐसे दस्तावेजी अथवा अन्य सबूत मौजूद हैं कि संबंधित औद्योगिक उपक्रम के प्रभारी व्यक्तियों ने अंधाधुंध विनियोजनों के द्वारा अथवा औद्योगिक उपक्रम की परिसंपत्तियों के लिए अतिरिक्त भारग्रस्तता उत्पन्न कर दी है अथवा कोई ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिससे धन-राशियों का फेरबदल हुआ है और जिसके परिणामस्वरूप औद्योगिक उपक्रम द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं पर प्रभाव पड़ने की संभावना हो गई है तथा इस प्रकार की परिस्थितियों के निवारण हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करना जरूरी हो गया हो तो वह औद्योगिक उपक्रम के प्रबंध को हाथ में ले सकती है। सरकार द्वारा अपने हाथ में लिए जाने की कार्रवाई उस दशा में भी की जा सकती है बशर्ते कि यह दिखाने हेतु दस्तावेजी अथवा अन्य साक्ष्य मौजूद हो कि औद्योगिक उपक्रम को कम से कम तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए बंद कर दिया गया है तथा औद्योगिक उपक्रम की स्वामित्व वाली कंपनी की वित्तीय स्थिति तथा उपक्रम के संयंत्र मशीनों की हालत इस प्रकार की है कि उपक्रम का पुन: चालू किया जाना संभव है और इस प्रकार से पुन: चालू किया जाना सामान्य जनता के हित में जरूरी भी है। जहां संबंधित औद्योगिक उपक्रम के स्वामित्व वाली कंपनी उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षण के अधीन अथवा उसके द्वारा समाप्त की जा रही है, तो केन्द्र सरकार को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा 15क के अधीन इस प्रकार की जांच का आदेश देने हेतु उच्च न्यायालय की अनुमति लेनी होती है। यदि धारा 15 क के अधीन जांच के आदेशों के आधार पर केन्द्र सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध जनहित में हाथ में लिया जाना जरूरी है तो वह उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा 18एफ०ए० के अधीन औद्योगिक उपक्रम के प्रबंध को हाथ में लेने की अनुमति के लिए उच्च न्यायालय से संपर्क स्थापित करती है।

सूची में उल्लिखित औद्योगिक उपक्रमों के प्रबंध को इसलिए हाथ में लिया गया था कि अधिनियम की सम्बद्ध धाराओं में विहित शर्तें पूरी हो गई थीं। सरकार उत्पादन में हानि तथा बेरोजगारी के कारण भी चिंतित थी।

(ग) सामान्यतया रूग्ण एककों के पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास के कार्यक्रम के लिए लोक वित्तीय संस्थान धनराशि दिया करते हैं। अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने से पूर्व एकक की जीव्यता के बारे में पता लगाने पर भी विचार किया जाता है।

राष्ट्रीय परिवहन नीति सम्बन्धी पैनल

9956. **श्री महेन्द्र सिंह संयावाला :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने राष्ट्रीय परिवहन नीति संबंधी पैनल बनायी है ;

(ख) इसके सदस्यों के नाम क्या हैं और इसे चालू वर्ष के लिए क्या काम सौंपा गया है ; और

(ग) क्या रेल-सड़क प्रतिस्पर्धा और समन्वय भी पैनल के विचार-क्षेत्र में सम्मिलित होगा ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी ।

(ख) जिस संकल्प के अधीन यह समिति बनाई गई थी उसकी प्रति सभा पटल पर प्रस्तुत है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 2302/78]**

(ग) इस समिति द्वारा जो राष्ट्रीय परिवहन नीति विकसित की जाएगी वह सड़क और रेल सहित परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच यातायात के वितरण को इष्टतम करने पर आधारित होगी ।

बिजली परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए स्थायी समिति

9957. **श्री यशवन्त बोरोले :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिजली परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए बिजली सम्बन्धी स्थायी समिति की स्थापना की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक उसकी कितनी बैठकें हुई हैं और उनका क्या परिणाम निकला ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जनवरी, 1978 में हुए राज्यों के विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि विद्युत परियोजनाओं की प्रगति को कारगर तरीके से मानिटरिंग करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक उपयुक्त संगठन स्थापित किया जाए । राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया गया है कि इस सम्बन्ध में वे वर्तमान व्यवस्था का पुनरीक्षण करें तथा जहां भी आवश्यक हो संगठन को सुदृढ़ बनाएं ।

2. उपर्युक्त बैठक में यह भी निर्णय लिया गया था कि अध्यक्षों के सम्मेलन की सिफारिशों और राज्यों के विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में लिए निर्णयों के कार्यान्वयन का समय-समय पर पुनरीक्षण करने हेतु एक स्थायी समिति गठित की जाए । तदनुसार, विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन की एक स्थायी समिति गठित की गई है ।

(ख) स्थायी समिति की प्रथम बैठक शीघ्र ही आयोजित करने का विचार है ।

डी०एस०आई०डी०सी० द्वारा खपत की जाने वाली पावर (विद्युत) के लिये बिजली खर्च

9958. **श्री राम कंवार बेरवा :** क्या **ऊर्जा** मंत्री डी०एस०आई०डी०सी० द्वारा खपत की जाने वाली बिजली की दरों के बारे में 5 अप्रैल, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5630 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओखला, वजीरपुर, लारेंस रोड, झिलमिल और नांगलोई स्थित डी०एस०आई०डी०सी० के औद्योगिक काम्प्लेक्सों में विभिन्न एककों द्वारा खपत की जाने वाली 'पावर' (विद्युत) के लिये प्रति यूनट की क्या क्या दरें वसूल की जा रही है ;

(ख) भिन्न-भिन्न औद्योगिक काम्प्लेक्स में भिन्न-भिन्न दरें वसूल किये जाने के क्या कारण है और अन्य औद्योगिक काम्प्लेक्सों की तुलना में नांगलोई औद्योगिक काम्प्लेक्स में प्रति पावर यूनिट अधिक दर वसूल किय जाने के क्या कारण है ;

(ग) क्या यह सच है कि नांगलोई औद्योगिक काम्प्लेक्स में दिन के समय विद्युत नियमित रूप से सप्लाई नहीं की जाती जिससे औद्योगिक उत्पादन में बाधा पड़ती है ; और

(ग) यदि हां, तो वहां विद्युत को नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) ओखला, वजीरपुर और झिलमिल स्थित औद्योगिक काम्प्लेक्सों को स्थायी तौर पर बिजली के कनेक्शन प्राप्त हैं और औद्योगिक यूनिटों को 1 अप्रैल, 1978 से निम्नलिखित दरों पर दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान से सोधे बिजली की सप्लाई मिलती है :—

(1) प्रति यूनिट दर—30 पैसे

(2) बिजली कर—03 पैसे प्रति यूनिट

(3) उत्पादन शुल्क—02 पैसे
मोटर का किराया अलग से ।

लारेंस रोड के औद्योगिक में कम्प्लेक्स बिजली के कुछ कनेक्शन अस्थायो है और कुछ स्थायी हैं। स्थायी कनेक्शनों को दरें वही हैं जो ओखला, वजीरपुर तथा झिलमिल काम्प्लेक्सों के बारे में ऊपर बताई गई हैं । अस्थायी कनेक्शनों के मामले में, डी०एस०आई०डी०सी० बिजली को सप्लाई दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान से लेकर 50 पैसे प्रति यूनिट की समान दर पर औद्योगिक यूनिटों की बिजली सप्लाई करता है ।

नांगलोई औद्योगिक काम्प्लेक्स के मामले में बिजली के कनेक्शन अस्थायी आधार पर दिए जाते हैं और बिजली पहले डी०एस०आई०डी०सी० द्वारा प्राप्त की जाती है और उसके बाद औद्योगिक उपभोक्ताओं को 75 पैसे प्रति यूनिट की दर से सप्लाई की जाती है ।

(ख) विभिन्न औद्योगिक काम्प्लेक्सों में बिजली की भिन्न-भिन्न दरें इस आधार पर वसूल की जाती हैं कि कनेक्शन स्थायी हैं अथवा अस्थायी । स्थायी कनेक्शनों के मामले में बिजली की सप्लाई दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा सीधे ही की जाती है और अस्थायी कनेक्शनों के मामले में, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान बिजली की सप्लाई पहले डी०एस०आई०डी०सी० को देता है और फिर डी०एस०आई०डी०सी० औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई करता है । अस्थायी कनेक्शनो के मामले में भार मांग के आधार पर और कनेक्शन कम वोल्टता का है अथवा अधिक वोल्टता का—इसके आधार पर समुचित औद्योगिक टैरिफ लेने के अलावा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान, जहां बिजली अस्थायी आधार पर दी जाती है वहां, 50% अधिकर और जहां स्वीकृत सीमा से भार अधिक हो जाता है, उस मामले में 25% और अधिकर वसूल कर रहा है । लारेंस रोड पर बिजली का कनेक्शन कम वोल्टता पर दिया जाता है जबकि नांगलोई औद्योगिक काम्प्लेक्स में बिजली का कनेक्शन अधिक वोल्टता और कम वोल्टता पर दिया जाता है । अधिक वोल्टता और कम वोल्टता के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान भिन्न-भिन्न दरों पर चार्ज करता है । नांगलोई और लारेंस रोड औद्योगिक काम्प्लेक्सो में डी०एस०आई०डी०सी० भिन्न-भिन्न दरें चार्ज कर रहा है क्योंकि उनसे दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान भिन्न-भिन्न दरें चार्ज कर रहा है ।

(ग) यद्यपि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का यह प्रयास होता है कि दिन के समय नांगलोई औद्योगिक काम्प्लेक्स सहित सभी औद्योगिक काम्प्लेक्सों को नियमित तौर से बिजली की सप्लाई हो, फिर भी प्रणाली में बिजली फेल हो जाने की कुछ घटनाओं, जिनसे कभी-कभी सप्लाई भंग हो जाती है, को संभाव्यता से इन्कार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने डी०एस०आई०डी०सी० को एक प्वाइंट पर बल्क कनेक्शन दिए हैं जहां से विभिन्न उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई करने के लिए डी०एस०आई०डी०सी० ने अपने मेन स्थापित किए है। डी०एस० आई०डी०सी० को प्रणाली में खराबियों के कारण भी बिजली की कुछ खराबियों की संभाव्यता है।

(घ) स्थायी कनेक्शनों की व्यवस्था करने और नांगलोई में बिजलो सप्लाई में अभिवृद्धि करने के लिए डी०एस०आई०डी०सी० अपना वित्तीय हिस्सा दिल्लो विद्युत प्रदाय संस्थान को स्थायी लाइनें, बिछाने से उपकेन्द्र प्रतिष्ठापित करने और औद्योगिक उपभोक्ताओं को स्थायी कनेक्शन सीधे ही देने के लिए राजी हो गया है। डी० एस० आई० डी० सी० से अदायगी प्राप्त हो जाने के तुरन्त बाद दिल्लो विद्युत प्रदाय संस्थान विद्युतीकरण का कार्य हाथ में ले लेगा।

ललितपुर, झांसी, बांदा, हमीरपुर और जालौन के लिये पूंजी राज सहायता योजना

9959. **श्री माधवराव सिन्धिया :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े जिलों के विकास हेतु उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को औद्योगिक विकास के लिए पूंजी राजसहायता की योजना तथा जिला उद्योग केन्द्र योजना के अन्तर्गत जिसमें आर०आई०पी० के घटक है, पृथक पृथक शामिल किया गया है ;

(ख) क्या इन दो योजनाओं में बुन्देलखंड क्षेत्र के ललितपुर, झांसी, बांदा, हमीरपुर और जालौन को शामिल किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) उत्तर प्रदेश के छः जिले अर्थात् बलिया, झांसी, अल्मोड़ा, बस्ती, फैजाबाद तथा रायबरेली पूंजी राजसहायता की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत आते हैं तथा ग्रामीण उद्योग परियोजना, कार्यक्रम के अंग के रुप में 13 जिले अर्थात् सहारनपुर, गाजीपुर, झांसी, इलाहाबाद, अल्मोड़ा, लखनऊ, मथुरा, रायबरेली, फतहपुर, बलिया, उन्नाव, देवरिया तथा मुरादाबाद जिला उद्योग केन्द्रों की नई योजना में शामिल हैं।

(ख) ललितपुर जिला भूतपूर्व झांसी जिले से बनाया गया है जैसा कि वह पुनर्गठन से पूर्व था। योजना आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि झांसी जिला, जो अपने पुनर्गठन से पहले का है, पूंजी राजसहायता योजना के लिये हकदार बना रहेगा। बुन्देलखन्ड क्षेत्र के बांदा, हमीरपुर और जालौन जिले पूंजी राजसहायता योजना में शामिल नहीं किये गये हैं। इस समय जिला उद्योग केन्द्र योजना के अन्तर्गत केवल झांसी जिला आता है।

(ग) पूंजी राजसहायता योजना के लिए देश के केवल 101 जिलों को चुना गया है इसी प्रकार जिला उद्योग केन्द्र प्रावस्थाबद्ध रुप में खोले जा रहे हैं। देश के सभी जिलों के कुछ समय बाद जिला उद्योग केन्द्र योजना के अन्तर्गत आ जाने की संभावना हैं।

मध्य प्रदेश के गुना जिले में अशोक नगर तहसील के गांवों का विद्युतीकरण

9960. श्री माधवराव सिंधिया : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के गुना जिले में अशोक नगर तहसील के गांवों के विद्युतीकरण की एक योजना लगभग दो वर्ष पूर्व ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को प्रस्तुत की गई थी परन्तु निगम द्वारा बताई गई तकनीकी त्रुटियों के कारण उसे अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर निगम द्वारा बताई गई तकनीकी त्रुटियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा मार्च, 1977 में प्रस्तुत की गई गुना जिला की अशोकनगर तहसील के ईशागढ़ खण्ड के गांवों की विद्युतीकरण स्कीम का अनुमोदन ग्राम विद्युतीकरण निगम ने अगस्त, 1977 में कर दिया था ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय वायु सेना में विमान चालकों की संख्या

9961. श्री आर० के० महालगी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारी भारतीय वायु सेना में विमान चालकों की संख्या कितनी है ;

(ख) भारतीय वायु सेना में विमान चालकों की अधिकृत संस्थापन क्षमता क्या है ; और

(ग) उन की कमी दूर करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और इसमें कितना समय लगेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) : प्रशिक्षित कार्मिक शक्ति अथवा उपस्करों के रूप में हमारी सही युद्ध शक्ति के बारे में कोई ब्यौरा देना लोक हित में नहीं होगा ।

Chhoti Sadri Gold Case

9962. **Shri Chaturbhuj :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the facts of the report of the inquiry constituted by the Centre and the State Governments in regard to the Ghhoti Sadri (Rajasthan) gold scandal and whether a copy of the inquiry report will be laid on the Table?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri S. D. Patil) : An inquiry was taken up by the Central Bureau of Investigation in 1968 into what has come to be known as "Chhoti Sadri Gold Case", with regard to the involvement of Shri Mohan Lal Sukhadia, then Chief Minister of Rajasthan. As mentioned in the reply given to Starred Question No. 1371 on 1-5-1970 in Lok Sabha, the main aspects of the case under inquiry by the Central Bureau of Investigation were :

(1) Whether on or about 16-12-1965, gold was recovered from Shri Ganpat Lal in two separate lots, each weighing 56.863 Kgs.

(2) Whether any quantity of the gold recovered from Shri Ganpat Lal has been misappropriated by any one?

(3) Whether any impropriety was involved in the acceptance of the offer of gold as donation to the National Defence Fund?

The Central Bureau of Investigation found no substance in all the three allegations. It will not be appropriate to place the investigation report of the Central Bureau of Investigation on the Table of the House.

Cabaret Dances

9963. **Shri Keshavrao Dhondge:** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether cabaret dances are still being performed in big cities in the country;

(b) whether any complaint has been received from the people against these cabaret dances;

(c) the policy of Government in regard to cabaret dances; and

(d) whether before according permission for cabaret dances Government ask for fulfilling any condition and if not, the reasons therefor?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal): (a), (b) & (d): The required information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) Performance of an obsence act in any public place is an offence punishable under Section 294 I.P.C. and State Governments are competent to take appropriate action in the matter.

Documentaries Prepared on the Lives of People of Different States

9964. **Shri Dharma Sinhbhai Patel:** Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state:

(a) whether Films Division has prepared documentaries on the life of the people in various parts of Gujarat and if so, the total number thereof prepared in 1975-76, 1976-77 and 1977-78, year-wise, and the names of such documentaries;

(b) the number and nature of documentaries proposed to be prepared in 1978-79;

(c) whether it is a fact that in comparison to other States the number of such documentaries prepared on Gujarat is less; and

(d) the names of the States on which maximum number of documentaries were prepared during the last three years indicating the number of documentaries prepared each year?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani): (a) During the years 1975-76 to 1977-78, the following three documentary films pertaining to Gujarat were produced by the Films Division:—

(i) Gujarat Fights the Drought (B&W) 1975

(ii) Gujarat Elections (B&W) 1975

(iii) Asha Ni Vela (B&W) 1976 (A Time of Hope)

(b) It is proposed to produce in 1978-79 one documentary film on the subject of "Dying Folk Arts of Gujarat-Bhavi" which was included in the Production Programme of the Films Division in 1977-78.

(c) Documentary films are not produced on every State every year. It would, therefore, not be appropriate to make comparison on the basis of documentary films produced in a few years. As many as 25 documentary films have been produced on the people, culture, industry etc. of Gujarat between 1951-76. A list of the documentary films produced is attached.

(d) The titles of the documentary films produced during the last three years on various aspects of different States are given below:—

1. *Goa*

(i) Goa Marches on (1977) (Col)

2. *Jammu and Kashmir*
   (i) Come to Kashmir (Col) (1976)
   (ii) Jammu Today (B&W) (1976)
3. *Kerala*
   (i) Ahambrahmasmi (Col) (1977)
4. *Maharashtra*
   (i) The Indian Cobra (Col) (1975)
   (ii) A City on the Water (Col) (1975)
5. *Orissa*
   (i) Handicrafts of Orissa (Col) (1976)
6. *Sikkim*
   (i) Sikkim
   (ii) From Sikkim with Love (Col) (1975)
7. *Tripura*
   (i) Tripura (Col) (1976)

Statement

1. Home for the Homeless (B&W) (1951)
2. Folk Songs of Gujarat (Pt. I) (B&W) (1957)
3. Folk Songs of Gujarat (Pt. II) (B&W) (1957)
4. Shipyards to Seaways (B&W) (1957)
5. A Story of Cooperation (B&W) (1957)
6. Operation Kandla (B&W) (1959)
7. Western Region (B&W) (1959)
8. Glimpses of India (Part IV) (1968)
9. The Dancing Feet (Colour) (1962)
10. Gir Game Sanctuary (Colour) (1962)
11. Folk Dances of Saurashtra (Colour) (1963)
12. Hill Temples of Gujarat (B&W) (1964)
13. Narmada (B&W) (1964)
14. Rasleela (Colour) (1965)
15. The Black Gold (B&W) (1965)
16. Sahas Ke Kadam (B&W) (1968)
17. They All Say (B&W) (1968)
18. Ran of Kutch (1968)
19. Handicrafts of Gujarat (Colour) (1968)
20. Sardar Patel (B&W) (1970)
21. Zari (Colour) (1971)
22. Patolas of Patan (Colour) (1974)
23. Gujarat Fights the Drought (B&W) (1975)
24. Gujarat Elections (B&W) (1975)
25. Asha Ni Vela (B&W) (1976) (A Time of Hope).

गुजरात में पिछड़े जिलों का विकास

9965. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में ऐसे जिलों की संख्या और नाम क्या हैं जिनको 31 मार्च, 1978 तक औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित किया गया;

(ख) जिलों की औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए घोषित करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाये गये ;

(ग) क्या वर्ष 1978-79 से 1983-84 तक की अवधि में गुजरात में कुछ अन्य जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित करने का विचार है और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उनको औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ कब घोषित किया जायेगा ; और

(घ) क्या गुजरात सरकार से कुछ अन्य जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित करने की मांग प्राप्त हुई है और यदि हां, तो उन जिलों के नाम क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है और कब और कैसे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) गुजरात राज्य के 10 जिले अर्थात अमरेली, बांसकंठा, भावनगर, ब्रोच, जूनागढ, कच्छ, मेहसाना, पंचमहाल, साबरकण्ठा तथा सुरेन्द्र नगर को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ चुना गया है तथा ये रियायती वित्तीय सुविधाएं पाने के पात्र हैं। इनमें से तीन जिलों पंचमहाल, ब्रोच तथा सुरेन्द्रनगर को केन्द्रीय योजना की निवेश राज-सहायता पाने के लिए भी चुना गया है।

(ख) रियायती वित्त सुविधाएं पाने के लिए पात्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों का पता लगाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों के रूप में अपनाये जाने के लिए योजना आयोग द्वारा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सिफारिश किये गये निर्धारित मानदण्डों के आधार पर गुजरात सरकार ने इस प्रयोजना के लिये निम्नलिखित मानदंड अपनाया है :—

(1) बोये गये क्षेत्र से हुई प्रति एकड़ कृषि उपज का सकल मूल्य ;

(2) कुल जनसंख्या के अनुसार कृषि कामगरों (कृषि श्रमिकों सहित) का प्रतिशत ;

(3) बड़े कारखानों द्वारा औद्योगिक उत्पादन का प्रति व्यक्ति सकल मूल्य ;

(4) प्रति लाख जनसंख्या में फैक्टरी कर्मचारियों की संख्या;

(5) प्रति लाख जनसंख्या में अन्य गतिविधियों में लगे हुए श्रमिक ;

(6) प्रति 100 वर्ग मील में पक्की सड़कों तथा रेल मार्गों की लम्बाई तथा

(7) कुल जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से बिजली वाले कस्बों तथा ग्रामों की जनसंख्या।

(ग) तथा (घ) : गुजरात सरकार से 1978-83 की योजना के लिये औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्य के अतिरिक्त जिलों को चुने जाने के लिए कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

उड़न तश्तरी

9966. **श्री मीठा लाल पटेल :** क्या अंतरिक्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ दिनों पूर्व देश के विभिन्न नगरों एवं क्षेत्रों के ऊपर उड़न तश्तरी जैसी चमकती वस्तु देखी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है ; और

9—153 LSS (ND)/78

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और यदि कोई जांच नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) प्रेक्षण संबंधी जो यथार्थ आंकड़े हमें उपलब्ध हुए हैं, वे केवल इस बारे में हैं कि 3 अप्रैल, 1978 की रात्रि को अहमदाबाद और बम्बई के ऊपर उड़ती हुई एक अज्ञात वस्तु देखी गई थी ।

(ख) इस संबंध में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद ने कुछ वैज्ञानिक आंकड़े एकत्र किये हैं।

(ग) एकत्र किए गये आंकड़ों के प्रारम्भिक विश्लेषण से ये संकेत मिले हैं कि वह वस्तु सम्भवतः एक उल्का पिंड थी ।

मेसर्स ब्रुक बांड द्वारा सेफ्टी रेजर ब्लेड बनाने वाले सैंट्रन का नियंत्रण अपने हाथ में लिया जाना

9967. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी और एक बड़ा गृह मैसर्स ब्रुक बांड सेफ्टी रेजर ब्लेड बनाने वाले सैंट्रन को अपने नियंत्रण में ले रहा है जैसा कि दिनांक 11-3-1978 के 'कामर्स' में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकारी नीति गैर-प्राथमिकता वाली और बड़े पैमाने पर खपत वाली वस्तु को एक बहुराष्ट्रीय और बड़े गृह द्वारा अपने नियंत्रण मे लेने की अनुमति देती है ;

(घ) क्या कोलगेट-पामोलिव, एक अन्य बहुराष्ट्रीय कम्पनी द्वारा टी०टी० ब्लेड्स का विपणन अपने नियंत्रण में लिये जाने का सरकार द्वारा अनुमोदन किये जाने के कारण ब्रुक बांड ने भी यह कार्यवाही की है ;

(ङ) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा अनुचित ढंग से उपभोक्ता क्षेत्र में आने के मामले की गम्भीरता को देखते हुए सरकार का विचार ऐसी सभी गतिविधियों को रोकने का है ; और

(च) यदि हां, तो रेजर ब्लेड जैसे उपभोक्ता क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) समझा जाता है कि मैसर्स ब्रुक ब्राण्ड की योजना आयकर अधिनियम 1961 की धारा 72 क के प्रावधानों के अधीन मेसर्स सेन्ट्रोन इण्डस्ट्रियल एलाएन्स लि० बम्बई के साथ विलय हो जाने की है ।

(ख) चूंकि अभी तक कोई औपचारिक आवदन प्राप्त नहीं हुआ है अतः उस पर सरकार की प्रतिक्रिया बता सकना सम्भव नहीं होगा ।

(ग) जब भी आवेदन मिलेगा उस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार विचार किया जायेगा ।

(घ) जैसा कि भाग (ग) के उत्तर में उल्लेख किया गया है इस सम्बन्ध में मै० ब्रुक बाण्ड से कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है । मै० कोलगेट पामोलिव और मै० टी० टी० ब्लेडस के विपणन सम्बन्धी गठबन्धन के बारे में यह कहा जा सकता है कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के प्रावधानों को ध्यान में रखकर सरकार ने यह प्रस्ताव रद्द कर दिया था ।

(ङ) समझा यह जाता है कि उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम 1969 और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 में शामिल किए गए प्रावधान, जहां तक उनके राष्ट्रीय उद्देश्यों की दृष्टि से सामानुरूप होने का सम्बन्ध है, बहुराष्ट्रिक कंपनियों आदि के कार्यों को विनियमित करने के लिए पर्याप्त हैं।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

वाहनों की बिक्री के बारे में जांच

9968. **डा० महादीपक सिंह शाक्य :**
डा० वसन्त कुमार पंडित :

क्या **रक्षा** मंत्री सी०वी०डी० दिल्ली कैन्ट से वाहन न आबंटित किए गए कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के बारे में संसद सदस्यों द्वारा की गई शिकायतों के संबंध में 22-2-78 के अतारांकित प्रश्न संख्या 264 के उत्तर में संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब सितम्बर, 1974 में आबंटन की तिथि को वाहन की बिक्री के बारे में सूचना को मंत्री महोदय ने स्वीकार कर लिया है तो जांच कराने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं, ऐसी त्रुटियों के लिए उत्तर-दायी कौन है, यह कब पूरी होगी, और इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के दबाव का सरकार किस प्रकार सामना करेगी ;

(ख) क्या मामले को निपटाने के लिए साढ़े तीन वर्ष का समय भी अपर्याप्त है और क्या इससे यह सन्देह नहीं पैदा होता है कि दोषी लोगों को बचाने के लिए ही जांच को खानापूरी की जा रही है;

(ग) क्या गबन, ठगी तथा धोखाधड़ी जैसी अनियमितताओं के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही जैसी कार्यवाही ही पर्याप्त है और यदि हां, तो नियमों की प्रति दी जाय और ऐसे कार्यों के लिए क्या दंड दिया जाता है तथा और क्या यह अपराध भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत नहीं आता है; और

(घ) सच्ची तथा निष्पक्ष जांच के लिए ऐसे मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को देने में क्या कठिनाई है क्यों कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा ऐसे ही कुछ अन्य मामलों की जांच भी की जा रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : सैन्ट्रल व्हीकल डिपो दिल्ली छावनी के कर्मचारी द्वारा एक वाहन बेचे जाने के बारे में पहली सूचना 10 अप्रैल, 1976 को प्राप्त हुई थी। उस शिकायत पर यथाविधि कार्रवाई की गई और नियमों के अनुसार नियतभागी ने जून, 1977 में अपना स्पष्टीकरण दिया था। उसके बाद नियमों के अन्तर्गत एक नियमित जांच की गई जो अब पूरी हो गई है और आगे कार्रवाई की जा रही है। सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि आई० एन० टी०यू०सी०युनियन की ओर से इस मामले में कोई दबाव डाला गया है।

(ग) केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। संबंधित नियमों में से वे उद्धरण जिन में दिए जाने वाले दण्ड बताए गए हैं संलग्न विवरण में दिए गए हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०** 2303]

(घ) यह केवल एक व्यक्ति का मामला है और इसमें धन के आम गबन का ऐसा मामला अन्तर्ग्रस्त नहीं है जिसमें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच किए जाने का औचित्य हो।

सेन्ट्रल व्हीकल डिपो, दिल्ली केन्ट में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या

9969. डा० महादीपक सिंह शाक्य :
डा० वसन्त कुमार पंडित :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेन्ट्रल व्हीकल डिपो, दिल्ली केन्ट में, श्रेणीवार, कुल कितने कर्मचारी/श्रमिक काम कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि 25 प्रतिशत कर्मचारी श्रमिक अधिवर्षता की आयु पार कर चुके हैं और वे ठीक ढंग से चलने और देखने में असमर्थ हैं परन्तु सेवा में बने हुए हैं क्योंकि वे जन्म-तिथि के सम्बन्ध में कोई विश्वसनीय प्रमाणित दस्तावेज अथवा प्रमाण दिये बिना सेवा में आने के समय गलत जन्म-तिथि दर्ज करवाने में सफल हो गए थे; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है; क्या सरकार का विचार इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सत्यता की पुष्टि करवाने के लिए सर्वेक्षण करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) कर्मचारियों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

गैर-औद्योगिक	
तृतीय श्रेणी	586
चतुर्थ श्रेणी	130
चतुर्थ श्रेणी (अश्रेणी)	44
सफाई कर्मचारी	6
जोड़ . . .	766
औद्योगिक	
तृतीय श्रेणी	412
चतुर्थ श्रेणी	1241
जोड़ . . .	1653

(ख) जी नहीं। कागजात में दर्ज जन्मतिथि, इस बारे में प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात पर आधारित होती है और अन्य मामलों में जहां कागजात पेश नहीं किए जाते चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा यथा निर्धारित जन्म तिथि दर्ज की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में आदिवासी उपयोजना के लिये केन्द्रीय नियतन

9970. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सहायता के रूप में आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों के लिये राज्यों के लिये कुल कितने नियतन का प्रस्ताव था ;

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति से पूर्व राज्यों को, राज्यवार, कुल कितनी धनराशि दी गई;

(ग) क्या राज्यों ने इन क्षेत्रों के लिये किये गये नियतन की पूरी-पूरी राशि खर्च की है; और

(घ) धन का समय पर उपयोग करने के लिये उनके मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) : पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) में विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में आदिवासी उप योजनाओं के लिए 190 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया था। 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये निर्धारित की गयी राशि, जब पांचवीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई, 120 करोड़ रुपए थी, जिसमें से 119.31 करोड़ रुपए संबंधित राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को दिए गए थे। राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) 1978-79 के लिए वार्षिक योजना को अन्तिम रूप देते समय राज्यों के साथ किए गए पुनरीक्षणों के अनुसार विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि का पूरी तरह इस्तेमाल होने की संभावना है। लेखाओं का समाधान करने के बाद अन्तिम स्थिति का पता चलेगा।

(घ) राज्यों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उपयोजना कार्यक्रम पूर्ण रूप में कार्यान्वित किए जाए और आवधिक बैठकों में कार्य का पुनः निरीक्षण किया जाता है। राज्यों ने उपयोजना कार्यक्रमों का निरीक्षण करने लिए वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किए हैं और आदिवासी उपयोजना के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न अन्य उपाय किए हैं जैसे परियोजना अधिकारियों की नियुक्ति परियोजना अधिकारियों को वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायोजन और परियोजना स्तर समितियों का गठन।

विवरण

पांचवी पंचवर्षीय योजना में राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को दी गयी विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि का विवरण।

(रुपए लाखों में)
(Rs. in lakhs)

State & U. Ts.	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	Total
1	2	3	4	5	6
1. Andhra Pradesh आन्ध्र प्रदेश	39.00	123.00	194.75	285.25	642.00
2. Assam असम	24.00	100.00	203.00	257.00	584.00
3. Bihar बिहार	56.00	281.00	614.00	807.50	1758.50
4. Gujarat गुजरात	44.00	200.00	326.00	473.10	1043.10
5. Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश	..	31.00	68.00	90.00	189.00

विवरण—जारी

1	2	3	4	5	6
6. Karnataka कर्नाटक	2.50	10.00	20.00	24.00	56.50
7. Kerala केरल	2.50	15.00	26.00	25.00	68.50
8. Madhya Pradesh मध्य प्रदेश	57.00	506.00	1097.00	1554.25	3214.25
9. Maharashtra महाराष्ट्र	30.00	104.00	231.00	378.25	743.25
10. Manipur मणिपुर		43.00	90.00	128.00	261.00
11. Orissa उड़ीसा	86.00	292·00	587·00	770.15	1735.15
12. Rajasthan राजस्थान	50.00	150.00	246.25	298.10	744.35
13. Tamil Nadu तमिलनाडु	2.50	12.00	44.00	45.00	103.50
14. Tripura त्रिपुरा	11.00	36.00	68.00	96.40	211.40
15. Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश	1.00	5.00	11.00	15.00	32.00
16. West Bengal पश्चिम बंगाल	25.00	72.00	149.00	225.00	471.00
17. A & N Islands अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		20.00	17.00	17.00	54.00
18. Goa, Daman Diu गोवा, दमन और दीव		..	8.00	11.00	19.00
GRAND TOTAL कुल जोड	430.50	2,000.00	4,000.00	5,500.00	11,930.50

आदिवासी उप-योजनाओं के लिये योजना बनाना

9971. **श्री गिरधर गोमांगो :** क्या गृह मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राज्यों से आदिवासी उपयोजना के लिये अनवरत योजना को वार्षिक योजना में राज्य-क्षेत्रों से अधिक राशि नियत करके कार्यक्रम, योजनाएं और परियोजनाएं तैयार करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या मार्गदर्शी सिद्धांत हैं;

(ग) छठो पंचवर्षीय योजना और अन्वरत योजना के चालू वर्ष के लिये केन्द्र से आदिवासो उपयोजना के लिये कितनो राशि नियत करने का प्रस्ताव है; और

(घ) आदिवासो क्षेत्रों के लिये छठो योजना के क्या क्या कार्यक्रम हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख): आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों के लिए 1978-79 को वार्षिक योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है। राज्य उपयोजना तथा विशेष केन्द्रोय सहायता से निर्धारित को गयी धनराशि का एक विवरण संलग्न है।

(ग) 1978-79 के लिए आबंटित विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि 70 करोड़ रुपए हैं। पंचवर्षीय योजना 1978—83 के लिए प्रस्तावित धनराशि 350 करोड़ रुपए हैं।

(घ) कार्यक्रमों में विकास के सभी क्षेत्र शामिल होंगे। 1978—83 के लिए उपयोजनाओं को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

राज्य उपयोजना तथा विशेष केन्द्रीय सहायता के अधीन चालू वित्तीय वर्ष (1978-79) के लिए राज्यवार निर्धारित राशि

(रुपए लाखों में)

क्रम० सं०	राज्य	राज्य उपयोजना	विशेष केन्द्रीय सहायता
1	आन्ध्र प्रदेश	1473.00	253.00
2	आसाम	1000.00	325.00
3	बिहार	6525.00	975.00
4	गुजरात	3350.14	596.00
5	हिमाचल प्रदेश	590.35	130.00
6	कर्नाटक	203.00	24.00
7	केरल*	91.00	18.00
8	मध्य प्रदेश	6354.00	1826.00
9	महाराष्ट्र	4851.81	397.00
10	मणिपुर	1434.00	177.00
11	उड़ीसा	4751.60	960.00
12	राजस्थान	1374.00	327.00
13	तमिलनाडु	159.00	49.00
14	त्रिपुरा	722.50	105.00
15	उत्तर प्रदेश*	58.00	17.00
16	पश्चिम बंगाल	1354.60	263.00
17	अण्डमान व निकोबार द्वीप*	75.00	36.00
18	गोवा, दमन व दीव*	45.00	22.00
	जोड़	34412.00	6500.00
	रिजर्व	शून्य	500.00
	कुल जोड़	34412.00	7000.00

*अस्थाई

उप योजनाओं के अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्रों पर व्यय

9972. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों के लिये उप-योजना की व्यवस्था करने संबंधी नीति निर्णय और राज्यों द्वारा उसे स्वीकृत किये जाने की तारीख के बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंत तक, राज्य-वार, राज्यों द्वारा राज्य योजना क्षेत्रों में आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में कुल कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) क्या उन राज्यों ने राज्य क्षेत्र से निर्धारित धन का पूरा-पूरा उपयोग किया है; और

(ग) विलम्ब होने और आबंटित धनराशि को अन्यत्र लगाये जाने को रोकने के लिये राज्यों ने क्या प्रक्रिया अपनाई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

जापान की मित्सुबीसी कम्पनी से व्यापारी-जहाज के बारे में करार

9973. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान की मित्सुबीसी कम्पनी से व्यापारी-जहाज प्राप्त करने के लिए करार किया जा रहा है जबकि जापान की कुछ और कम्पनियों ने कम मूल्यों की पेशकश की है; और

(ख) यदि हो, तो क्या सरकार कोई सौदा करने से पूर्व मित्सुबीसी मामले के बारे मे जांच करने को सहमत है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

देश म कागज का उत्पादन कम होना

9974. **श्री सुखेन्द्र सिंह :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कागज का उत्पादन बहुत घट गया है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कागज का वास्तविक उत्पादन कितना था और अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी और उत्पादन में गिरावट के क्या कारण हैं ; और

(ग) तत्संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये क्या कार्यवाही की गई हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख) : जी, नहीं । गत तीन वर्षों मे कागज और कागज के गत्ते के उत्पादन मे बराबर वृद्धि हुई है । गत तीन वर्षों में अधिष्ठापित क्षमता और उत्पादन निम्न प्रकार है :—

वर्ष	अधिष्ठापित क्षमता (लाख मी० टन/वर्ष)	उत्पादन (लाख मी० टन)	क्षमता उपयोग का प्रतिशत
1975 . . .	10.68	8.29	77.6 प्रतिशत
1976 . . .	11.03	8.80	79.8 प्रतिशत
1977 . . .	11.37	9.34	82.1 प्रतिशत

(ग) केवल कुछ विशेष किस्मों के कागज जिनका आयात किया जाता है, को छोड़कर देश की कागज की कुल आवश्यकता की पूर्ति देश के उत्पादन से की जाती है। फिर भी, सरकारी एवं निजी दोनों ही क्षेत्रों में अतिरिक्त क्षमता स्थापित की जा रही है तथा सरकार द्वारा छोटी कागज मिलों के लिए पुराने उपकरणों का आयात करने की भी अनुमति दे दी गई है। आशा है कि इन अभ्युपायों से क्षमता में निरंतर वृद्धि हो सकेगी ताकि भविष्य में उत्पादन और मांग में समानता लाई जा सके।

Sanction of K.V. Lines in Rajasthan

†9975. **Shri Chaturbhuj:** Will the Minister of Energy be pleased to state:

(a) the names of the places for which 132 K.V. lines have been sanctioned in view of the need for more electricity in Rajasthan; and

(b) the time by which the programme for extension of these K.V. lines would be completed and the expenditure involved therein?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran): (a) & (b): The 132 kV sub-station and associated 132 kV transmission lines sanctioned for Rajasthan during 5th Plan, are given in Statement. The work on these 132 kV sub-station and transmission lines is programmed for completion by 1979-80. The estimated expenditure on these is Rs. 42.2 crores.

Statement

132 kV sub stations and associated 132 kV Transmission Lines in Rajasthan sanctioned during Fifth Plan

Name of 132 KV substation	Associated 132 kV transmission Line
1	2
1. Nimbahera	Tapping of Neemuch-Debari Line
2. Pratapgarh	Nimbahera-Pratapgarh
3. Chittorgarh	Nimbahera-Chittorgarh
4. Sagwara	Zawarmines-Sagwara
5. Banswara	Sagwara-Banswara
6. Kankroli 7. Mavli	Debari to Kankroli via Mavli
8. Balotra	Jalore-Balotra
9. Morak 10. Jhalwar	Kota to Jhalwar via Morak
11. Bundi	Kota-Bundi
12. Lakheri	Tapping of Kota-Sawaimadhopur Line
13. Pokharan 14. Dechu 15. Tinwari	Jodhpur-Tinwai-Dechu-Pokharan
16. Gulabpura	Beawar-Gulabpura
17. Merta	Beawar-Merta
18. Kishangarh (On Ajmer-Phulera Line)	Tapping line
19. Makrana	Phulera-Makrana
20. Amber 21. Puranighat 22. Dausa	VKI Japui-Ambar-Puranighat-Dausa and Chambal-Puranighat

Statement—Contd.

1	2
23. Reangus	Tapping of Jaipur-Sikar line
24. Mandwar	Tapping of Alwar-Jindaun Line.
25. Dholpur	Hindaun-Dholpur
26. Kotputli	Alwar-Kotputli
27. MIA Alwar	Alwar-MIA Alwar
28. Kishangarh 29. Bhiwari	Alwar-Kishangarh-Bhiwari
30. Deedwana	Ratangarh-Deedwana
31. Churru (Switching Station)	Tapping of Ratangarh-Rajgarh Line
32. Jhunjhunu	Churu-Jhunjhunu
33. Saratgarh (Switching Station)	Tapping of Hanumangarh-Rajlasar Line
34. Padampur	Suratgarh-Padampur

Setting up of Tool Industry in Rajasthan

9976. **Shri Chaturbhuj:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether his Department had decided that the proposed tools manufacturing plant will be set up in Rajasthan and if so, the place decided for the purpose;

(b) whether a decision has now been taken to set up the said industry in some other state and if so, the reasons therefor; and

(c) whether keeping a view the industrial backwardness of Rajasthan due consideration will be given to Rajasthan in regard to industrial development and the details in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti): (a) & (b): Government are not setting up any factory for manufacture of either machine tools or small tools in Rajasthan. As part of the Science and Technology programme, it was decided to set up a Hand Tool Institute at Jullunder or Nagaur where the hand tool industry in the cottage and small scale sectors is concentrated. After considering various aspects of the industry, it has been decided to set up this Institute at Jullunder, which will cater to the needs of the whole country.

(c) As Nagaur is also an important centre of the hand tool industry, its interests will also be kept in view. A team of officers of the Small Industries Development Organisation visited Nagaur in January, 1978 to examine the needs of the industry there. The team recommended that arrangements be made for stocking and supplying of proper raw materials, facilities for testing raw materials as well as finished products and for the manufacture of dies and tools needed for the industry at Nagaur. The recommendations are under examination.

दिल्ली में जेल से जमानत पर छूटे अपराधी का गायब होना

9977. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस द्वारा विभिन्न अपराधों जैसे चोरी और अपहरण, हत्या, डकैती, लूट आदि के मामलों में गिरफ्तार किये गये 2000 से अधिक व्यक्तियों को, जिन्हें न्यायालयों ने जमानत पर छोड़ दिया था, गायब पाया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन व्यक्तियों का भी पता नहीं है जिन्होंने इनको जमानत दी थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने इस मामले में जांच की है; और

(घ) क्या अपराधों में वृद्धि का कारण बड़ी संख्या में ऐसे अपराधियों का फरार होना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) से (घ) : अपराध के मामलोंमें दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये और न्यायालयो द्वारा जमानत पर छोड़े गए 1865 व्यक्ति फरार हैं । 1615 मामलों उन व्यक्तियों का भी पता नहीं लग रहा है जिन्होंने जमानतें दी थी । इससे अपराध स्थिति पर आवश्य ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । सरकार ने इस मामले कोई जांच नहीं की है । तथापि, पेशेवर जमानतियो के प्रश्न पर उपयुक्त स्तर पर न्यायपालिका के साथ विचार विमर्श आरम्भ किया गया है ।

उत्तर बिहार के पिछड़े जिलों का विकास

9978. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर बिहार के उन जिलों के नाम क्या हैं जो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ हुए घोषित किये गये हैं ;

(ख) क्या बिहार सरकार ने उन पिछड़े क्षेत्रो के औद्योगिक विकास के लिये कोई योजना केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) चम्पारन, दरभंगा, मुज्जफरपूर पूर्तिया, सहरसा तथा सारन के पूराने जिले तथा उत्तरी बिहार के बेगुसराय के नये जिले औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए चुने गये हैं ताकि वे रियायती वित्त सुविधाएं प्राप्त करने के पात्र बन सकें । इनमें से दरभंगा, चम्पारन तथा सहरसा के 3 जिले औद्योगिक दृष्टि से पिछडे चुने गये है ताकि वे निवेश राज सहायता की केन्द्रीय योजना के भी योग्य बन सकें ।

(ख) तथा (ग) : बिहार सरकार ने उत्तर बिहार तथा दक्षिण एवं केंद्रीय क्षेत्र के चुने हुए क्षेत्रों के लिये उजरती कार्यक्रम की अपनी विशेष योजना के बारे में उल्लेख किया है । इस योजना की प्रारम्भिक जांच के पश्चात् योजना आयोग योजना की जांच को सुगम बनाने के लिये कुछ बातों के बारे में और अधिक जानकारी मांगी है ।

बिहार सरकार ने प्रथम चरण में जिला उद्योग केन्द्र योजना के अन्तर्गत 18 जिलों को शामिल करने के लिये एक योजना भेजी है । केन्द्र सरकार ने इस योजना को स्वीकृति दे दी हैं ।

रूट नम्बर 91, 96 और 900 पर बस सेवाओं के बारे में शिकायतें

9979. **श्री रामजीलाल यादव :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री 19 अप्रैल, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7413 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सराय रोहिल्ला के निकट विवेकानन्द पुरी, दयानन्द कोलोनी, बाग कड़े खां आदि के दैनिक यात्रा करने वाले निवासियों को रुट नम्बर 91, 96 और 900 की बस सेवायें सन्तोषजनक सेवा नहीं दे रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बारे में दैनिक यात्रियों से कोई शिकायतें और वैकल्पिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार सर्वप्रथम अधिक भीड़-भाड़ वाले समय पर केन्द्रीय सचिवालय और कनॉट प्लेस के लिये बस सेवा आरम्भ करने का है, यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (ग) : सराय रोहिला तथा इसके आस पास के क्षेत्रीय सचिवालय से रूट नं० 91 और 900 को बस सेवाओं से जुड़े हुए हैं। उनका परिचालन संतोषजनक बताया गया है। रूट नं० 96 इन क्षेत्रों से होकर नहीं जाती। रूट; नं० 14 तथा 157 पर चलने वाली बसें इन बस्तियों के निवासियों को कनॉट प्लेस से जोड़ती हैं। कार्यालय जाने वाले व्यक्तियों को सुविधा के लिए प्रातः 9.15 बजे सराय रोहिल्ला से केन्द्रीय सचिवालय के लिए एक विशेष ट्रिप की पहले ही व्यवस्था की गई है परन्तु इस बस्ती के निवासी इस मौजूदा व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि उनकी शिकायत है कि रूट नं० 91 तथा 900 की बसें जो कि अन्य बस्तियों से चलती हैं सराय रोहिल्ला पर नहीं रुकती। उन्होंने प्रातः 9.00 बजे तथा प्रातः 9.30 बजे सराय रोहिल्ला से कनाट प्लेस तथा कस्तुर्बा गांधी मार्ग होकर, केन्द्रीय सचिवालय तक दो और विशेष ट्रिप चलाने का अनुरोध किया है। इन क्षेत्रों में रहने वाले कार्यालय जाने वाले व्यक्तियों की मांगो का दिल्ली परिवहन निगम द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है जिससे कि अनुरोध की गई दो अतिरिक्त ट्रिपों की व्यवस्था करने की व्यवहार्यता की जांच की जा सके।

उद्योगों में उत्पादन में गिरावट

9980. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों के दौरान आंशिक रूप से उत्पादन शुल्क में वृद्धि के कारण किन-किन उद्योगों का उत्पादन 30 प्रतिशत से भी अधिक कम हो गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कवल वी० आई० आर०/पी०बी०सी० तारों, सी०आई० स्पन पाईपों और लालटेनों के गत पांच वर्षों के उत्पादन में 30 प्रतिशत या उससे अधिक गिरावट आई है। ये आंकड़े केवल उन एककों के हैं जो तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकृत हैं और जिनमें लघु क्षेत्र का उत्पादन शामिल नहीं है, जिसके हाल के उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। उपर्युक्त वस्तुओं के उत्पादन में गिरावट उत्पादन शुल्क से पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित नहीं है।

त्रिपुरा में माचिस कारखाने की स्थापना

9981. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में माचिस बनाने का एक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कारखाने और उसके स्थान का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार योजना आयोग ने प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

त्रिपुरा में घड़ी बनाने के कारखाने की स्थापना

9982. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में घड़ी बनाने का एक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कारखाने और उसके स्थान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार/योजना आयोग ने प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है ?

उद्योग मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) सरकार को त्रिपुरा में घड़ी का कारखाना लगाने के लिये मंजूरी देने के बारे में कोई विशिष्ट योजना नहीं मिली है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

Import and self-sufficiency of Newsprint

9983. **Shri Surendra Jha Suman:** Will the Minister of Industry be pleased to state :

(a) the value and the quantity of newsprint imported from foreign countries in 1975, 1976 and 1977 indicating the names of the countries from which imported;

(b) whether Government propose to set up new newsprint factories in the country to achieve slef-sufficiency in this regard; and

(c) if so, the names of places where these are to be set up and the capacity thereof and by what time?

Answer

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) The values and the quantities of newsprint imported from the foreign countries during the last three financial years are as follows :—

Year	Country	Quantity (MT)	Value (Rs. crores Approx)
1975-76	Canada	49,000	17.5
	U.S.S.R.	33,000	11.5
	Bangladesh	..	..
	Japan	11,000	4.0
	TOTAL	83,000	33.0
1976-77	Canada	95,200	36.0
	U.S.S.R.	42,000	15.0
	Bangladesh	1,000	0.3
	Finland	3,600	1.37
	TOTAL	141,800	52.67
1977-78	Canada	90,000	32.4
	U.S.S.R.	45,000	14.7
	Bangladesh	5,000	1.2
	Finland	10,000	3.7
	New Zealand	4,000	0.9
	Czeckoslovakia	10,000	3.5
	U.K.	2,500	0.8
	TOTAL	166,500	57.2

(b) & (c): The Hindustan Paper Corporation, a Government of India Undertaking is setting up a newsprint factory with a capacity of 80,000 tonnes per year, at Vellor in Kerala State. The factory is expected to be commissioned by the middle of 1979.

Mysore Paper Mills, a Government of Karnataka Unit have been granted and Industrial Licence for undertaking substantial expansion for the manufacture of 75,000 tonnes of newsprint per annum. Since the scheme has been cleared very recently, it is not at present possible to estimate the probable date of commissioning of the scheme.

Appointment of Station Director, A.I.R. Darbhanga

9984. **Shri Surendra Jha Suman:** Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state:

(a) whether no Station Director has been appointed at Darbhanga Radio Station uptil now; and

(b) if so, the time by which such an appointment will be made?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani): (a) Yes, Sir.

(b) The appointment will be made after a panel of officers becomes available on the basis of departmental promotion for which necessary action is being taken by the Union Public Service Commission.

Number of Ships Built and Imported

9985. **Shri Surendra Jha Suman:** Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state:

(a) the number of ships built in the country as well as the number of those imported from abroad during 1975, 1976 and 1977;

(b) the names of countries from where ships were imported indicating the tonnage and the value of imported ships; and

(c) the details of Government's scheme to make the country self reliant in ship building?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri Sher Singh): (a)

Year	No. of ships	
	Built in India	Imported from abroad
1975	3	36
1976	5	35
1977	4	19

(b)

Year	Names of the countries from which ships were imported	Total Tonnage (GRT) In lakhs	Price of ship Rs. in crores.
1975 . .	Yugoslavia German Democratic Republic Japan U. S. S. R. Spain Greece Poland United Kingdom Finland Belgium	8.05	270.89
1976 .	Rumania Yugoslavia West Germann Japan Denmark Spain. Panama Greece United Kingdom Belgium Kuwait Holland Sweden Liberia Norway Singapore	6.89	272.14
1977	Yugoslavia Japan Panama Singapore Hong Kong Norway United Kingdom	2.71	83·12

(c) It has been decided to commission detailed project reports for two sites *viz.* Hazira in Gujarat and Paradip in Orissa for the establishment of additional ship-yards. Besides, steps are being taken to ensure optimum utilization of the existing capacity of the shipyards in the country. Proposals for augmentation of the ship-building capacity of the existing shipyards are also under consideration of the Government.

जें० सी० बी० प्रैस के कर्मचारियों की पदोन्नतियां

9986. **श्री हरि शंकर महाल :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फोटोलिथो प्रेस में कापो होल्डरों को रीडर्स ग्रेड-II में रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिये परोक्षाएं न लेने और जे०सो०बो० लेटर प्रेस के योग्य रीडर्स ग्रेड-II को जे०सी०बी० के फोटोलिथो प्रेस में रिक्त पदों पर पदोन्नत न करने के क्या कारण हैं;

(ख) उन रीडर्स ग्रेड-II और कापो-होल्डरों की संख्या कितनी है जिन्होंने अपने अपने ग्रेडों तीन और पांच वर्ष की सेवाएं पूरो कर लो हैं और उन टैक्निकल क्लर्क (यू०डी०) की संख्या कितनी है जिनकी कापी-होल्डरों के पदों से पदोन्नति की गई है; और

(ग) भर्ती नियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत रोडर्स ग्रेड-II और कापी-होल्डरों की पदोन्नति कब की जायेगी चूंकि उक्त श्रेणियों को जे०सी०बी० फोटोलिथो प्रेस में पदोन्नति के पूरे अधिकार हैं क्योंकि भारत सरकार के प्रेस के भर्ती नियमों के अनुसार दोनों प्रेसों के लिए रीडिंग कर्मचारी कामन हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) यद्यपि फोटोलिथो प्रेस सैक्शन की स्थापना के संबंध में 1974 में मंजूरी दी गई थी परन्तु वातानुकूल सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण मशीनें अक्तूबर 1977 में लगाई जा सकीं। इस समय केवल एक पारी कार्य कर रही है। इस प्रयोजन के लिए कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है। वर्तमान भर्ती नियमों के अनुसार फोटोलिथो सैक्शन में रीडर ग्रेड-II के पदों को फोटोलिथो सैक्शन में 3 वर्ष की सेवा वाले कापी होल्डरों को पदोन्नत कर के भरा जाना है। इस समय फोटो लिथो सेक्शन का कोई कापी होल्डर, रीडर ग्रेड-II के पद पर पदोन्नत किए जाने का पात्र नहीं है। इसलिए रीडर ग्रेड-II के दो पदों को दूसरे तरीके से सीधी भर्ती द्वारा भरना होगा। वर्तमान भर्ती नियमों के अनुसार, लेटर प्रैस सेक्शन में रीडर ग्रेड-II फोटो लिथो सेक्शन में रीडर ग्रेड-I के पद पर पदोन्नत किए जाने का पात्र नहीं है।

(ख) (1) फोटो लिथो सैक्शन में कोई नहीं।

(2) लेटर प्रैस में, रीडर ग्रेड-II और कापी होल्डरों की संख्या क्रमश: आठ और नौ है। इस समय ऐसा तकनीकी क्लर्क (यू०डी०) कोई नहीं है जिसे कापी होल्डर के पद से पदोन्नत किया गया हो।

(ग) भारत सरकार मुद्रणालय के भर्ती नियम जे०सी०बी० को लागू नहीं होते हैं। फोटो लिथो सेक्शन और लैटर प्रेस सैक्शन के रीडिंग ब्रांच में भर्ती नियम भिन्न-भिन्न हैं। रीडर ग्रेड-II और कापी-होल्डर केवल अपने-अपने सेक्शनों में ही पदोन्नत किए जाने के हकदार हैं।

नेशनल फेडरेशन आफ इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव्ज लिमिटेड को आयात लाइसेंस

9987. **श्री वीरेन्द्र प्रसाद** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल फेडरेशन आफ इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव लिमिटेड को आयात लाइसेंस दिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इन आयात लाइसेंसों का उपयोग किस प्रकार किया गया ;

(ग) ऐसे कितने लाइसेंस दिये जाने थे और वर्ष 1970 से लेकर अब तक उनका मूल्य कितना है; और

(घ) क्या सरकार इस बात से संतुष्ट है कि नेशनल फेडरेशन आफ इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव्ज लिमिटेड के अधिकारियों ने उपरोक्त को आयात लाइसेंसों का कोई दुरुपयोग नहीं किया है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) एन० एफ० आई० सी० एक पंजीकृत निर्यातक है तथा आयात व निर्यात के मुख्य नियंत्रक से निर्यातों के बदले में नीति अनुसार आर०ई०बी० आयात लाइसेंस प्राप्त करता है।

(ख) आयात लाइसेंसों के लिए आवेदन अधिकतर उत्पादन करने वाली सहकारी समितियों की ओर से दिया जाता है और उन्हींकी ओर से प्राप्त किया जाता है। इन समितियों के परामर्श से इनका उपयोग किया जाता है।

(ग) 1-1-1970 से 31-1-1978 की अवधि में निटवेयर, जूतों हस्तशिल्प आदि के निर्यातों के बदले में 58.48 लाख रु० मूल्य के आर० ई० पी० आयात लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र दिये गये थे।

(घ) वाणिज्य मंत्रालय ने विशद पद्धतियां निर्धारित की हैं जिसके अन्तर्गत लाइसेंसों के किसी प्रकार के दुरुपयोग का पता लगाया जाता है तथा उस सम्बन्ध में कड़ी कार्रवाई की जाती है। इस अवधि में दुरूपयोग का कोई मामला इस मंत्रालय की जानकारी में नहीं आया है।

Reporting in the Functions of A.S.Ds. and S.Ds.

9988. **Shri Mahi Lal:** Will the Minister of **Information & Broadcasting** be pleased to state:

(a) the number of the persons who were engaged by All India Radio for reporting on the functions of Assistant Station Directors and Station Directors and Producers of All India Radio on 8th and 23rd April, respectively in Delhi; and

(b) the duration of the reports of both these functions broadcast in bulletins separately indicating the bulletins in which these were broadcast and how many times broadcast?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani): (a) One each.

(b) (i) On April 8, there was a National Convention of the All India Radio Programme Staff Association. The report was used in the 2.00 p.m. and 9.00 p.m. English bulletins, 2.10 p.m. and 8.45 p.m. Hindi bulletins, mid-day and evening series, Punjabi, Urdu, Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, Assamese, Oriya, Bengali, Gujarati, Marathi, evening Nefamese, evening Sindhi, evening Sanskrit, evening Dogri and some external bulletins. The duration varied from 1 minute to 2½ minutes.

(ii) On April 23, there was a National Convention of the All India Radio Programme Producers' Association. The report was carried in the 9.00 p.m. English and the 8.45 p.m. Hindi bulletins. The duration in the English bulletin was one minute and in the Hindi bulletin 40 seconds. The Hindi bulletin also gave the name of two Members of Parliament who spoke at the function, Dr. Murli Manohar Joshi and Shri Surendra Mohan. The report of both the conventions was treated by AIR as a debate on the report of Verghese Committee an autonomy to AIR and TV and not as reports relating to Association of different groups of AIR employees.

(iii) Both the conventions were also covered in Radio Newsreel/Samachar Darshan.

गणतंत्र दिवस को कार निकोबार में ध्वजारोहण के समय प्रदर्शन

9989. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 जनवरी, 1978 को कारनिकोबार में ध्वजारोहण के समय कुछ सरकारी कर्मचारियों द्वारा काले झण्डे दिखा कर प्रदर्शन किये जाने और राष्ट्रविरोधी नारे लगाये जाने और इस प्रकार राष्ट्रीय झण्डे और राष्ट्रीय गान के प्रति घोर अनादर दिखाने की सरकार को जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उन सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या आदिवासी क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियों से आदिवासीयों में अनुशासन हीनता और अराजकता को बढ़ावा मिलेगा और उसके गम्भीर परिणाम निकल सकते हैं; यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रदिक्रिया है और इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) 26 जनवरी, 1978 को कार निकोबार में ध्वजारोहण तथा राष्ट्रीय गान के समय काले झण्डे दिखाकर प्रदर्शन करने तथा राष्ट्र-विरोधी नारे लगाने की कोई घटना नहीं हुई। परन्तु समारोह स्थान के बाहर कुछ कर्मचारियों ने अपनी 9 सूत्री मांगों को स्वीकार करने के बारे में कभी कभी नारे लगाये थे। न तो राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अनादर दिखाया गया था ना ही राष्ट्रीय गान को गाते हुए रोका था और ना ही ऐसे गायन में कोई गड़बड़ की गई थी। प्रदर्शनकारियों ने ध्वजारोहण समारोह के सुचारु कार्य में कोई बाधा नहीं डाली थी।

(ख) तथा (ग) : ध्वजारोहण समारोह के तुरन्त बाद कर्मचारियों को पोर्ट ब्लैयर में कर्मचारी युनियन के भूख हड़ताल प्रदर्शन समाप्त करने के बारे में पहले किए गए निर्णय का पता चला और उन्होंने इस घटना पर खेद व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों को जिला अधिकारियों द्वारा भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी दी गई। यह एक मात्र घटना थी जिसके लिये कर्मचारियों ने खेद व्यक्त किया था इसलिए आदिलवासियो में अनुशासन हीनता तथा अराजकता को बढ़ावा मिलेम की सम्भावना नहीं है।

Irregularities in Telecasting of T.V. Programmes at T.V. Station, Delhi

9990. **Shri T. S. Negi:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether there have been many irregularities in Delhi Doordarshan Kendra for the last two months resulting in suspension of some officials;

(b) whether it is also a fact that in one programme Hindu Gods and Godesses were shown dressed in coats and pants and in another programme Harijans were called 'low caste' people;

(c) whether it is also a fact that no action has so far been taken against Station Director/Additional Station Director and Assistant Station Director responsible for this programme and employees at lower levels only have been penalised; and

(d) if so, why Government have not held the Station Director and Assistant Station Director guilty in this matter as they finalise a programme for telecasting and their decision is final, and the action taken against them?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani): (a) No, Sir. However, on 12-4-1978 Delhi Doordarshan Kendra put out an old Films Division

documentary titled "Laghu Udhyog Bade Paimane Par" in violation of the instructions issued by the present Government regarding the telecast of certain type of material produced, earlier. No official was suspended for this, but a senior officer of Doordarshan has been deputed to conduct a detailed inquiry into the matter.

(b) Yes, Sir, in both cases, the Doordarshan publicly expressed regrets.

(c) As regards telecast of the objectionable documentary on 12-4-1978.

(d) The position regarding responsibility for this incident will be known only after the detailed inquiry has been completed.

भूतपूर्व मंत्रियों द्वारा चुनाव/पार्टी के काम के लिए हेलीकाप्टरों/विमानों आदि का प्रयोग

9991. **श्री मृत्यंजय प्रसाद :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1971 से 20 मार्च, 1977 के बीच वर्षवार, भूतपूर्व प्रधानमंत्री सहित अन्य भूतपूर्व मंत्रियों ने चुनाव, पार्टी के अथवा व्यक्तिगत कामों के लिए भारत सरकार के हेलीकाप्टरों, विमानों, वाहनों आदि का कितना उपयोग किया तथा (एक) किन भूतपूर्व मंत्रियों ने इस बारे में बिल बनाकर भेजे, (दो) किन-किन वाहनों का उपयोग किया गया, (तीन) कितनी दूरियां तय की गई (चार) कितने दिन वाहनों का उपयोग किया, उन्होंने कितनी राशि देनी है ; और (पांच) कितने बिल या तो नहीं बनाए गए हैं अथवा उन्हें भेजे गए हैं और भूतपूर्व मंत्रियों ने कितने बिलों की अदायगी की और कितनों के विरुद्ध अभी भी बिल की राशियां बकाया पड़ी हैं और (छह) उन्हें वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार जानती है कि राज्य सरकारों ने भी ऐसे बिल भेजे हैं; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इनमें से कुछ बिलों का भुगतान कांग्रेस पार्टी के दो गुटों से इसकी वसूली कैसे की जाएगी तथा क्या कोई राशि वसूल की गई है यदि हां, तो कितनी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 1 जनवरी 1971 से 20 मार्च, 1977 के बीच भूतपूर्व प्रधान मंत्री और अन्य मंत्रियों द्वारा गैर-सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल किए गए सैनिक विमानों और मोटर गाड़ियों का वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न दो विवरणों में दिया गया है। सूचना उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर तैयार की गई है।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा भूतपूर्व प्रधान मंत्री तथा भूतपूर्व मंत्रियों को भेजे गए किसी बिल के बारे में रक्षा मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है।

(ग) प्रधान मंत्री के कार्यालय ने बकाया किराये का वसूली के लिए आवश्यक बिल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेज दिए हैं। प्रधान मंत्री के कार्यालय ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष और महासचिव को कुछ अनुस्मारक रजिस्टर्ड डाक और सामान्य द्वारा भेजे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। बकाया राशि की वसूली के लिए इस मामले में श्रीमती इन्दिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों को लिखा गया था ताकि इनका शीघ्र निपटान हो सके। इन प्रयासों का भी अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है।

विवरण 1

भूतपूर्व प्रधान मंत्री और अन्य मंत्रियों द्वारा 1 जानेवारी 1977 से 20 मार्च 1977 की अवधि में गैर-सरकारी प्रयोजन के लिए भारतीय वायु सेना के विमान के उपयोग के लिए भाड़े के बकाया का वर्षानुसार ब्यौरा

वर्ष	कुल दूरी तय की गई	उड़ानों की कुल संख्या	भूतपूर्व प्रधान मंत्री के प्रति बनाए गए बिल की राशि	भुगतान की गई रकम	शेष वसूली	केन्द्रीय मंत्रियों से बिलों के भुगतान की राशि	केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा भुगतान की राशि
			Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1971	*	42	3,74,758.80	3,74,757.80	—	1195.86@	1195.86+
1972	*	27	3,97,667.75	3,97,667.75	—	—	—
1973	*	14	25,854.80	25,854.80	—	393.75@	393.75+
1974	49,413 KM	486	1,92,500.33	1,92,500.33	—	—	—
1975	24,290 KM	230	2,78,049.94	2,78,049.94	—	345@	345+
1976	13,027 KM	30	14,040.14	14,040.14	—	—	—
1977 upto (20-3-77)	1,73,636 KM	840	11,77,171.12		11,77,171.12	—	—

* 1971, 1972 और 1973 के उपलब्ध रिकार्ड में तय की गई दूरी नहीं दी गई है।

@ इनमें स्थिति निर्धारण, परीक्षण अवतरण, पुन: इंधन और आधार पर वापसी सम्मिलित है।

\+ ये भुगतान केन्द्रीय मंत्रियो द्वारा प्रधान मंत्री के दल के सदस्य के रूप में की गई यात्रा के देय था; और इसलिए कुल भुगतान की गई/अथवा कुल राशि प्रधान मंत्री के कुल भुगतान में सम्मिलित है।

विवरण II

रक्षा मंत्रालय में मंत्रि मंडलीय/राज्य मंत्री/उप मंत्री द्वारा अपने वैयक्तिक उपयोग के लिए मोटर गाड़ियों के उपयोग

क्रम सं०	मंत्रिमंडलीय मंत्री	उपयोग किए गए वाहन विवरण	वाहन उपयोग की अवधि	दिन संख्या	कि० मि० दूरी	देय राशि	वास्तविक भुगतान	बकाया राशि
1	श्री जगजीवन राम (रक्षा मंत्री) .	DHC–3114	Feb. 1974 to Sept. 1974	23	446	Rs. 336.30	Rs. 336.30	—
2	श्री विद्याचरण शुक्ला (र० उ० मंत्री)	DHB-504	Mar. 72 to Dec. 72	65	1143	Rs. 688.67	—	668.67
		DHB-504	Jan. 73 to Dec. 73	95	1634	Rs. 1066.78	Rs. 1066.78	—
		DHB- 504	Jan. 74 to Feb. 74	12	100	Rs. 69.55	Rs. 69.55	—
		DHC-3331	Feb. 74 to Oct. 74	99	1882	Rs. 1496.80	Rs. 1496.80	—
3	श्री वी० एन० गाडगील (र० उ० मंत्री)	DHC–3331	Sept. 76	6	285	Rs. 213.75	Rs. 213.75	—
		DHC-3331	Jan. 77 to Feb. 77	2	504	Rs. 519.00	Rs. 519.00	—

Reservation of Posts for S.C. and S.T. in A.I.R. and T.V.

9992. **Shri Ram Prasad Deshmukh: Will the Minister of Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether quota has been reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes against the posts of Programme Executives and Assistant Stations Directors in All India Radio and the Television Centre;

(b) whether this quota has not been reserved for the posts of Staff Artists and Producers there; and

(c) whether Government propose to appoint producers from among the members belonging to the Scheduled Castes as are being appointed from among the members belonging to Scheduled Tribes?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani): (a) Yes, Sir.

(b) & (c): Reservation orders for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been applied to Staff Artists of All India Radio with effect from 18th September, 1976 except for the category of Musicians and Instrumentalist. Producers of AIR, being Staff Artists, are covered in this order. So far as Doordarshan is concerned, the following categories of Staff Artists viz. General Assistant, Copyist, Carpenter, Painter, Tailor, Moulders, Lighting Assistant and Floor Assistant are covered by the reservation orders. The question of extending the reservation orders to other categories of Staff artists in Doordarshan is under consideration.

Smooth conduct of Programmers by Programmes Executives

9993. **Shri T. S. Negi:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether 50 per cent posts of Programme Executive used to be filled by promotion before 1974;

(b) whether this had been done to ensure promotion as Programme Executives for Studio Executives, Librarian and Programme Secretaries who had been given promotion as Transmission Executives;

(c) whether promotion rules were changed in 1976 because the above incumbents were not experts as programme executives; and

(d) if so, the arrangements made to ensure smooth conduct of programmes by promotee programme Executives?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani): (a) & (b): The recruitment rules for the posts of Programme Executives were amended in August, 1973 providing for 75% of the posts to be filled by direct recruitment and the remaining 25% by departmental promotion from the posts of Transmission Executives. A provision was also, however, made in the amended rules that the direct recruitment and departmental promotion would be made to the extent of 50% each for a period of two years from the date of this amendment. The promotion quota was raised to 50% for a period of two years in order to ensure regular promotion as Programme Executive of as many of those Transmission Executives as had been working as Programme Executives on ad-hoc basis for long periods pending finalisation of revised recruitment rules.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Murder of a Harijan in Sultanpuri, Delhi

9994. **Shri Mahi Lal:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether a Harijan, Mohinder, resident of C-349, Sultanpuri was recently murdered and his wife was kidnapped;

(b) whether Misra's son Subhash and his other relatives and friends had attacked him in the said house;

(c) whether the Nangloi police had refused to register the complaint of Mohinder regarding kidnapping of his wife;

(d) whether attempts were also made to murder Mohinder's brother Veersain and now he has been threatened that he would be murdered.

(e) the action taken on his report;

(f) the action taken by the police in regard to such serious crimes; and

(g) the reasons for not arresting the culprits and for not providing protection to the terrified Harijan family?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal): (a) to (c): Shri Mohinder Singh committeed suicide on 1-3-1978 by jumping before a train. Earlier on the night of 28-2-1978 he had lodged a report with the P. S. Nangloi that his wife was missing. This was recorded in the Daily Diary. On 18-4-1978 his brother Shri Veersain had in a written complaint alleged that Shri Mohinder Singh's wife had been kidnapped and kept in wrongful confinement secretly by one Subash and his wife. On this a case *vide* FIR No. 328 dated 18-4-1978 under Section 365 IPC P.S. Nangloi was registered and is under investigation. No report was lodged with the Police by Mohinder Singh about being attacked in his house by Misra's son Subash and other relatives and friends.

(d) to (g): No report has been lodged by Shri Veersain that any attempt was made to murder him. He has however reported to Police Station Nangloi on 3-3-1978 and 15-3-1978 that he had been threatened and that he apprehended danger to his life from Subash and others. On this the local Police initiated action under section 107/150 Cr. P. C. and these are pending trial in the Court of S.D.M. Both the parties in the case are Harijans.

Cases Referred to U.P. State Government by Shah Commission

9995. **Dr. Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some of those cases have been held up by Uttar Pradesh which were referred to the State by the Shah Commission of Inquiry;

(b) whether it is a fact that many cases were referred to Uttar Pradesh by the Shah Commission 3 months ago; and

(c) if so, the total number of cases sent to the State and the action taken thereon?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal): (a) No, Sir.

(b) and (c): The Shah Commission of Inquiry has referred 4785 complaints falling within its terms of reference to the Government of Uttar Pradesh for enquiry and necessary action. The Commission has also remitted 1991 complaints to the State Government to be enquired into by the Emergency Excesses Inquiry Authority constituted under section 11 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 and to send the report of the Authority to the Commission for final disposal. Some of these complaints were sent three months ago.

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा पैसा उधार दिया जाना

9996. **श्री ए० के० राय०** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला खानों में पैसा उधार दिया जाना खनिजों के लिए एक अत्यधिक दमनकारी समस्या बन गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में अनेक कर्मचारियों को पैसा उधार देने के आरोप में आपातस्थिति के दौरान स्थानान्तरित कर दिया गया था ; यदि हां, तो उनकी संख्या क्या थी तथा वे कौन-कौनसी कोयला खानों के थे और किन श्रेणियों के थे ; और

(ग) क्या यह सच है कि आपातस्थिति समाप्त होने के बाद उनमेंसे अधिकांश कर्मचारी अपने मूल स्थान में वापिस आ गए है ; यदि हां, तो उन तथ्यों का ब्यौरा क्या है और क्या पैसा उधार देने के मामलों में पुनः वृद्धि हुई है तथा इस प्रथा को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) कोयला क्षेत्रों में महाजनी एक प्रमुख सामाजिक बुराई रही है ।

(ख) आपातस्थिति के दौरान और उससे पहले 133 व्यक्तियों को महाजनी के संदेह में स्थानांतरित किया गया था । अन्य अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न है (अनुबंध) **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 2304/78]**

(ग) जी नहीं । केवल 11 व्यक्तियों को उनके मूल स्थानों में वापस स्थानांतरित किया गया है क्यों कि उनके खिलाफ आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी । महाजनी करने वाले संदेहास्पद कर्मचारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई के अलावा इस संबंध में निम्नलिखित अन्य कदम उठाए गए:—वेतन के दिनों में भुगतान काउंटरों पर निगरानी रखना, महाजनी की बुराई के खिलाफ श्रमिकों को सामान्य रूप से शिक्षा देना, सहकारी समितियों तथा बैंकों से सरल शर्तों पर ऋण की व्यवस्था तथा वस्तुओं के लिए सहकारी उपभोक्ता भण्डारों की स्थापना, आदि ।

ट्यूबों और टेलीविजन बल्बों की कमी

9997. **डा० वसन्तकुमार पण्डित** : क्या इलेक्ट्रॉनिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में छोटे टेलीविजन निर्माताओं को ट्यूबों और टेलीवीजन बल्बों की कमी का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इलेक्ट्रानिकी व्यापार एवं विकास निगम छोटे टेलीवीजन निर्माताओं को कच्चे माल के विलम्ब से वितरण के बारे में बातचीत कर रहा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड टेलीवीजन ट्यूबों और बल्बों के उत्पादन के मामले में पिछड़ गया है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इलेक्ट्रॉनिकी व्यापार एवं विकास निगम तायवान, पोलैंड और रूमानिया से टेलीवीजन की ट्यूबों और बल्बों का आयात कर रहा है; और

(ङ) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए देश में टेलीवीजन की ट्यूबों और बल्बोंको बनानेवाले लोगों के समर्थन में और इस संबंध में स्थानापन्न वस्तुओं को बढ़ावा देने के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ) : दूरदर्शन ग्लास बल्बो (अथवा शेलों) को जरूरत दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों के निर्माताओं की होती है जो अपनी आवश्यकतानुसार इनका आयात अपने आप करते हैं । दूरदर्शन सेटों के निर्माताओं को दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों की जरूरत होती है । इस समय भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड बंगलौर तथा मेसर्स टेलीट्यूब लिमिटेड, गाज़ियाबाद पिक्चर-ट्यूबो का निर्माण कर रहे हैं । यद्यपि भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के पास 200,000 पिक्चर ट्यूबें बनाने को लायसैन्स शुदा क्षमता है, तथापि इस लक्ष्य को वे कभी भी पूरा नहीं कर सके हैं । वर्ष 1977 में भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड में पिक्चर ट्यूबों के उत्पादन में गंभीर रूप से गिरावट आई थी । किंतु वर्ष 1978 में स्थिति में काफी सुधार हुआ है और इसके आगे भी सुधरने की संभावना है । दूरदर्शन पिक्चर ट्यूब के स्थानीय उत्पादन में हुई कमी को पूर्ति करने तथा दूरदर्शन सेट के निर्माणकर्ताओं की मांग की दृष्टि से इलेक्ट्रानिको व्यापार तथा प्रोद्योगिकी विकास निगम ने इनका ताइवान, पोलैंड तथा रूमानिया से आयात किया । यद्यपि मांग को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी-विकास निगम पर्याप्त मात्रा में आयात का प्रबन्ध कर रहा है, तथापि कुछ ऐसी परिस्थितियों के कारण जैसे निर्माणकर्ताओं द्वारा माल भेजने में विलम्ब, खराब मौसम, गोदी में समस्याएं उठ खड़ी होने के कारण जहाज़ों के समय पर न पहुंचने आदि के कारण, जिन पर इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम का कोई नियंत्रण नहीं था, इनका अभाव महसूस किया गया है । इसके परिणामस्वरुप, दूरदर्शन सेटों के निर्माताओं को (जिनमें लघु उद्योग क्षेत्र के निर्माणकर्त्ता भी शामिल है) कुछ अभाव का सामना करना पड़ा तथा डिलीवरी कुछ विलम्ब से प्राप्त हुई, किंतु हाल ही में स्थिति में सुधार हुआ है ।

(ङ) कुल 4,20,000 दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों की निर्माण-क्षमता के लिए 5 फर्मों को पहले ही औद्योगिक लाइसेंस/आशय-पत्र दिए जा चुके हैं (इसमें आवश्यकतानुसार विस्तार करने और आगे भी लाइसेंस प्रदान करने का प्रावधान मौजूद है) । इनमें से दो फर्मों (भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर तथा टेलीट्यूब लिमिटेड, गाज़ियाबाद) में पहले ही उत्पादन आरंभ किया जा चुका है । जब सारी यूनिटें पूरी तरह से काम करना शुरू कर देंगी तब दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों की मांग की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति संभव हो सकेगी । सरकार ने भारत में दूरदर्शन ग्लास शेलों के उत्पादन से संबंधित सभी पहलुओं की जांच करने के बारे में उद्योग मंत्रालय ने एक कार्यकारी दल की स्थापना की है ।

"इलायथलाई मुर" फिल्म पर प्रतिबंध

9998. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में "इलायथलाई मुर" नामक एक, तमिल फिल्म के प्रदर्शन का निषेध कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उस में आपत्तिजनक बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार इस संबंध में अपने निर्णय पर पुनः विचार करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां ।

(ख) वे तीन अंश जिन्हें केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड ने सार्वजनिक प्रदर्शन के अनुपयुक्त होने के कारण "इलायथलाई मुर" नामक फिल्म से काट दिया गया था और जिनको प्रोड्यूसरों ने सेंसर प्रमाणपत्र के जारी होने से पहले बोर्ड को सौंप दिया था, चलचित्र (सेंसरशिप) नियमावली, 1958 का उल्लंघन करते हुए दिखाए जा रहे थे ।

(ग) इसकी चलचित्र अधिनियम. 1952 तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के उपबन्धों के अनुसार जांच की जायेगी ।

सिक्किम सरकार के विरुद्ध आरोप

9999. **श्री के० बी० चेतरी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिक्किम के राजनैतिक नेताओं से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें सिक्किम के मुख्य मंत्री द्वारा प्रशासन में भ्रष्ट तरीके अपनाये जाने का आरोप लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटिल) : (क) से (ग): सिक्किम के मुख्य मंत्री तथा राज्य प्रशासन के विरुद्ध आरोपों का एक ज्ञापन सिक्किम जनता पार्टी के अध्यक्ष, श्री नर बहादुर से जुलाई 1977 में प्राप्त हुआ था जो केन्द्रीय गृह मंत्री को संबोधित था । निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार, उक्त ज्ञापन को सिक्किम के मुख्य मंत्री की टिप्पणियों के लिए उन्हें भेजा गया था; जो प्राप्त हो गई हैं । मामले की जांच की जा रही है ।

'Q' Marked Diesel Engines

10000. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of Industry be pleased to state :

(a) whether 'Q' marked diesel oil engines manufactured in Rajkot and Jamnagar cities in Saurashtra region in Gujarat used to be supplied to Uttar Pradesh and other States in the country but these engines have been rejected by the Land Development Bank in Uttar Pradesh on 1-4-1978;

(b) if so, whether small factories in these cities manufacturing such engines will face difficulties and whether Rajkot oil Engineering industry or Association have submitted representations to the Central Government and if so, when and the demands mentioned therein and the action taken or proposed to be taken by Government thereon and when and the details thereof; and

(c) whether small factories manufacture 'Q' (Quality) marked diesel oil engines easily and these are as good as I.S.I. marked engines and the action taken or proposed to be taken by the Central Government to persuade the Government of Uttar Pradesh and the Land Development Bank to accept the 'Q' marked diesel oil engines and when?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) Yes Sir. 'Q' marked diesel oil engines manufactured in Rajkot and Jamnagar cities in Saurashtra region in Gujarat used to be supplied to Uttar Pradesh.

Recently the Government of Uttar Pradesh decided to fix a time limit for obtaining ISI certificates by the diesel oil engine manufacturing units which could qualify for obtaining loan from the Land Development Bank. The last date for obtaining ISI certificate for the diesel oil engine manufacturing units from States other than Uttar Pradesh was fixed as 31st March, 1978.

(b) and (c) : A representation has been received from the Rajkot Engineering Association and the matter is under consideration in consultation with the Government of Uttar Pradesh, Indian Standard Institution and the Department of Agriculture.

मंत्री परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव

MOTION OF NO CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS

अध्यक्ष महोदय : मुझे नियम 198 के अन्तर्गत मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्तावों को दो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री सी० एम० स्टीफन की है । जो सदस्य इस प्रस्ताव के लिये अनुमति दिये जाने के पक्ष में हैं वह अपने अपने स्थान पर खड़े हों। मेरे विचार से 50 से अधिक सदस्य हैं अतः अनुमति दी जाती है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री वयालार रवि (चिरयंकिल) : आपने अपना विनिर्णय दे दिया है । व्यवस्था का प्रश्न उससे पूर्व उठाया जाना चाहिये था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति दी जा चुकी है । परंतु यदि कोई अन्य बात होगी तो मुझे विचार करना होगा...

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपका ध्यान नियम 198(1) (ख) की ओर दिलाता हूं इसके अनुसार सूचना उस दिन दी जानी है जिस दिन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना हो परंतु इसकी सूचना तो कल दी गई थी ।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं चाहूंगा कि इस पर आज ही विचार किया जाये क्योंकि मैं इस प्रकार की बातों को अधार में छोड़ने के पक्ष में नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : एक अन्य प्रस्ताव है......

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा नियम 376 के अन्तर्गत एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रधान मंत्री ने वक्तव्य दिया है कि शाह आयोग की गतिविधियों के बारे में वे ये प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेंगे.....

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं । कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मीलित नहीं किया जाये । **(व्यवधान)** *

श्री मोरारजी देसाई : इसके लिये आज अथवा कल का समय नियत किया जा सकता है।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : मैंने संसदीय कार्य मंत्री से इस पर आज चर्चा के बारे में अनौपचारिक बात की थी । उनका कहना था कि समय नियत किया जा सकता है। **(अन्तर्बाधाएं)** मैं चाहता हूं कि प्रत्येक सदस्य को इस पर विचार करने का समय मिले **(अन्तर्बाधाएं)** मैं इस पर अभी चर्चा के विरुद्ध नहीं । **(अन्तर्बाधाएं)**। संसदीय कार्य मंत्री ने मुझे बताया था कि आज चर्चा की मांग नहीं की जायेगी ।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*Not recorded.

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : विपक्ष के नेता की इस बात से मुझे हैरानी हो रही है कि मैंने कहा था कि आज चर्चा की मांग नहीं की जायेगी । अविश्वास का प्रस्ताव कोई हल्की बात नहीं है । मैंने तो केवल इतना कहा था कि समय नियत करना अध्यक्ष महोदय का विशेषाधिकार है ।

श्री सी० एम० स्टीफन : जहां तक मेरी बात है मैं तो इसके लिये अभी तैयार हूं। परंतु सबको इस पर विचार करने का समय मिलना चाहिये ।

श्री सौगत राय (बैरमपुर) : इस पर आज चर्चा होनी चाहिये । प्रधान मंत्री भी यहां पर उपस्थित हैं । समाचार पत्रों में गृह मंत्री के त्याग पत्र के समाचार छपे हैं। **(अंतर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : उसका इसके साथ कोई संबंध नहीं ।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : समय का निर्णय करना आपका विशेषाधिकार है।

श्री ए० सी० जार्ज (मुकुंदपुरम) : विपक्ष के नेता ने अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं एक अन्य प्रस्ताव भी है अच्छा होगा उस प्रस्ताव के पेश करने वालों के विचार भी जान लिये जायें ।

श्री सौगत राय : हमें आज ही इस पर चर्चा पर कोई आपत्ति नहीं है। **(अंतर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : दोनों पक्ष इस पर आज ही चर्चा चाहते हैं अतः भोजनकाल के पश्चात् आज इस पर चर्चा की जायेगी । विभिन्न दलों के नेता व उनके प्रतिनिधि समय के बंटवारे के बारे में मेरे चैम्बर में युक्त से बात कर सकते हैं ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

4 नवम्बर 1977 को भारतीय वायुसेना के विमान के, जिसमें प्रधान मंत्री यात्रा कर रहे थे, दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों की जांच करने के लिये नियुक्त जांच न्यायालय के निष्कर्षों के बारे में विवरण

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं 4 नवम्बर, 1977 की रात को जोरहाट के निकट भारतीय वायु सेना के विमान के, जिसमें प्रधान मंत्री यात्रा कर रहे थे, दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों की जांच करने के लिए नियुक्त जांच न्यायालय के निष्कर्षों के सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं ।

मैं प्रतिवेदन की एक प्रति संसद ग्रंथालय में रखे जाने के लिए उपलब्ध करता हूं । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 2273/78]**

बाल फिल्म सोसायटी का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और एक विवरण

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवानी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) बाल फिल्म सोसायटी के जनवरी से दिसम्बर, 1977 की अवधि के कार्यकलापों परी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) (एक) बाल फिल्म सोसायटी के वर्ष 1976-77 के लेखापरीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) लेखापरीक्षित लेखे सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2274/78]

श्री ज्योतिर्मय बसु : लेखापरीक्षित लेखे सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले विवरण को पहले परिचालित होने के बारे में आपके स्पष्ट निर्देश हैं। परंतु फिर भी उनका पालन नहीं हो रहा। सदन की कार्यवाही किस प्रकार चलेगी?

अध्यक्ष महोदय : नियम समिति इस विषय पर विचार कर रही है।

उपज उपकर अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना और पश्चिम बंगाल वन विकास निगम के प्रतिवेदन

कृषि और सिचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) उपज उपकर अधिनियम, 1966 की धारा 22 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 243 (ड) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 26 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 1972 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1172 में कतिपय संशोधन किया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 2275/78]**

(2) (क) पश्चिम बंगाल वन विकास निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1974-75, 1975-76 और 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन* सभा पटल पर रखने में हुए विलंब तथा (ख) प्रतिवेदनों के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 2276/78]**

दामोदर घाटी निगम का वर्ष 1976—77 के लिये वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा तथा एक विवरण

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 45 की उपधारा (75) के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उसके लेखे पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(3) उपर्युक्त (1) और (2) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 2277/78]

नारियल जटा बोर्ड तथा नारियल जटा उद्योग अधिनियम के वार्षिक तथा अर्ध वार्षिक प्रतिवेदन तथा एक विवरण

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माइति) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 को धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी संस्करण)* की एक एक प्रति :—

(एक) नारियल जटा बोर्ड के कार्यकलापों तथा नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 के कार्यकरण पर वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) नारियल जटा बोर्ड के कार्यकलापों और नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 के कार्यकरण पर 1 अप्रैल, 1977 से 30 सितम्बर, 1977 की अवधि का अर्द्ध वार्षिक प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदनों के अंग्रेजी संस्करण के साथ हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 2278/78]

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : मैं अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 को धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) चौथा संशोधन विनियम, 1978 जो दिनांक 22 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 507 में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) पहला संशोधन विनियम, 1978 जो दिनांक 29 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 542 में प्रकाशित हुए थे।

(3) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 1978 जो दिनांक 29 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 543 में प्रकाशित हुए थे।

(4) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) पांचवा संशोधन विनियम, 1978 जो दिनांक 29 अप्रल, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 544 में प्रकाशित हुए थे।

(5) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 1978 जो दिनांक 29 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 545 में प्रकाशित हुए थे।

(6) अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) दूसरा संशोधन नियम, 1978 जो दिनांक 6 मई, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 583 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2279/78]

प्रत्यक्ष कर विधि समिति का प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारुल्ला) : मैं प्रत्यक्ष कर विधि समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०** 2280/78]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और लवण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फीकारुल्ला) : श्री सतीश अग्रवाल की ओर से मैं उत्पाद शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (नौवां संशोधन) नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 9 मई, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 272 (ङ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०** 2280**क**/78]

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति कार्यवाही सारांश

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM SITTING OF THE HOUSE MINUTES

श्री रूपनाथ सिंह यादव (प्रतापगढ़) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की 14 अप्रैल और 5 मई, 1978 की हुई बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

राष्ट्रपति से संदेश

MESSAGES FROM THE PRESIDENT

अध्यक्ष महोदय : मुझे राष्ट्रपति से प्राप्त दिनांक 8 मई, 1978 के निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:

"जबकि लोक सभा ने 5 दिसम्बर, 1977 को अपनी बैठक में बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 1977 पास किया है और उसे राज्य सभा के पास भेजा है।

और जबकि राज्य सभा ने 8 दिसम्बर, 1977 को अपनी बैठक में उक्त विधेयक को अस्वीकार कर दिया है।

अब, इसलिये संविधान के अनुच्छेद 108 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, नीलम संजीव रेड्डी, भारत का राष्ट्रपति, राज्य सभा और लोक सभा को उक्त विधेयक पर चर्चा करने और मतदान करने के प्रयोजनार्थ एक संयुक्त बैठक के लिये आमंत्रित करने का अपना आशय एतद्द्वारा अधिसूचित करता हूं।"

तिथि नियत की जायेगी।

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य से प्राप्त इस संदेश की सूचना देनी है कि राज्य सभा ने 9 मई, 1978 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 29 अप्रैल, 1978 को पास किये गये वित्त विधेयक, 1978 को इस सिफारिश के साथ कि विधेयक में निम्नलिखित संशोधन किया जाये, लौटा दिया है :—

खण्ड 36

पृष्ठ 31 पर पंक्ति 32 से 40 को निकाल दिया जाये।

2. मैं वित्त विधेयक 1978, जो राज्य सभा द्वारा उस सभा द्वारा सिफारिश किये गये संशोधन के साथ लौटाया गया है, सभा पटल पर रखता हूं।

नियम 377 के अधीन मामले
MATTERS UNDER RULE 377

(एक) सभी शिक्षा संस्थाओं में अंग्रेजी की पढ़ाई बन्द करने के सम्बन्ध में बिहार सरकार के कथित आदेश

श्री के० राममूर्ति (धर्मपुरी) : गृह मंत्री एवं प्रधान मंत्री ने राज्य सभा में स्पष्टरूप से बताया था कि केवल हिन्दी किसी राज्य को भाषा नहीं होगी और केन्द्र सरकार त्रि भाषा सूत्र को प्रोत्साहन देगी। गृह मंत्री एवं प्रधान मंत्री के इस आश्वासन तथा संवैधानिक उपबन्धों के विरुद्ध बिहार सरकार ने सभी शिक्षा संस्थाओं में अंग्रेजी की पढ़ाई बन्द करने के बारे में हाल में आदेश जारी किये हैं। बिहार सरकार ने सरकारी कार्य में केवल मात्र हिन्दी का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया है और निदेश दिये हैं कि अंग्रेजी का उपयोग करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। प्रधान मंत्री को इस प्रवृत्ति को रोकना चाहिये।

(दो) युनाइटेड बैंक आफ इण्डिया, कलकत्ता के कर्मचारी भविष्य निधि लेखे की बहियों में कथित अनियमितता

श्री मुकुन्द मण्डल (मथुरापुर) : मई जून 1975 में यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया कलकत्ता के कर्मचारी भविष्य निधि लेखे की बहियों में अनियमितताओं का पता लगा था। निधि के लेखों की बहियों को लेखा परीक्षा 1969 के पश्चात नहीं की गई। निरीक्षण विभाग को कुछ आदेश दिये गये थे। निरीक्षण विभाग के अधिकारियों ने निधि के लेखों की बहियों के रखने के बारे में अनियमितताओं का पता लगाया। आवश्यक वाउचरों तथा बहियों आदि के उपलब्ध न होने के कारण काम रोकना पड़ा। जिस लेखा परीक्षा कम्पनी ने लेखा परीक्षा दी थी उसी कम्पनी को निधि की लेखा परीक्षा करने का काम सौंपा गया। यद्यपि केन्द्रीय जांच ब्यूरों को इस की सूचना दी गई परंतु फिर भी उसने अभी तक इस मामले को हाथ में नहीं लिया। इस बीच बैंक ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के एक सेवानिवृत्त डी० एस० पी० को बैंक में विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। बैंक अधिकारी मामले की जांच करने में अनजानी दिखा रहे हैं। वे उन अधिकारियों को बचाना चाहते हैं जिनका इस धोखाधड़ी में हाथ था।

(तीन) ओला-वृष्टि और भारी वर्षा के कारण हिमाचल प्रदेश में हुई क्षति का समाचार

Shri Balak Ram (Simla) : I thank you to allow me to raise the matter relating house caused by floods and hailstorm in Himachal Uradesh. Thunderstorm and hailstorms at the end of the last year and during first week of April havoc caused loss to Rabi and apple crop worth crores of rupees. As a result of this house farmers would be able to get 25% apple crop. This havoc struck west parts of Simla District when Apple trees were leaving flowers and the whole crop was destroyed. Apple orchards are the backbone of economy of the area. This calamity has darkened the economic conditions of the people of the area. The condition has become very critical. People of the area are wandering for in search of jobs. There is no factory or Project in the area where they could get employment. I would therefore request that farmers of the area be given subsidies in proportions to their previous crop. They should be supplied wheat at a subsidised rate. Arrangements should be made to make short term and medium term loans available to them.

(चार) जम्मू और कश्मीर राज्य के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रों से शरणार्थियों की सतत समस्या के समाचार

डा० कर्ण सिंह (ऊधमपुर) : मैं जम्मू तथा काश्मीर राज्य के पाक-अधिकृत क्षेत्रों से आए शरणार्थियो की समस्या की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

पाकिस्तान ने 1947 में जम्मू तथा काश्मीर पर आक्रमण किया। ऐसे क्षेत्रों में, जो अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में हैं, लाखों लोग बेघर-बार हो गये।

इसके अतिरिक्त हजारो लोगों ने, जिनमें अधिकतर हरिजन व अन्य निर्बल वर्गों के लोग हैं, सयालकोट सीमा से भारत आकर जम्मू में शरण ली।

30 वर्ष का समय बीत चुका है परन्तु इन लोगों के दावे अभी तक पंजीकृत भी नहीं किये गये हैं। इस बारे में भारत सरकार का मत है कि पाक-अधिकृत क्षेत्र कानूनी रूप से भारत का अंग हैं। कानूनी तथा संवैधानिक रूप से तो यह सच है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि उन शरणार्थियों को मुआवजा न दिया जाये। यही स्थिति छम्ब के शरणार्थियों की है।

सदन को यह जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों से आने वाले शरणार्थियों को राज्य में आवंटित की गई जमीन के बारे में स्वामित्व के अधिकार नहीं दिये गये हैं। जहां तक सयालकोट सैक्टर से आने वाले शरणार्थियो का संबंध है उनको राज्य विधान सभा के चुनावों में मत देने का अधिकार नहीं दिया गया है। भारत सरकार इस सारे मामले पर सहानुभूति से विचार करें और शरणार्थियों की मांगे स्वीकार करें।

(पांच) अल्पसंख्यक आयोग का कार्यकरण

श्री जी० एस० बनतवाला (पोन्नानी) : सरकार ने तीन मास पूर्व अल्पमत आयोग का गठन किया था। यह बहुत ही दुख की बात है कि आयोग को अभी तक पर्याप्त कर्मचारी एवं उचित कार्यालय स्थान उपलब्ध नहीं किया गया है। इन बातों से आयोग के कार्यकरण में गंभीर रुकावटें आ रही हैं। आयोग के सन्मुख अपनी शिकायतें पेश करने वालों को भी परिणामस्वरुप कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अल्पमत आयोग के अध्यक्ष श्री मसानी ने भी कहा है कि आयोग को अपना कार्य समुचित रुप से करने के लिये कुछ सुविधाएं जरूरी हैं जो अभी तक उपलब्ध नहीं की गई हैं। इस बारे में सरकार का रुख बहुत ही दुर्भाग्यवशपूर्ण है और यह रूख उसके विपरित है जो आयोग के गठन की घोषणा के समय व्यक्त किया गया था।

11—153 LSS (ND)/78

Shri Bagun Sambrui (Singhbhum): Sir, I had also given a notice regarding Calling Attention on 2nd and being a Adivasi I am not being allowed to speak.

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे चैम्बर में आकर मुझे मिलें ।

Shri Bagun Sambrui: If I am not allowed to speak. . .**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में नहीं लिया जाये (अन्तर्बाधाएं)**

Shri Bagun Sambrui: I walk out of the House in protest.

तत्पश्चात् श्री बगुन सम्बरूई सभा भवन से बाहर चले गये ।

The hon. Member then left the House.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने नियम 377 के अधीन बस की हड़ताल के बारे में सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपकी कोई शिकायत है तो सपर विचार किया जायेगा ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

बिहार में सत्याग्रहियों पर गोली चलाये जाने का कथित समाचार

श्री चित्त बसु (बारासात) : मैं कृषि और सिंचाई मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नविषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दें :

"ग्राम जैदा, पुलिस स्टेशन चन्डोल, जिला सिंहभूम, बिहार, में शान्तिपूर्ण सत्याग्रहियों पर जो केन्द्रीय सरकार की 130 करोड़ रुपए की सुवर्णरेखा परियोजना के अंतर्गत बांध के निर्माण के फलस्वरुप उजड़े जाने वाले ग्रामीणों के उचित पुनर्वास की मांग पर सत्याग्रह और आमरण अनशन करना चाहते थे। 30 अप्रैल, 1978 को पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना, जिसमें तीन आदिवासी मारे गये और अनेक घायल हुए ।"

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : स्वर्णरेखा बहु-प्रयोजनी परियोजना की योजना सिंचाई, बाढ़-नियंत्रण तथा औद्योगिक जल-सप्लाई के लिये बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सरकारों के एक संयुक्त उपक्रम के रूप में बनाई गई है। इस परियोजना की लागत और लाभों में केन्द्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है । इस परियोजना पर कुल मिलाकर 130 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसमें दो बांधों के निर्माण की परिकल्पना की गई है--एक चांडिल (सिंहभूम जिला) के निकट स्वर्णरेखा नदी पर और दूसरा चाइबासा के निकट स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी खरकई पर । नहरों के निर्माण के लिये दो बराजों की योजना बनाई गई है। एक खरकई बांध के नीचे और दूसरा स्वर्णरेखा बांध के नीचे । अनुमान है कि चांडिल जलाशय से 31,700 एकड़ कृषियोग्य भूमि जलमग्न हो जायेगी। कुछ प्रारम्भिक निर्माण कार्य शुरु किये गये हैं लेकिन ये इलाके मुख्य बांध के निर्माण

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**Not recorded.

का काम हाथ में लिये जाने के 4 या 5 वर्ष बाद ही जलमग्न होंगे । राज्य सरकार द्वारा तैयार किये गये परियोजना अनुमानों में चांडिल जलाशय के अंतर्गत भूमि अर्जन और विस्तापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये 8.41 करोड़ रुपये की व्यवस्था है जबकि बांध पर कुल 27 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है ।

बिहार सरकार ने सूचित किया है कि स्थानीय एम० एल० ए० के नेतृत्व में लगभग 3000 लोगों की भीड़, जो घातक हथियारों से लैस थी, दोपहर बाद लगभग एक बजे जैदा स्थित लोकनिर्माण विभाग के निरीक्षण बंगले के निकट पहुंची और उसने पेड़ों की शाखाएं शहतीर आदि रास्ते में डालकर राष्ट्रीय राजपथ संख्या 33 पर गाड़ियों का आना-जाना रोक दिया और अपने हथियार उठा-उठा कर उत्तेजक नारे लगाने शुरू कर दिये । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस भीड़ में अधिकांश लोग पश्चिम बंगाल के पड़ौसी जिलों के थे । वहां के कार्यभारी मजिस्ट्रेट ने लोगों को यह मनाने की कोशिश की कि उन्होंने रास्ते में जो रुकावटें पैदा कर रखी है उसे हटा लें और कोई गैर-कानूनी काम न करें । यह समाचार दिया गया है कि भीड़ ने उनकी बात सुनने के स्थान पर पत्थर और ईंटें फेंकनी शुरू कर दी । तब उस भीड़ को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया । लोगों की भीड़ तब अधिक हिंसक हो उठी और उन्होंने दोनों ओर से पुलिस पार्टी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया जिससे यह स्पष्ट संकेत मिलता था कि वे पुलिस पार्टी को घेरना चाहते है । यह बताया जाता है कि भीड़ में से कुछ लोग बड़े आवेश के साथ मजिस्ट्रेट और पुलिस पार्टी की तरफ बढ़े और उन्होंने भारी पथराव करना शुरू कर दिया । इसके परिणामस्वरूप मजिस्ट्रेट के सिर में भारी चोट लगी और उनकी ठोढ़ी में भी घाव हो गया । चांडिल पुलिस स्टेशन से कार्यभारी अधिकारी और 4 सिपाहियों को भी चोटें पहुंचीं । तब पुलिस ने लाठी चार्ज किया और अश्रु गैस के 11 गोले फैंके लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ और मजिस्ट्रेट और पुलिस पार्टी के सामने उपद्रवी भीड़ पर गोली चलाने के सिवाय कोई चारा नहीं रहा । कुल मिला कर 9 राउन्ड चलाये गये जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की उसी स्थान पर मृत्यु हो गई । तीन अन्य व्यक्ति गोली से और दो अन्य व्यक्ति लाठियों से जख्मी हुये । बाद में गोली से जख्मी एक व्यक्ति की अस्पताल में मृत्यु हो गई ।

श्री चित्त बसु : बैलाडिल्ला तथा पंतनगर कि घटनाओं के आगे यह घटना हुई है । सदन को शर्म के साथ अपना सिर झुका देना चाहिये और आदिवासियों पर किये गये अत्याचारों की निन्दा करनी चाहिये । माननीय मंत्री के वक्तव्य में वही बातें दोहरा दी गई हैं जो बिहार सरकार ने कही हैं । वक्तव्य के दो भाग—घटना क्रम तथा स्वर्णरेखा परियोजना के सम्बन्ध पहलू ।

जहां तक घटना क्रम की बात है वक्तव्य में घटनाओं को तोड मरोड करके पेश किया गया है और ये सच्चाई से परे हैं । बिहार सरकार ने तथ्यों का पता लगाने के लिये एक समिति बनाई थी । उसका प्रतिवेदन पटना के 'सर्चलाईट' पत्र में प्रकाशित हुआ है जिसके अनुसार स्थिति को शांतिपूर्ण उपायों से नियन्त्रण में लाया जा सकता था । पुलिस ने जिस ढंग से गोली चलाई उससे प्रतीत होता है कि पुलिस ने पहले ही गोली चलाने का निर्णय कर रखा था । भीड़ द्वारा अधिकारियों और पुलिस पर आक्रमण करने की बात सच नहीं है । सदन को यह बात ध्यान में रखना है कि यह प्रतिवेदन तथ्यों का पता लगाने के लिये नियुक्त समिति का है

[श्री चित्त बसु]

इसको देखते हुए तथा वहां पर व्याप्त भारी तनाव को देखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्री महोदय बिहार राज्य सरकार को परामर्श देंगे कि इस बारे में तत्काल न्यायिक जांच कराई जाये और गोली चलाने के लिये उत्तरदायी अधिकारियों को निलम्बित किया जाये जिससे न्यायिक जांच सफल हो सके।

वक्तव्य के दौरान आगे कहा गया है कि भारत सरकार पर लोगों के पुनर्वास का कोई उत्तरदायित्व नहीं और उन लोगों को उन स्थानों का त्याग करना होगा। जहां तक मेरी जानकारी है 90 गांवों के लगभग 1 लाख व्यक्तियों को अपने स्थानों से उठना पड़ेगा। सरकार ने लगभग 43,500 एकड़ भूमि का अर्जन करने का निर्णय किया है। परंतु लोगों को उनके बसाये जाने के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। क्या यह जरुरी नहीं कि सरकार उन लोगों को, जिनकी जमीने डूब जायेगी, उचित तथा संतोषजनक ढ़ंग से बसाये। अधिकतर प्रभावित लोग आदिवासी हैं अतः केन्द्र सरकार को अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेना चाहिये। भारत सरकार पर यह संवैधानिक है। उत्तरदायित्व है कि वह देखे कि बिहार सरकार को इन लोगों के पुनर्वास के लिये पर्याप्त सहायता उपलब्ध की जाये। भारत सरकार बिहार सरकार को सलाह दे कि वहां से सारी पुलिस के दस्ते वापस बुला लिये जायें, सभी गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाये और मामले को शांतिपूर्ण ढ़ंग से तय किया जाये।

श्री सुरजित सिंह बरनाला : यह एक राज्य की परियोजना नहीं है। इसके साथ तीन राज्यों का संबंध है। इस परियोजना के अन्तर्गत 31,740 एकड़ खेती योग्य भूमि, 102 पक्के मकान तथा 4,810 कच्चे मकान आते हैं। वहां की कुल जनसंख्या लगभग 25,000 है। लोगों को प्रतिपूर्ति की अदायगी की जा रही है। इसके साथ यह किया जा सकता है कि लोगों को अनुदानपूर्वक क्षतिपूर्ति दी जाये जिससे उचित ढ़ंग से पुनर्वास का काम हो सके।

इस परियोजना के संबंध में यह घटनाये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। इसके पहले कुछ लोगों ने भूख हड़ताल रखी। कुछ लोगों ने 6-7 दिन के लिये आमरण अनशन रखा। उन लोगों को 29 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया। अगले दिन बहुत से लोग इकठ्ठे हो गये और आन्दोलन प्रारंभ कर दिया। अन्ततः वह हिंसात्मक हो गये और यह सब घटनायें हुई।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उनको न्यायिक जांच कराने का परामर्श देंगे ? क्या आप उनको सभी मामले वापस लेने की सलाह देंगे।

श्री सुरजित सिंह बरनाला : गोली चलाये जाने की घटना के बारे में जिलाधीश ने जांच की थी। इस समय वहां क्या स्थिति है मैं नहीं जानता परंतु वहां यथाशीघ्र सामान्य स्थिति लाने के लिये प्रयास किये जायेंगे।

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur) : Shri Chitta Basu has drawn the attention towards incident of firing on Adivasis. I myself happened to be there on 29th April, one day before the date of incident and found the Adivasis peaceful, who were 50 to 100 in number. Singhbhum is a very backward area in Bihar and you would be surprised to know that only 138.15 acres of land is irrigated in Chandil block. The project of constructing a dam with the co-operation of Bihar, Orissa and West Bengal must be implemented. 31,700 acres of agricultural land would be submerged by construction of this dam. The poor Adivasis should be paid compensation for their land promptly.

The Fact Finding Committee of Bihar has come to the conclusion that firing was totally unjustified and uncalled for. Now there is no need for any judicial enquiry.

The agitation was going on there since April 23. If the Government and the officers would have taken an initiative earlier, there would not have been any firing. Now I would like to know whether Agriculture Deptt. of the Central Government would pay any compensation to the families of persons who were killed in the firing and how much time would it take to pay them the compensation.

Shri Surjit Singh Barnala: There should be more irrigation, that is why this project was finalised. I would request all M.P's. of that area to give us maximum co-operation so that project could be completed at the earliest. I have fixed a meeting of the three Chief Ministers of West Bengal, Bihar and Orissa so that we may take up this matter at the earliest possible time.

A sum of 8.41 crores of rupees has been earmarked for compensation and this sum might be increased if need be. It would take four or five years when they would be displaced, but we have started the payment of compensation. We would try to make the payment at the earliest.

अध्यक्ष महोदय : विलम्ब से बचा जाना चाहिए।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

उन्नीसवां प्रतिवेदन

श्री विनोदभाई बी० सेठ (जामनगर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

विमुक्त जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में अनुसूची में शामिल किये जाने तथा उनकी मांगो के सम्बध में याचिका

PETITION RE: RE-SCHEDULING OF VIMUKTA JATIES AS SCHEDULED TRIBES

श्री पूर्ण सिन्हा (तेजपुर): मैं विमुक्त जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में पुन: अनुसूची में शामिल करने और उनकी अन्य मांगो के बारे में श्री निर्मल सिंह निर्मल और अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक—जारी

KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES COMMISSION (AMENDMENT) BILL—Contd.

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 109 में यह प्रावधान है कि किसी भी विधेयक पर चर्चा को स्थगित करने सम्बन्धी प्रस्ताव को अध्यक्ष महोदय की अनुमति से पेश किया जा सकता है।

मैं इस विधेयक पर चर्चा को स्थगित करने सम्बन्धी प्रस्ताव को पेश करने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं। कल सभी ओर से सर्व सम्मति से खादी की परिभाषा के बारे में विरोध व्यक्त किया गया है। हम चाहते हैं कि मन्त्री महोदय प्रधान मन्त्री से पुन: चर्चा करके इस बारे में संशोधन प्रस्तुत करें।

अध्यक्ष महोदय : चर्चा आज समाप्त नहीं होगी । ऐसा करने के लिए काफी समय है ।

श्री बी० पी० कदम (कनारा): खादी की मूल परिभाषा काफी सारगर्भित है और उसके स्थान पर संशोधन विधेयक में अब जो खादी कि परिभाषा दी गई है, वह न तो तर्कसंगत है और नहीं स्वीकार्य है । सिन्थैटिक फाइबर, पोलिएस्टर और अन्य ऐसी चीजों को केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों के कहने पर शामिल किया गया है ।

यदि हम खादी के विकास के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो हमें पता चलेगा कि इसका उद्देश गांव के गरीब लोगों को राहत पहुंचाना तथा साथ ही ऐसे कपड़े का उत्पादन करना था जो एक विशेष प्रकार की आचार संहिता तथा अनुशासन की भावना का द्योतक था । इसमें कोई सन्देह नहीं कि अब हमें स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई है, परन्तु अभी भी भारत को बहुत कुछ करना है और एक सशक्त देश के रूप में उभर कर सामने आना है । ऐसा एक आचार संहिता और अनुशासन के आधार पर ही हो सकता है । ऐसा करने के लिए खादी पहनने तथा उसके साथ जुड़ी हुई सादगी की भावना से इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता मिल सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव देने की सूचना दी है । वहां आपको एक अवसर और प्राप्त होगा । **(व्यवधान)**

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई ।
The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Forteen of the Clock

---

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर तीन मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।
The Lok Sabha reassembled after Lunch at three minutes past Fourteen of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

Announcement by the Speaker

अध्यक्ष महोदय : आज एक बजे पार्टियों और ग्रुपों के नेताओं के साथ जो बैठक हुई, उसमें निम्नलिखित निर्णय किये गये :

(1) अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए नौ घण्टे का समय निर्धारित किया गया है, जो विभिन्न पार्टियों के बीच इस प्रकार नियत किया गया है :

जनता पार्टी . .	4 घण्टे
कांग्रेस (आई) . .	$2\frac{1}{2}$ घण्टे
कांग्रेस . . .	$1\frac{1}{2}$ घण्टा
अन्य ग्रुप . .	1 घण्टा

आज सदन की कार्यवाही सायंकाल 7 बजे तक चलेगी ।

(2) कल अर्थात 11 मई 1978 के लिए नियत कार्य सोमवार, 15 मई, 1978 के लिए स्थगित कर दिया जाय ।

(3) 11 मई 1978 को प्रश्न काल भी समाप्त किया जाता है । यह भी स्थगित हो जायेगा । दलों से अनुरोध है कि वे अपने वक्ताओं के नाम आज 3 बजे तक दे दें ।

(4) 11 मई को पहला एक घण्टा वित्त विधेयक पर राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये संशोधन पर विचार करने के लिए नियत किया जाय ।

मुझे आशा है कि सभा इस प्रस्तावों से सहमत है ।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

मंत्री परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा मन्त्रि-परिषद् में अविश्वास व्यक्त करती है ।"

इस सरकार को सत्तारूढ़ हुए 13 महीने से अधिक समय हो चुका है । मैं पूरी गम्भीरता के साथ इस सदन से अपील करता हूं कि वह इस बात पर विचार करे कि क्या उस सरकार द्वारा सत्ता को त्यागना देश के हित में नहीं होगा ?

अविश्वास प्रस्ताव चर्चा करने के लिए जैसे ही अनुमति दी गई, उसी समय प्रधान मन्त्री ने कहा कि इस प्रस्ताव से दो अच्छे परिणाम सामने आयेंगे; प्रथम तो इससे विरोधी दलों को आपस में एकता स्थापित करने का अवसर मिलेगा और दूसरे उनके दल को भी शक्ति प्राप्त होगी । इस वक्तव्य से ही वे खतरनाक परिस्थितियां स्पष्ट हो जाती हैं, जिनके सन्दर्भ में इस प्रस्ताव को पेश करना बहुत सार्थक हो गया था । **(व्यवधान)**

जिन भिन्न भिन्न राज्यों में जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां क्या हो रहा है ? हरियाना में क्या हो रहा है ? उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ? बिहार में क्या मांग की जा रही है ? मैं सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि मुझे प्रो० शिब्बनलाल सक्सेना से, जो जनता पार्टी के संसद सदस्य हैं, एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि वह पहली मई से भूख हड़ताल पर हैं । लेकिन किसी को इसका पता नहीं है ।

मैं किसी विशेष मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाना चाहता हूं । मैं तो व्यापक मामलों पर चर्चा करना चाहता हूं ।

इस प्रकार की अफ़वाह फैली हुई है कि गृह मंत्री ने अपना त्याग-पत्र दे दिया है । यह ठीक है अथवा नहीं इसका बहुत अधिक महत्व नहीं है लेकिन यह सच है कि वह पूरे मामले पर अप्रसन्न हैं ।

एक वर्ष पूर्व जनता सरकार में एकता थी और चुनाव-घोषणा पत्र में किये गये वायदों को पूरा करने के प्रति कृत संकल्प थी लेकिन आज वह उत्साह और एकता दिखाई नहीं दे रही है । इतना अवश्य है कि इनको जोड़ने वाला एकमात्र कारण सत्ता है । पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति निश्चित रूप से सत्ता के पीछे भाग रहा है और इसके लिये यदि सभी ठोस पहलुओं को भुला दिया जायेगा तो उससे तनावों का उत्पन्न होना स्वाभाविक होगा । यदि इन सब को नियंत्रित करने वाली शक्ति सत्ता ही है तो इस प्रकार के व्यक्तियों से बनी सरकार को देश का कार्यभार चलाने के योग्य नहीं समझा जा सकता ।

सदन को गत 13 महीने में हुई सभी घटनाओं के समग्र प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए । अब लोगों ने अनेक स्थानों पर हुए चुनावों तथा उप-चुनावों के माध्यम से

[श्री० सी० एम० स्टीफन]

अपनी विचाराभिव्यक्ति दी है । (व्यवधान) । 1977 में हुए चुनाव में जनता पार्टी उत्तर में और कांग्रेस दक्षिण में पूरी तरह से विजय हुई । उस समय यह कहा गया कि दक्षिण में कांग्रेस की सफलता का कारण वहां के लोगों द्वारा आपातकालीन की ज्यादतियों से प्रभावित न होना है । इसके बाद शाह आयोग बैठाया गया और इसकी प्रत्येक बात को रेडियो, टेलीविजन और समाचार-पत्रों के माध्यम से प्रचारित किया गया ।

दिल्ली में निगम के चुनाव में कांग्रेस (आई०) की विजय हुई और जनता पार्टी हरियाणा के करनाल संसदीय उप-चुनाव में बहुत कम मतों से जीत पाई । उत्तर प्रदेश के चुनावों के परिणाम सामने आ गये हैं जिसमें जनता पार्टी हारी है । इस प्रकार देश के विभिन्न भागों में लोग अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं ।

अत: विरोधी दलों का दायित्व है कि वह लोगों के विरोध की भावना को सदन में प्रदर्शित करें और इसी भावना से प्रेरित होकर ही यह अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है ।

यदि स्थिति की समग्रता पर विचार किया जाये तो कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जहां जनता पार्टी को सफलता मिली हो (व्यवधान) कई वर्ष पूर्व महात्मा गांधी ने देश के पिछड़े हुए व्यक्तियों तथा हरिजनों के लिये आन्दोलन चलाया था । वर्ष 1977 के चुनावों में हरिजनों ने जनता पार्टी को अपना सहयोग दिया । परन्तु आज हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के लोग श्रीमती गांधी का समर्थन कर रहे हैं । वस्तुस्थिति यही है । आज हरिजन आन्दोलन कर रहे हैं, श्रमिक वर्ग के लोग आन्दोलन कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लोग तथा विद्यार्थी आन्दोलन कर रहे हैं तथा विश्वविद्यालय परिसरों में आये दिन दंगे हो रहे हैं । आज देश की हरिजन जनसंख्या में असंतोष व्याप्त तथा वे आन्दोलन कर रहे हैं । हरिजनों में हर जगह असुरक्षा की भावना व्याप्त है । जहां कहीं हरिजनों पर हमला होता है वहां पर पुलिस की सेना हरिजनों की नहीं अपितु अन्य वर्गों की सुरक्षा के लिये जाती है । (व्यवधान)

जनता पार्टी ने लोगों को यह आश्वासन दिया था कि वह लोगों को लोकतांत्रिक ढंग से विरोध प्रकट करने और लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिरोध प्रकट करने का अधिकार देंगे । परन्तु अब सभी को मालूम हो गया है कि सरकार की प्रतिक्रिया इस बारे में क्या है ।

जहां तक देश की कानून और व्यवस्था की स्थिति का संबंध है, उसके बारे में मंत्री महोदय ने बार-बार कहा है कि इसका दायित्व उनका नहीं है । यह कितनी विचित्र बात है कि मनुष्यों को पशु पक्षियों की तरह गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है; क्या लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करने के अधिकार के बारे में जनता सरकार की यही प्रतिक्रिया है ? हरिजन, श्रमिक और खेतिहर मजदूर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं । लेकिन उनकी जायज मांगों पर भी सहानुभूति की बजाए पूरी तरह से दमनकारी रवैया अपनाया जा रहा है । यही कारण है कि लोग जनता पार्टी के विरुद्ध हो गये हैं ।

छात्र समुदाय जिसने जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन में सक्रिय योगदान दिया था, उनका इस सरकार के प्रति अब रवैया क्या हो गया है ? विभिन्न विश्वविद्यालयों में अशांति फैलती जा रही है । पिछले 13 महीने के शासन के दौरान देश में सामाजिक तनाव बढ़ता ही जा रहा है । विद्यार्थियों के बीच असंतोष व्याप्त है । समूचे समाज में सामाजिक तनाव व्याप्त है ।

जहां तक केन्द्र-राज्य संबंधों का प्रश्न है, राज्य अधिकाधिक वित्तीय शक्तियों की मांग कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने अपनी वित्तीय शक्तियों का उपयोग इस ढंग से किया है जिससे राज्यों का अहित हुआ है । बजट के अन्तर्गत ऐसी लेवी लगायी गयी है जिससे राज्य अपनी आय से वंचित होंगे । उनके पास

अतिरिक्त आय जुटाने के कोई साधन नहीं हैं। जिसके फलस्वरूप केन्द्र और राज्यों के बीच एक नया तनाव पैदा हो गया है। राज्यों के प्रति बड़ा कड़ा रवैया अपनाया जा रहा है और उन्हें ओवर-ड्राफ्ट की अनुमति नहीं दी जाती है।

विदेश नीति के मामले में 'सही गुट-निरपेक्षता' तथा 'पड़ोसी कूटनीति' जैसी नई कहावतें बनाई गई हैं। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के साथ किसी गुप्त समझौते की बात कही है लेकिन वह इस बारे में दस्तावेज पेश नहीं कर सके हैं। किसी देश के विदेश मंत्री द्वारा प्रमाणों के बिना ऐसा कहना ठीक नहीं है। कुछ भी हो विदेश नीति बहुत गलत ढंग से चलायी जा रही है।

नेपाल के साथ एक करार हुआ है जिसके अन्तर्गत व्यापार मार्ग खुले छोड़ दिये गये हैं जिसके परिणाम-स्वरूप तस्कर अपनी गतिविधियां बढ़ायेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि सिक्किम भारत का एक अंग है लेकिन प्रधान मंत्री ने इस संबंध में जो विचार प्रकट किये वह एक अच्छी बात नहीं थी और उसकी इस सदन में आलोचना हुई थी।

लघु उद्योगों पर जोर दिया जाना कोई नई बात नहीं है, इसी प्रकार कृषि क्षेत्र अथवा सिंचाई पर जोर दिया जाना भी कोई नई चीज नहीं है। नई बात तो उनका यह कहना है कि उद्योगों को बहुराष्ट्रीय फर्मों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का सामना करना पड़ेगा और जो उद्योग मुकाबला नहीं कर सकेंगे, वे बन्द किये जा सकते हैं। इसी प्रकार शिक्षा का प्रसार कोई नई बात नहीं है, नई बात तो यह है कि अब और सेकेण्डरी स्कूल, विश्वविद्यालय या कालेज नहीं खुलेंगे, सरकारी क्षेत्र, वैज्ञानिक-विषयों से सम्बन्धित कर्मचारियों, उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों के साथ कुछ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है जो देश के हित में कदापि नहीं है।

फिर जनता सरकार ने वचन दिया था कि श्रमिकों के मांग-पत्र का पूरा आदर किया जायेगा सरकार की अनिवार्य जमा योजना की राशि मजबूर ही कर कर्मचारियों को देनी पड़ी। सरकार तो इस राशि को भविष्य निधि में डालना चाहती थी परंतु राज्य सभा ने उस विधेयक को अस्वीकार कर दिया था। सरकार के सामने और कोई विकल्प नहीं रहा था। अब भी सरकारी क्षेत्र के अनेक संस्थानों के कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे है कि उनको अनिवार्य जमा योजना की धनराशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। क्या सरकार बतायेगी कि कितने कर्मचारियों को उपरोक्त धनराशि दी जा चुकी है ? कर्मचारियों में बहुत असंतोष फैला हुआ है।

इसी प्रकार बोनस के बारे में कहा गया था कि न्यूनतम बोनस उनको दिया जायेगा। क्या सरकार आस्थगित मजूरी के आधार पर बोनस देने सम्बन्धी अपने वचन को पूरा करेगी या नहीं ? अब सरकार पीछे हट रही है। कर्मचारियों में बहुत रोष है परन्तु पुलिस ने अपना दमनचक्र चला रखा है। अब कर्मचारी जनता सरकार के प्रति अपनी राय के बदल रहे है। जनता पार्टी ने श्रीमती इन्दिरा गांधी के विरुद्ध अभियान चलाया था परन्तु उनकी सरकार कोई पुनर्निर्माण का काम नहीं कर रही। जनता सरकार का निर्णय जनता का निर्णय नहीं है, प्रश्न यह है कि क्या जनता श्रीमती इन्दिरा गांधी का नेतृत्व स्वीकार करती है या नहीं? (**व्यवधान**) आज समाज का पददलित वर्ग वर्तमान सरकार से संतुष्ट नहीं है। उनमें से बहुत से लोगों ने श्रीमती गांधी के पक्ष में मतदान किया है। कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश तथा गुजरात में हुए उप चुनावों में जनता ने उनके पक्ष में मत डाले हैं। अब लोग अपने अनुभव से स्वीकार करने लगे है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी का शासन इस सरकार से अच्छा था। सरकार ने जांच आयोगों को एक मजाक सा बना दिया है। मैं शाह आयोग के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता परन्तु गृह मंत्री स्वयं कह रहे हैं कि अमुक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जायेगा। यह कर दिया जायेगा, वह कर दिया जायेगा।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । क्या आप शाह आयोग की निन्दा करने की अनुमति दे रहे हैं ? वह एक तरीके से यही कर रहे हैं । शाह आयोग न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करता है और उसे सभा की स्वीकृति से नियुक्त किया गया है ...

अध्यक्ष महोदय : वह गृह मंत्री की टिप्पणी के बारे में कह रहे हैं, शाह आयोग के बारे में नहीं । इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री सी० एम० स्टीफन : सरकार ने जस्टिस मैथ्यू के प्रतिवेदन को स्वीकार नहीं किया । वह भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे । अब शाह आयोग के प्रतिवेदन पर सचिवों की एक समिति विचार कर रही है । एक राजनीतिक मामले पर सचिवों की समिति निर्णय कर रही है । क्या इस पर मंत्रि-मंडल को निर्णय नहीं करना चाहिये था ? क्या देश की बागडोर दफ्तरशाही के हाथ में है ? यह शाह आयोग का दर्जा कम करने के बराबर होगा । सरकार ने जनता की प्रतिक्रिया को देख लिया है । वे एक व्यक्ति के प्राणों के पीछे पड़े हैं । यह बात ठीक नहीं है । सरकार अपने इस वचन को पूरा नहीं कर रही कि वे लोकतंत्रात्मक ढंग से दोष प्रकट करने के अधिकार की रक्षा करेंगे । हमारी विदेश नीति का झुकाव अमरीका और पश्चिमी देशों की ओर बन गया है । वे श्रमिक वर्ग और खेतिहरों के विरुद्ध दमन के तरीके अपना रहे हैं। जहां कहीं पद-दलित और दमनकारी के बीच संघर्ष हुआ, सरकार ने दमनकारी का समर्थन किया है । सरकार इस देश का पुनर्निर्माण करने के अपने मूल कर्तव्य को भूल गई है । सरकार के अन्दर बदले की भावना भरी हुई है । नई योजना नीति के अनुसार सरकार बहु-राष्ट्रीय निगमों की देश के उद्योगों के मुकाबले पर खड़ा कर रहे हैं और इस देश की आत्मनिर्भरता की शक्ति समाप्त करने जा रहे हैं। इस प्रकार देश को बर्बाद कर रहे हैं ।

इस समय जनता पार्टी का आपस में और सारे देश में तनाव पैदा हो रहा है । इसलिये जितनी जल्दी यह सरकार शासन छोड़ दे, इस देश के लिये अच्छा होगा और इन भावनाओं के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा इस प्रस्ताव को स्वीकार करे ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : विरोधी पक्ष के नेता ने सरकार पर बहुत जोरदार आक्रमण न करके विरोधी पक्ष के साथ न्याय नहीं किया है । हमारे प्रधान मंत्री ने कहा है कि इस प्रकार के अविश्वास प्रस्ताव से हमारी पार्टी अधिक मजबूत बनेगी । हमारी पार्टी किसी व्यक्ति विशेष का खिलौना मात्र नहीं है । विरोधी पक्ष वाले आज शाम को जब मतदान होगा तो देखेंगे कि हमारी पार्टी में कितनी एकता है । मेरे मित्र ने अपना भाषण समाप्त करते हुए सरकार को बदले की भावना से काम करने वाली और खून की प्यासी बताया है । शायद उन्होंने ठीक ही कहा है क्योंकि उनकी नेता श्रीमती गांधी कल सेंट्रल हाल में आई थी जहां उनके शासन काल में कोई भूतपूर्व सदस्य नहीं आ सकता था । वह तीन स्थानों पर विजय पा कर फूली नहीं समाती, जनता पार्टी में इतना थोथापन नहीं है अन्यथा जिस प्रधान मंत्री ने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बन्दी बनाया है, वह इतनी आसानी से बच नहीं सकता । इसके बावजूद इस सरकार को खून की प्यासी बताया गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि इनका काम केवल दोष निकालना हैं और कुछ नहीं ।

जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम कभी नहीं चाहेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 75(3) को निष्क्रिय बना दिया जाये । हमारे प्रधान मंत्री की उदारता देखिये कि उन्होंने तत्काल कहा कि हम इस प्रस्ताव पर अभी चर्चा करना चाहेंगे। हम संविधान के महत्व को किसी प्रकार कम करने के पक्ष में नही हैं। इस अविश्वास प्रस्ताव का मूल कारण सरकार भूलों और गलतियों की ओर ध्यान दिलाना नहीं बल्कि इसका

मूल कारण उप-चुनावों के परिणामों की कल हुई घोषणा है जिनमें तीन स्थानों पर उनको विजय प्राप्त हुई है । आंकड़ों से पता चलता है कि उनके मतों में काफ़ी कमी हुई है । यद्यपि जनता पार्टी वहां पर एक औपचारिक पार्टी नहीं बनी तथापि सभी स्थानों पर इनको इतनी बड़ी संख्या में मत प्राप्त हुए है । जनता पार्टी का औपचारिक संगठन न होते हुए भी यह जनता के उत्साह का परिणाम है, कर्नाटक में 60 स्थानों में हम 8 से 1600 मतों तक के अन्तर से हारे हैं क्योंकि वहां पर हमारा कोई संगठन नहीं था । इस से यदि हमारा उत्साह बढ़ा नही है तो वह घटा भी नहीं है, महाराष्ट्र में हमारी पार्टी के सब से अधिक स्थान हैं । बम्बई में उनको एक भी स्थान नहीं मिला । केवल विदर्भ में इनको स्थान मिला है जहां स्थिति कुछ भिन्न प्रकार की है । आज श्री बसु ने मांग की थी कि शाह आयोग के प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किये जाने चाहिये और अब उन्होंने यह अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है । यदि उपरोक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये गये होते तो आज हमें उन में से काफी सामग्री मिल गई होती । उनके बुरे कारनामों के बारे में उनमें काफी जानकारी उपलब्ध है । वास्तव में जैसा कि समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है , आपात स्थिति की घोषणा को लेकर ही उनके नेता के विरूद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है । संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रपति के आपात स्थिति की घोषणा करने की सिफारिश करने से पूर्व समुचे मंत्रिमंडल के साथ परामर्श करना होगा । इस अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के यही कारण हैं । मेरे विचार में श्री संजय गांधी की गिरफ्तारी भी इसका एक कारण है ।

श्री सी० एम० स्टीफन ने हरिजनों की स्थिति के बारे में भी बहुत कुछ कहा है । इस विषय पर सभा में पर्याप्त चर्चा हो चुकी है । परन्तु मैं इस सम्बन्ध में जनता पार्टी के रिकार्ड की और माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । जनता सरकार ने बिहार में हरिजनों और गिरिजनों में से तेरह या चौदह पुलिस अधीक्षक नियुक्त किये हैं और कांग्रेस के शासन काल में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दो पुलिस अधीक्षक भी नियुक्त नहीं किये गये । हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक हरिजन को गृह मंत्री बनाया गया है । क्या कांग्रेस शासन काल में किसी हरिजन को गृह मंत्री बनाया गया था?

जहां तक अल्पसंख्यकों का सम्बन्ध है, पहली बार अल्पसंख्यक आयोग स्थापित किया गया है, जब-हरिजनों या अन्य कमजोर वर्गों की असुरक्षा की बात करते है तो ऐसा लगता है कि ये अपने नेता श्रीमती इन्दिरा गान्धी की असुरक्षा के बारे में कह रहेहैं । वह स्वयं असुरक्षा की भावना फैला रही है । वे यह सिद्ध करना चाहते है कि हमारा शासन काल उनसे बेहतर नहीं है । परन्तु मेरे विचार में उनको इस कार्य में सफलता नहीं मिल सकेगी । मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि विरोधी पक्ष के पास कोई निश्चित कार्यक्रम है तो बजट सत्र में उनके पास पर्याप्त अवसर है । परन्तु इस विरोधी पक्ष का दिवालियेपन इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि योजना पर वाद-विवाद के दौरान भी इन्होंने कोई नया सुझाव नहीं दिया । उन्होंने जो सुझाव दिये भी थे, वे पूंजीवादी विकास की दिशा में थे, समाजवादी विकास की दिशा में नहीं । यदि वर्ष 1977 और 1978 के बजट की तुलना वर्ष 1976 के बजट कि साथ की जाये तो यह बात सिद्ध हो जायेगी । योजना और बजट पर वाद-विवाद के अवसरों पर वे कोई महत्वपूर्ण वैकल्पिक कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं कर सके ।

फिर उन्होंने कानून और व्यवस्था कि स्थिति का उल्लेख किया । समुचे देश में कानून और व्यवस्था के लिये गृह मंत्री को दोषी नहीं ठहराया जा सकता । वह पुराने जमाने के शहनशाह नहीं । इसका अर्थ यह है कि उनको लोकतंत्र की संकल्पना का ही पता नहीं है, कांग्रेस शासन काल में तो ऐसी बातों की

[श्री शामनन्दन मिश्र]

आशा की जा सकती थी। उन्होंने संविधान में यहां तक संशोधन कर दिया कि वे राज्य सरकारों से परामर्श किये बिना राज्यों में सेना भेज सकते है। यह उनकी कानून और व्यवस्था की संकल्पना है कि वे राज्य सरकार द्वारा सेना को मांग किये बिना किसी भी राज्य में सेना भेज सकते है। उनसे यही आशा की जा सकती थी। यह ठीक है कि उनकी कुछ राज्यों में गड़बड़ कराने के काम में सफलता मिली है। अब छात्रों में असंतोष की बात को ले लेजिये। आपात स्थिति के 18 महिनों के दौरान विश्वविद्यालयों को क्या स्थिति थी? छात्रों को जेलों में डाल दिया गया और उन्हें ऐसी अनेक प्रकार की यातनाएं दी गई जिनको देखकर हिटलर का युग स्मरण हो आता है। छात्रों को उलटा करके पंखे की तरह घुमाया जाता रहा है। अब वे उन क्षेत्रों में अनुशासनहीनता भड़का रहे है और हम स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिये गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे है। जनता पार्टी को इस बात का श्रेय जाता है कि उसने विश्वविद्यालयों में अशांति के विषय पर चर्चा करने की मांग को तुरन्त स्वीकार कर लिया है। हम इस विषय पर अपने विचारों का आदानप्रदान कर सकते हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि अब छात्र अधिक उन्मुक्त वातावरण में कार्य कर रहे। अब उनको कोई दंड या यातनाएं नहीं दे रहा है।

जहां तक विदेशी नीति की बात है हर देश में सरकार और विपक्ष में समझौता होता है। परंतु हमारे देश में ऐसी बात नहीं है। जनता सरकार द्वारा पंडित नेहरू द्वारा बनाई गई नीति का अनुसरण किया जा रहा है परंतु फिर भी इसकी सराहना नहीं की जाती।

अतः हर तरीके से यह अविश्वास का प्रस्ताव एक दीवालिया प्रस्ताव है। इस सरकार की नीतियां सफल होंगी और यह प्रस्ताव लाना इस बात का द्योतक है कि विपक्ष यह नहीं चाहता। इस प्रस्ताव को लाने से उनकी रूप इस देश की जनता के सामने प्रकट हो गया है।

श्री हितेन्द्र देसाई (गोधरा) : अपने दल की ओर से मैंने मंत्री परिषद में अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना दी हैं। **(अंतर्बाधाएं)** हम जानते कि प्रस्ताव के स्वीकार हो जाने मात्र से ही यह सरकार नहीं गिरनेवाली। परंतु जहां तक विपक्ष का संबंध है नियम 198 के अन्तर्गत यह प्रस्ताव विपक्ष के हाथों में एक बहुत बड़ा अधिकार है।

मैं सरकार को स्पष्ट रूप से यह बताना चाहता हुं कि गत 13 महीनों की घटनाओं से हम चिंतित नहीं है वस्तुतः गणराज्य की सर्वोच्च सत्ता भी चिन्तित प्रतीत होती है। इस प्रस्ताव के द्वारा हम सरकार को यह दिखाना चाहते हैं कि सरकार जनता-विरोधी नीतियों के लिये जिम्मेदार है। लोकतन्त्र पर आधारित सरकार विपक्ष की टीका टिप्पणियों से अधिक सीख सकती है। प्रधान मंत्री तथा मंत्री परिषद को इसी रूप में इस प्रस्ताव को लेना चाहिये।

श्री श्यामबाबू की यह बात बहुत हास्यास्पद है कि सत्तारूढ़ दल में एकता है। हम सत्तारूढ दल को केवल चेतावनी दे रहे हैं कि उनको गिरावट शुरू हो गई है। देश में यदि हम चारों ओर नजर फैलाये तो क्या हम कह सकते है कि जो कुछ दिखाई देता है हम उससे सन्तुष्ट हैं। आज जो अनिश्चितता की स्थिति है वह पहले कभी भी नहीं थी। देश में जातिवाद की प्रवृति फैल रही है, विघटनकारी प्रवृत्तियां पनप रही हैं। बेरोजगारी तथा गरीबी को हटाने की बातों के बावजूद हम देखते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है। कमजोर वर्गों में एक स्पष्ट अनिश्चितता की स्थिति दिखाई देती है। अल्पसमुदायों की भी यही हालत है। इन सब समस्याओं को हल करने में सरकार की असफलता ने ही हमें इस प्रस्ताव को लाने को प्रेरित किया है।

कानून और व्यवस्था की हालत को न दोहराते हुए मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली सीधे गृहमंत्री के अधीन है चूंकि दिल्ली का प्रशासन सीधा गृह मंत्रालय के अधीन है। 1977 वर्ष की पहली तिमाही के बारे में अपराधों की संख्या यदि 1978 के लिये आंकड़ों से तुलना करे तो पता चलता है कि उनकी संख्या 7286 से बढ़कर 13417 हो गई है। चिंता का विषय यह घटनाएं नहीं अपितु चोरी, कत्ल आदि घटनाओं का पुलिस द्वारा पता लगाने की संख्या है जिनको देखकर स्पष्ट रूप से पता चलता है कि कानून और व्यवस्था तन्त्र का कार्यकरण सुचारु नहीं है।

समाज के कमजोर वर्गों पर अत्याचार की स्थिति को देखें तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये वर्ग वर्तमान सरकार के अधीन अपने आपको बहुत अधिक असुरक्षित पा रहे हैं। यह समस्या केवल कानून और व्यवस्था से ही सम्बद्ध नहीं हैं। संविधान में इनको कुछ संरक्षण प्राप्त हैं परंतु आज उन्हे वह उपलब्ध नहीं है और उनमें असुरक्षा की भावना बढ़ रही है।

संविधान में केन्द्रसरकार पर अनुसूचित जातियों के बारे में कुछ उत्तरदायित्व हैं परंतु पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में उनके विकास अथवा कल्याण के लिये कोई प्रभावी योजनाएं नहीं हैं।

अधिकतर विश्वविद्यालय आज बन्द पड़े हैं। विद्यार्थियों में अशांति है। सारी शिक्षा पद्धति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। गत वर्ष शिक्षा मंत्री ने कहा कि 10+2+3 पद्धति अब जड़ पकड़ चुकी है परंतु अब कहा जा रहा है कि इस पर फिर से विचार किया जा रहा है। शिक्षा के साथ इस खिलवाड़ का हमारी भावी पीढ़ी पर कुप्रभाव पड़ेगा। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार की प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के बारे में क्या नीति है।

मंत्रियों के लिये आचरण संहिता पर विचार करें तो आज अनेक आयोग गठित किये गये हैं। हम इन आयोगों के विरुद्ध नहीं परंतु प्रश्न केवल इतना है कि इन आयोगों की सिफारिशों के बारे में हमारी नीति क्या होगी। क्या उनका उपयोग राजनैतिक स्वार्थों के लिये किया जायेगा ? क्या इस बारे में दोहरी नीति अपनाई जायेगी ? आज सारा देश इस बात से चिंतित है।

श्री एस० एन० मिश्र ने कहा कि सरकार में बहुत एकता है। मेरे सामने मंत्रिमंडल के एक बहुत ही प्रवर मंत्री का वक्तव्य है जिसमें उन्होंने कहा है कि दल के नेता का चुनाव लोकतंत्री ढंग से नहीं हुआ। अतः यह स्पष्ट है कि सरकार में एकता नहीं है।

जहां तक योजना के मसौदे की बात है, प्रधान मंत्री द्वारा उसकी बहुत प्रशंसा की गई है। परंतु उसका सारा ढांचा इस आधार पर खड़ा है कि मूल्यों में स्थिरता रहेगी। मेरे विचार से यह कल्पना गलत है। ज्योंहि यह असफल हुआ सारा ढांचा ढह जायेगा। यही स्थिति संसाधन जुटाने के बारे में है इसमें उल्लिखित दर को प्राप्त करना संभव नहीं है। फिर यह आयोजना का नहीं कार्यान्वियन का प्रश्न है। आज केन्द्र एवं राज्य सरकारों का प्रशासन निहित स्वार्थों के हाथों में है अतः इस योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना अत्यन्त कठीन है।

गांवों में पेय जल उपलब्ध कराने की बात को देखें। इसके लिये केवल धन उपलब्ध करने की ही बात नहीं रहती अपितु कई अन्य कार्य भी करने होते है। मेरा विश्वास है कि इस बारे में नियत लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। मैं इन बातों का उल्लेख केवल यह बताने के लिये कर रहा हूं कि पता चल सके कि देश निहित स्वार्थों के कब्जे में है।

सरकार को तथा सत्तारुढ़ दल को यह समझना चाहिये कि यदि जनता की समस्याओं को हल नहीं किया गया तो यह सत्तावाद के बीज बोना होगा। लोग यह सोचने लगेंगे कि उनकी समस्याएं केवल तानाशाही से ही हल हो सकती हैं।

Dr. Murli Manohar Joshi (Almora) : The opposition has not been able to put any logic in their speeches. They have said that there is no cohesion in the Janata Party I want to assure them that the Party is not going to break.

It has been alleged that Janata Party is using Judiciary on the path of vindictive machinery. I want to say that there can be no other example in the world history with regard to restoration of Civil Rights. The coverage being given to opposition on Television, Radio and Press was not available even during pre-emergency period. There is no doubt student unrest, but it is due to the fact that why perpetuous of emergency have not been failed. Students want those things to happen to ex-rulers which happened to rulers in the neighbouring countries. But we do not want that. We want to establish rule of law. They were ruling for 30 years and raising slogans of socialism. But they did not remove properly from Fundament Rights.

The leader of the opposition has said that the Government is going astray. But this is a baseless charge. we are moving in right directions. Our attitude towards public sector is very clear. The Government has not closed any of the public sector unit. A large amount was earmarked for Rural Electrification in the last budget. Power general is wholly under public sector and largest provision has been made for that sector. It clearly goes to show Governments attitude towards this sector.

It has been alleged that the country has moved away from the goal of self-reliance. But I would like to say our Government has done maximum in this direction. To-day we are even exporting food-grains. The boldness with which our policy with regard to signing of non-proliferation treaty is clear indication of our self reliance. No Prime Minister has stood so firmly against the pressure of those countries who consider themselves as Super-Powers. This has added to the image of India throughout the world. Whatever has been said about foreign policy lacks logic. Our policy has shown what really is "genuine non-alignment".

It has been alleged that crime rate is increasing. The reason for increase in number of case is that previously these cases were not being registered whereas the present Government has given orders that all the complaints should be registered. It has been further alleged that to-day minorities are feeling insecure under Janta Government. I want to point out that there has not been even a single case of communal disturbance during one year of Janata Party rule. Today this Government has set up a Minorities Commission in the country for the first time. It has been said that no povision has been made in the plan for providing job opportunities for Harijans and backward classes. Efforts are being made to give practical shape to the concept of 'Antyodaya' in Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Rajasthan with a view to help Harijans and other backward classes to stand on their own.

Government's attitude towards Science and Technology is that we do not want to blindly follow any country. We want to make use of Science and Technology for the development of rural masses. What was previous Government's attitude? Huge plants were set up which deprived poor people of opportunities and which contributed towards increase in unemployment. But this Government has adopted a new approach in this regard. It is expected that it will help in the eradication of unemployment from the country within a period of 10 years.

It is not clear to say that we have lost confidence of people which is evident from our defeat in Azamgarh bye-election. There have been three bye-elections out of which two were won by our party and this was the ratio at the time of general elections also. So your win in one bye-election does not mean that we have lost confidence of people.

श्री टी० ए० पई (उदीपी): पहले के वक्ता ने उन बातों का उल्लेख किया जो सरकार करने जा रही है । यदि उनके स्वप्न साकार हो गये तो उससे जनता का भला होगा । आज जनता का देश के

नेतृत्व में विश्वास हट रहा है और यह सब से बड़ी हानि है। क्योंकि जनता को नेतृत्व की अपेक्षा होती है। जनता ने हमें अस्वीकार करके आपको सत्ता सौंपी। परंतु आप उस अवसर का लाभ जनता की आवश्यक समस्याओं को हल करने के स्थान पर स्वयं अपनी समस्याओं का हल करने के लिये उठाना चाहते हैं। प्रधान मंत्री एवं गृह मंत्री के बीच का जो पत्राचार समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है वह क्या बताता है? स्वयं उद्योग मंत्री श्री फर्नांडीज ने स्वीकार किया है कि दल जनता का धीरे-धीरे विश्वास खो रहा है। यदि इसी प्रकार चलता रहा तो उसके भयंकर परिणाम निकल सकते हैं। कांग्रेस ने यह समझ कर भूल की कि कांग्रेस और देश एक है यदि आपने भी यही भूल की तो यह उचित नहीं होगा। आपको जनता से किये गये वायदों को निभाना है। आज सत्ता रूढ़ दल में 60 वर्ष से अधिक आयु वालों के रिटायर होने के प्रश्न पर आपसी मतभेद हैं। दल में पूरी तरह से एकता नहीं है।

देश की समस्याएं 30 वर्षों में उग्र हुई हैं। उनको हल नहीं किया जा सका आज आप क्या करना चाहते हैं। हम आपसे सहयोग करने के विरुद्ध नहीं है। हम टकराव नहीं चाहते। यदि आप यह कहना चाहते हैं कि हमारे कारणों से लोकतन्त्र का देश में विनाश हुआ तो क्या आप निष्क्रियता के द्वारा देश का विनाश करना चाहते हैं।

केवल चुनावों के परिणामों से ही स्थिति का अनुमान न लगाया जाये। जनता ने आप को सत्ता सौंपी तो उसको विश्वास था कि आप उस की समस्याओं को जानते हैं उनको हल किया जायेगा। परंतु अब किस बात की प्रतीक्षा की जा रही है।

हरिजनों पर अत्याचार हमारी एक सामाजिक बुराई। मैं इसके लिये आप पर दोष नहीं लगा रहा। परंतु हम सत्ता में रहते इस को दूर नहीं कर सके तो इसका यह तात्पर्य नहीं कि आप भी उसे हल न करें और तुलनात्मक आंकड़ों के द्वारा स्थिति की व्यवस्था करते रहे।

मैं इस बारे में चिन्तित हूं कि असन्तोष बढ़ता जा रहा है और आपके एक वर्ष के शासन के दौरान पुलिस द्वारा गोली चलाये जानेसे 300 व्यक्तियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। समस्याओं का जवाब गोली नहीं है। अगर यही गति जारी रही तो, जनसाधारण किस प्रकार अपने अस्तित्व को बनाये रख सकेगा ?

अव्यवस्था होने पर एक महीने में तीन बार सेना को बुलाना पड़ा। हम कानून और व्यवस्थाकी स्थिति बनाये रखने की स्थिति पर अपना नियन्त्रण खोते जा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है ? अब समय आ गया है, जब कोई भी देश के साथ, देश की गरीब जनता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर युद्ध करना ही है, तो युद्ध करना चाहिए गरीबी से, अशिका से, प्रत्येक बुराई से और अपनी राष्ट्रीय चारित्रिक कमजोरी से, जो हमारे महान राष्ट्र बनने में सब जगह आड़े आ रही है।

मुझे बड़े दुखी मन से यह कहना पड़ रहा है कि क्या क्या गलतीयाँ की जा रही है। मैं ऐसा इस लिए नहीं कह रहा कि आप सत्ता त्याग दें। आप पूरी पदावधि तक सत्ता में रहिये। आप कहते हैं कि कांग्रेस के 30 वर्ष के शासन में कुछ भी नहीं हुआ। आप चाहते हैं कि आपका पूरा कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद लोग यह आरोप लगायें कि जनता शासन के दौरान कुछ भी कार्य नहीं हुआ।

अनवरत योजना को आप बनाये रखें, परन्तु उसका काम निराशाजनक नहीं होना चाहिए, क्योंकि शेखी बधारने से कुछ होने वाला नहीं है।

श्री मिश्र ने कहा कि वर्ष 1976 की अपेक्षा 1977-78 का बजट बेहतर है। आप यह क्यों भूल जाते हैं कि जनता सरकार ने पूंजी पतियों को मिलने वाली किसी रियायत को बन्द नहीं किया है। उनमें केवल सुधार किया है। जो गलत है, उसे समाप्त किया जाय।

[श्री डी० ए० पं]

हम तो यही चाहते हैं कि समूचा देश सफल हो। किसके नेतृत्व में सफल हो, यह कोई अर्थ नहीं रखता। कोई न कोई तो प्रधान मंत्री होगा ही और उस पद पर किसी का एकाधिकार नहीं है, परन्तु देश किस दिशा में जाता यह अधिक महत्वपूर्ण है, बनिस्बत इसके कि कौन प्रधान मंत्री बनता है।

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur) : The opposition has claimed that even Shri Jai Prakash Narain is not pleased with Janata Party. But they forget what he had actually said was that the Janata Party is a part of his being and that if Janata Party proves to be a failure the country would see only anarchy and chaos.

The opposition is neither in a position to remove the Janata Government from power, nor have they suggested any constructive programme. As such their action to bring this no-confidence motion is ridiculous and would simply result in waste of time.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

A great political leader has said that right to censure Government implies right to ensure good and clean Government by the party in power. But the opposition has neither any alternative nor any programme. They have only one programme and that is the return of Mrs. Indira Gandhi. But the young generation and the intellectuals of India would never welcome dictatorship for the country.

The defeat of the Janata Party in bye-elections for two U.P. Assembly seats and one seat for the Lok Sabha should be taken cut motion only. It is true that people had very high expectations from the Janata Party, but it is the duty of opposition also to co-operate with Government.

The law and order situation is a state subject. Had the opposition extended their co-operation in this regard, it would have improved further. But it is a matter of regret that they are adopting an aggressive role everywhere. However it is bound to improve.

The opposition leaders are mainly raising only two issues everywhere — atrocities on Harijans and the interests of minorities. It was the Congress Government which evaded the Aligarh Muslim University issue for so many years. Within one year of its coming into power, the Janata Government had brought the so much demanded Aligarh Muslim University Bill. The minorities would shortly find as to how their interests are being protected by the Janata Government and then we would gain their confidence. As for atrocities on Harijans, I would like to draw the attention of the opposition to the fact pointed out in the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes that atrocities committed on Harijans in Tamilnadu are six times more painful and shameful than those that took place in Belchi.

The prestige of the External Affairs Ministry has reached at such a height within one year at which it could never reach in 30 years even. Our youths shed their blood for the freedom of Bangla Desh and our relations with that country got spoiled during the Congress regime. It is the Janata Government now which has succeeded in making Bangla Desh our friend by concluding Farakka Agreement and has also improved our relations with Pakistan and Nepal. Today India has been able to get a specific place of importance in the world. Our policy is that non-alignment should genuinely remain non-alignment and it should not become a policy of surrender.

How ridiculous it is to claim, just on the ground that Janata Party has lost one Lok Sabha seat in bye-election, that the people have lost confidence in the Janata Government, while the parties which have moved this motion of no-confidence lost many seats in states.

It has been alleged that the Janata Government has failed to fulfil its promises made to the people. But if Janata Party manifesto is seen it would be found that there is almost no such promise which has not been fulfilled so far or attempts for fulfilling them are not being made.

It is for the first time that the Janata Government has adopted a policy of village oriented economy and education, which the previous regime did not adopt even during 30 years of its rule. The previous regime has simply given us crores of unemployed and illiterates in inheritance.

श्री पी० वेंकट सुबय्या (नन्दयाल) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री श्याम बाबू ने अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए यह कहा कि उनकी पार्टी में पूर्ण एकता है, परन्तु तथ्य इसके विपरीत है । उसके पाँच बड़े नेता पहली बार एक साथ भोजन करने के लिए सहमत हुए हैं । दूसरे, गृह मन्त्रीजी रक्षा मन्त्री को उनके जन्म दिन पर बधाई देने गये थे । क्या इसी से एकता आ जाती है ?

अधिनायकवाद की बात कही गई है । परन्तु इस समय सत्ता में वे लोग शामिल हैं, जिनका आपात स्थिति की तथाकथित ज्यादतियों में हाथ था । दल बदल की वे बात करते हैं, परन्तु क्या उनकी पार्टी में दल बदल करके शामिल होने वाले लोगों के पाप धुल गये हैं । उन्हें कांग्रेस पार्टी की आलोचना करने का क्या नैतिक अधिकार है ?

जनता पार्टी का सदन में भले ही बहुमत हो, परन्तु देश की जनता का बहुमत अब उनके साथ नहीं है । हाल ही के चुनावों में यह बात स्पष्ट हो चुकी है । जनता पार्टी बनने के बाद से जमींदार और स्वायत्तवादी लोग समझने लगे हैं कि अब उनका शासन आ गया है और हरिजनों पर मनमाना अत्याचार किया जा सकता है । इस वर्ष कितनी बार गोली चली है ? समाचार पत्रों में बराबर जनता पार्टी की अकर्मण्यता के समाचार आ रहे हैं ।

इस प्रस्ताव को लाने का हमारा उद्देश्य केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की जनविरोधी नीतियों और उनकी त्रुटियों को सामने लाना है । लोग समझ गये हैं कि सरकार जो सामाजिक और आर्थिक नीतियाँ अपना रही है और जिस राजनीतिक दिशा की ओर चल रही है, उससे देश बर्बाद हो जायगा । इस सरकार को एक दिन भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है ।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : हम इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन नहीं करते हैं । यह अविश्वास प्रस्ताव हाल के उप-चुनाव में हुई विजय की खुशी में लाया गया है । लेकिन जनता पार्टी की सरकार को इसकी वास्तविकता देखनी चाहिए । यह कोई मात्र खुशी की बात नहीं है, इसके पीछे कोई और बात भी है । यह जनता पार्टी की सरकार की साख और प्रतिष्ठा के निरन्तर ह्रास का प्रतिबिम्ब है । कांग्रेस (आई) और श्रीमती इन्दिरा गांधी इसका पूर्ण लाभ उठा रही हैं और वह सत्ता में आने का भरसक प्रयास कर रही हैं । इसी कारण हमारे देश में अधिनायकवाद का खतरा बढ़ता जा रहा है ।

केवल जनता पार्टी ही देश में संसदीय लोकतन्त्र बहाल करने के लिए वचनबद्ध नहीं है । अतः जनता अपने ही अनुभव से सरकार के कार्यों का निर्धारण करेगी । इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि दिन प्रतिदिन असन्तोष बढ़ता जा रहा है । यह इस कारण है कि जनता पार्टी की सरकार के डेढ़ वर्ष के शासन-काल में अनिवार्य वस्तुओं के मूल्य कम नहीं किये जा सके हैं ।

[श्री समर मुखर्जी]

जनता पार्टी की सरकार वही नीति अपना रही है जो इन्दिरा गांधी की कांग्रेस सरकार बर्षों तक अपनाती रही थी। यदि जनता पार्टी की सरकार ने एकाधिकारवादियों, जमींदारों, साहूकारों और सभी निहित स्वार्थों बहु-राष्ट्रिक कम्पनियों, मजदूरों, कर्मचारियों और आम जनता के बारे में अपनी मूल नीति में परिवर्तन नहीं किया, तो जनता पार्टी की भी वही स्थिति होगी।

जनता पार्टी 42 वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा निर्मित अधिनायकवाद के ढाँचे को समाप्त करने के लिए वचनबद्ध है। अब एक नया विधेयक आ रहा है। जनता को शंका है कि जब तक संविधान के नाम से आपात स्थिति लागू करने वाले मूल उपबन्धों को समाप्त नहीं किया जाता और संविधान की मूल विशेषताओं की रक्षा और गारंटी नहीं होती, तो इस बात का भय है कि यदि कांग्रेस फिर सत्ता में आ गई, तो देश में फिर वही पुरानी आपात स्थिति लागू की जा सकती है। संविधान की मूल विशेषताओं को बदलने के लिए जनमत के द्वारा जनता का निर्णय प्राप्त करना होगा। कांग्रेस (आई)ने इसका विरोध किया है। अब वह फिर सत्ता में आने और बहुमत प्राप्त करने के बारे में सोच रहे हैं। वे संसदीय लोकतन्त्र को पूर्ण रूप से समाप्त करता नाशाही शासन लागू करने का प्रयास करेंगे। इसलिए यह खतरा बढ़ रहा है। अतः जनता सरकार को हमारे अनुरोध के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए।

यह सरकार भी श्रीमती इन्दिरा गांधी की ही वेतन नीति अर्थात् वेतन नाम की नीति अपना रही है। अनिवार्य जमा योजना अब भी जारी है। यद्यपि जनता पार्टी ने पुराने बोनस अधिनियम को बहाल करने का वचन दिया है, परन्तु सरकार ने केवल एक वर्ष के लिए बोनस दिया है। जनता पार्टी की सरकार ने बोनस के सिद्धान्त को आस्थगित वेतन स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है। यह सरकार आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन देने के अपने चुनाव-वायदे को पूरा नहीं कर रही है। सरकार अपनी इन नीतियों के कारण ही सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग को नाराज कर रही है। औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक के बारे में समाचारपत्रों में इस आशय के समाचार प्रकाशित हुए हैं कि सभी केन्द्रीय कार्मिक संघों द्वारा संयुक्त समिति में किये गये समझौते को प्रभावहीन किया जा रहा है।

योजना प्रारुप इस तरह तैयार किया गया है कि बड़ी-बड़ी रियायतें एकाधिकारवादियों को दी गई हैं। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग का जनता सरकार की नीतियों के विरुद्ध हो जाना सम्भव है।

इन्दिरा गांधी और कांग्रेस (आई) हरिजनों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के अधिकाधिक मत प्राप्त करने में क्यों सफल रही, क्योंकि जनता सरकार ने उनकी रक्षा नहीं की। उन पर हो रहे आक्रमण और उत्पीड़न से उन्हें नहीं बचाया। इसी लिए यह स्थिति उत्पन्न हुई।

जनता पार्टी को अपने कार्यकरण के बारे में गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार करना चाहिए और जिस ढंग से वह आत्मतुष्टि व्यक्त कर रहे हैं, उससे उन्हें कोई सहायता मिलने वाली नहीं है। जनता पार्टी में जो अन्तर्द्वन्द्व चल रहा है, उससे जनता पार्टी की छवि बिगड़ती जा रही है। जो लोग लोकतान्त्रिक शक्तियों को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की अधिनायकवादी शक्तियों को पुनः सत्ता में नहीं आने देना चाहिए। हमें फिर से अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ अधिनायकवाद की प्रवृत्ति के साथ संघर्ष करना चाहिए। हम सब को मिलकर संगठित रूप से जनता पार्टी को अपनी आधारभूत नीतियों में परिवर्तन करने के लिए दबाव डालना चाहिए और यदि जनता सरकार असफल रहती है, तो लोग उसे भी हटा देंगे।

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : हमारी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि विरोधी दल के नेता किसको लाभ पहुँचाने के लिए अब यह प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कुछ उन पुरानी कहानियों को दुहराया है, जिनके सदस्य चर्चा करने के बाद पहले ही अस्वीकार कर चुका है। उन्होंने कोई नये तथ्य प्रस्तुत नहीं किये है।

30 वर्षों में पहली बार यह अवसर आया है जबकि हमारे देश में पूर्ण तया लोकतान्त्रिक सरकार और मन्त्रिमण्डल का गठन हुआ है। हमारी कुछ दलीय समस्यायें हैं। हमने 10 दलों को मिलाकर एक दल बनाया है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे यहाँ शक्तियों का विभाजन करने की अपेक्षा उनको इकठ्ठा करके जोड़ा गया है। हमें सशक्त अस्तित्व प्राप्त करने में कुछ समय तो लगेगा ही, परन्तु समय गुजरने के साथ साथ हमारा दल और अधिक सुदृढ़ होता जायगा। हमारे दल में सैकड़ों नये लोग हैं, नया खून है। राज्यों में भी ऐसे लोग है, जो निम्न स्तर से सीधे मन्त्री या मुख्य मन्त्री पद पर पहुँच गये हैं। उन्हें सीखने में कुछ समय लगेगा। हमने अपनी त्रुटियों से ही बहुत कुछ सीखा है। यदि हमारा कोई ऐसा नया व्यक्ति है जो मन्त्री या मुख्य मन्त्री बन गया है और यदि वह सरकार नहीं चला पा रहा है, तो हमें उसे ठीक रास्ते पर लाना होगा। यदि उससे कोई भूल हो जाती है, तो क्या देश के लोकतान्त्रिक संस्थानों को उसे अपनी भूल सुधारने के लिए समय तथा उपयुक्त परामर्श नहीं देना चाहिए? मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि हमारी विदेश नीति की आलोचना क्यों की जा रही है? हमारे देश की विदेश नीति का संचालन हमारे विदेश मंत्री तथा प्रधान मंत्री द्वारा बहुत सफल रूप से किया जा रहा है। हमारी विदेश नीति आत्म निर्भरता, गौरव और राष्ट्रीय आत्म-सम्मान पर आधारित है।

हमारी सरकार के सत्ता में आने से पूर्व पिछली सरकार ने बोकारो इस्पात संबन्ध के बारे में रूस के साथ 300 करोड़ रुपये के करार पर हस्ताक्षर किये गए थे। हमने इस करार को दोबारा किया है और इस कार्य में लगे हुए अपने इंजीनियरों को ही हमने यह काम सौंप दिया है। 300 करोड़ रुपये कोई साधारण बात नहीं होती। जनता सरकार ने यह निर्णय किया हुआ है कि वह किसी भी वस्तु विशेष के लिए विश्व की किसी विशेष शक्ति पर निर्भर नहीं करेगी। यहाँ तक कि हैवी वाटर भी हम अपना ही बनायेंगे, चाहे अमरीका इसे दे या न दे। प्रधान मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चाहे अमरीका इसे दे या न दे, हम उसके सामने झुकने वाले नहीं है। देश के राष्ट्रीय हित के लिए इस प्रकार के दायित्व-पूर्ण वक्तव्य पर देश को गर्व होना चाहिए। हम दासता के विरूद्ध हैं। हम हरिजनों के साथ बुरा व्यवहार किये जाने के भी विरुद्ध हैं और हम ऐसी और भी बहुत सी चीजों के विरुद्ध हैं, परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। सरकार ने या किसी ने भी ऐसी किसी बात का समर्थन नहीं किया। हमारी सरकार अपनी पूर्ण शक्ति तथा सामर्थ्य के साथ हरिजनों तथा दलित लोगों की दशा सुधारना चाहती है। आपात स्थिति के दौरान पुलिस की जो प्रवृत्ति बन गई थी, वह अभी भी विद्यमान है। उस पर नियन्त्रण करने तथा उसे उचित स्तर तक लाने में समय तो लगेगा ही।

किसी सदस्य ने यह भी कहा है कि कर्नाटक तथा आन्ध्र प्रदेश में हमारी पराजय हुई है। कांग्रेस की आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मनीपुर तथा मेघालय में पराजय हुई है। हमारा लक्ष्य कर्नाटक में 7 सीटें प्राप्त करने का था, जबकि हमें 6 सीटें प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार आन्ध्र प्रदेश में भी हमार लक्ष्य 7 सीटें प्राप्त करने का था, जबकि हमें केवल 6 सीटें ही प्राप्त हो पाई है। फिर यह किस प्रकार कहा जा सकता है कि हम पराजित हो गये हैं।

[श्री बीजू पटनायक]

मैं समझता हूं कि व्यर्थ के इस अभ्यास को करने को आवश्यकता नहीं थी। प्रस्तावक द्वारा यह अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के बाद सदन का सरकार और उसके नेता में विश्वास और भी अधिक बढ़ जायगा।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : यह अविश्वास प्रस्ताव आज के वातावरण तथा लोगों के विचारों और उनकी भावनाओं का सूचक है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि राष्ट्रीय गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में असन्तोष व्याप्त है। सरकार राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में असफल रही है।

जनता सरकार ने बिना दबाव के किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया है। उस समय तक न्यूनतम बोनस नहीं किया गया जब तक मुख्य मन्त्रियों ने यह नहीं कहा कि अगर न्यूनतम बोनस नहीं दिया गया, तो देश भर में असन्तोष और अव्यवस्था बनी रहेगी।

संसद में विरोध के बावजूद भी सरकार का निवारक नजरबन्दी विधेयक लाने का दृढ़ संकल्प था। आन्ध्र, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र विधान सभा चुनावों के कारण सरकार को निवारक नजरबन्दी विधेयक वापस लेने के लिए बाध्य होना पड़ा है। हरिजनों और अल्पसंख्यकों की दशा के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। यदि हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों में वृद्धि हो रही है, तो इसके लिए जनता सरकार का दृष्टिकोण ही जिम्मेदार है। मन्त्रियों के उत्तेजक भाषण ही इस प्रकार की स्थिति को जन्म दे रहे हैं।

जनता सरकार के सत्ता में आने के बाद साम्प्रदायिक दंगों में वृद्धि हुई है। 1977 के दौरान इन दंगों में बहुत वृद्धि हुई है। सरकार की नीतियाँ जन और श्रम-विरोधी हैं।

लोगों का दृष्टिकोण और निर्णय स्पष्ट है। विश्व के किसी भी भाग में किसी भी दल ने इतने थोड़े से समय में लोगों का विश्वास इस प्रकार नहीं खोया है, जिस प्रकार पिछले तेरह महीनों के दौरान जनता पार्टी ने खोया है। जनता पार्टी एक विचित्र वातावरण में पैदा हुई और अब जनता उससे तंग आ चुकी है। मैं अविश्वास प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): There does not appear to be any omission or commission on the part of the Janata Government which could provoke the opposition to bring forward a no-confidence motion against the Government. There are three parties which are supporting the motion for no-confidence for their own reasons. Congress (I) has brought forward the Motion to celebrate their victory in the bye-election in Azamgarh. The Congress Party has joined hands because they want to show that they are also an opposition party. The C.P.I. is giving their traditional support to Congress-I.

The defeat of the Janata Party in a bye-election here or there is no ground for bringing forward this Motion. In the past when Congress was ruling they had suffered worse defeats in bye-elections, but they did not relinquish power.

So far as the foreign policy of the Janata Government is concerned, it is not criticised by any body in the world except Shrimati Indira Gandhi and now the Leader of opposition had chosen to criticise it. But he should keep this in mind that if there is a referendum on this issue, the Janata Party would get 90 per cent votes. We are not Pro-America, as was made out. The reply that our Prime Minister gave to the President of America during his last visit to India is a glaring proof of it.

As regards our style of functioning, we have given all respect to the opposition. Our Prime Minister has clearly said that Government would discuss all national

issues with them whether it be Harijan affairs, labour unrest or constitutional amendments. It is our Party which has bestowed Cabinet rank on the Leader of the opposition.

Much has been said about Pantnagar firing. He did not want to say anything about it as judicial inquiry was going on. But is it not a fact that during the 18 months of emergency, there were firings at 273 places in the country?

The performance of the Janata Government has been quite creditable. We have not only given bonus to the workers but have also averted the rising trend in prices. Of all the countries of the world, India is the only country where prices have not increased during the last 12 months. Therefore, our performance has been quite good in comparison to any Government in the past.

श्री एल० के० डोले (लखीमपुर) : ऐसी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए बहुत ही दुःख होता है जो 30 वर्ष की आजादी के पश्चात् हाल ही में सत्ता में आई है। सारे विश्व को इस पार्टी को बहुत आशायें थीं कि वह पिछली सरकार की त्रुटियों को ठीक करेगी परन्तु इस सरकार ने अभी तक गड़े मुर्दे उखाड़ने के सिवाय कुछ नहीं किया है।

जनता पार्टी हर बात के लिये आपात स्थिति को दोषी ठहराती है मगर क्या वह यह नहीं जानती कि आपात स्थिति की बदौलत ही तो यह अस्तित्व में आई और उसे सत्ता पाने का सुअवसर मिला? 30 वर्ष के पश्चात्, छः आम चुनावों के पश्चात् बनी यह पार्टी ठीक उसी प्रकार लगती है जैसे किसी छात्र ने छः प्रयत्न करके मैट्रिक पास किया हो परन्तु अब तक वह आयु सीमा पार कर जाने के कारण उच्च स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश नहीं पा सकता। उसकी योग्यता बस यहीं तक सीमित रहेगी।

छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में जब श्री मोरारजी देसाई ने यही बताया था कि वह योजना को गांधीवादी अर्थ-व्यवस्था के सिद्धान्तों पर आधारित करना चाहते हैं तो मुझे बड़ा संतोष हुआ था। परंतु मुझे लगता है कि प्रधान मंत्री ऐसे सिद्धान्तों का प्रचार तो खूब कर सकते हैं परन्तु अपने दल को उन सिद्धान्तों पर चला पाने में असमर्थ हैं। यही कारण है कि आज उनकी सरकार के विरुद्ध हमें प्रस्ताव पर विचार करने की आवश्यकता आन पड़ी है।

गृह मंत्री श्री चरण सिंह यद्यपि कट्टर कांग्रेसी तथा नेहरूजी के बड़े प्रशंसक रहे हैं परन्तु अब उन्होंने कांग्रेस और नेहरूजी पर ही छींटाकशी शुरू कर दी है। श्री जवाहर लाल नेहरू वस्तुतः ही सारे देश को जोड़ रखने की अथाह शक्ति के स्वामी थे उनके नाम पर उनके लोग भारतीय बन गये वरना न जाने कितने लोग भारतीय न रहते। परन्तु श्री चरण सिंह द्वारा ये उद्धरण देना कि नेहरू यदि भारत के प्रथम प्रधान मंत्री न होते तो भारत ने बेहद उन्नति की होती, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये बातें केवल भ्रम ही फैला सकती है। यह कहना भी गलत है कि उक्त अविश्वास प्रस्ताव श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा प्रेरित है क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने यह कह कर जनता पार्टी को एक प्रकार का प्रशंसापत्र दिया है कि यह पार्टी टूटेगी नहीं। फिर भी आप श्रीमती गांधी पर ऐसा आरोप लगाते हैं।

आज मूल्यों में भारी वृद्धि हो चुकी है और जब आप मूल्य वृद्धि नहीं रोक पाते तो आप कांग्रेस की कब्र खोदना शुरू कर देते है। आखिर कोई कब्र खोदने से क्या मिलेगा? मात्र बदबू ही तो मिलेगी और जनता पार्टी ने अभी तक जो सफलता पाई है वह बस कांग्रेस की कब्र खोदकर बदबू फैलाने में ही पाई है। वैसे आप तो इसे आजादी की खुश्बू कहते होंगे।

मुझे इस बात की चिन्ता नहीं है कि इस अविश्वास प्रस्ताव का क्या परिणाम होगा। आप अपने बहुमत के बल पर इसे पराजित कर सकेंगे। वस्तुतः जनता नेताओं ने यह समझ लेना चाहिये कि उनके

[श्री एल० के० डोले]

जेल से बाहर आने से पूर्व चोर बाज़ारिये, मुनाफ़ाखोर, जमाखोर तथा तस्कर ये चार तत्व पहले निकले थे जिनके प्रभार के बल पर ही आप लोग चुनाव की बाजी जीत गये। मगर अब आप बहुत समय तक जनता-जनार्दन को धोखे में नहीं रख सकते। आप की स्थिति ठीक वैसी ही जैसे कि शरद ऋतु में बनी बर्फ की मूर्ति की। शरद् ऋतु में बनी मूर्ति ग्रीष्म की गर्मी लगते ही पानी बन कर बह जाती है। यही परिणाम आपकी सरकार का होगा।

Shri Brij Bhushan Tiwari (Khalilabad) : This 'no-confidence' motion is not only a hasty move to malign Janata Government but it is also a very weak and unlively endeavour. In fact, Congress (I) feels swollen just on a petty victory in U.P. bye-election in Azamgarh. It is an act of cowardise to feel overjoyed and proud on a very little achievement without keeping in mind the biggest ever defeat and ruin in the last general elections. It is nothing but madness.

They are not at all behaving like a good opposition. They have come down to dirty acts of insulting the Governor by throwing chappals in the Assembly. However, I am glad to note that some of the Congress Leaders, who are now liberated are behaving in a different manner.

It was said by Congress (I) that Shah Commission was a mockery and that that is why people felt discontented and agitated. Also the workers and member of their party misbehaved in the premises of Shah Commission and other Courts. But the fact remains that Janata Party and its Govt. are more liberal and committed to the rule of law than what was required. People feel agitated because we are too lenient towards you. But despite that we want to act according to law of the land as per requirement of democratic norms. Besides that we are trying to undo the misdeeds done by you during your authoritative regime. And that is bound to take some time. We had never promised that we would be able to set every thing right within short period of one year.

As regards cohesion in Janata Party, we discuss everything in a democratic way and in that procedure every one of us is free to express his opinion may it be even critical at times. Our cabinet meetings are held in most democratic manner whereas there were fewer such meetings in Congress regime. Dispite free discussions and expressions you will find that there is no difference of opinion among us as regards basic policies and programmes. All our decisions have been unanimous.

As regards police firing whether it is in Pant Nagar or in Karnataka. We are against firings. That is why the Chief Minister of U.P. has ordered a Judicial inquiring in Pant Nagar firing without having been asked to do so. The victims have also been given compensation.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

Planning came to our country in the inspiration of Shri Jawahar Lal Nehru but his daughter Smt. Indira Gandhi destroyed that very concept. What your people call, "The golden decade" that period, in fact, has been the tenure of unemployment and increase in corruption. There is no other example in the entire world, of such a misuse of power.

There are many challenges before the Janata Government and the party has gladly accepted them. We are determined to end unemployment and trend of increasing prices and to restore the prestige of Judiciary as well as democratic system only through democratic means.

I have full faith in the people of our country and its democratic traditions. I am also in favour of balance of power lest the ruling party should go monolithic or proud. There should be a decentralisation of social, economic and political power. Only then we can eliminate the danger of authoritarian rule.

Finally, I appeal to the House to reject this lifeless and meaningless motion.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वयालार रवि ।

श्री वसन्त साठे : आज हमें कितने बजे तक बैठना है । आज आधे घण्टे की चर्चा भी तो है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह चर्चा शुक्रवार तक के लिये स्थगित कर दी गई है । आज हम सायं सात बजे तक बैठेंगे । श्री वयालार रवि ।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : श्रीमन्, हम ने जनता सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है क्योंकि आज ऐसा लगता है कि जैसे देश में कोई सरकार है ही नहीं वस्तुत: यह सरकार नहीं है बल्कि सत्ता के भूखे कुछ राजनैतिक मूढ़ों का शरणस्थल है । लोकतंत्र में तो देश का केवल वही दल शासन चला सकता है जिस में परस्पर एकात्मकता हो, एकता हो । आज आप समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा प्राय: हर राज्य में क्या कुछ हो रहा है । लोगों पर गोलियां चलाई जा रही है देश भर में अराजकता फैली हुई है । मंत्रीगण परेशान है कि किस प्रकार इस स्थिति पर काबू पाया जाये । वे अपने ही दल के तीन सर्वप्रमुख नेताओं को अन्तिम चेतावनी दे रहे हैं कि या तो वे आपस में एकमत हो जाये वरना गद्दी छोड़ दे । एक ही वर्ष में यह हालत हो गई है । ये लोग कांग्रेस को दोष देते हैं जिसके 30 वर्ष के शासन में भी कभी भी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई ।

देश में एक नये प्रकार का हिन्दूवाद लाया जा रहा है जिसे चतुर वर्ण कहना उचित होगा जिसमें एक वर्ग दूसरे को दबाता है तथा जिसके अन्तर्गत धर्मनिर्पेक्षता तथा हरिजनों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का दमन होना निश्चित है । यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है । जब जनता पार्टी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा उसकी अर्द्ध सैनिक शक्ति का प्रभुत्व हो तो फिर इस पार्टी से और क्या आशा की जा सकती है । देश की सभी प्रगतिशील तत्वों को इस नये-हिन्दूवाद तथा चतुरवर्ण से लड़ना होगा । हमेशा आशा थी कि प्रधान मंत्री इन तत्वों के विरुद्ध संघर्ष करेंगे परन्तु वह तो विवश हैं उसी प्रकार श्री चन्द्रशेखर भी विवश हैं । वह तो सभा में भी नजर नहीं आते । अपने दल के कार्यालय में ही संघर्ष कर रहे है ।

आज छात्रों से कहा जाता है कि यदि वे हड़ताल करेंगे तो देश के सभी विश्वविद्यालय बन्द कर दिये जायेंगे । श्रमिकों को कारखाने बन्द करने की धमकी दी जाती है । जुलूस निकालने पर उन पर गोली चला दी जाती है । हरिजनों तथा अल्पसंख्यकों को कोई सुरक्षा नहीं है । पिछले 2 महीनों में पुलिस की गोली से 300 व्यक्ति मरे हैं । पिछले कुछ महीनों में 40 विश्वविद्यालय बन्द किये गये 6 उपकुलपतियों के साथ हाथापाई करके उन्हें बाहर फेंका गया । यह नकारात्मक तथा दमन की नीति है । क्या यही लोक तंत्र है ? क्या लोकतंत्र का अर्थ लोगों की हत्या करना तथा उनका दमन करना है ? पन्त नगर तथा देश के अन्य भागों में ऐसा ही हुआ है ।

इस सरकार के शासन में भ्रष्ट प्रक्रियाओं की भी कमी नहीं है । 4 दिसम्बर को जब मैंने सलाहकार समिति की बैठक में श्री मोहन धारिया से पोलियस्टर फिलामेंट धागे के आयात के बारे में पूछा तो सरकार कोई उत्तर न दे सकी, 100 संसद सदस्यों ने इस मामले की जांच के लिये ज्ञापन दिया था

[श्री वयालार रवि]

परन्तु जांच नहीं कराई गई केवल तीन व्यक्तियों को ही इसका आयात करने का अधिकार दिया गया है जो करोड़ों रुपये कमा सकते हैं । इसीलिये हमने जांच की मांग की थी । मंत्री महोदय इस मामले की जांच करायें ।

श्री मोहन धारिया : मैंने सभा में बताया था कि बाजार से मूल्य 195 रुपये से लेकर 210 रुपये तक थे । परन्तु राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात के बाद 120 रुपये से 125 रुपये तक आ गये । हम किसी को मुनाफ़ा कमाने की अनुमति नहीं देते । **(व्यवधान)**

श्री ए०सी० जार्ज : आज तक कभी किस मंत्री ने यह नहीं स्वीकार किया कि वह मुनाफ़ाखोरी की अनुमति देते है ।

श्री वयालार रवि : आज कहा जाता है कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री के निवास स्थान पर श्री आर० के० धवन का सर्वाधिक प्रभाव था परन्तु आज भी एक नया आर० के० धवन प्रधान मंत्री के निवास पर प्रभुत्व जमाये हुआ है । मैं नाम तो नहीं लेना चाहता परन्तु वह एक सेवानिवृत्त आई० सी० एस० अधिकारी है तथा वस्तुतः बड़े-बड़े व्यापारगृहों का सम्पर्क अधिकारी है । यह व्यक्ति तो भ्रष्टाचार तथा शक्ति के मामले में आर० के० धवन से भी बड़ा है ।

श्री सी०एम० स्टीफन : आप का मतलब है....**

श्री वयालार रवि : मैं उसका नाम नहीं लूंगा वरना वह शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा **(व्यवधान)** हो, तो ** यह व्यक्ति एसा प्रयत्न जारी करता है कि जो लोग पांच वर्ष दिल्ली में रह चुके हैं वें वापस चले जायें बेचारे अधिकारियों का अपमान किया जा रहा है । आज प्रत्येक आई०ए०एस० अधिकारी स्वयं को असुरक्षित पा रहा हैं । प्रधान मंत्री सचिवालय में इस व्यक्ति की बदौलत देश तबाह हो रहा है । वह कितनी ही भ्रष्ट प्रक्रियाओं के लिये उत्तरदायी है ।

एक माननीय सदस्य : **

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप नाम लेते जायेंगे तो मुझे उन्हें सभा की कार्यवाही से निकालना पड़ेगा ।

श्री सी० एम० स्टीफन : यह अविश्वास प्रस्ताव तथा इसमें प्रधान मंत्री सचिवालय भी अन्तर्ग्रस्त है । आप नाम कैसे काट सकते है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आपने नाम लेने थे तो मुझे इसकी पूर्व सूचना देते ।

श्री सी० एम० स्टीफन : यहां कितनी हो बार श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम लिया जाता है । क्या उनके विरुद्ध कोई अविश्वास का प्रस्ताव है ? फिर भी आप उन्हें नहीं रोकते ।

श्री ए० सी० जार्ज : कल ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के समय श्री समर गुह ने फिशरीज कार्पोरेशन आफ इंडिया के अधिकारी का बार-बार नाम लिया । किसी ने उन्हें नहीं रोका ।

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसा हुआ है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है । मैं तो इसको अनुमति नहीं दूंगा ।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत निकाल दिया जाय ।

Expunged as ordered by the Chair.

प्रो० मधु दण्डवते : मैं इसी सभा में कई बार कह चुका हूँ कि आप विभाग की आलोचना कर सकते है परन्तु उसके अधिकारियों की नहीं । माननीय सदस्यों ने मेरी बात मानकर व्यक्तिगत नाम लेना बन्द कर दिया था ।

श्री सी० एम० स्टीफन : क्या यह बात अधिकारियों के लिये ही है या सब के लिये?

उपाध्यक्ष महोदय : अगर इसमें निन्दा शामिल है तो चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो ।

श्री वयालार रवि : मैंने राक्षस नहीं कहा था बस इतना कहा था कि वह दोबारा उभरा है ।

संभरण और निपटान महा निदेशालय ने सरकारी उपक्रम 'फेडो' के टेंडर स्वीकार न करके एक प्राइवेट फर्म मैसर्ज साइमन कार्वस लिमिटेड को ठेका दे दिया गया क्योंकि इस प्राइवेट फर्म ने किसी बन्द लिफ़ाफ़े में कुछ भेजा था । क्या भेजा था यह तो श्री सिकन्दर बख्त जाने परन्तु यह सच है कि सरकारी उपक्रम को ठेका न देकर उस प्राइवेट फ़र्म को ठेका दिया गया । क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है ? इसी प्रकार केरल में मलकारा आश्रम में छापा मारने वाले अधिकारी से भी नाराज होकर उसका स्थानान्तरण कोचीन में कर दिया गया क्योंकि श्री एच० एम० पटेल उस अधिकारी की इस कर्त्तव्य-परायणता से नाखुश हुए थे ।

ऐसे न जाने कितने घोटाले हैं । समय के अभाव के कारण मैं उनका जिक्र नहीं कर सकता । मैं प्रधान मंत्री से अपील करूंगा कि वह अपने भ्रष्ट मंत्रियों तथा राज्यों से भी भ्रष्ट मंत्रियों के विरुद्ध कार्यवाही करें तथा उन्हें मंत्रीमंडल से बर्खास्त करें ।

जहां तक विदेश नीति का संबंध है जनता सरकार दावा करती है कि वे 'वास्तविक' (जैनुअन) गुट निरपेक्षता की नीति पर चल रहे हैं । यह वास्तविक गुट निरपेक्षता क्या होती है । क्या पहली विदेश नीति अवास्तविक थी? क्या वह गुटीय नीति थी ? किसके साथ हमारा गुट था ? सोवियत संघ के साथ था, ये बातें केवल पूर्वाग्रह की भावना का प्रतीक हैं । आज जनता सरकार चीन के साथ संबंध सुधारने और उसे मित्र बनाने का ढोल पीटती है जबकि यही लोग श्री वी० के० कृष्ण मेनन के खून के प्यासे हो गये थे, उसे मंत्रीमंडल से बर्खास्त कराने को प्रयत्नशील थे क्योंकि उसने 'हिन्दी-चीनी भाई भाई' की बात कही थी ।

सोवियत संघ ने हमेशा हमारा समर्थन किया है । काश्मीर के प्रश्न पर तथा बंगला देश युद्ध के समय उसने हमारा समर्थन किया था । फिर भी आप उस देश को बदनाम करना चाहते हैं ।

आज विदेश मंत्री एक खतरनाक रास्ते पर चल रहे है । उन्होंने पाकिस्तान को काश्मीर का मामला पुनः उठाने की अनुमति दी है । बंगला देश को समूचा पानी देना स्वीकार किया है । नेपाल को अपने पत्तनों तक आने देना एक खतरनाक कदम है क्योंकि बाद में वह देश रास्ता भी मांगेगा ।

अतः यह सरकार लोगों को दिये गये वचनों को पूरा करने में सर्वथा असमर्थ रही है और देश को ऐसी स्थिति में ले जा रही है जबकि सेना को ही देश की बागडोर संभालनी पड़ सकती है जो कि लोकतंत्र के सर्वथा विपरीत होगा ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : दुर्भाग्य से यह प्रस्ताव समय पूर्व लाया गया है क्योंकि वस्तुतः इससे कोई सार ही नजर नहीं आता है । और यही कारण है कि इस का परिणाम भी नीरस ही निकला है । और इसका सारा दोष विपक्ष पर जाता है जिसने पूर्ण सामग्री जुटाये बिना ही आक्रमण कर दिया । विपक्षी पर आक्रमण करने से पूर्व भरपूर सामग्री होनी चाहिये ।

[प्रो० पी० जी० मावलंकर]

तथापि मैं कहना चाहूंगा कि यह एक महत्वपूर्ण चर्चा है । मैं इसे गंभीरता से लेता हूं । मैं इस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध मात्र इसलिये कर रहा हूँ क्योंकि मैं अनेक बातों में जनता सरकार के कार्यों का समर्थन करता हूं हालांकि मैं कट्टर निर्दलीय हूँ और कल ही मैंने खादी के मामले पर सरकार की कटु आलोचना की है ।

वस्तुत: यह प्रस्ताव शायद हाल ही में हुए उप-चुनावों के परिणामों से प्रेरित होकर लाया गया है । परन्तु विपक्ष को याद रखना चाहिये कि उप-चुनावों में शायद उस समय की सरकार को पराजय ही हुक्म करती है क्योंकि सरकार का रवैया इन उप-चुनावों में रक्षात्मक होता है तथा वह अधिक ध्यान भी उस ओर नहीं दे पाती है ।

आपात स्थिति को कौन भूल सकता है । कांग्रेसियों को चाहिये कि वे अपनी बुरी करनी पर पश्चाताप करें ।

दूसरी ओर जनता सरकार ने समाचार पत्रों को आजाद रखा है । वे अब स्वतंत्र रूप से अपनी सामग्री छाप सकते हैं ।

विपक्ष के लोग आज लोकतंत्र स्वाधीनता तथा ऐसी ही चीजों की जुदाई दे रहे हैं जबकि उन्होंने खुद राष्ट्र को आपातस्थिति में अंधकारमय युग में धकेला था । सारे देश को उन्होंने एक बड़ा कारागार बना दिया था। और हर हथकण्डा अपना कर जो-जो दुष्कृत्य और पाप किये उनको बंगाल की खाड़ी हिन्द महासागर तथा अरब सागर के जल मिलकर भी नहीं धो सकते । अब वे इस सरकार की योग्यता को केवल 13 मास की अवधि में आंकना चाहते हैं ।

फिर भी इस चर्चा से जनता सरकार के नेताओं को एक सबक जरूर मिलता है। उनको एक चेतावनी जरूर मिलती है । हमें पिछले 13 महीनों के इतिहास से भी सबक लेना है । और वह यह कि विशेषकर राज्यों के स्तर पर जनता पार्टी की साख निरन्तर गिरती जा रही है और यदि यही दौर चलता रहा तो हम सब समाप्त हो जायेंगे । मुझे अधिक डर इसलिये लग रहा है क्योंकि दुर्भाग्य से आज हमारे पास जनता पार्टी का विकल्प नहीं है । आज इस दृष्टि से देश में राजनैतिक शून्यता है । इस कारण से जनता पार्टी के लिये यह चुनौती और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है ।

परन्तु मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि देश के लोगों ने जनता पार्टी को रातों-रात बड़े ही नाटकीय ढंग से जो समर्थन दिया वह भरपूर दिया पूरे विश्वास से दिया । सत्ता दी, बहुमत दिया, पूर्ण रूपेण दिया । परन्तु यह कहते हुए मुझे दुःख हो रहा है कि लोगों का वह विश्वास अब धीरे-धीरे घटता जा रहा है । इसलिये सरकार अपनी नकारात्मक नीति छोड़ कर कुछ सकारात्मक कार्य करें तथा लोगों का विश्वास पुनः प्राप्त करें ।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि जनता पार्टी में एकात्मकता आने में अभी और कुछ समय लगेगा । कोई भी दल केवल 13 मास में एकताबद्ध नहीं हो सकता तथापि जनता सरकार को एकजुट होकर, प्रभावपूर्ण ढंग से तथा कुशलता पूर्वक कार्य करना चाहिये ।

दूसरे, राष्ट्र की अपेक्षा है कि जो लोग धीमी गति वाले हैं, वृद्ध है तथा जिनके विचार पुराने पड़ चुके हैं उन्हें नई पीढ़ी को आगे आने का अवसर देना चाहिये ।

फिर भी जनता पार्टी के ये तेरह महीने कांग्रेस को आपात स्थिति के शासन काल के 19 महीनों से निश्चय ही अधिक अच्छे रहे हैं। परन्तु यदि आप ऐसी बात सुनकर केवल तालियां ही बजाते रहेंगे और आगे कुछ न करेंगे तो आप को जो कुछ मिला है वह हमेशा के लिये हाथ से जाता रहेगा। इसलिये आप के दल और आपकी सरकार को एकजुट होकर, विश्वास और कुशलता से काम करना चाहिये।

श्री यशवन्त बोरोले (जलगांव) : श्रीमन्, यहां अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है तथा विपक्ष का कहना है कि सरकार ने कुछ भी अच्छा नहीं किया है, कोई ठोस काम किया ही नहीं है। लोकतंत्र में अच्छे या बूरे का निश्चय चर्चा द्वारा होता है और लोकतंत्र में अपनी बात कहने की स्वतंत्रता होती है। परन्तु स्वतंत्रता का यह अर्थ भी नहीं है कि यदि जिस प्रकार का वक्तव्य दे दिया जाये। श्री जी० एम० बनतवाला ने जो वक्तव्य दिया है कि मस्जिदों के स्थान पर मंदिर बनाये जा रहे है। यह एक खतरनाक वक्तव्य है। इस का आम देशवासियों पर अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। देश के विभिन्न समुदायों में परस्पर सद्भाव को भारी चोट पहुंच सकती है। ऐसे वक्तव्य नहीं दिये जाने चाहिये। इस से देश के राष्ट्रीय हितों को हानि पहुंचती है।

दूसरे, हम सब जानते हैं कि देश को आजादी के इन तीन बरसों में क्या कुछ हुआ है। वर्तमान सत्ताधारी दल को बस यही आलोचना नहीं करते रहना चाहिये कि आपात स्थिति के दौरान ज्याद-तियां हुई थी। क्या साथ ही विपक्ष को भी यह नहीं चाहिये कि वह सरकार की टांग ही खींचती रहे। वास्तव में परस्पर समझ बूझ का वातावरण पैदा होना चाहिये।

श्री वयालार रवि ने कुछ कार्यों की आलोचना की है। ऐसा नहीं है कि हम गलती नहीं करते। गलती सब से होती है। साथ ही सदस्यों का यह काम भी है कि वे गलतियों को सामने लायें भले ही वे किसी भी पक्ष की ओर से हुई हों। परन्तु क्या इन्दिराजी को यह कहना चाहिये कि विदेश मंत्री राष्ट्र को बेच रहे हैं, सब कुछ नष्ट किया जा रहा है। औद्योगिक विकास संस्कृति तथा कृषि का संवर्धन रुक गया है आदि आदि? वह हर स्थान पर ऐसे वक्तव्य दे रही है तथा उनके समर्थक उनका समर्थन कर रहे है। ये वक्तव्य वस्तुतः बिल्कुल झूठ है। क्या श्री स्टीफन अथवा श्री साठे उन्हें यहां प्रमाणित कर सकते है ? कभी नहीं। क्या भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री को ऐसे वक्तव्य देने चाहिये। यही बात लोक तंत्र को खतरे में डालती है। अतः आप लोग इस पर विचार करें। आखिर इन सब बातों से क्या लाभ होगा ?

कांग्रेस (आई) के लोग कहते है कि वे लोकतंत्र में विश्वास रखते है। क्या उनके अपने ही दल में लोकतंत्र है ? बिल्कुल नहीं है। वहां कभी भी विचारों का कोई आदान-प्रदान नहीं होता।

वे यह अविश्वास प्रस्ताव लाये है उनका कोई आधार, कोई औचित्य या उसको कोई तुक तो होनी चाहिये थी। मुझे तो इस में ऐसा कुछ नजर नहीं आया है। ये बातें जो उन्होंने कही है वे तो न जाने कितने समय से यहां सभा में कही जाती रही है।

आप ईमानदारी से बताये कि क्या जनता पार्टी हरिजनों के विरुद्ध है ? जी नहीं, हम हमेशा ही हरिजनों के कल्याण के लिये उपाय सोचते रहते हैं। यह बात हमारी शैक्षिक, आर्थिक, औद्योगिक तथा कृषि विषयक नीतियों से स्पष्टतः सिद्ध होती है। परन्तु खेद है कि इनकी प्रशंसा विपक्ष नहीं कर रहा है। यदि हमारी नीतियां गलत है तो आप हमें तुरन्त बताईये, केवल बातें करने से लाभ नहीं। क्या हम विश्वविद्यालय तथा कॉलेज बन्द कर देना चाहते है ? आज हजारों लाखों लोग बेरोजगार

[श्री यशवंत बोरोले]

फिर रहे हैं जबकि वे शिक्षित तथा प्रशिक्षित भी है । हम इसके लिये एक नई शिक्षा-नीति बनाने में लगे हैं । क्या ऐसा करना गलत है ?

आयोगों की कार्यवाही को बदले की भावना से की गई कार्यवाही बताया जा रहा है । इन आयोगों का कार्य तो तथ्यों का पता लगाना है । क्या आप सच्चाई जानना नहीं चाहते? यदि हां, तो फिर क्यों उन का विरोध करते है ? शाह आयोग के प्रतिवेदन सभा में रखे गये है हमें उन पर शांति और धैर्य से विचार करना चाहिये यदि किसी व्यक्ति ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है, अपनी सीमा से बाहर जाकर काम किया है तो उस की जांच क्यों नहीं की जाय ? 18–19 मास तक लाखों लोगों को जेलों में रखा गया, कितने ही लोगों पर अमानवीय अत्याचार हुए क्या उसकी जांच न की जाये ?

क्या विपक्ष समझता है कि सरकार की ओर से हरिजनों पर आक्रमण किया जाता है अथवा यह सब कुछ सरकार की राह पर होता है ? मैं कहना चाहूंगा कि ये सब बातें बिल्कुल बेहूदा है और इसी तरह का यह अविश्वास प्रस्ताव है ।

आज जो देशभर में छात्रों, श्रमिकों तथा हरिजनों संबंधी विवाद और उपद्रव खड़े हो गये है वे सब विपक्ष द्वारा लोकतंत्र के नियमों को तोड़ कर लोगों को भड़काने के कारण पैदा हुए है । इन सब के लिये विपक्ष जिम्मेदार है, सरकार नहीं ।

अविश्वास प्रस्ताव के बारे में हमारे प्रधान मंत्री ने साफ कह दिया था कि इसके पेश किये जाने से जनता सरकार अथवा पार्टी कमजोर नहीं पड़ेगा बल्कि उस में एकता बढ़ जायेगी । परन्तु इस बात का भी दूसरा मतलब निकाला गया । लोकतांत्रिक हर ढांचे में मतभेद तो सदा ही रहता है । इस सीमा तक हम में भी मत भेद हो सकते है किसी पद विशेष के लिये प्रतियोगिता की भावना पैदा होना भी लोकतंत्र का एक पहलू है । हमारे यहां तानाशाही नहीं है जोकि विपक्षी नेता के दल में रही है । इस दल ने एक व्यक्ति ने अपनी तानाशाही द्वारा अपात स्थिति लागू कर दी और इस दल के नेताओं ने चूं तक नहीं की । इन्दिराजी कहती है कि हम आज भयभीत है । बड़ा विचित्र वक्तव्य है ।

विपक्ष को वास्तविकता का मूल्यांकन करना चाहिये तथा राष्ट्र की समृद्धि तथा दलित वर्गों को उठाने में हमारे साथ मिलकर कार्य तथा प्रयास करने चाहिये ।

श्री अशोक कृष्ण दत्त (दमदम) : जनता पार्टी का सदस्य होने के नाते लोकतंत्र तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में मेरा अटूट विश्वास है । इसी प्रकार मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में विपक्ष की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है । इस आशा से मुझे आशा थी कि मेरे मित्र श्री स्टीफन एक सशक्त और प्रभावशाली भाषण देंगे । वह एक बहुत अच्छे वक्ता है, परन्तु आज उनका भाषण सर्वथा प्रभावहीन रहा । उसमें अनिश्चय तथा झिझक थी । वह पिछले कई वर्षों से भी अनिश्चय की स्थिति में है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आज हम आप के भाषण के साथ यह चर्चा समाप्त करते है ।

कई माननीय सदस्य : नहीं नहीं । वे कल भाषण जारी रखे ।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार 11 मई, 1978/21 वैशाख, 1900 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday the 11th May, 1978/Vaisakha 21, 1900 (Saka).

भा०स०म०ना०--वि5--- 153 लोक सभा नई दिल्ली)/78-- 4- 9- 78--210